"उत्तर प्रदेश में गरीबी शमन तथा रोजगार सृजन कार्यक्रमों का ग्रामीणों की आर्थिक दशा पर प्रभाव"
(जनपद जालौन के सन्दर्भ में)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

की

पी–एच0डी0

उपाधि हेतु प्रस्तुत

विस्तृत

शोध प्रबन्ध

शोध निर्देशिका

(डा0 अलका नायक)
रीडर, अर्थशास्त्र विभाग
गाँधी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, उरई
जनपद जालौन उ0प्र0

शोधार्थिनी

(दीप्ति श्रीवास्तव)
एम0ए0 अर्थशास्त्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दीप्ति श्रीवास्तव ने मेरे निर्देशन में उत्तर प्रदेश में गरीबी शमन तथा रोजगार सृजन कार्यक्रमों का ग्रामीणों की आर्थिक दशा पर प्रभाव (जनपद जालौन के सन्दर्भ में) विषय पर बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी से विद्या वाचस्पित उपाधि हेतु यह शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया है।

यह शोध कार्य इनका स्वयं का है इसे जालौन जनपद में क्रियान्वित किया गया है।

Alnayak

दिनांक 10.5.09

(डा0 अलका नायक)
रीडर अर्थशास्त्र विभाग
गांधी महाविद्यालय उरई
(जालौन)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के अध्यादेश में निहित प्रावधान अनुसार दीप्ति श्रीवास्तव ने मेरे निर्देशन में २०० दिन से अधिक कार्य किया है, उपरोक्त उपस्थिति प्रमाणित की जाती है।

Alnayak

आभार प्रदर्शन

अध्ययन काल से ही मेरा मन ग्रामीण गरीबों के प्रति पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की मेरी इ च्छा बलबती हो गयी थी इसीलिये इस विषय (उतर प्रदेश में गरीबी शमन तथा रोजगार सृजन कार्यक्रमों का ग्रामीणों की आर्थिक दशा पर प्रभाव जनपद जालौन के संदर्भ में) पर मै शोधकार्य जनवरी 2004 से प्रारम्भ कर दिया था, इस कार्य में एक बार पूरी तरह विचलित हो गया था, लेकिन डा0 अलका नायक के प्रेरणा एवं मार्गदर्शन ने मुझे आगे शोध साधना में पूरी तर जुटने के लिये प्रेरित किया। इस कार्य में मेरे मता पिता एवं सास ससुर ने भी मुझे कठिन साधना में लीन होने के लिये प्रेरित किया तथा समय–समय पर मुझे वित्तीय समस्याओं से भी परिपूरित किया।

मैं पूज्यनीया गुरूवर के निर्देशन में शोध मार्ग की तरफ अग्रसर हुआ और उनके आशीर्वाद तथा उनकी कृपा दृष्टि भी मुझ पर सदैव बनी रही। शोध प्रबन्ध कार्य पूरा करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से जूझने के लिये प्रेरणा देने तथा समय–समय पर उचित परामर्श देने से कभी विमुख नही हुये। उन्ही की कृपा दृष्टि से यह शोध ग्रन्थ पूरा हुआ, इसके लिये मैं डा0 अलका नायक के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। इसी श्रृंखला में मैं अपने पूज्य माता पिता के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होने कठिन से कठिन समस्याओं से जूझने के लिये मुझे सदैव प्रेरणा दी।

इस कार्य में जनपद जालौन के विकास खण्ड के कर्मचारियों एवं विकास भवन के कर्मचारियों के प्रति विशेष कर श्री ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव को आभार प्रकट करती हूँ जिन्होने विकास भवन पहुँचने पर मुझे आंकड़ोंका शीघ्र संग्रह कराया।

मैं डा0 एस0वी0एस0 भदौरिया की भी आभारी हूँ जिन्होने मुझे उचित मार्गदर्शन एवं प्रेरणा दी।

मैं स्व0 रमाशंकर विद्यार्थी को धन्यवाद दिये बिना नही रह सकता, जिन्होने मुझे सदैव अनेक समस्याओं के समाधान के लिये उचित मार्ग सलाह दी थी।

मैं डा0 संजय श्रीवास्तव प्रवक्ता शिक्षा संकाय, डी0ए0वी0 ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिन्होने मुझे सदैव अनेक समस्या के समाधान एवं असीम सहयोग तथा प्रेरणा देने में कोई कंजूसी नही की।

मैं आभारी हूँ अपने पति डा0 सिधांशु राय प्रवक्ता प्रबन्धन संकाय, विश्वविद्यालय जिन्होने असीम सहयोग एवं प्रेरणा दी है

मैं धन्यवाद देती हूँ श्री राज बहादुर यादव ''पायनियर जीराक्स'' रैना मार्केट कम्पनीबाग कानपुर को जिन्होने इस कार्य को अच्छा एवं सुरूचि पूर्ण ढंग से किया।

अंत में मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिन्होने मुझे उचित मार्गदर्शन देकर इस शोध साधना में अपना आशीर्वाद प्रदान किया।

शोधार्थिनी

Deepti Srivastava

(दीप्ति श्रीवास्तव)

विषय–सूची

अध्याय– प्रथम

अध्याय–1

1. जनपद जालौन की भौगोलिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि–

"स्वाधीनता तभी सार्थक है जब देश में कोई भूखा न रहे" (महात्मा गांधी) जनपद जालौन बुन्देलखण्ड के अतीत के वैभव संस्कृति, राजनीतिक, कूट–नितिज्ञता गौरव–गाथाओं के स्वर्णिम संस्मरणों की निधियां छिपाने वाली भूमि का अंग है । बुन्देलखण्ड मण्डल के पाँच जनपदों में से यह जनपद भी एक है यहां की पावन भूमि ऋषि पाराशर एवं वाल्मीकि एवं उददालक ऋषि आदि की तपस्थली एवं योगाभ्यास स्थली रही है। यमुना तट पर स्थित कालपी नगर ऋषि वेदव्यास एवं राजर्षि कपिल देव की जन्म भूमि रही है। कूटनीति के आचार्य राजनीतिज्ञ राजा माहिल के किले के भग्नावशेष आज भी दयानन्द वैदिक महाविद्यालय के प्रागंण में विद्यमान है पुराने किल के खण्डहर आज भी अतीत के गौरवशाली एवं वीरता पूर्ण इतिहास को संजोये हुये खड़े है। सन् 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में भी जनपद महारानी लक्ष्मीबाई नाना साहब, तात्या टोपे तथा कुंवर सिंह के स्वतन्त्रता महायज्ञ का केन्द्र बिन्दु रहा है। मुख्यालय उरई में प्रसिद्ध माहिल तालाब जो आल्हा ऊदल के मामा माहिल के नाम पर प्रसिद्ध है।

उद्देश्यः– जनपदमें जो मेरे शोध का विषय है उस पर कार्य करने क़े उद्देश्य निम्नलिखित है–

1. गरीबी शमन एवं रोजगार सृजन के कार्यक्रमों की समीक्षा।
2. रोजगार सृजन कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. राजगार सृजन कार्यक्रमों का उत्पादकता पर प्रभाव का अध्ययन।
4. जातिगत आधार पर कृषि जोत की स्थितिका अध्ययन।
5. रोजगार सृजन कार्यक्रमों का स्वरूप एवं लाभान्वित जनसंख्याकी स्थिति का अध्ययन।

6. गरीबी शमन कार्यक्रमोंका विभिन्न जातियों के रहन सहन व उपभोग स्तर पर प्रभाव का अध्ययन।
7. विभिन्न जातियों एवं आय वर्ग के लोगों की ऋण एवं वचत सम्बन्धी स्थितियों का अध्ययन।
8. विभिन्न योजनाओं द्वारा लाभान्वित परिवार का जाति आधार पर अध्ययन।
9. विभिन्न परिवारों का जातीय आधार पर औसत आकार का अध्ययन।
10. रोजगार सृजन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बाधक तत्वों का अध्ययन।

जनपद की स्थिति–

झांसी मण्डल के उत्तरी भाग में स्थित जनपद जालौन का भौगोलिक क्षेत्रफल 4565 वर्ग किमी0 है इसके उत्तर पूर्व यमुना दक्षिण पूर्व में वेतवा पश्चिम में पहुज नदियां की सीमा बनाती है। यह जनपद 26.27 डिग्री 25.46 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 78.55 डिग्री पूर्व देशान्तर रेखाओं के मध्य फैला हुआ है। जनपद उत्तर पूर्व में इटावा व कानपुर दक्षिण पूर्व में हमीरपुर व पश्चिम में पहुज नदी के उस पार मध्य प्रदेश सीमा बनाता है।

इस प्रकार यह जनपद पूर्व से पश्चिम 95 किमी0 एवं उत्तर से दक्षिण 68 किमी0 की दूरी में विस्तृत है।

भौगोलिक संरचना–

जनपद प्राकृतिक विषमताओं भूमि की संरचना एवं विकास के स्तर की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम सम्भाग में कालपी एवं

उरई तहसील आती है जिनमें महोवा, कदौरा और डकोर विकास खण्ड आते है। द्वितीय सम्भाग में कोंच, जालौन एवं माधौगढ क्षेत्र वर्गीकृत किया जा सकता है। जिनमें शेष विकास खण्ड कोंच, नदीगांव, कुठौन्द, माधौगढ़ तथा रामपुरा आता है जिससे यहां की भौगोलिक स्थिति ने भी प्रभावित किया है। यमुना, पहुज वेतवा नदियों ने जनपद को तीन तरफ से घेर रखा है। जनपद के भीतर जल विकास को ककरी, नौन एवं मृगा आदि नालारत है तो उत्तर पूर्व की बहते हुये यमुना नदी में लगभग 13 किमी0 की दूरी पर आपस मिलकर एक होने पर कालपी के निकट यमुना नदी में समाहित हो गये हैं। जनपद की भौगोलिक संरचना नक्शा 1 में प्रदशित हैं ।

जलवायु–

कर्क रेखा के बहुत निकट होने के नाते यहां की जलवायु यमुना नदी के उत्तर के जनपदो की तुलना में सूखी है। ग्रीष्म ऋतु जल्दी ही प्रारम्भ होती एवं देर तक रहती है। शीतऋतु शुष्कता के कारण प्रभावी होती है लेकिन कोहरा एवं पाला कभी–कभी पड़ता है। धूल भरी आंधिया भी बहुत कम चलती है। मानसून यहां जून के अन्त में आता है। औसत ताप 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। सबसे कम जनवरी में 4 डिग्री गिर जाता है। मई माह में 36 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। सबसे कम अवधि 47 डिग्री सेल्सियस रहता है। राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में वर्षा कम होती है औसत वार्षिक वर्षा 1091 मिली मीटर है।

सामान्य वर्षा 862 मि0मी0 तथा वास्तविक वर्षा 550 मिली मीटर थी।जैसा कि सारिणी 1 में प्रदशित है कि 2001 में 861.9 मिली मीटर 2002

623.47 मी0मी0 एवं 2003 में पुनः बढ़कर 981.63 किमी0 किन्तु 2004 एवं 2005 एवं 2006 में क्रमशः गिरकर 627.96 एवं 510.84 मिली0 एवं 309.75 रह गयी वर्ष 2007 में वर्ष 399.80 मिमी0 हुई जो कि उत्पादन की दृष्टि से काफी कम है।

प्रशासनिक संरचना–

जनपद में 5 तहसीले तथा 9 विकास खण्ड है। इसके अन्तर्गत आने वाले ग्राम सभाओं, न्याय पंचायते अद्योलिखित है–

वर्षा का विवरण जनपद–जालौन

सारिणी–1 (मि0मी0 में)

क्र.स.	माह	सामान्य वर्षा	वर्षवार विवरण						
			2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	जनवरी	13.70	–	–	4.50	28.15	5.72	–	–
2.	फरवरी	12.80	–	36.30	13.25	–	0.40	–	33.85
3.	मार्च	7.30	–	–	–	–	12.35	12.00	10.15
4.	अप्रैल	5.50	–	–	–	1.76	–	1.00	–
5.	मई	7.40	23.25	38.36	–	1.90	1.87	13.75	–
6.	जून	64.50	170.25	24.90	55.25	49.60	52.50	200.55	70.00
7.	जुलाई	241.70	411.20	38.36	189.10	176.95	221.45	45.15	105.00
8.	अगस्त	259.50	202.50	333.93	133.88	224.10	128.20	32.30	107.15
9.	सितम्बर	139.10	27.35	149.67	568.90	145.50	88.35	–	73.65
10.	अक्टूबर	20.30	27.35		–	–	–	–	–
11.	नवम्बर	5.30	–	–	–	–	–	–	–
12.	दिसम्बर	9.50	–	–	16.75	–	–	–	–
	योग	**786.60**	**861.9**	**623.47**	**981.63**	**627.96**	**510.84**	**309.75**	**399.80**

प्रशासनिक संरचना–

जनपद में 5 तहसीले तथा 9 विकास खण्ड है। इसके अन्तर्गत आने वाले ग्राम सभाओं, न्याय पंचायते अद्योलिखित है–

सारिणी–2

क्र0स0	प्रशासनिक इकाईयों तहसील	विकास खण्ड	कुल ग्राम	कु0 आवाद ग्राम	ग्राम सभायें	न्याय पंचायते
1.	उरई	डकोर	157	128	76	11
2.	कालपी	महेवा	129	95	58	8
		कदौरा	111	99	68	8
3.	जालौन	जालौन	115	99	61	11
		कुठौन्द	143	116	66	9
4.	कोच	नदी गांव	193	143	73	9
		कोंच	121	102	62	7
5.	माधौगढ़	रामपुरा	89	76	43	8
		माधौगढ़	93	84	57	10
	कुल योग	9	1152	942	564	812

स्रोत प्रष्ठ –113 सांख्यिकीय पत्रिका जनपद जालौन–2005

जनपद में चार नगर पालिकाओं कोंच कालपी उरई जालौन तथा 6 टाउन एरिया–कोटा , नदी गांव ऊमरी, रामपुरा माधौगढ़ एवं कदौरा कार्यरत है। 18 पुलिस स्टेशन कार्यरत है इसके अतिरिक्त वर्ष 2004–2005 तक 937 डाकघर 16 तारघर तथा 1566 काल आफिस (पी0सी0ओ0) एवं 27184 टेलीफोन कनेक्शन है जिसमें 92 नगरीय, 507 नेशनल हाइवे 10 वी0पी0टी0 957 है।

प्राकृतिक संरचना–

यह जनपद प्रदेश के अन्य जनपदों से यमुना, वेतवा एवं प हुज नदियों द्वारा विभक्त है यहां की तहसील कालपी के अतिरिक्त अन्य तहसीलो की भूमि अधिकांशतः समतल है।

भूमि–

यहां मार, कावर, पडुआ एवं रांकड़ बुन्देलखण्ड में पायी जाने वाली चारो प्रकार की मिटियां पाई जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जो सिंचाई की सुविधा के अभाव में कृषि के अन्तर्गत नही है। सामान्यतः जनपद के माधौगढ़ एवं कुठौन्द को छोड़कर अन्य विकास खण्डों में एक ही फसल ली जाती है। वर्ष 2001–02 में जनपद का दो फसली क्षेत्र 41758 हेक्टेयर रहा जो कुल किये गये 348344 हेक्टेयर का मात्र 12 प्रतिशत है।

इस जनपद में कृषकों के पास बड़ी जोत है परन्तु सिंचाई का अभाव होने के कारण कृषक दो फसले उगा नही पा रहे है। भूमि की चार किस्त है 2006–2007 में राकड़ 48.26 हजार हे0 मार 60.80 हजार हे0 हेक्टयर पडुवा 116.22 हजार हेक्टयर ।

खनिज–

खनिज उपलब्धता की दृष्टि से यह जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां कोई भी खनिज पदार्थ उपलब्ध नही है। वेतवा नदी के किनारे के स्थान में मौरम ही खनिज पदार्थ के रुप में उपलब्ध है। जो उच्च कोटि के होने के कारण जनपद के बाहर अन्य जनपदों को भेजी जाती है। पहाड गांव व सैदनगर में छोटी–छोटी पहाड़िया भी है। किन्तु पत्थर उच्च कोटि का नही है। फिर भी निर्माण कार्य में प्रयोग होता है।

वन सम्प्रदा–

वन सम्प्रदा के रुप में इस जनपद में बबूल, खैर एवं छोटी–छोटी झाड़िया पायी जाती है। इस समय 25640 हेक्टेयर क्षेत्रफल वन के अन्तर्गत है जो भौगोलिक क्षेत्र का 5.6% है। विगत दो तीन वर्षो से कांजी तथा जेद्रोपा रोपण की ओर कृषक वर्ग एवं वन विभाग विशेष रुचि ले रहा है।

जनसंख्या एवं घनत्व–

वर्ष 1981 से जनगणना की तुलना में वर्ष 1991 में 23.6 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है, जबकि 1981 में जनगणना में वृद्धि दर 21.2 प्रतिशत है। इस प्रकार वर्ष 1991 में जनसंख्या घनत्व 267 प्रतिवर्ग किमी0 है 1981 में जनसंख्या का घनत्व 216 प्रतिवर्ग किमी0 था। जबकि 2001 में जनसंख्या घनत्व 319 प्रतिवर्ग किमी0 था।

वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार जनपद जालौन की कुल जनसंख्या 1454000 है। जिसमें पुरुषों की संख्या 521282, स्त्रियों की सख्या 428898 है कुल जनसंख्या में कृषक 1990093 है जिसमें कृषि श्रमिक 8342 है। कुल मुख्य कर्मकर 361461 है। सीमान्त कर्मकर 48475 है। कुल कर्मकर की संख्या 409936 है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.1 है।

पशुपालन, जंगल वृक्षारोपण आदि कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या 2910 है। उद्योग खादान आदि में लगे 36 है। पारिवारिक 3686 गैर पारिवारिक 9531 निर्माण कार्य में लगे व्यक्ति 4549 है। व्यवसाय व्यक्ति 5966 तथा अन्य कर्मकरों की संख्या 30828 है।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 77.92 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है जबकि 1981 में यह प्रतिशत 80.08 था। जहां तक अनुसूचित

जाति का प्रश्न है जनपद की वर्ष 2001 अनुसूचित जातियों की संख्या 393307 तथा अनुसूचित जनजातियों की सं0 140 है। 1991 कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 27.3 है। जबकि वर्ष 1981 में यह प्रतिशत 27.1 था। जबकि प्रदेश का यह औसत 21.0 है स्पष्ट है कि जनपद में अनुसूचित जाति का प्रतिशत प्रदेश के प्रतिशत से कही अधिक है। जनसंख्या का कर्मकारवार वर्गीकरण इस प्रकार कृषक 199093 इनमें से लघु एवं सीमान्त कृषक 142948 एवं कृषि श्रमिक 83425 एवं दस्तकार 4549 गृह एवं कुटीर उद्योग में लगे लोगो की संख्या 13037 एवं सहयोगी कृषि कार्य में 2910 एव अन्य श्रमिकों संख्या 58447 है।

साक्षरता–

साक्षरता की दृष्टि से जनपद जालौन में विगत चार दशको में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जो जनपद के विकास की दृष्टि से एक प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता हैं। अद्योलिखित आंकड़ो को सारिणी –3 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है–

सारिणी –3

जनगणना वर्ष	साक्षरता का प्रतिशत पुरुष	प्रतिशत स्त्री	कुल
1961	35.6	8.3	22.8
1971	40.2	12.4	27.4
1981	50.2	19.0	35.9
1991	66.2	31.6	50.7
2001	64.5	77.4	49.2

2001 के अनुसार झांसी में साक्षरता प्रतिशत 65.5 तथा ललितपुर में साक्षरता का प्रतिशत 49.5 है। झांसी मण्डल में जालौन जनपद झांसी के पश्चात् दूसरे स्थान पर आ जाता है।

पशु पालन एवं मत्स्य–

जनपद में वर्ष 2003 की पशुगणना के अनुसार कुल पशु धन 792572 है। जिसमें गौरवंशीय पशु 237213 महिषवंशीय 239862 भेड़ 30048 बकरे एवं बकरियां 257389 है। सुअर 26522 अन्य पशु 2840 कुल मुर्गे एवं मुर्गियां 50649 है। तथा अन्य कुक्कुट 1102 है।

उपरोक्त आंकड़ो से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कि आर्थिक विकास में जनपद में उपलब्ध पशुपालन हो सकता है। जनपद में दूध देने वाले पशुओं की नस्ल में सुधार एवं संवर्धन हेतु जनपद में अनेक प्रकार की योजनाये कार्यान्वित की जा रही है। जिसमें कृषि विविधीकरण परियोजना काफी सिद्ध हो रही है।

2003–2004 में प्रस्तावित योजना पशुधन विकास परिषद (एल0डी0वी0) द्वारा बांझ पशुओं में बांझपन निवारण करने हेतु ग्रामों में बाझपन शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

यद्यपि शासन ने पशुओं की बीमारियों और उनकी रोकथाम के लिये पर्याप्त पशु चिकित्सालय और केन्द्रो का विस्तार किया है। किन्तु पशुधन संख्या के अनुपात में निश्चित ही उपलब्ध सुविधा पर्याप्त है।

वर्ष 2003–2004 में कुल पशु चिकित्सालय 25 ग्राम समूह खण्ड 1 द श्रेणी पशु औषधालय 6 पशु सेवा केन्द्र 28 ग्राम समूह ईकाई 6 भेड विकास एवं ऊन प्रसार केन्द्र 4 है। बकरी गर्भाधान केन्द्र 17 एवं सुअर गर्भाधान केन्द्र 13 हे। बकरी 2003–2004 में पशु चिकित्सालय में चिकित्सा 309237 बाधियाकरण 20651 टीकाकरण 581890 बकरी गर्भाधान 1961 में बकरी गर्भाधान से उत्पन्न संतति 2881 कृत्रिम गर्भाधान 9352 सामूहिक दवापान 4358 बांझपन चिकित्सा 54.83 नैसर्गिक केन्द्र पर गर्भाधान का कार्य 3475 किया गया उन्नत बच्चे 177 है गर्भित पाये गये पशु (गाय, भैस) 2701 है। सूअर गर्भाधान 67 का किया गया तथा 70 बच्चे उत्पन्न हुये है।

कुक्कुट पालन–

कुक्कुट पालन स्वरोजगार करने हेतु आटा (उरई) में कुक्कुट काम्पलैक्स बना हुआ है। जिनमें अनेक लाभार्थी, ब्राइलर कुक्कुट पालन कर जीवकोपार्जन कर रहे है। जिसमें 40 पेन है पूरे काम्पलेक्स की कुक्कुट पालन क्षमता 20000 है। जिसमें स्वरोजगार करके 40 लाभार्थी लाभ उठा रहे है।

कुक्कुट वितरण एक दिवसीय 27965, एक मासीय 8355 दो मासीय 920 तथा ब्राइलर चुजे 6533 वितरित किये गये।

मत्स्य पालन–

जनपद में मत्स्य विकास कार्यक्रमों को सुचारु रुप से चलाने हेतु वर्ष 1982–83 से "मत्स्य पालक विकास अभिकरण" कार्यरत है। मत्स्य पालन विकास अभिकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में तथा अप्रयुक्त जल क्षेत्रो

का उ0पयोग कर मत्स्य पालन करके गरीब मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा उनके आर्थिक तथा सामाजिक स्तर में सुधार लाना इस योजना का मुख्य आर्थिक तथा सामाजिक स्तर मे सुधार लाना इस योजना का मुख्य उददेश्य है।

मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से राजस्व विभाग द्वारा ग्राम सभा क तालाबों के पट्टे पात्र व्यक्तियों व्यक्तियों को दिलाना, विभिन्न बैंक शाखाओं से तालाब सुधार एवं मत्स्य पालन हेतु ऋण उपलब्ध कराना निजी भूमि पर नये तालाबो के निर्माण हेतु बैको से ऋण दिलाना तथा बैक ऋण के सापेक्ष लाभार्थियो को क्रमशः 25% तथा 20% अनुदान अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मत्स्य पालन की नवीनतम तकनीक की जानकारी हेतु पात्र व्यक्तियों को 10 दिवसीय अल्प कालिक प्रशिक्षण तथा 50.00 रुपये प्रतिदिन की दर से मानदेय दिलाना, मत्स्य पालको को उन्नत प्रजाति के मत्स्य अगुलिकाओं की पूर्ति करना, असंगठित मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को संगठित करके मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन कराना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे मछुआ समुदाय के पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क मछुआ आवास उपलब्ध कराना, मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के सदस्यों को मछुआ बीमा योजनान्तर्गत आच्छादित करके बीमा की धनराशि उपलब्ध कराना आदि कार्यो का सफलतापूर्वक सम्पादन कर मत्स्य विकास को योजना का मुख्य उद्देश्य है। जिसके लिये मत्स्य पालक विकास अभिकरण जालौन सतत

प्रयत्नशील है। योजना आरम्भ से अब तक अभिकरण द्वारा की उपलब्धियों का मदवार विवरण संलग्न है।

मत्स्य पालक विकास अभिकारण जालौन द्वारा कार्यक्रम भी योजना आरम्भ से वर्ष 2003–2004 की प्रगति का विवरण–

क्रम	मद	इकाई	योजना आरम्भ से वर्ष 2003–04 की उपलब्धि
1	2	3	4
1.	ग्राम समाज के तालाबों का पट्टा	1. संख्या	35
		2. क्षेत्रफल	46.663
2.	तालाब सुधार/निर्माण हेतु बैकों को प्रेषित ऋण प्रस्ताव	1. संख्या	42
		2. क्षेत्रफल	59.378
		3. धन राशि रु0	1889900
3.	तालाब सुधार/निर्माण हेतु बैको से स्वीकृत ऋण प्रस्ताव	1. संख्या	31
		2. क्षेत्रफल	50.563
		3. ऋण रु0	701320
		4. अनुदान	198680
4.	तालाब सुधार कार्य पूर्ण	1. संख्या	40
		2 क्षेत्रफल	55.50
5.	मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण	1 संख्या	55
6.	अंगुलिका वितरण	1 सख्या लाख	105.24

कृषि–

जनपद की आर्थिक समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि जनपद के लिये न केवल वर्तमान में वरन आने वाले वर्षो में अर्थ व्यवस्था का ठोस आधार बना रहेगा। मण्डल के अन्य जनपदों की तुलना में भूमि समतल और उपजाऊ है कृषि जोते बड़ी है। किन्तु सिंचाई की सुविधा अपर्याप्त है अभी जनपद में रबी की फसल प्रमुख है। खरीफ की अपेक्षाकृत बहुत कम है। मृदा संरचना की दृष्टि से कृषि पर्यावरणीय क्षेत्र मण्डल को तीन प्रमुख भागों में वांटा जा सकता है बीहड़ क्षेत्र, ऊची भूमि वाले क्षेत्र, मध्य भाग मैदान।

कृषि जोत–

जोत के आधार पर 52.7 प्रतिशत सीमान्त कृषक 21.7 प्रतिशत लघु कृषक एवं 25.6 प्रतिश बड़े कृषक है। कुल कृषि जोतो की संख्या वर्ष 1995–96 की कृषि गणना के आधार पर कुल जोतो की संख्या 217371 है जिसके अन्तर्गत क्षेत्रफल 366232 हेक्टेयर है। इन जोतो में से 67466 जोते 0.5 हेक्टेयर से कम है। 47210 जोते 0.5 से 1.00 हेक्टेयर के मध्य है तथा 471210 जोते 1.00 से 2.0 हेक्टेयर के मध्य है। एवं 55539 जोत 2 हेक्टेयर से अधिक है।

भूमि उपयोगिता–

वर्ष 2003–2004 में भूमि उपयोगिता के अन्तर्गत जनपद जालौन का कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 454434 हेक्टेयर है जिसमें वन 25640 हेक्टेयर कृषि योग्य बंजर

अन्य परती 7058 हेक्टेयर है उस पर 3532 हेक्टेयर वर्तमान परती 18184 हेक्टेयर है। एवं कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योग की भूमि 12582 हेक्टेयर है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उन लोग की भूमि 34792 हेक्टेयर है। चरागाह का क्षेत्र 95 हेक्टेयर है उद्यानों बागों का क्षेत्र 4207 हेक्टेयर है शुद्ध बोया गया क्षेत्र 348344 हेक्टेयर है कुल बोया गया क्षेत्र 390102 हेक्टेयर है जिसके अन्तर्गत रबी का क्षेत्र 312986 हेक्टेयर खरीफ की क्षेत्र 75886 हेक्टेयर एवं जायद का क्षेत्र 1209 हेक्टेयर है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र 159365 हेक्टेयर तथा सकल सिंचित क्षेत्र 162520 हेक्टेयर है सारिणी स0–4 के अनुसार वर्ष 2003–2004 में कृषि योग्य बंजर था भूमि 2243 हेक्टेयर वर्तमान 19102 अच परती 6539 ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि 12214, कृषि व अतिरिक्त अन्य उपयोग का भूमि 36295 एवं चारागाह 100 उद्यानों वृक्षो एवं झाड़ियों का क्षे0 3856 हेक्टेयर था।

चित्र सं0 1 प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2006–2007 में कुल प्रतिवेदन क्षे0 452.43 हजार हेक्टेयर वन क्षे0 25.64 (हजार हे0) असर एवं कृषि अयोग्य क्षेत्रफल 12.21 कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि 35.60 हजार हे0 स्थाई चारागाहका क्षे0 10 हजार हेक्टेयर उद्यानों वागों एवं झाड़ियों का क्षे0 3.86 हजार हे0 परती भूमि 17.69 अन्य परती 6.18 हजार हे0 कृषि योग्य क्षे0 353.13 हजार हे0 एवं शुद्ध बोया गया क्षेत्र 118.83 हजार हेक्टेयर है।

कृषि
जनपद में विकासखण्डवार भूमि उपयोग (हेक्टे0 में)
सारिणी–4

वर्ष / विकासखण्ड	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	वन	कृषि योग्य बंजर भूमि	वर्तमान परती	अन्य परती	ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	चारागाह	उद्यानों वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2001–02	454434	25640	3532	18184	7058	12582	34792	95	4207
2002–03	454434	25640	3474	21020	6319	12489	35853	90	4418
2003–04	454434	25640	2243	19102	6539	12214	36295	100	3856
विकासखण्डवार 2003–04									
1. रामपुरा	31525	1605	275	1719	953	1882	2517	6	292
2.कुठौंद	34463	1583	213	2332	554	1314	3096	3	138
3. माधोगढ़	34348	1607	205	1091	546	991	3183	3	282
4. जालौन	44159	379	226	2837	384	336	3092	5	489
5. नदीगांव	56329	3734	280	1952	754	1196	3337	31	369
6. कोंच	49802	1657	234	1912	246	394	3333	4	627
7. डकोर	88938	7131	202	1430	1339	2206	6859	25	1140
8. महेवा	50556	3726	220	2130	916	2367	4729	2	250
9. कदौरा	61691	4160	250	3483	567	1506	5493	21	211
योग ग्रामीण	451811	25582	2105	18934	6259	12192	35639	100	3798
योग वन क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग नगरीय	2623	58	138	168	280	22	656	0	58
योग जनपद	45434	25640	2243	19102	6539	12214	36295	100	3856

भूमि उपयोगिता 2003—04 लाख हेक्टे0

उर्वरक वितरण–

वर्ष 2003–2004 में खरीफ के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं द्वारा (कृषि, एग्रो सहकारी, अन्य) यूरिया 1958.150 मी0टन डी0ए0पी0 1363.000 सुपर फास्फेट 46.000 एम0ओ0पी0 2.000 मी0 टन0 मंसूरी फास 1.300 मी0 टन वितरित की गयी। रबी के अन्तर्गत यूरिया 28393 डी0ए0पी0 20217, एम0ओ0पी0 154.00 एवं सुपर फास्फेट 450 मी0टन का वितरण सभी संस्थाओं के माध्यम से किया गया है। कुल उर्वरक वितरण 2002–2003 में 52585.300 मी0टन रहा। प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग 136 कि0ग्रा0 रहा।

वर्ष 2002–03 में उर्वरक वितरण विभिन्न विभागों द्वारा नत्रजन के रुप में 18014 मी0टन के लक्ष्य के सापेक्ष 20406 मी0टन फास्फोरस के रुप 9888 मी0टन के लक्ष्य के सापेक्ष 10621 मी0टन तथा पोटाश के रुप में 160 मी0टन के लक्ष्य के सापेक्ष 203 मी0टन वितरण किया गया।

फसली ऋण वितरण–

वर्ष 2003–04 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा 1954.65 लाख रु0 एवं व्यवसायिक बैंक द्वारा 5525.00 लाख रु0 एवं भूमि विकास बैंक द्वारा कुल 311.67 लाख रु0 का फसली ऋण कृषकों में वितरित कराया गया। अन्य कृषि सम्बन्धी ऋण समस्त बैंको द्वारा 9056.02 लाख रु0 वितरित किया गया। वर्ष 2007–08 में व्यवासियक बैंक द्वारा 13,225 लाख रु0 एवं सहकारी बैंक द्वारा 2680 लाख रु0 फसली ऋण सुनिश्चित किया अतः कुल 15,905 लाख रु0 का फसली ऋण का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया।

किसान क्रेडिट कार्ड वितरण–

वर्ष 2003–04 के अन्तर्गत जनपद में सहकारिता सहकारी बैंको द्वारा 12128 एवं व्यवसायिक/ग्रामीण बैंको द्वारा 13860 किसान क्रेडिट कार्डो का वितरण कृषकों में किया गया। इस तरह जनपद में कुल 25988 किसान क्रेडिट कार्डो का वितरण किया गया।

सारिणी–5

विकास खण्ड वार/ बैंकवार किसान क्रेडिट कार्ड एवं फसलीऋण वितरण के लक्ष्य रबी 2007–08 जनपद–जालौन

क्र.स.	नाम विकास खण्ड	किसान क्रेडिट कार्ड (सं0 में)			फसली ऋण (लाख रु0 में)		
		व्यवसायिक बैंक	सहकारी बैंक	योग	व्यवसायिक बैंक	सहकारी बैंक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डकोर	4200	–	4200	1852	336	2188
2.	कदौरा	3100	–	3100	1648	303	1951
3.	महेवा	2600	–	2600	1648	333	1981
4.	जालौन	3100	–	3100	1779	353	2132
5.	कुठोन्द	2600	–	2600	1348	280	1628
6.	माधोगढ	2600	–	2600	1373	303	1676
7.	रामपुरा	2200	–	2200	1338	253	1391
8.	कोंच	3000	–	3000	1373	253	1626
9.	नदीगाव	2600	–	2600	1066	266	1332
	योग	26000	–	26000	13225	2680	15905

सारिणी 5 में प्रदशित किया गया हैं। वर्ष 2007–08 में व्यवायिक बैको द्वारा 26000 किसान क्रेडिट कार्डो द्वारा कृषि ऋण वितरण की सुविधा है जिसमें डकोर ब्लाक से 4400 एवं कदौरा ब्लाक से 3100 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित होना सुनिश्चित हुआ है

उद्यान फल सरक्षक:

उद्यान फल के अन्तर्गत मार्च 2004 में 602 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फलों की बुवाई की गई शाक भाजी के अन्तर्गत 7115 हेक्टेयर के क्षेत्र में फलों की बुवाई की गई। क्योकि भीषण सूखा पड़ा है। फलो का उत्पादन 52285 मी0 ठन हुआ। फलदार एवं शोभाकार पौधा का वितरण 0.95 लाख हुआ। जनपद जालौन में फल संरक्षण ईकाई के अन्तर्गत फल संरक्षण 4979 किग्रा0 वितरण हुआ। फल संरक्षण योजना में 209 लाभार्थियों को फल, सब्जी संरक्षण का 15 दिवसीय प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया है। तथा 100 दिवसीय लाभार्थियों को दिया गया एक ग्रामीण शिविर लगाया गया।

वर्ष 2003–04 में 122080 पौधे उत्पादन के लक्ष्य के विपरीत 130180 पौधों का उत्पादन हुआ वर्ष 2003–04 में 4100 कुन्तल आलू बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 80 कुन्तल आलू बीज वितरण कराया गया।

राजकीय पौधशालाऐ–4

राजकीय आलू प्रक्षेत्र–1

राजकीय सामूदायिक फल सरंक्षण केन्द्र–1

सारिणी–5

विकास खण्ड वार/ बैंकवार किसान क्रेडिट कार्ड एवं फसलीऋण वितरण के लक्ष्य रबी 2007–08 जनपद–जालौन

क्र.स.	नाम विकास खण्ड	किसान क्रेडिट कार्ड (सं0 में)			फसली ऋण (लाख रु0 में)		
		व्यवसायिक बैंक	सहकारी बैंक	योग	व्यवसायिक बैंक	सहकारी बैंक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डकोर	4200	–	4200	1852	336	2188
2.	कदौरा	3100	–	3100	1648	303	1951
3.	महेवा	2600	–	2600	1648	333	1981
4.	जालौन	3100	–	3100	1779	353	2132
5.	कुठोन्द	2600	–	2600	1348	280	1628
6.	माधोगढ	2600	–	2600	1373	303	1676
7.	रामपुरा	2200	–	2200	1338	253	1391
8.	कोंच	3000	–	3000	1373	253	1626
9.	नदीगांव	2600	–	2600	1066	266	1332
	योग	26000	–	26000	13225	2680	15905

भण्डारण एवं विपणन–

जनपद जालौन में दो शीत ग्रह है जिनकी भण्डरन क्षमता 3400 मी0टन है । जिनमें में एक शीत गृह बन्द है मात्र एक शीत गृह चालू है जिसकी क्षमता 809 मी0टन है। भारतीय खाद्यान्न निगम का एक भण्डार गृह है। जिसकी क्षमता 29480 मी0टन है राज्य भण्डार गृह 9 है। जिनकी क्षमता 10125 मी0टन है। केन्द्रीय भण्डार गृह 5 है जिनकी क्षमता 66819 मी0टन है। जनपद में उप सम्भागीय विपणन अधिकारी का एक कार्यालय स्थापित है जिसके द्वारा उनके

अधीन मार्केटिंग इन्सपेक्टर होते है जो कि खाद्य पदार्थो की खरीद तथा ढुलाई, खाद्य पदार्थो के राजकीय मूल्य निर्धारित करने की कार्य करते है। ग्रामीण बाजार मण्डी की संख्या 0.7 है ग्रामीण गोदाम 80 है कृषि सम्बर्द्धन सुविधा उपलब्ध है।

उत्पादन–

जनपद में फसलों का कुल उत्पादन वर्ष 2001–2002 के प्रसंगत वर्ष में 713668.0 मीट्रिक टन हुआ जिसमें कुल खाद्यान्न उत्पादन 465137 मी0टन हुआ दलहनी फसलों का उत्पादन 248531 मी0टन हुआ एवं तिलहनी फसलों का उत्पादन 10277 मी0टन हुआ।

सारिणी–6
वर्ष 2006–07 की उपलब्धि एवं वर्ष 2007–08के प्रस्तावित आच्छादन उत्पादन एवं उत्पादकता लक्ष्य जनपद जालौन

क्र0स0	फसल का नाम	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5
	धान्य			
1.	चावल			
(अ)	खरीफ	769	221	
(ब)	जायद	0	0	
	कुल चावल	769	221	
2.	गेहूँ	412320	388518	
3.	जौ	20270	17569	
4.	ज्वार	21188	8107	
5.	बजरा	10582	11975	
6.	मक्का			
(अ)	खरीफ	8	1	
(ब)	जायद	0	0	
	कुल मक्का	8	1	
7.	मडुवा	0	0	
8.	सावां			
(अ)	खरीफ	0	0	
(ब)	जायद	0	0	
	कुल सांवा	0	0	
9.	कोदो	0	0	
10	काकुन	0	0	
11	कुटकी	0	0	
	कुल धान्य	465137	426391	
	दाले			
12.	उर्द			

(अ)	खरीफ	9638	6039	
(ब)	जायद	0	0	
	कुल उर्द	9638	6039	
13.	मूंग			
(अ)	खरीफ	158	219	
(ब)	जायद	2	7	
	कुल मूंग	160	226	
14.	मसूर	51845	38951	
15.	चना	112693	93766	
16.	मटर	607002	94128	
17.	टरहर	13493	7776	
18.	मोठ	0	0	
	कुल दालें	248531	240886	

सारिणी– 7

क्र0स0	फसल का नाम	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5
	तिलहन			
19.	लाही / सरसो	6983	4216	6021
20.	टलसी	260	242	248
21.	तिल (शुद्ध)	2195	438	481
22.	रेड्डी	0	0	0
23.	मूंगफली	170	34	94
24.	सूरजमुखी	27	1	13
25.	सोयावीन	642	53	576
	कुल तिलहन	10277	4984	7433
	अन्य फसलें			
26.	गन्ना	82836	83802	91766
27.	आलू	5623	7331	5250
28.	तम्बाकू	0	0	0
29.	जूट	0	0	0
30.	कपास	1	0	0
31.	सनई	59	33	26
32.	हल्दी	0	0	0

सारणी–6 तथा 7 द्वारा प्रस्तुत आंकड़ो से स्पष्ट है कि जनपद में कृषक वर्ग तिलहनी फसलो में रुचि ले रहा है। जनपद में न केवल मण्डल में वरन प्रदेश में भी ट्रैक्टर रख रखाव में अपना विशिष्ट स्थान रखता था। वर्ष 1997 की गणना के अनुसार जनपद में कुल 10577 ट्रेक्टर थे।

2006–07 के अनुसार जनपद में कृषि उपकरणों की स्थिति अद्योलिखित है–

1. ट्रैक्टर्स की संख्या–71398
2. हारवेस्टर की संख्या–19
3. सिचाई हेतु पम्प सेट
   (a) डीजल आधारित–7381
   (b) विद्युत–4087
   (c) लिफ्ट एरिगेशन–1
   (d) सरकारी टयूबबेल–119
   (e) थ्रेसर–3382

भूमि संरक्षण–

जनपद जालौन भूमि संरक्षण का एक मण्डल कार्यालय तथा पांच भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय रामगंगा कमाण्ड के अन्तर्गत स्थापित है। विभाग के कार्यक्रम में भूमि संरक्षण भूमि जल स्तर वृद्धि मृदा नमूने, बन्धी निर्माण समतलीकरण वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण कार्य किये जाते है। मार्च 2004 में 2383 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि संरक्षण का कार्य किया गया। जल संसाधन विकास 277 हेक्टेयर किया गया 266 हजार मानव दिवस रोजगार सृजन का कार्य हुआ।

विभाग द्वारा सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम डी0पी0ए0पी0 के अन्तर्गत वर्ष 2004 में अनुसूचित जाति/जनजाति के 904 लाभार्थियों एवं 836 सामान्य जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

सिंचाई के साधन–

जनपद में सिंचाई के साधन निम्न प्रकार है–

1. जनपद में नहरों द्वारा सिंचाई का जहां तक सम्बन्ध है के अनुसार जनपद में वेतवा नदी से निकाली नहर की दो शाखाओं में कुठौन्द एवं हमीरपुर शाखा के रुप में है। हमीरपुर शाखा में जनपद का बहुत कम क्षेत्रफल आता है जब कि कुठौन्द शाखा ने जनपद का अधिक क्षेत्रफल आता है। दोनो नहरों की लम्बाई 2138 किमी0 के लगभग है जहां तक नहरो से पानी देने का सम्बन्ध है। वह वर्षा वर्फ पर निर्भर है यह नहरे वेतवा नदी से निकली होने के कारण अधिक समय तक पानी उपलध नही करा पाती है।

2. जनपद में राजकीय नलकूप 521 है जिनमें17 नलकूपों में यात्रिक दोष है। व्यक्तिगत नलकूपो की संख्या 1102 है

9. कदौरा	15696	1256	1668	800	187	40	19647
योग ग्रामीण	141165	10521	19776	9716	3340	520	185038
योग नगरीय	1074	307	697	50	66	24	2218
योग जनपद	142239	10828	20473	9766	3406	544	187256

2. जनपद में राजकीय नलकूप 521 है जिनमें17 नलकूपों में यात्रिक दोष है। व्यक्तिगत नलकूपो की संख्या 1102 है । भूस्तरीय पम्पसेट 2047 है। इसके अतिरिक्त बोंरिग पम्पसेटों की संख्या 10533 है कुऐ तथा रहट के माध्यम से भी सिंचाई की जाती है। नलकूपों का कुल कमाण्ड क्षेत्र 50400 हेक्टेयर है।

जनपद में 2003–04 विकास खण्डवार विभिन्न साधनों द्वारा वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल सारणी सं0 –8 के माध्यम से प्रदर्शित है।

जनपद में विकासखण्डवार विभिन्न साधनों द्वारा सोतानुसार वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल (हेक्ट0 में)

सारिणी– 8

वर्ष / विकासखण्ड	नहर	नलकूप		कुऐं	तालाब	अन्य	योग
		राजकीय	निजी				
1	2	3	4	5	6	7	8
2001–02	117287	9762	200778	9148	1086	2004	159365
2002–03	129748	10765	23917	8684	1088	3610	177812
2003–04	142239	10828	20473	9766	3406	544	187256
विकासखण्डवार 2003–04							
1. रामपुरा	10977	495	2696	475	365	76	15084
2.कुठौद	14293	498	2524	687	435	69	18506
3. माधोगढ	15397	461	2574	860	416	46	19754
4. जालौन	16545	546	2788	1293	417	50	21639
5. नदीगाव	19594	925	1698	1400	398	60	24075
6. कोंच	15256	1708	1325	2185	455	72	21001
7. डकोर	15416	1142	2079	1040	422	47	20146
8. महेवा	17991	3490	2424	976	245	60	25186
9. कदौरा	15696	1256	1668	800	187	40	19647
योग ग्रामीण	141165	10521	19776	9716	3340	520	185038
योग नगरीय	1074	307	697	50	66	24	2218
योग जनपद	142239	10828	20473	9766	3406	544	187256

विभिन्न साधनों द्वारा श्रोतवार सिंचित क्षेत्रफल हेक्टे0 में वर्षा 2003—04

कुल सिंचित क्षेत्रफल 187256 हेक्टे0

उ0प्र0 में शुद्ध सिचित क्षे0 11.634 हजार हेक्टेयर एवं एकल सिंचित 16,936 हजार हेक्टेयर है कुल सृजित सिंचन क्षमता 29.684 हजार हेक्टेयर है जिसमें 26.619 हजार हेक्टेयर का उपयोग नहर नलकूप कुएं तालाब झील, पोखर, तथा अन्य साधनों के द्वारा होता नलकूपो के द्वारा 67.15% एवं नहरो के द्वारा 25.42% क्षेत्रफल सिंचित किया जाता है तालाब पोखरो के द्वारा मात्र 2.4% है। सिचित किया जाता है।

इस जनपद की मुख्य फसले खरीफ में ज्वार, बाजरा, अरहर, उर्द, मूंग, धान तिल, सोयाबीन है। इसी प्रकार से रबी की फसल में गेहूं, चना, मसूर, अलसी जौ, एवं राई सरसों की फसले बोई जाती है। जिनमें मुख्य रुप से गेहूं चना, एवं मसूर की खेती की जाती है।

कृषि विकास अधिक एवं अधिक उपज प्राप्त करने के लिये एक मूलभूत आवश्यकता सिंचाई है। यद्यपि प्रदेश की तुलना में जनपद में कृषि जातों का आकार बड़ा है किन्तु यहां की कृषि मानसून पर आधारित है सिंचाई के पर्याप्त एवं सुनिश्चित साधन न होने के कारण कृषक वर्ग सघन एवं नवीनतम् कृषि विधियों को नही अपनाता है अतः आवश्यकता इस बात की है कि सिंचाई के साधन अधिक से अधिक विकसित किये जाये।

वेतवा नहर प्रखण्ड–

जनपद जालौन सींच योग्य भूमि की दृष्टि से बुन्देलखण्ड का सबसे महत्वपूर्ण जनपद है। इस क्षेत्र के काश्तकार मुख्य फसल खरीफ बहुत कम बोते

है। इस क्षेत्र में मिट्टी मार, कावर, रांकड है। जनपद का कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल 347 हजार हेक्टेयर है जिसमें नहर कमाण्ड मे 294 हजार समावेश क्षेत्र में सींच सुविध उपलब्ध करायी जाती है।

नहर प्रणाली का विस्तार–

बेतवा नदी पर बने पुल परीक्षा से निकली माता टीला जल से पोषित जल नहर प्रणाली हमीरपुर शाखा एवं कुठौन्द शाखा, बेतवा मुख्य नहर के 31.00 किमी0 निकलती है कुठौन्द शाखा की कुल लम्बाई 105.21 किमी0 है जिसकी प्रथम 23.54 सींच झांसी जनपद जालौन में, शेष 81.67 किमी0 जालौन जनपद में है। हमीरपुर शाखा की कुल लम्बाई 132.968 किमी0 इसके हैड से 24.32 किमी0 सींच झांसी जनपद में, उसके बाद की लम्बाई 90.537 किमी0 टेल तक हमीरपुर जनपद में होती है। इन दोनो प्रणाली से निकलने वाली अन्य नहरों व प्रणालियों को सम्मिलित करके जनपद 1829.482 किमी0 है। बेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम एवं द्वितीय में कुल लम्बाई 2110.183 किमी0 है।

सींच के आंकडे–

वर्ष 2003–04 रवी में निम्नानुसार सींच हुयी–

1. बेतवा नहर खण्ड प्रथम जनपद जालौन 98763 हेक्टेयर।
2. बेतवा नहर खण्ड द्वितीय जनपद जालौन 86702 हेक्टेयर। कुल सींच 168651 हेक्टेयर हुयी।

वर्ष 2007–08 में वेतवा नहर प्रखण्ड प्रथम में 30.80 किमी0 की शाखा नहर ने झांसी जालौन हमीरपुर जनपदों को लाभ पहुचाया जिसमें वर्तमान वास्तविक निस्सरण (क्यूसैक्स) 2324.00 हे एवं सींच गत वर्ष हेक्टेयर 11524 है जिसे 112.50 किमी0 तक पानी पहुचने की सम्भावना है फसल रवी 1415 का रोस्टर प्लान के तहत सी0सी0ए0 (हे0) 24782 एवं पी0पी0ए0 7095 हे0 है कुल 199 नहरे संचालित है जो अपर अभियन्तो की देखरेख में होता है प्रथम उपखण्ड में 22 किमी0 तक एवं तृतीय मं 59.071 किमी. तक द्वितीय में 59.071 से 78.08 तक एवं न0 से 132.968 वेतवा नहर प्रखण्ड द्वितीय जिसमें जालौन झांसी दतिया दतिया जिले लाभान्वित होते है एवं परिकल्पित शीर्ष निस्सरण (क्यूसेक्स) 1881 में सी0सी0ए0 हेक्टेयर 16004 एवं पी0पी0ए0 (8941) गत वर्ष सींच 14738 हेक्टेयर है 88.000 लम्बाई जहां तक इससे पानी पहुचेगा इसमें कुल 130 न एवं चार उपखण्ड है जिसमें प्रथम उपखण्ड से 45 किमी तक द्वितीय उपखण्ड से 60.13 किमी0 तक चतुर्थ उपखण्ड से 60.13 किमी0 से 19.24 किमी0 एवं तृतीय उपखण्ड से 79.24 किमी से 105 किमी0 तक।

वैंकिग एवं सहकारिता–

गत वर्ष में बैकों का प्रसार विशेष रुप से हुए जनपद में कार्यरत बैंक की स्थिति इस प्रकार है।

2 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण के उपरान्त बैंको समाज के आर्थिक उन्नति हेतु दायित्व सौपा गया है। तत्सम्बन्धी कार्य बैंक निर्वाह कर रहे है।

जनपदीय परिदृष्टि–

इस जनपद में बैंको की 108 शाखाएं है जिनका विवरण सारिणी –9 में इस प्रकार है–

क्र0स0	बैंक का नाम	कुल	नगरीय सरकारी / अर्द्धसरकारी	ग्रामीण
1.	भारतीय स्टेट बैंक	8	5	3
2.	इलाहाबाद बैंक	29	10	19
3.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	8	3	4
4.	पंजाब नेशनल बैंक	2	2	–
5.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1	1	–
6.	बैंक ऑफ इण्डिया	1	1	–
7.	छत्रशाल ग्रामीण बैंक	37	4	33
8.	जिला सहकारी बैंक	18	11	6
9.	भूमि विकास बैंक	04	4	–
	योग	108	38	65

स्रोत सामाजिक समीक्षा वर्ष 2006–07

सहकारिता–

जिला में सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु जिला मुख्यालय पर एक सहकारी बैंक एक जिला सहकारी संघ, एक केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार एवं पी0सी0एफ0 की शाखा कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त 6 क्रय–विक्रय सहकारी समितियां, 68 प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति, 16 संयुक्त कृषि समितियां एवं 26 सहकारी संघ/ पूर्ति भण्डार सक्रिय है। इस

प्रकार सम्पूर्ण जनपद सहकारी समितियों के कार्य क्षेत्र से आच्छादित है। ग्रामीण आर्थिक विकास में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण स्थान है। सहकारिता के माध्यम से जनता को आवश्यत वस्तुयें उचित एवं सस्ते दर पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 2002–03 तक 398 सस्ते गल्ले की दुकान कार्यरत है।जनपद में2007 तक 70 सहकारिता विक्री केन्द्र थे। 3 यू0पी0 विक्री केन्द्र है।

विद्युत–

आधुनिक युग में मानव कल्याण एवं उसके आर्थिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अद्यतन प्रकशित आंकड़े वर्ष 2003–2004 तक 942 आबाद ग्रामों से केन्द्रीय प्राधिकरण की परिभाषानुसार 575 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। साथ ही जनपद की विद्युत हेतु 132 के0वी0 उरई विद्युत उपकेन्द्र से 33 के0वी0 लाइन द्वारा 11 अन्य उपकेन्द्रों की विद्युत की आपूर्ति की जाती है। जिसके अन्तर्गत 33 के0वी0 लाइन 338 कि0मी0 है 11 के0वी0 लाइन की लम्बाई 1853 कि0मी0 है।

वर्ष 2003–2004 तक 2009 निजी नलकूपों एवं पम्पसेटों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है। 575 ग्रामों को एल0टी0 मेन्स से आर्जित किया जाता है। वर्ष 2001–2002 में घरेलू प्रकाश एवं लघुशक्ति के अर्न्तगत 41450000 यूनिट प्रति घण्टा विद्युत का उपभोग किया गया। वाणिज्यक प्रकाश में 12358047 यूनिट आद्यौगिक विद्युत 14810000 यूनिट सार्वजनिक प्रकाश में 4490000 यूनिट, कृषि में 61990000 यूनिट एवं सार्वजनिक जल कल एवं जल प्रवाह में 2890000 यूनिट, कृषि में 61990000 यूनिट एवं सार्वजनिक जल कल एवं जल प्रवाह मे 2890000 यूनिट विद्युत का उपभोग किया गया।

इस प्रकार आंकड़ो से स्पष्ट होता है कि जनपद में विद्युत का उपयोग प्रदेश की तुलना में बहुत ही कम है।

सड़क परिवहन एवं संचार–

जनपद वासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सड़क है परिवहन एवं संचार जैसे महत्वपूर्ण अवस्थाओं का विशेष महत्व है सदृक एवं परिवहन आवागमन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी सड़को की महत्वपूर्ण भूमिका है।

अवस्थापना सुविधा को बढ़ाने की दृष्टि से इस जनपद में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2001–2002 तक नगर पालिका के अन्दर 5 किमी0 नगर पालिका के बाहर 800 किमी0 कुल 806 किमी0 पक्की सड़को की लग्बाई 1914 किमी0 है वर्ष 2001–02 में प्रति लाख जनसंख्या पर लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत पक्की सड़को की लम्बाई 33.2 किमी0 है वर्ष 2001–02 में जिला पंचायत के द्वारा 24 किमी0 तथा नगर पालिका नगर निकायों द्वारा 49 किमी0 सड़को का निर्माण कराया गया।

एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित करने का अच्छा माध्यम है। वर्तमान युग में यह एक अच्छा साधन है। जनपद में इस दिशा में आशतीत प्रगति हुयी है। जनपद में कुल कार्यरत टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 33434 तथा कार्यरत सार्वजनिक टेलीफोन की संख्या 1566 है जनपद में वर्ष 2003 में मोबाइल फोन कनेक्शनों को जनता को उपलब्ध कराये गये है।

लैण्ड लाइन कनैक्शनों –21634 है।

डब्लू एल0 एल0– 980 है।

मोबाइल कनेक्शन–14000

कुल कनेक्शन–33434

सामाजिक सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था के क्रम जाता है। आबादी विरवरी हुयी तथा अधिकांश अनपढ़ एवं अशिक्षित है। निर्धनता भी ग्रामीण अचंलो में व्याप्त है जिसका लाभ डाकू उठाते है।

उद्योग एवं रोजगार–

रोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करके जीवन स्तर को सुधारने में उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी क्षेत्र को आद्यौगिक विकास उस क्षेत्र की विशेष भौगोलिक स्थिति कच्चा माल का मिलना तथा कुशल कारीगरों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जनपद में आद्योगिक प्रगति तथा श्रम एवं रोजगार की प्रगति अत्यन्त धीमी है। क्योकि जनपद में कोई खनिज अथवा व्यापारिक महत्व की सम्प्रदा उपलब्ध नही है। अतः आद्यौगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा हुआ है। एक भी वृहद उद्योग इस जनपद में नही है। कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत जनपद में 58 पंजीकृत कारखानों में केवल 24 कारखाने कार्यरत है। जिसमें लगभग 678 मजदूर कार्य कर रहे है। फसल के समय यहां मजदूर की कमी हो जाती है। परन्तु जब से कटाई के लिये हर्वेस्टर प्रयोग होने लगे तब से श्रमिको को रोजगार नही मिल पा रहा है। थ्रेसिंग कटाई आदि में कृषि, श्रमिक कार्य करते है। तथा लो0नि0वि0 एवं आर0ई0एस0 द्वारा कराये गये सड़क, पुलिया, नाली खडंजा आदि श्रमिकों को रोजगार मिल जाता है। जोकि अल्पकालिक होता है।

इस जनपद में अर्किल मटर बहुतायत से होता है। जिसके फलस्वरुप अर्किल मटर दूसरे जनपदों/राज्यों में विक्रय हेतु भेजा जाता है। उसकी छनाई–बिनाई आदि के कार्य में अधिकाधिक मजदूरों को रोजगार मिलता है यह उद्योग धंधा निजी तौर पर चलाये जा रहे है। लघु उद्योग इकाइयों में वर्ष 2003–2004 में 3046 व्यक्ति कार्य कर रहे है।

लघु उद्योग की स्थापना शासन द्वारा एक लाख से अधिक पूंजी विनियोजन की इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य वर्ष 2002–03 के लिये 75 निर्धारित किया गया जिसके विरुद्ध माह मार्च 2004 तक 75 इंकाइयां स्थापित कराई गयी, जो मुख्यतः आयल स्पेलर, हैण्डमेड पेपर, फोटो स्टेट (जाब वर्क) जनरल इन्जीनियरिंग (जाब वर्क) एवं कम्प्यूटर प्रीटिंग/डाटा प्रोसेसिंग से सम्बन्धित है।

जनपद जालौन में 1998 में आर्थिक गणना सम्पन्न करायी गयी थी। जिसके अनुसार जनपद में कृषि उद्योगो की संख्या 483, अकृषि उद्योगोंकी 26597 है।

निष्कर्षतः जनपद का भौगोलिक एवं आर्थिक विवरण अनेकानेक असंगतियों असमानताओं विपन्नताओं से ग्रसित है उन्नयन हेतु प्रयास जारी है।

जनपद की गरीबी की गहनता का प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर की निर्धनता से तुलना–

विभिन्न जनपदों के मध्य हुये आर्थिक विकास एवं जनपदीय अर्थ व्यवस्था की प्रवृत्ति का बोध प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से किया जाता है। जिससे यह ज्ञात किया जा सकता है। कि हमारी वास्तविक स्थिति कम है प्रस्तुत आंकडे

सारणी न0 10 से ज्ञात होता है। कि मण्डलीय जनपदों में जनपद जालौन का स्थान सबसे पीछे है जो कि अपनी गरीबी का ही परिचायक है।

(वस्तु उत्पाद खण्डो में प्रतिव्यक्ति जिलेवार शुद्ध उत्पादन)

(प्रचलित भावों पर (रूपया)

सारिणी–10

जिले का नाम	1993–94	2000–01	2001–02
हमीरपुर	5611	9130	9985
जालौन	4991	8871	11178
झांसी	6771	12131	1387
ललितपुर	5316	8167	8715
उत्तर प्रदेश	5094	9223	9753

स्रोत–3सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश वर्ष 2004 पृष्ठ

श्री एन0पी0सिंह भूतपूर्व उ0प्र0 सचिव (एनआर0ई0पी0 भारत सरकार नई दिल्ली) ने कृषि मन्त्रालय से निकलने वाली ग्रामीण विकास पत्रिका'' में स्पष्ट ही कहा था–

''रोजगार के अवसर उपलब्ध नही या बहुत कम दिनों का ग्रामीण मजदूरों को मिल पढ़ता है। ऐसी दशा में गरीब ग्राम वासियों को गरीबी से छुटकारा पाना सचमुच की बात है। भारत सरकार ने गरीबी और बेरोजगारी की चुनौती स्वीकार किया है. और वह इन्हे दूर करने के लिये क्रत संकल्प है।''

गरीबी की समस्या हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है इस समस्या पर विचार करने से पूर्व हमें सही परिप्रेक्ष्य में इसे रखना होगा। ताकि हम इसके सही स्वरुप को समझ सके और इसका समाधान निकाल सके।

गरीबी का अर्थ है अपनी मूल भूत आवश्कताओं की पूर्ति न कर पाना या ऋण ग्रस्तता में फसे रहना अथवा बेरोजगारी के कारण अपनी आवश्यक वस्तुये जैसे भोजन वस्त्र, भवन आदि उपलब्ध न कर पाना। इसके अतिरिक्त यदि हम मनुष्य को सम्य समाज का सदस्य माने तो न्यूनतम शिक्षा और सांस्कृतिक सुविधाओं का आभाव भी गरीबी का अनिवार्य तत्व होना चाहिए इसी प्रकार जीवित रहने और स्वस्थ जीवन जीने के लिये समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम चिकित्सा सुविधायें भी मिलनी चाहिये इनका अभाव गरीबी का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है यह सभी जानते है कि मनुष्य को अधिकांश कष्ट इन न्यूनतम आवश्यकताओं के अभाव के कारण भोगना पड़ता है।

यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि गरीबी एक शाश्वत समस्या है जिसका अस्तित्व युगो से रहा है। किन्तु आज आवश्यकता इस बात की है। कि हम निष्ठावान एवं दूरदर्शित के इस महान उद्धेश्य के लिये कृत संकल्प है। जनपदीय प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर की निर्धनता का अवलोकन करें तो भी यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि अपना जनपद ही नही वरन प्रदेश भी अन्य प्रान्तों से बहुत पिछड़ा हुआ है। जहां एक ओर हरियाणा, पंजाब गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रान्तों की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। वही उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति अनुमानित आय अन्य प्रान्तों की तुलना में काफी कम है– अद्योलिखित सारिणी–11 से स्पष्ट है–

राज्य आय
भारत में विभिन्न राज्यों (प्रचलित भावों पर) प्रति व्यक्ति अनुमानित आय
सारिणी–11

राज्य	1993–94	2001–02	2002–03
हरियाणा	11079	24820	26632
पंजाब	12710	5248	26386
गुजरात	9796	20695	22047
महाराष्ट्र	12183	24248	26386
उत्तर प्रदेश	5066	9320	9870
भारत	7690	17947	18912

स्रोत–सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश वर्ष 2004–पृष्ठ–65

उपर्युक्त आंकड़ो से विदित होता है कि प्रान्तीय स्तर पर गरीबी का दुष्चक्र प्रति व्यक्ति आय से पृथक है इसके मूल में क्या सत्य छिपा है? प्राकृतिक विभिन्नता या मानव कृत विभिन्नता। तभी तो "महात्मा गांधी की आत्मा कह उठी थी–

"इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्तियों की जरुरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त साधन है लेकिन ये सब साधन एक व्यक्ति के लालच की तृष्टि नही कर सकतें। इस प्रकार गरीबी मूलतः मनुष्य निर्मित है और किसी भी समाज में यदि उत्पादन और वितरण न्याय का उपयुर्क्त तन्त्र हो तो प्रत्येक व्यक्ति की जरुरतों को पूरा किया जा सकता है।"

अतः तुलनात्मक रुप से कहा जा सकता है। कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम निष्ठा एवं दूरदर्शिता से एक महान उद्धेश्य के लिये संकल्प हो हम इस बात पर विचार करें–

''अमत्रं अक्षंर नास्ति नास्ति मूल अनौषध।
आयोग्यः पुरुषौः नास्ति योजकः तंत्र दुर्लभ।।''

अर्थात् ''हर अक्षर सार्थक और सशक्त होता है प्रत्येक मूल (जड़ी बूटी) में औषधि तत्व विद्यमान है कोई भी व्यक्ति अयोग्य नही हो सकता उसके गुणों का समुचित प्रयोग कर सकने वाले व्यक्ति ही दुर्लभ है।

यद्यपि अपने जनपद जालौन में जो मेरे शोध का विषय है कृषि पर निर्भरता अधिक है नदियों के जल समेट क्षेत्र भूमि कटाव की विकट समस्या है कृषि सघनीकरण भी अभी तक नही हो सका है। वर्षा ऋतु में जल भराव की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिससे खरीफ की फसले बोई नही जाती थी फिर नष्ट हो जाती है।

पूरे जनपद में कोई बड़ा उद्योग नही है जिसके परिणाम स्वरुप बेरोजगारों की समस्या पूर्णतः विद्यमान है।

कृषि की आधुनिक तकनीकी की जानकारी हेतु अनुसन्धान केन्द्र भी नही है। जिससे कृषि की आधुनिक तकनीकी विकसित की जा सके। इसके लिये हमें गरीबी, असमानता, बिमारी, एवं अभाव जैसे महादानवों से विजय प्राप्त करती है।

जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था–

''हमे दूसरों पर निर्भर नही रहना चाहिए हमारे पास जो भी उसी में काम चलाने का संकल्प करे तभी आत्म निर्भर होगे। यदि लड़ना ही है तो गरीबी असमानता, बिमारी, व अभाव से लडे।''

''लाल बहादुर शास्त्री''

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता की समीक्षा करें तो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अद्योलिखित स्थिति सारिणी–12 में दृष्टिगोचर होती है।

सारिणी–12

वर्ष	संकल घरेलू उत्पाद	शुद्ध राष्ट्रीय आय (करोड़ो में)	प्रति व्यक्ति आय
1950–51	9,506	9,142	255
1970–71	41,938	38,968	270
1990–91	5,3409	4,50145	5,365
2002–03	2230272	19,95,229	18,912
2003–04	2497691	22,38246	20,860
2006–07	37,90063	32,25817	26,642
2007–08 (अग्रिम अनुमान)	42,83,040	37,70302	33,131

सारिणी–13
सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रो का योगदान

2001–02	2002–03	2003–04	2005–06	2006–07
24.1	22.0	22.1	20.54	19.41
21.5	22.0	21.7	24.71	24.85
54.4	56.1	56.2	54.75	55.74
100.0	100.0	100.0	100.00	100.00

निम्नलिखित सारिणी–13 स्पष्ट करती है योजना के 56 वर्षो के बाद राष्ट्रीय आय में प्राथिमक क्षेत्र अर्थात कृषि का योगदान कम हुआ है। एवं द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रो का योगदान बढ़ा है।

यद्यपि जनपद जालौन कृषि पर निर्भरता वाला जनपद है किन्तु फिर भी कृषि व्यवसाय से समुचित आय आर्जित नही हो पाती है। जनपद मात्र 45.69% क्षेत्रफल ही सिंचित क्षेत्र है जो प्रदेश के अन्य जनपदों में बहुत ही कम है। सारिणी–14 से स्पष्ट है।

सारिणी–14
सिंचित क्षेत्रफल एवं प्रतिशत–2001–02
(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर)

जनपद	सकल बोया गया क्षे0	सिंचित क्षे0	सिंचित क्षे0 का बोये गये क्षे0 से प्रतिशत
मुजफ्फरनगर	488	483	99.39
मेरठ	312	201	95.52
गाजियाबाद	228	146	95.89
बुलन्दशहर	479	286	87.41
अलीगढ़	505	301	97.67
जालौन	390	348	45.69

स्रोत– सांख्यिकीय डायरी उ0प्र0 2004 पृष्ठ 108

जनपद में गरीबी मुख्य कारण पर्याप्त व समुचित मात्रा में सिंचाई के साधनों का आभाव है उपर्युक्तसारिणी से स्पष्ट ही है कि जहां अन्य जनपदों में तथा मेरठ गाजियाबाद बुलन्दशहर आदि में कृषक 4–4 फसले उगाते है। क्योकि वहां शुद्ध वाये गये क्षेत्रफल में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल क्रमशः 95.52%, 95.89 व 96.28% है वही जनपद की प्रतिशत मात्र 23.74 ही है। अतः निर्धनता की गहनता कृषि से जुड़ी क्योकि जहां एक ओर जनपद की जनसंख्या 145400 के लगभग कुल आवादी का 76% भाग प्रयत्क्ष या परोक्ष कृषि आवादी का 76% भाग प्रयत्क्ष या परोक्ष कृषि से सम्बन्ध रखता है वही गहन कृषि या प्रति हेक्टेयर

अधिक उपज न मिलने के कारण तृसित है। जनपद जालौन में 721 नहरे 1521 राजकीय नलकूप 1102 निजी नलकूप है। जो अपर्याप्त है।

इसमें विकास वृद्धि की आवश्यकता है विकास के लिये जनशक्ति के आर्थिक क्रिया कलापों का विवरण बहुत महत्वपूर्ण है इस सम्बन्ध में कुल जनसंख्या में सक्रिय एवं निष्क्रियका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है।

किसी भी राष्ट्र का त्वरित विकास के लिये आवश्यक जन शक्ति के गुणात्मक विकास एवं समाज के पुन निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा समा एवं जीवन के प्रति मानक मूल्यों के निर्धारण में सहयोग देती है। आर्थिक बाजार में व्यक्तियों के शिक्षा प्राप्त करने से अनुपात में उत्पादकता बढ़ती है। क्योकि देश का आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वह गरीबी उन्मूलन कितने प्रभावशाली ढ़ंग से करता है? साक्षरता की स्थिति जनपदवार सारिणी–15 में स्पष्ट है–

प्रति 100 साक्षरता
सारिणी–15

जनपद का नाम	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
कानपुर	74.4	80.3	67.5
लखनऊ	68.7	76.0	60.5
मेरठ	64.8	75.0	53.1
गाजियाबाद	69.7	79.8	58.0
झांसी	65.5	78.8	50.2
जालौन	64.5	77.4	49.2
उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2

स्रोत–4सांख्यिकी डायरी उ0प्र0 2004 पृष्ठ–210

प्रादेशिक स्तर पर साक्षरता
सारिणी–16

राज्य	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
गुजरात	69.97	80.50	58.60
केरल	90.92	94.20	87.86
महाराष्ट्र	77.27	86.27	67.51
तमिलनाडू	73.47	82.33	64.55
उत्तर प्रदेश	57.36	70.23	42.98
भारत	65.38	75.85	54.16

निर्धनता साक्षरता से घनिष्ठ सम्बन्ध हुआ करता है। यदि व्यक्ति शिक्षित होगे तो वह अपनी शिक्षा का अनेकानेक क्षेत्रों प्रयोग करके विपन्नता से मुक्ति पा सकते है। इस दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश अन्य प्रान्तों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। अब हमारा कर्तव्य है कि 21 वी सदी में सभी स्तर के विद्यार्थी को जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से इसके दुषरिणामों को बतायें। युवाओं को स्वयं के जीवन के साथ–साथ परिवार के जीवन की गुणवत्ता तथा समाज के प्रत्येक सदस्य के जीवन स्तर को सुधारने की जिम्मेदारी के प्रति सचेत करने हेतु जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरुकता की आवश्यकता है तभी हमारे देश का कल्याण सम्भव है।

गरीबी क्या है? यह अभाव की स्थिति है। ऐसे अभाव की चार बातें प्रमुख है–प्रथम–जीवन की बुनियादी जरुरतों भोजन वस्त्र और आवास का अभाव। दूसरा अभाव का तात्पर्य उन चीजों से वंचित रहना जिसका कोई व्यक्ति हकदार है। तृतीय अभाव के विभिन्न दर्जे जिन्हे हम इस देश में विभिन्न शब्दो में व्यक्त करते है– यथा गरीबों में सबसे गरीब जिन्हे हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

कार्यक्रम में प्रयोग करते है। चतुर्थ वे– कि अभाव ग्रस्त है क्योकि कुछ लोगो के पास अपने हक से ज्यादा है।

गरीबी की व्यापकता एवं गहनता का अनुमान लगाना आवश्यक है और इस दिशा में प्रारम्भ में यह ज्ञात करना चाहिए कि गरीब क्यों गरीब है? फिर भी यह सच है कि निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या करोड़ो में है। और यह सच्चाई हमारी सामाजिक आर्थिक तथा सम्भवतः राजनीतिक समस्याओं के मूल की ओर संकेत करती है।

सुप्रसिद्ध लेखक ''ई० एम् फोस्टर'' ने बड़ा ही यर्थाथ परक कथन कहा था–

'' अति निर्धन लोगो के बारे में हमें कुछ नही करना है वे विचार की सीमा से बाहर है आन तक पहुंचने का साहस केवल सांख्यिकीय विशेषज्ञ या कवि ही कर सकते है।''

गरीबी की गहनता का अध्ययन करने हेतु हमने ये वर्ग बनाये–

बेसहारा–2265 रु० परिवारिक वार्षिक

अत्याधिक गरीब– 2266–3500रु०

बहुत गरीब–3501–4800रु०

गरीब –4801–6400रु०

यदि जीवित रहने को ही गरीबी रेखा मान लिया जाये तो भी इस रेखा से परे भी गरीबी की स्थितियां मौजूद है। उदाहरर्णाथ– ऐसे अनेक गरीब होगे जिन्हे सही भोजन नसीब नही होगा, जो रहने के लिये मकान बनाने अथवा किराये पर ले सकने की हालत में नही होगे जिनके लिये दवा खरीदना, बैंको से कर्ज लेना,

बच्चों की शिक्षा का खर्च उठा पाना या अदालतों से न्याय पा सकना असम्भव है।

अतः गरीबी रेखा से भी बाहर गरीबी के कई आयाम है किन्तु गरीबों को सदैव व्यवस्था के प्रति खतरा समझा जाता है तभी तो सैकड़ो वर्ष पूर्व दार्शनिक अरस्तू ने कहा था–

"जब मध्य वर्ग नही रहता और गरीबो की संख्या काफी अधिक हो जाती है। तो समस्यायें जन्म लेती है" और शासन समाप्त हो जाता है"

सरकारी रिपोर्टो में गरीबी को राष्ट्रीय स्तर पर गहनता समानतया कम आय बचत का निम्न स्तर तथा विनियोग के दुष्चक्र का परिणाम है जिसके कारण रोजगार का आभाव एवं आय भी उत्पन्न होती है।

"कम उत्पादकता, बाजार की अपूर्णता, पुरानी तकनीक एवं जानकारी आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण तथा जनसंख्या की अधिकता इस दुष्चक्र को और अधिक विकसित विस्तृत करते है।"

इस गरीबी के मूल में हम जायें तो जनसंख्या वृद्धि भी बहुत उत्तरदायी है। हमारे देश ने 1951 के पश्चात् जनसंख्या वृद्धि के मामले में लम्बी दौड़ लगाई है। जो हमारे पतन एवं विध्वसं का मुख्य कारण बनती जा रही है। यहां तक कि इसने शहरी जीवन के साथ–साथ ग्रामीण परिवेश को भी प्रभावित किया है।

यूं कहा जाये कि विश्व की जनसंख्या का 16.7 प्रतिशत सिर्फ भारत में है। अगर गांवों की बात की जायें तो इस समय देश भर में गांवो की कुल संख्या 6 लाख के आस–पास है। वर्तमान में हमारी 108 करोड़ जनसंख्या में से करीब 78 करोड़ लोग इन गांवों में बसते है। गांव एवं गांव वासियों की इतनी बड़ी

संख्या के विकास के बिना हमारे विकास के दावे निश्चित रुप से खोखले है। सीमित साधन और असीमित जनसंख्या वृद्धि दर ने देश को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय संकट में फंसा दिया। वर्तमान समय में हमारे देश में 1.2 सैकेण्ड में एक शिशु का जन्म होता है। इसी का नतीजा है कि भारत में 1951 में जनसंख्या 36.1 करोड़ थी जो 2001 में बढ़कर 102.7 करोड़ हो गई अर्थात् प्रतिवर्ष भारत में एक नया आस्ट्रेलिया जुड़ जाता है। जबकि आस्ट्रेलिया का भूभाग भारत से दो गुना अधिक है।

इसीलिये भूतपूर्व भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था–

''भारत जैसे देश को अपनी बढ़ती हुयी जनसंख्या के लिये जितना ध्यान खाद्यान्न उत्पादन पर देना है उतना ही जन्म दर को कम करने में भी लगाना चाहिए।''

भारत की जनसंख्या वृद्धि एवं भविष्य सम्बन्धी अनुमान निम्न लिखित है–

सारिणी –17 द्वारा प्रदशित हैं।

सारिणी –17

1901 वर्ष	**कुल जनसंख्या करोड में**	**दर वर्षीय वृद्धि दर प्रतिशत**
1901	23.8	–
1951	36.2	13.3
1961	43.9	21.5
1971	54.8	24.8
1981	68.4	24.74
1991	85.5	24.75
2001	106.6	24.75

उ0प्र0 में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार राज्य की कुल जनसंख्या 16,61,97921 जिसमें 8,75,65389 पुरुष एवं 7,8632552 स्त्रियां है राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या 13,1658339 एवं नगरीय जनसंख्या 7,8632552 है अतः ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले लोगो की संख्या लगभग दुगुनी है भारत की कुल जनसंख्या का 16.16% लोग ग्रामों में रहते है जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.29% है एवं एक दशक (1991–2001) में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत=25.8% है।

उक्त अनुमान जनसंख्या विस्फोट को ही दर्शाते है। विश्व की जनसंख्या सन् 2010 तक सात अरब सन् 2022 तक 8 अरब और सन 2050 तक 9 अरब पहुंच जायेगी इस कड़ी में हमारा देश भी पीछे नही रहा और इक्कीसवी सदी में जनसंख्या की दृष्टि से अरबपति हो गया है जो कि आज भारत के लिये सबसे चिन्ता का विषय है। विश्व में चीन और भारत दो देश ऐसे है। जिनकी जनसंख्या एक अरब को पार चुकी है। भारत में कुल विश्व की आबादी की 16. 87 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जबकि हमारा क्षेत्रफल दुनिया के कुल भाग का 2.4 प्रतिशत ही है जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान है यह बात भी गौर करने लायक है कि 1991 से 2001 के दशक में हमारे देश की जनसंख्या में 17.89 करोड़ लोगो की निरपेक्ष वृद्धि हुयी है। यह वृद्धि ब्राजील देश के कुल जनसंख्या से भी अधिक है। आजादी के पूर्व 1951 तक हमारी जनसंख्या 50 साल में मात्र 12 करोड़ ही बढ़ी जबकि आजादी के बाद 1951 से 2001 के बीच में 66 करोड़ 60 लाख बढ़ गयी है। वर्तमान में हमारी आबादी की वृद्धि दर प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 80 लाख है जो लगभग दो प्रतिशत वार्षिक होती है। जनसंख्या में हो रही तीव्र वृद्धि को, यदि हम घटाकर 0.9 प्रतिशत पर भी ले

आये, तो आज से 45 साल बाद भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जायेगा। इतनी तेजी से आबादी बढ़ने पर भारत के लोगो की जीवन स्तर में कितनी गिरावट आ जायेगी इसका अनुमान उतना कठिन नही है जितना भया वह अस्तु गरीबी के दुष्चक्र से निपटने के लिये जनसंख्या नियंत्रण के कारगर कदम उठाने होगे।

निर्धनता रेखा पर विचार–

आजकल सरकार, राजनीतिज्ञ समाज सुधारक सभी गरीबी के सम्बन्ध में बात करते है किन्तु इनको उपर्युक्त शब्द ज्ञान नही होता है। इस समस्या के सम्बन्ध में प्रोफेसर 'नक्से' ने गम्भीर रुप से चिन्तन किया है–

" निर्धनता के दृष्चक्र का अभिप्राय विभिन्न शक्तियों के वर्तुल (चक्रीय) लक्षण से है जो एक दूसरे पर इस प्रकार क्रिया तथा प्रतिक्रिया करती है। कि निर्धन देश में निर्धनता की परिस्थिति बनी रहती है।"

अल्प विकसित अर्थ व्यवस्थाओं की व्याख्या करते हुये नर्क्से ने कहा था चूकि अल्पविकसित होने से आय का स्तर निम्न होता है जिससे वचत कम होती है। अतः निवेश कम होने के कारण उत्पादन कम होता है जिससे आय कम होती है इस प्रकार चक्र चलता रहता है।

भारत में गरीबी से अर्थ उस न्यूनतम आय से है जिसकी एक परिवार के लिये आधार भूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकता होती है तथा जिसे परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे बिता रहे है।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व0 श्री राजीव गांधी ने 20 जुलाई 1987 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आर्थिक विषयों के सम्मेलन में कहा था–

''भारतीय अर्थ व्यवस्था की अपनी कई मजबूरियां है और कई कमजोरी भी है किन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें व्याप्त क्षमता मौजूद है जिसका व्यवस्थित एवं समर्पित एवं आत्म निर्भर अर्थ व्यवस्था के निर्माण के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये इस अर्थ व्यवस्था की उत्पादक शक्तियों को मजबूत बनाये।''

वर्तमान समय में 425.40 रूपये प्रतिमाह शहरी क्षेत्र में तथा 331. 40 रूपये ग्रामीण क्षेत्र में निश्चित किये गये है जोकि ग्रामीण व्यक्तियों के लिये 2400 तथा शहरी व्यक्तियों के लिये 2100 कैलोरीज के बराबर है इस न्यूनतम निश्चित राशि से नीचे जीने वालों में अधिकांशतः कृषि मजदूर, सीमान्त कृषक, अनु जातियों तथा विभिन्न वर्गो के बेरोजगार तथा अर्द्धबेरोजगार शहरी मजदूर आते है।

गरीबी एक छटवां महापाप है। एक गरीब की बेबशी का बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्र प्रसिद्ध शायन श्री फैज अहमद ने खींचा है–

"जिन्दगी क्या कोई मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबन्द लगे जाते हैं।"

यह शेर गरीबी की तनी विशेषताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करता है– वेहद गरीबी, लगातार कष्ट असहाय अपमान। गरीबी एक सापेक्ष कल्पना है। सच तो यह है कि गरीब कौन है? गरीबी की रेखा कहां से शुरु होती है? सामान्यतः गरीब वह आदमी है जो अभाव पीड़ित है जीवन की आवश्यक सुविधाओं न्यनूतम निर्वाह साधनों से वंचित की आवश्यक सुविधाओं न्यूनतम निर्वाह साधनों से वंचित है जिसे हमेशा असुरक्षा का डर बना रहता है। और रोजी रोटी तथा मकान के निरन्तर संघर्ष करना रहता है। गरीबी की अपोषण की जिन्दगी के रुप में भी देखा जा सकता है। जिसमें हमेशा कुपोषण सफाई रहित वातावरण और भुखमरी तथा बेघर होने का लगातार डर रहता है।

आर्थिक शब्दावली में उपर्युक्त स्थिति निर्धनता रेखा से नीचे की स्थिति ओर संकेत करती है–

प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने कहा है–

"गरीबी विरोधी कार्यक्रम एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो गरीब वर्गो लोगो का आय और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में मद्द देता है"

ग्रामीण विकास पत्रिका"

जनपद की गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का विश्लेषण
(योजना आयोग का नवीनतम आंकलन)
सारिणी–18

वर्ष	गरीबी अनुपात		
	शहरी	ग्रामीण	कुल
1973–74	49	56.4	54.9
1977–78	45.2	53.1	51.3
1982–83	40.8	45.7	44.5
1987–88	38.2	39.1	38.9
1993–94	32.4	37.3	36.0
1999–2000	23.6	27.1	26.1
2006–07	15.1	21.1	19.3

योजना आयोग द्वारा नवीनतम आंकड़े 2001 में किये देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 1999–2000 में 26.1% रहा जबकि 1993.94 में यह 36% के ऊचे स्तर पर था 1999–2000 में ग्रामीण क्षेत्र में यह 27.09 तथा शहरी क्षेत्र में 23.62 था वर्ष 2006–07 में शहरी क्षेत्र में 15.1% तथा ग्रामीण क्षेत्र में 19.3 प्रतिशत है।

निर्धनो की निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से उ0प्र0 5.3 करोड़ निर्धन आवादी के साथ पहले स्थान पर है इसके बाद बिहार 4.3 करोड़ मध्य प्रदेश 3.0 करोड़ पश्चिमी बंगाल 2.1 करोड़ है। निर्धनता अनुपात में उड़ीसा राज्य देश में 42.2% के साथ प्रथम स्थान है दूसरा स्थान विहार 42.6% तथा तीसरा स्थान मध्य प्रदेश 37.43% है।

सारिणी–19
प्रमुख राज्यो में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या प्रतिशत 1999–2000 में तथा 2006–2007

राज्य /केन्द्र	गरीब प्रतिशत	
	1999–2000	2006–2007
बिहार	42.6	43.1
दादराव नागर हवेली	17.14	2.00
उड़ीसा	47.2	41.04
मध्य प्रदेश	37.4	29.52
सिक्किम	36.6	33.78
उत्तर प्रदेश	31.2	24.67
असम	36.1	33.33
अरुणाचल	33.5	29.33
त्रिपुरा	34.4	31.88
मेघालय	33.9	31.11
नागालैण्ड	32.7	31.86
पाण्डिचेरी	21.7	32.00
महाराष्ट्र	25.0	16.18
प0 बंगाल	27.0	18.30
तमिलनाडू	21.0	6.61
अण्डमान एवं निकोबार	21.0	5.82
मणिपुर	28.5	30.52
कर्नाटक	20.1	7.85
हिमाचल प्रदेश	7.6	2.00
राज स्थान	15.3	12.11
मिजोरम	19.5	20.76
केरल	12.5	3.61

जम्मू एवं कश्मीर	3.5	NA
लक्षदीप	15.6	4.59
हरियाणा	8.7	2.00
गुजरात	14.1	2.00
आध्र प्रदेश	15.8	8.49
दमन व दीप	4.4	2.00
गोआ	4.4	2.00
दिल्ली	8.2	2.00
पंजाब	6.2	2.00
चण्डीगढ़	5.8	2.00

जनपद जालौन में गरीबी का प्रतिशतें 70.16 ग्रामीण क्षेत्र एवं 11.17% नगरीय क्षेत्र में है। जिसमें विकास खण्ड डकोर, कुठौन्द, मेहेबा, क्षेत्र में प्रतिशत क्रमशः 97.92, 96.46 एवं 97.65% कदौरा में यह सबसे ज्यादा प्रतिशत रहा है जैसा कि निम्न सारिणी–20 से स्पष्ट है।

सारिणी–20

क्र.स.	तहसील	विकास खण्ड	सस्ते गल्ले की दुकान की संख्या	गरीबी रेखा कि नीचे जीवन यापन करने वालो की संख्या
1.	उरई	डकोर	76	9646
2.	कालपी	महेवा	65	7524
		कदौरा	82	10132
3.	जालौन	जालौन	67	8068
		कुठौन्द	72	
4.	कोंच	नदी गाव	36	4797

		कोंच	68	9792
5.	माधौगढ़	रामपुरा माधौगढ़	42 54	4298 6132
योग	ग्रामीण नगरीय		572 146	70156 11171
			718	81327

स्रोत–5 जिलापूर्ति अधिकारी जालौन–2005

जनपदीय सांख्यिकीय प्रस्तुति–

जनपद जालौन के आधारभूत आकड़े–

क्र0	नाम मद	इकाई	संख्या मात्रा
1.	भूमि उपयोगिता		
	1. कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल	हजार है0	454.43
	2. वन क्षेत्र	हजार है0	25.64
	3. उसर एवं कृषि अयोग्य क्षेत्रफल	हजार है0	12.21
	4. कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	हजार है0	35.60
	5. स्थाई चारागाह क्षेत्रफल	हजार है0	0.10
	6. उधानों बागो, वृक्षो एवं झाडियों का क्षेत्रफल	हजार है0	3.85
	7.वर्तमान परती	हजार है0	17.69
	8. अन्य परती	हजार है0	6.18
	9. कृषि योग्य क्षेत्रफल	हजार है0	353.13
2.	फसल सधनता / शुद्ध बोया गया क्षे0	हजार है0	118.83
3.	भूमि किस्म	हजार है0	
	1. राकड	हजार है0	48.28

	2. मार	हजार है0	60.80
	3. काबर	हजार है0	118.09
	4. पडुवा	हजार है0	116.22
4.	सिंचाई साधन	सं0/किलो मीटर	
	1. नहरों की लम्बाई	किलो मीटर	1916
	2. राजकीय नलकूप	संख्या	507
	3.निजी नलकूप एवं पम्पसेट	संख्या	13277
	4. कुओं की संख्या	संख्या	9570
5.	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	हजार हे0	195.421
	1. नहर	हजार हे0	146.629
	2. राजकीय नलकूपों से	हजार हे0	10.845
	3. निजी नलकूपों से	हजार हे0	19.462
	4. अन्य कूपो से	हजार हे0	14.230
	5. तालाबों से	हजार हे0	3.684
	6. अन्य साधनों से	हजार हे0	0.570
6.	सामान्य सूचनायें	संख्या	
	1. कुल न्याय पंचायतें	संख्या	81
	2. कल ग्राम पंचायतें	संख्या	564
	3. कुल आबाद गांव	संख्या	942
	4. तहसील	संख्या	05
	5. राजकीय कृषि बीज सम्बर्द्धन प्रक्षेत्र	संख्या	04
	6. राकीय कृषि बीज भण्डार	संख्या	13
	7. कृषि रक्षा इकाई	संख्या	10
	8. सहकारिता बिकी केन्द्र	संख्या	70

	9. यूपी बिकी केन्द्र	संख्या	03
	10. कृषि उत्पादन मंडी समितियां/उप मंडी समितियां	संख्या	11
	11. निजी बिकी केन्द्र (कृषि निवेश)	संख्या	280
	12. राष्ट्रीय कृत बैंक (शाखा सं0)	संख्या	48
	13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (शाखा सं0)	संख्या	35
	14. सहकारी बैंक (शाखा सं0)	संख्या	18
	15. भूमि विकास बैंक	संख्या	04
	16. कुल कृषक	संख्या	180623
	17. कृषक श्रमिक	संख्या	67921

विकास खण्डवार एवं संस्थावार प्रमाणित रबी बीज वितरण लक्ष्य वर्ष 2006–07

क्र. स.	नाम बीज	नाम संस्था	डकोर	कदौरा	महेबा	जालौन	कुठौन्द	माधौगढ़	रामपुरा	कोच	नदीगांव	योग
1.	गेहू	कृषि	347	210	145	164	80	97	67	210	180	1500
		सहकारिता	437	332	282	437	382	382	282	437	279	3250
		एग्रो	100	0	0	100	0	100	0	0	0	300
		बी0वि0नि0	200	0	0	200	0	200	0	300	0	900
		एन0एस0सी0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	635	412	432	560	420	490	421	400	410	4180
		अन्य	1719	954	859	1461	882	1269	770	1347	869	10130
2.	जौ	कृषि	30	18	11	12	7	8	6	13	15	120
		अन्य	80	54	33	36	20	20	15	32	40	330
		योग	110	72	44	48	27	28	21	45	55	450
3.	चना	कृषि	182	112	75	87	45	53	38	112	96	800
		सहकारिता	52	16	16	36	16	16	16	26	16	210
		एस.एफ.सी आर.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बी0वि0नि0	10	10		15		15				50
		अन्य	83	43	33	34	40	40	31	28	48	380

		योग	327	181	124	172	101	124	85	166	160	1440
4.	मटर	कृषि	196	120	81	33	49	57	41	120	103	800
		सहकारिता	10	5	5	8	6	6	5	5	5	55
		बी0वि0नि0	30	15		30		20		25		120
		अन्य	800	520	368	742	415	630	435	675	415	5000
		योग	1036	660	454	813	470	713	481	825	523	5975
5.	मसूर	कृषि	40	24	18	19	11	12	10	23	23	180
		सहकारिता	2			2				1		5
		बी0वि0नि0	10	5	5	5	5	5	5	5	5	50
		एन.एस.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अन्य	65	42	40	45	40	50	35	56	57	430
		योग	117	71	63	71	56	67	50	85	85	665
6.	राई / सरसों	कृषि	24	14	9	10	5	6	4	12	11	95
		बी0वि0नि0	1									1
		अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	25	14	9	10	5	6	4	12	11	96
7.	तोरिया	कृषि	1	1	0	1	0	0	0	1	1	5
		अन्य	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		योग	3	0	0	1	0	0	0	2	1	8
8.	अलसी	कृषि	2.28	1.4	0.94	1.08	0.56	0.66	0.48	1.4	1.2	10
		बी0वि0नि0	2.28	1.4	0.94	1.06	0.56	0.68	0.48	1.4	1.2	10
		अन्य	4.56	2.8	1.88	2.14	1.12	1.34	0.96	2.8	2.4	20
		योग	4.56	2.8	1.88	2.14	1.12	1.34	0.96	2.8	2.4	20
		महायोग	3342	1956	1555	2578	1542	2208	1412	2485	1706	18784

विकास खण्ड वार कृषि रक्षा कार्यो के लक्ष्य रबी 2007–08

इकाई–हे0

क्र.स.	विकास खण्ड का नाम	भौतिक मद					
		बीज शोधन	सामान्य कीट	सघन कृषि रक्षा कार्य	खरपतवार नाशक	चूहा निवारण	योग
1.	डकोर / एट	5200	2080	4160	1040	8320	20800
2.	कदौरा	5200	2080	4160	1040	8320	20800

3.	महेवा / कालपी	5200	2080	4160	1040	8320	20800
4.	जालौन	5280	2110	4220	1060	8450	21120
5.	कुठौन्द	5200	2080	4160	1040	8320	20800
6.	रामपुरा	5200	2080	4160	1040	8320	20800
7.	माधौगढ़	5240	2100	4200	1040	8380	20960
8.	कोंच	5280	2110	4220	1060	8450	21120
9.	नदीगांव / सदुपुरा	5200	2080	4160	1040	8320	20800
	योग	47000	18800	37600	9400	75200	188000

तालिका 1 जनपद एक दृष्टि में

क्र.स.	मद	इकाई	अवधि	विवरण
1	2	3	4	5
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	वर्ग किमी0	2001	4565
	जनसंख्या			
211	पुरुष	संख्या हजार मे	"	786.64
212	स्त्री	"	"	667.81
213	योग	"	"	1454.45
214	ग्रामीण	"	"	1113.93
215	नगरीय	"	"	340.52
216	अनुसूचित जाति	"	"	393.31
217	अनुसूचित व्यक्तियों की संख्या	"	"	0.14
2.2	साक्षर व्यक्तियो की संख्या			
221	कुल	"	"	782.04
222	पुरुष	"	"	509.54
223	स्त्री	"	"	272.50
2.3	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या			
231	ग्रामीण	"	2002	102.96
232	नगरीय	"	"	11.17
233	योग	"	"	114.13
3	निर्वाचन क्षेत्रो की संख्या			
31	लोक सभा	संख्या	2006–07	1
32	विधान सभा	"	"	4
4	तहसीलों की संख्या	"	"	5
5	सामुदायिक विकास खण्ड	"	"	9
6	न्याय पंचायत	"	"	81
7	ग्राम पंचायत	"	"	564
8	ग्रामो की संख्या			
8.1	आबाद ग्रामो की संख्या	"	2001	937
8.2	गैर आबाद ग्रामो की संख्या	"	"	214
8.3	वन ग्राम	"	"	0

8.4	कुल ग्राम	"	"	1151
9	नगर	"	"	10
10	नगर निगम	"	2006–07	0
11	नगर पालिका परिषद	"	"	4
12	छावनी क्षेत्र	"	"	0
13	नगर पंचायत	"	"	6
14	सेन्सस टाउन	"	2001	0
15	पुलिस स्टेशन			
15.1	ग्रामीण	"	2006–07	9
15.2	नगरीय	"	"	9

क्र.स.	मद	इकाई	अवधि	विवरण
1	2	3	4	5
16.	बस स्टेशन/बस स्टाप	"	2006–07	166
17.	रेलवे स्टेशन (हाल्ट सहित)	"	"	7
18.	रेलवे लाइन की लम्बाई			
18.1	बड़ी लाइन	कि0मी0	"	82
18.2	छोटी लाइन	कि0मी0	"	0
19	डाक घर			
19.1	नगरीय	संख्या	"	30
19.2	ग्रामीण	"	"	207
20	तार घर	"	"	13
21	टेलीफोन कनेक्शन	"	"	23902
22	व्यवसायिक बैंक			
22.1	राष्ट्रीय कृत बैंक शाखाएं	"	"	49
22.2	अन्य	"	"	22
23.	ग्रामीण बैंक शाखाएं	"	"	37
24	सहकारी बैंक शाखाएं	"	"	6
25	सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक की शाखाएं	"	"	4
26	सस्ते गल्ले की दुकान			
26.1	ग्रामीण	"	"	611
26.2	नगरीय	"	"	157
27.	बायो गैस संयत्र	"	"	2056
28.	शीत भण्डार	"	"	1
29.	कृषि		"	
29.1	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	हजार हेक्ट0	2005–06	349
29.2	एक बार से अधिक बोया गया क्षे0	"	"	64
29.3	शुद्ध सिंचित क्षे0	"	"	205
29.4	सकल सिंचित क्षे0	"	"	214
29.5	कृषि उत्पादन			
29.5.1	खाद्यान्न	हजार मी0टन0	"	643
29.5.2	गन्ना	"	"	41
29.5.3	तिलहन	"	"	18
29.5.4	आलू	"	"	8
30	जलवायु	"	"	
30.1	वर्षा			
30.1.1	सामान्य	मि0मि0	2006	862

30.1.2	वास्तविक	''	''	62
30.2	तापमान			
30.2.1	उच्चतम	सेंटीग्रेड	2004–05	45.4
30.2.2	न्यूनतम	''	''	3.7

क्र.स.	मद	इकाई	अवधि	विवरण
1	2	3	4	5
31	सिंचाई			
31.1	नहरो की लम्बाई	कि0मी0	2006–07	1916
31.2	राजकीय नलकूप	संख्या	''	507
31.3	व्यक्तिगत नलकूप तथा पम्प सेट	''	''	13590
32	पशुपालन			
32.1	कुल पशुधन	''	2003	792572
32.2	पशु चिकित्सालय	''	2006–07	20
32.3	डी श्रेणी पशु औषधालय	''	''	6
32.4	पशु सेवा केन्द्र	''	''	34
	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र		''	47
33	सहकारिता			
33.1	प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी	''	''	
33.2	समितियां	संख्या हजार में	2006–07	68
	समितियो के सदस्य			172.81
34	उद्योग			
34.1	औद्योगिक अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखाने	संख्या	2003–04	36
34.2	लघु औद्योगिक इकाइयों			
34.2	संख्या	''		
34.2	कार्यरत व्यक्ति	''	2006–07	284
35	शिक्षा			1031
35.01	प्राथमिक विद्यालय	''	''	1884
35.02	उच्च प्राथमिक विद्यालय	''	''	904
35.03	माध्यमिक विद्यालय	''	''	152
35.04	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	''	''	0
35.05	महाविद्यालय	''	''	13
35.06	स्नातकोतर महाविद्यालय	''	''	5
35.07	विश्व विद्यालय	''	''	0
35.08	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	''	''	1
35.09	पॉलीटेक्निक	''	''	1
35.10	शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान	''	''	0
35.11	इंजीनियरिंग कालेज	''	''	0
35.12	मेडिकल कालेज			0
36	जन स्वास्थ्य			
36.1	चिकित्सालय एवं औषधालय	''	''	
36.1.1	ऐलोपैथिक	''	''	4
36.1.2	आर्य वैदिक	''	''	41
36.1.3	होम्योपैथिक	''	''	20
36.1.4	यूनानी	''	''	1
36.2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	''	''	4
36.3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	''	''	40

क्र.स.	मद	इकाई	अवधि	विवरण
1	2	3	4	5
36.3.1	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	"	2006–07	13
36.3.2	परिवार एवं मातृ कल्याण उप केन्द्र	"	"	286
36.4	विशेष चिकित्सालय			
36.4.1	क्षय	"	"	1
36.4.2	कुष्ठ	"	"	1
36.4.3	संक्रामक रोग	"	"	0
37	पक्की सड़को की लम्बाई			
37.1	कुल सड़को की लम्बाई	कि0मी0	2005–06	2124
37.2	लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत सड़को की लम्बाई	"	"	1956
38.	विद्युत			
38.1.1	विद्युतीकृत कुल ग्राम	संख्या	2006–07	864
38.1.2	विद्युतीकृत आबाद ग्राम	"	"	864
38.2	विद्युतीकृत नगर	"	"	10
38.3	विद्युतीकृत अनु0 जा0 बस्तिया	"	"	848
38.4	विद्युतीकृत से असेवित अनु जा बस्तियां	"	"	0
39.	नल / हैण्डपम्प इण्डिया मार्क–2 लगाकर जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत लाये गये			
39.1	ग्राम	"	"	937
39.2	नगर	"	"	10
39.3	अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या	"	"	0
39.4	नल / हैण्डपम्प इण्डिया मार्क द्वारा पेयजल आपूर्ति से असेवित अनु0जा0 बस्तियां	"	"	
40.	मनोरंजन			0
40.1	सिनेमा गृह में सीटों की संख्या	"	"	6
40.2	सिनेमा गृह	"	"	4206
41.	जिला घरेलू कुल निवल उत्पाद (1993–94 के भावों पर)	करोड़ रु0 में	2002–03 20032–04 2004–05	1128.67 1270.68
42.	जिला घरेलू कुल निवल उत्पाद (प्रचलित भावों पर)	" " "	2002–03 2003–04 2002–03	1807.99 2071.74
43.	राष्ट्रीय बचत में शुद्ध जमा धन	लाख रु0	2006–07	3682.22
44.	जिला सेक्टर योजना पर कुल व्यय / परिव्यय			
44.1	परिव्यय	हजार रु0	2004–05	374100
44.2	वास्तविक व्यय	"	2005–06	596300
		"	2006–07	892700
		"	2004–05	331700
		"	2005–06	457261
		"	2006–07	377585

महत्वपूर्ण मदों के जिला विकास संकेतक

क्र.स.	मद	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4	5
1.	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत	5.6	6.2	–
2.	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का प्रतिशत	77.1	76.7	–
3.	फसल सघनता	118.8	118.3	–
4.	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत	10.7	17.2	–
5.	खाद्यान्न फसलों की औसत उपज (कुन्तल)	18.2	18.0	–
6.	प्रति हे0 उर्वरक उपभोग (किग्रा0)	63.7	67.7	–
7.	प्रति व्यक्ति उत्पादन (किग्रा0)			
7.1	अनाज	265.4	247.9	0.0
7.2	दालें	179.7	148.4	–
8.	कृषि उपज का सकल मूल्य रुपयें			
8.1	प्रति हे0 शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल पर (प्रचलित भावों पर)	34552.7	29908.9	–
8.2	प्रति व्यक्ति (प्रचलित भावों पर)	15300.0	–	–
8.3	प्रति कृषि कर्मकर पर (कृषि एवं कृषि श्रमिक प्रतिशत)	94718.0	0.0	0.0
9.	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत	55.8	58.8	0.00
10.	सकल बोये गये क्षेत्रफल में सकल सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत	48.2	52.0	–
11.	प्रतिश लाख शुद्ध बोये गये क्षेत्र पर कृषि उत्पादन मण्डियों की संख्या	2.0	2.0	–
12.	प्रति हजार वर्ग किमी0 पर शीत भण्डारों की संख्या	0.2	0.2	0.2
13.	प्रति लाख जनसंख्या पर प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों की संख्या	4.4	4.2	4.3
14.	प्रति लाख जनसंख्या पर सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंको की संख्या	0.3	0.2	0.3
15.	प्रति लाख जनसंख्या पर कृषि सहकारी क्रय विक्रय समितियों की संख्या	0.4	0.4	0.4
16.	प्रति व्यक्ति जिला घरेलू निबल उत्पाद (1993–94 के भावों पर)रु0	12109.0	–	–
17.	प्रति व्यक्ति जिला घरेलू कुल निबल उत्पाद (प्रचलित भावों पर) रु0	75.6	–	–
18.	प्रचलित भावो पर कुल निबल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण खण्ड का प्रतिशत	4.3	–	3.1
19.	कुल आबाद ग्रामों में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत	80.4	86.0	92.2
20.	कुल विद्युत उपभोग में कृषि खण्ड में उपभुक्त विद्युत का प्रतिशत	16.7	13.2	23.4

क्र.स.	मद	2004—05	2005—06	2006—07
21.	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (किलो वाट घन्टा)	128.7	152.0	126.4
22.	प्रति हेक्टे शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल पर कृषि खण्ड में उपभुक्त विद्युत(कि0वा0घ0)	94.2	93.5	—
23.	प्रति लाख जनसंख्या पर स्कूल संख्या			
23.1	प्राथमिक विद्यालय	120.7	113.4	119.5
23.2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	34.5	32.7	57.3
23.3	माध्यमिक विद्यालय	13.4	13.3	9.6
23.4	महा विद्यालय	0.5	0.5	0.8
23.5	स्नाकोत्तर महा विद्यालय	0.4	0.3	0.3
23.6	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	0.1	0.1	0.1
1	2	3	4	5
24.	अध्यापक छात्र अनुपात	28.9	71.4	50.5
24.1	प्राथमिक विद्यालय	17.7	54.3	67.6
24.2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	37.6	54.3	38.3
24.3	माध्यमिक विद्यालय	129.3	106.9	59.4
24.4	महाविद्यालय	65.2	—	27.0
24.5	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	15.7	61.8	59.0
24.6	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	3.6	3.6	3.0
25	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयसामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रा.स्वा केन्द्रो की सख्या			
26.	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य तथा प्रा स्वा केन्दो मे शैययाओं की संख्या	33.0	31.2	33.4
27.	प्रति परिवार एवं मातृ शिशु केन्द्र (उपकेन्द्र पर औसत जनसंख्या)	6329	6679	5274
28.	ऋण व्यक्ति जमा धन राशि रु0	25.7	24.5	27.1
29.	कुल ऋण वितरण मे प्राथमिक क्षेत्र के ऋण वितरण का प्रतिशत	100.0	100.0	100.0
30.	प्रति व्यक्ति जमा धन राशि रु0	5066.4	5293.8	6135.7
31.	प्रति व्यक्ति ऋण वितरण रु0	1303.1	1295.6	1659.9
32.	प्रति व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र मे ऋण वितरण रु0	1303.1	1295.6	1659.9
33.	प्रति बैंक वाणिज्यिक एव ग्रामीण शाखा पर जनसंख्या हजार में।	14.4	15.2	14.6
34.	प्रति हजार वर्ग कि मी0 क्षेत्र पर पक्की सड़को की लम्बाई किमी0			
34.1	कुल	479.5	465.3	466.2
34.2	लो0नि0वि0	441.8	428.5	428.5

35.	प्रति लाख जनसंख्या पर पक्की सड़को की लम्बाई किमी0			
35.1	कुल	142.3	130.9	134.9
35.2	लो0नि0वि0	131.1	120.5	124.0
36.	प्रति हजार वर्ग किमी0 क्षेत्र पर रेलवे लाइन की लम्बाई किमी0	18.0	18.0	18.0
37.	प्रति सस्ते गल्ले की दुकान पर सेवित जनसंख्या हजार में	3.2	3.0	2.6
38.	प्रति लाख जनसंख्या पर तारघरों की संख्या	0.8	0.8	0.8
39.	प्रति लाख जनसंख्या पर टेली फोन कनेक्शनों की संख्या	1405.0	1331.4	1515.7
40.	प्रति लाख जनसंख्या पर डाक घरों की संख्या	15.4	14.6	15.
41.	प्रति सिनेमा गृह पर जनंसख्या हजार में	412.0	270.0	262.8
42.	प्रति व्यक्ति जिला योजना व्यय परिव्य रु0			
42.1	परिव्यय	25.7	367.4	566.1
42.2	वास्तविक व्यय	22.8	281.7	239.4

क्र. स.	मद	संकेतक
1	2	3
14.	समस्त जोतो में लघु सीमान्त जोतो का प्रतिशत (2000–01)	78.2
15.	समस्त जोतो के अन्तर्गत क्षे0 में लघु एवं सीमान्त जोतो के अन्तर्गत क्षे0 का प्रतिशत	37.2
16.	सीमान्त जोतो का औसत आकार हेक्टे (2000–01)	0.5
17.	समस्त जोतो का औसत आकार हेक्टे (2000–01)	1.4
18.	प्रति 100 हे0 प्रतिवेदित क्षेत्रफल पर पशुधन संख्या (2003)	174.4
19.	प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुधन संख्या (2003)	522.8
20.	प्रति 100 जनसंख्या पर दूध देने वाल पशुओं की संख्या (2003)	14.2
21.	प्रति 1000 जनसंख्या पर कुक्कुट संख्या (2003)	33.5
22.	पंजीकृत कार्यरत कारखानों में प्रति लाख जनसंख्या पर लगे व्यक्तियों संख्या (2003–04)	51.7
23.	पंजीकृत कार्यरत कारखानों में प्रति औद्योगिक श्रमिक एंव कर्मचारी पर उत्पादन का मूल्य रु0	4825950.3
24.	पंजीकृत कार्यरत कारखानो में प्रति औद्योगिक उत्पादन का मूल्य रु0 2003–04	2495.7
25.	प्रति औद्योगिक कर्मकर पर आवधिक मूल्य हजार रु0 2003–04	295.0

महत्वपूर्ण जिला संकेतक

क्र.स.	मद	संकेतक
1	2	3
1.	कुल जनसंख्या मे नगरीय जनसंख्या प्रतिशत (2001)	23.4
2.	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी (2001)	319
3.	1991–01 के दशक में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत (2001)	19.3
4.	कुल जनसंख्या में अनु0जाति जन.जाति का प्रतिशत (2001)	27.1
5.	राज्य की कुल अनु0 जाति की जनसंख्या में जनपद में अनु0जाति के व्यक्तियों का प्रतिशत (2001)	1.12
6.	लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या (2001)	849
7.	साक्षरता प्रतिशत (2001)	
7.1	कुल	64.5
7.2	पुरुष	77.4
7.3	स्त्री	49.2
8.	परिवार का औसत आकार (2001)	
8.1	ग्रामीण	6.2
8.2	नागरीय	6.6
8.3	योग	6.3
9.	कुल जनसंख्या में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत (2001)	2.7
10.	कुल मुख्य कर्मकरों का जनसंख्या से प्रतिशत (2001)	
10.1	ग्रामीण	25.1
10.2	नगरीय	22.5
10.3	योग	24.5
11.	कृषि कर्मकरो का कुल जनसंख्या से प्रतिशत कृषक तथा कृषि श्रमिक सम्मिलित करते हुये। (2001)	17.1
12.	कृषि श्रमिक कर्मकरों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत (2001)	4.7
13.	कुल मुख्य कर्मकरो से प्रतिशत (2001)	
13.01	कृषक	50.7
13.02	कृषि श्रमिक	19.1
13.03	परिवारिक उद्योग	3.6
13.04	अन्य	26.6

अध्याय- द्वितीय

अध्याय–2

गरीबी शमन एवं रोजगार सृजन के विभिन्न कार्यक्रम एवं उनकी समीक्षा–

गरीबी भारत के लिये हमेशा चुनौती है यद्यपि गरीबी उन्मूलन के लिये सरकार ने सत्त प्रयन्त किये एवं समय–2 पर निर्धनता निवारण एवं रोजगार सृजन एवं आम जनता अर्थात् जन–जन के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम योजनाएं एवं अभियान चलाए।

देश का कितना भी आर्थिक विकास हो जाए किन्तु गरीबी की संख्या में कमी बहुत ही धीमी गति से होती है समाज में स्पष्टता दो वर्ग दृष्टिगोचर होते है। एक वो जो धनी वर्ग है एवं दूसरा वो निर्धन वर्ग जो आवश्यक आवश्यकता भी पूर्ण करने में अक्षम है भूतपूर्व युवा प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने तभी तो कहा था

"हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम एक मजबूत तथा आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था के निर्माण के लिए अपने उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए इस अर्थ व्यवस्था की उत्पादक शक्तियो को मजबूत बनाये"

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में हर व्यवसाय से जुड़े निर्धन वर्गो के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की गयी एवं प्राथमिकता पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के कोशिश की गयी।

2. पूर्व के रोजगार सृजन कार्यक्रमो की समीक्षा–

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 ।
2. सघन कृषि विकास कार्यक्रम (IADP) 1960 ।।

3. अधिक उपज कार्यक्रम किस्म बीज (HYVP) 1966 III

4. बहु फसली कार्यक्रम (MCP) 1966 III

5. हरित क्रान्ति कार्यक्रम 1966–67 III

6. सूखा उन्मूलन क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) 1973 IV

7. ग्रामीण रोजगार त्वरित योज0 (CSRE) 1972 IV

8. सीमान्त कृषक एवं कृषिश्रमिक विकास ऐजेन्सी (MFALDA) 1974 IV

9. लघु कृषक विकास एजेन्सी (SFDA) 1974 V

10. बीस सूत्री कार्यक्रम (TPP) 1975 V

11. काम के बदले अनाज कार्यक्रम (FWP) 1975 V

12. अन्त्योदय योजना (AS) 1975 V

13. ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (TRSZM) 1979 VI

14. समन्वित ग्राम विकास योजना (ERDP) 1980 VI

15. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (NREP) 1980 VI

16. जिला महिला एवं बाल विकास सहायता (DWCRA) 1982 VI

17. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (RLEGP) 1983 VI

18. शिक्षित बेरोजगार स्वरोजगार योजना (SEEVY) 1983 VI

19. इन्दिरा आवास योजना (IAY) 1985 VII

20. समग्र फसल बीमा योजना (CCIS) 1985 VII

21. लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिक विकास परिषद (CAPART) 1986 VII

22. जवाहर रोजगार योजना (JRY) 1989 VII

23. दस लाख कुआ योजना (MWS) 1989 VII

24. नेहरु रोजगार योजना (NRY) 1989 VII

25. कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना (ARDS) 1990 VII

26. ग्रामीण दस्तकार उस औजार आपूर्ति में (SITRA) 1992 VIII

27. रोजगार आश्वासन योजना (EAS) 1993 VIII

28. महिला समृद्धि योजना (MSY) 1993 VIII

29. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) 1995 VIII

30. गंगा कल्याण योजना (GKY) 1997 VIII

31. कस्तूरबा गांधी शिक्षा (KGES) 1997 VIII

32. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार (SJRSES) 1999 IX

33. अन्नपूर्णा योजना (AI) 1999 IX

34. जवाहर ग्राम सवृद्धि योजना (JGSY) 1999 IX

35. प्रधान मन्त्री ग्रामोदय योजना (PMGY) 2000 IX

भारत गांवो का देश है अतः ग्रामीण क्षेत्र में व्यापत बेरोजगारी जो मुख्य रुप से मौसमी अदृश्य व अल्प रोजगारी के रुप में परिलाक्षित होता है। NSSD राष्ट्रीय न्यादर्श बेरोजगारी का 62% भाग ग्रामीण क्षेत्रो का है तथा 38% भाग शहरी क्षेत्रो का है। नियोजन के आरम्भ में सरकार ने गरीबी व रोजगार जैसे पहलूओ पर अलग से कोई ध्यान नही दिया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में पूरे समुदाय या गांव के सम्पूर्ण विकास के लिए कृषि विशेष पर ध्यान देते हुये उसके विकास के लिए IADP एवं अधिक किस्म के बीज द्वारा अधिक उपज के लिए HYVP एवं बहु फसली कार्यक्रम एवं हरितक्रान्ति जैसे कार्यक्रम कृषि

विकास हेतु किये अर्थात् कृषि उन्नति एवं विकास के लिये तो विभिन्न कार्यक्रम आए किन्तु भूमिहीन सीमान्त कृषक जिन पर भूमि पर्याप्त ही नही है या छोटे कृषक जो सूखा ग्रस्त क्षेत्र के कारण पैदावार नही कर पाते थे उन पर चौथी योजना मे प्रमुख रुप से स्थान दिया एवं लघु कृषि विकास एजेन्सी (SFDA) सीमान्त किसान एवं श्रमिक एजेन्सी (MFALA) सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) तथा ग्रामीण रोजगार के लिए पुर जोर स्क्रीम शुरु हुई एवं पांचवी योजना में काम के पहले अनाज कार्यक्रम व न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाए गए यह समस्त योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रो के अति निर्धन लोगो के लिए थी इन परियोजनाओ द्वारा दो प्रकार से सहायता दी जाती थी एक तो वित्तीय तथा दूसरे सरकारी लोक कार्य परियोजनाओं में अति निर्धन किसानो व मजदूरो के लिए प्रत्यक्ष रोजगार की व्यवस्था जनता पाटी के शासन काल में समाज के सर्वाधिक निर्धन व्यक्तियों को उत्पादक रोजगार अवसर उपलब्ध कराकर उन्हे निर्धनता के कुचक्र से बाहर निकालने के लिए अन्त्योदय कार्यक्रम वर्ष 1977–78 में प्रारम्भ किया गया छठी योजना के दौरान 1980 में सरकार ने ग्रामीण श्रम शक्ति कार्यक्रम पुरजोर योजना तथा काम के बदले अनाज योजना के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) शुरु किया इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लाभकारी रोजगार के अवसरो में वृद्धि स्थायी सामुदाय सम्पत्तियो का निर्माण तथा ग्रामीण निर्धनता के आहार स्तरो में वृद्धि करना था ग्रामीण युवा वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने के लिये 1979 में ट्राईसेम (TRYSEM) योजना शुरु की गयी 1983 मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (RLEGP) प्रारम्भ किया गया SFDA, MFALA आदि योजनाओ के दोहरे पन को दूर करने

के लिये 1978–79 में एक्रीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम (IRDP) में शुरु किया गया तथा 2 अक्टूबर 1980 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया सातवी योजना के अन्त में 1989 में सरकार ने NREP तथा RLEGP कार्यक्रम को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना जोकि अधिक विस्तृत थी 1993 में सरकार ने रोजगार आश्वासन योजना EAS लागू की 1 जनवरी 1996 से ग्रामीण क्षेत्रो में एक नयो स्वरोजगार कार्यक्रम शुरु किया गया है जिसके तहत् आठवी कक्षा तक पढ़े हुए बेरोजगार युवको को स्वरोजगार हेतु 50% प्रतिशत (अधिकतम (7,500 रु0) सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान था।

सातवीं 1997 से सरकार ने किसानो की सहायता में एक नई योजना गांगा कल्याण योजना प्रारम्भ की थी 19 मार्च 1999 से सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का शुभारम्भ किया। सन् 1999 में गांवो में रहने वाले गरीबी के लिये स्वरोजगार की एक अकेली योजना जिसमें पूर्व में चल रही है। छैः योजनाओं का समावेश है– एकीकृत ग्रामीण विकास योजना (IRDP) 2 ट्राइसेम 3 ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान योजना (डवाकरा) 4 दस लाख कूप योजना (NWS) उन्नत टूल किट योजना (SITRA) 6 गंगा कल्याण योजना की जगह स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरु की गयी जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब को तीन वर्षो में गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाने का प्रयास निहित है। इसमें ग्रामीण निर्धनो के लिए पर्याप्त अतिरिक्त आमदनी जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। यह योजना जिला ग्राम्य विकास अधिकरण (DRDA) के माध्यम से कार्यन्वित की जा रही है।

शहरी क्षेत्रो में गरीबी निवारण के लिए 1 दिसम्बर 1997 से लागू यह योजना पूर्व में चल रही तीन योजनाओं का मिश्रण है (1) नेहरु रोजगार योजना (NRY) (2) गरीबो के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (UPSP) (III) प्रधानमंत्री शहरी गरीबी उन्मूलन योजना (PNUPEP) इन योजनाओं का उद्देश्य शहरी निर्धनो को स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना तथा साथ ही सवेतन रोजगार सृजन के लिए उत्पादक परि सम्पत्तियों का निर्माण करना है। इसमें शहरी स्वरोजगार योजना एवं शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (UWED) शमिल है। शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम में लघु उद्यम और कौशल विकास द्वारा स्वरोजगार एवं महिलाओं और बच्चो का विकास एवं शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम में स्थानीय निकायोंके अधिकार क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाभार्थियो को उनके श्रम का सामाजिक एवं आर्थिक रुप उपयोगी सार्वजनिक सम्पत्ति के निर्माण में उपयोग करके मजदूरो रोजगार उपलब्ध कराना है।

2 अक्टूबर 1993 से प्रारम्भ प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य 18 से 35 आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगारो को रोजगार सहायता प्रदान करना इसमे अनुसूचित जाति/ जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग तथा महिलाओं के लिए आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय है इस योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र हेतु ऋण सीमा 2 लाख रुपये तक तथा व्यवसाय के लिए ऋण सीमा 1 लाख रुपया तक निर्धारित है इसमें SEEUY योजना का विलय कर दिया गया एवं 1998 को केन्द्रीय मन्त्री मण्डल द्वारा पारित संशोधन के अनुसार इस योजना में अब औद्योगिक एवं सीमित व्यापारिक गतिविधियों के अतिरिक्त वागवानोंमछली

पालन व पोल्ट्री व्यवसाय सहित सभी आर्थिक व्यवसायो को सम्मिलित किया गया है।

15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना जिसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना अधिक 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धो को 125 रु0 प्रतिमाह के रुप में राष्ट्रीय न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन का प्रावधान एवं राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुख्य आय अर्जक की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार को 5,000 रु0 की एक मुस्त राशि उत्तरदायी लाभ के रुप में देने का प्रावधान है।

रोजगार सृजन एवं गरीबी शमन की विभिन्न नवीन योजनाओं जो अभी भी कार्यरत है पर विचार करेगे कि इन कितनी कारगर है। दसवी पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के अन्तर्गत किन नई योजनाओ की घोषणा हुई स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना विशेष तौर पर जिला जालौन में बेरोजगारों की रोजगार देने में सक्षम हुई है।

3. दसवीं पंच वर्षीय योजना एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम–

प्राक्कथन– 21 वी शताब्दी के उपाकाल में चालू की गयी दसवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 रखा गया है। योजना आयोग के अध्यक्ष एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई ने अपने व्यक्त की शुरुआत करते हुये कहा कि

"हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किस प्रकार तीव्र और अपेक्षाकृत अधिक सन्तुलित विकास प्राप्त किया जाए ताकि भारत बीती शताब्दी

की अनसुलझी समस्याओं–मुख्यतः गरीबी, बेरोजगारी और अल्प विकास को पीछे छोड सके और साथ ही नयी शताब्दी के सुप्रभात में एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा सके।''

नई सहस्त्राविद के शुभारम्भ पर, दसवी योजना में हमें अतीत की उपलब्धियों को अधिक समृद्ध बनाने और साथ ही उन कमजोरियो को जो उभरकर सामने आयी है सुधारने का सुअवसर दिया है। दसवी योजना ने स्वतः यह स्वीकार किया है कि ''देश में निरन्तर पढ़ता हुआ असन्तोष इस बात का साक्षी है कि आयोजना के पांच दशकों के बाद भी हमारे लोगो की बहुत बड़ी संख्या अधम गरीबी में जी रही है और साथ ही सामाजिक प्रात्तियों में गहरा तथा व्यापक अन्तराल बना हुआ है।''

4. दसवी पंच वर्षीय योजना एवं प्रबन्धकीय या मॉनीटर किए जाने वाले लक्ष्य रोजगार परिदृश्य–

दसवीं योजना का एक प्रमुख उद्धेश्य बढ़ती हुई श्रम शक्ति को लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना है। दसवीं योजना में रोजगार और बेराजगारी के अनुमान (आधार 2001–02) सारिणी–1 में दर्शाये गये है। योजना आयोग का यह अनुमान है कि दैनिक स्थिति (CDS) आधार पर वर्ष 2001–02 में बेरोजगारों की संख्या लगभग 348.5 लाख (व्यक्ति वर्ष) थी और बेरोजगारी की दर 9.21 प्रतिशत थी। फिर दसवी योजना के दौरान श्रम शक्ति में वृद्धि के रुप में लगभग 352.9 लाख व्यक्ति और जुड़ जाएगे। इस प्रकार दसवी योजना काल में कुल 701.4 लाख (348.5 + 352.9) लोगो के लिए रोजगार के सुअवसर खोजने होगे। योजना आयोग का कहना है कि GDP की 8 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य होने पर दसवी योजना के दौरान 296.7 लाख रोजगार सामान्य रुप में ही प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि श्रम शक्ति म नए प्रवेशकों के लिये

कोई रोजगार उपलब्ध नही कराया जाता तो फिर बेरोजगारों की कुल संख्या 404.7 लाख (701.4–296.7 = 404.7) बनी रहेगी।

सारिणी–2.1:

दसवीं योजना में रोजगार आवश्यकता का अनुमान

1.	श्रम शक्ति	3782.1
2.	उपलब्ध रोजगार	3433.6
3.	अवशिष्ट बेरोजगार	348.5
4.	श्रम शक्ति में नए प्रवेशक	352.9
5.	कुल रोजगार की आवश्यकता	701.4

अब प्रश्न यह उठता है कि अवशिष्ट बेरोजगारों के लिए किस विकास रणनीति को अपनाया जाए और उसका स्वरुप क्या हो। दसवीं योजना ने प्रो0 एस0 पी0 गुप्ता की अध्यक्षता में गठित विशेष दल की रिपोर्ट पर अनुसरण करते हुए कहा कि इसका सर्वोत्तम विकल्प यह है कि पूंजी के प्रयोग में मितव्यता बरती जाए और उत्पादन में श्रम प्रधान उपायो का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए ताकि रोजगार की प्रस्तावित वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। दसवी योजना ने इस सम्बन्ध में कुछ ऐसे क्षेत्रो को भी चिन्हित किया है जिनमें रोजगार के नए अवसर पैदा करने की पर्याप्त क्षमता मौजूद है। यह क्षेत्र है– कृषि खाद्य परिसाधन ग्राम फार्म भिन्न क्रियाएं जिनमें खादी तथा ग्राम उद्योग शामिल है, लघु तथा मध्यम उद्योग और सेवा क्षेत्र जिनमें स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा, सूचना, तकनोलॉजी व संचार शामिल है। इन कार्यक्रम आधारित नीति सम्बन्धी

हस्तक्षेपो से योजना के दौरान लगभग 193.2 लाख रोजगार उपलब्ध होने का अनुमान गया है जोकि सारिणी 2.2 से स्पष्ट है।

सारिणी 2.2

दसवी योजना के दौरान कार्यक्रम जनित अतिरिक्त रोजगार

क्र0सं0	क्षेत्र / क्रियायें	रोजगार–जनन (लाखो में)
1.	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाएं	35.5
2.	कृषि वाणिकी द्वारा देश को हरित बनाना	35.0
3.	बायो मास पॉवर जनन हेतु ऊर्जा बागान	20.1
4.	ग्रामीण क्षेत्र और लघु एवं मध्यम उद्योग	70.6
5.	शिक्षा एवं साक्षरता	17.0
6.	सूचना एवं संचार तकनालॉजी विकास (ICT)	7.0
7.	स्वास्थ्य परिवार एवं बाल कल्याण सेवाएं	8.0
	कुल रोजगार (1 से 7)	193.2

स्रोत Planning Commission, Tenth five year Plan, Vol.P.157

इस प्रकार दसवीं योजना में रोजगार जनन एवं गरीबी शमन रणनीति के दो अंग है–

1. विकास आधारित रोजगार जनन एवं गरीबी शमन
2. कार्यक्रम आधारित रोजगार जनन

जिसमें से विकास आधारित अर्थात् GDP में 8 प्रतिशत वृद्धि दरे रुप में 296.7 लाख और कार्यक्रम आधारित रोजगार 193.2 लाख होगा। इस प्रकार बेरोजगारी की दर जो नौवी योजना के अन्त (2001–02) में 9.21 प्रतिशत थी, कम होकर दसवीं योजना के अन्त (2006–07) में 5.11 प्रतिशत रह जायेगी यह

उल्लेखनीय है कि दसवीं योजना के दौरान श्रम शक्ति और रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः तथा 2.7 प्रतिशत आनुमानित है।

दसवीं पचंवर्षीय योजना में (2002–07) में गरीबी अनुपात की 5 वर्षो में आर्थिक मार्ग को चुना गया इसमें कृषि पर आधारित उद्योग लघु और कुटीर उद्योग तथा अंसगठित क्षेत्र में होने वाली तमाम गतिविधियों पर ध्यान दिया गया तथा जनसंख्या वृद्धिदर को घटाकर 16.2% एवं साक्षरता दर को 75% लाने का प्रकल्प सुनिश्चित किया गया।

1. विकास आधारित रोजगार जनन एवं गरीबी शमन–

1. **स्वजल धारा कार्यक्रम–** ग्रामीण क्षेत्रो में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए एक नये स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत केन्द्र सरकार ने दिसम्बर 2002 की है। जिसमें आठ राज्यो आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पं0 बंगाल उड़ीसा, हरियाणा हिमाचल प्रदेश व उ0प्र0 में कुल मिलाकर 882 परियोजनाएं इस कार्यक्रम के तहत् स्वीकृत की गई है जिन पर 87 करोड़ रु0 का खर्च सरकार द्वारा किया गया पंचायतो के माध्यम से लागू किये जाने वाले, इस कार्यक्रम के तहत् गांव वासियो को कुए बाल्टी बनाने व हेण्डपम्प लगाने की सुविधा प्रदान की गयी जिसमें लागत धनराशि का 10% ही गांव वासियों को बहन करना पड़ता है। शेष 90% केन्द्र सरकार द्वारा की जायेंगी 15 अगस्त 2002 को प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रो में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण जल समबद्धन योजना के संचालन हेतु अमावग्रस्त ग्रामीण इलाको में एक लाख हैण्डपम्प स्थापित करने एवं एक लाख ग्रामीण प्राथमिक

विद्यालयो में पेयजल की व्यवस्था करने एवं ग्रामीण क्षेत्रो में पारम्परिक पेयजल पेय जलो स्रोतो का जीर्णोद्वार करना सुनिश्चित किया गया।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान जनपद जालौन में वर्ष 2002–03 से संचालित है जिस लाइन सर्वे के अनुसार कुल ग्रामीण क्षेत्र में 1.58280 परिवार पाये गये थे जिनमें बी0पी0एल0 63,312 एवं ए0पी0एल0 94,968 परिवार से 1 बेस लाइन सर्वे के अनुसार 1,18530 परिवार व्यक्तिगत शौचालय विहीन पाये गये थे वी0पी0एल0 परिवारो को शौचालय निर्माण हेतु मुबलिक 1,500 रु0 प्रति शौचालय निर्माण पर विशेष सहायता के रुप में उपलब्ध कराये जाते है।एवं ए0पी0एल0 परिवारों को प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रेरित कर उनके स्वयं के साधनो से शौचालयो का निर्माण कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रो में स्थापित शासकीय प्राथमिक/अपर प्राथमिक एवं हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को पृथक शौचालय एवं मूत्रालय की सुविधा प्रदान किये जाने का लक्ष्य है शासन स्तर के प्रति यूनिट स्कूल शौचालय निर्माण हेतु लगभग 20,000 रु0 अनुदान देय है। ग्रामीण क्षेत्रो में संचालित आगन बाड़ी केन्द्रो में बाल सुलभ शौचालय का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है शासन स्तर के प्रति शौचालय 5,000 रु0 अनुदान देय है।

निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना के तहत ग्राम के सभी परिवारों के पास शौचालय एवं कोई व्यक्ति खुले में शौच न जाता है एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी शासकीय प्राथमिक/अपर प्राथमिक एवं हायर सेकेन्ड्ररी स्कूल में छात्रो/छात्राओ के लिये अलग–2 शौचालय एवं मूत्रालय की सुविधा आंगनबाड़ी केन्द्रो हेतु बाल सुलभ शौचालय न हो एवं सामान्य तौर पर वातावरण स्वच्छ हो कूड़ा

करकट का उचित निस्तारण होने पर उस ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है।

वर्ष 2006–07 में जनपद जालौन से कुल 14 ग्राम पंचायतो के प्रस्ताव भेजे गये थे नर, भरसूडा सिगटौला, भिटारा, अकोड़ी एवं सिलउवा जागीर कुछ 6 ग्राम पंचायतो को निर्मल ग्राम पुरस्कार किया जा चुका है वर्तमान वित्तीय वर्ष में 33 ग्राम पंचायतो को निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु प्रस्तावित किया गया है।

1. नाहली 2. सलेमपुर कालपी 3. उमरी मुस्त0 4. मडोरा 5. नगरी 6. उदोलपुरा 7. रामहेतपुरा 8. रुरामल्लू 9. माड़री 10. शेखपुर बजुर्ग 11. भगौरा 12. सरटाई 13. रामहेतपुरा 14. सोप्ता 15. असदना 16. मिहौनी 17. कुरौती 18. राहिया 19. कहटा 20. जैसारी खुर्द 21. अकोठी 22. हिगुटा 24. पिण्डारी 25. सिमरिया 26. पड़री 27. जमरोही कला 28. जर कुदईया 30. वरहवल 31 अनधौरा 32. गिदवासा 33. पीपरी कला।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना–

यह योजना 2004 में प्रारम्भ की गयी थी इस योजना के प्रारम्भिक परिणाम उत्साहवर्धक रहे वर्ष 2006–07 के दौरान SC ST तथा OBC समुदायो से 1000 स्कूल लड़कियो के लिए खोलने का एक 128 करोड़ का व्यय प्रावधान किया गया इसके अतिरिक्त प्रत्येक सभी को आठवे स्तर की परीक्षा पास करने के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रारम्भ में उसके नाम जमा किए गये 3100 रु0 की राशि प्राप्त करने का प्रोत्साहन भी दिया गया।

जनरक्षा बीमा योजना– केन्द्र सरकार द्वारा 2002–2003 के वजट में जरुरत दरो के लिये इन नयी बीमा योजना में एक रुपये प्रतिदिन के भुगतान से कोई भी व्यक्ति चयनित और निर्धारित अस्पतालो में प्रतिवर्ष 30 हजार रु0 तक अन्तरग उपचार कराने का हकदार होगा इस योजना के माध्यम से गरीब लोग जो अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के लिए खर्च की व्यवस्था करने में असमर्थ रहते है वे अपने परिजनो का इलाज कराने में समर्थ हो सकेगे इस प्रकार आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगो के लिए स्वस्थ्य सुरक्षा की दिशा में इस योजना को अत्याधिक कारगर सिद्ध हुआ है।

शिक्षा सहयोग योजना– केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2001–02 का वजट पेश करते समय शिक्षा सहयोग योजना के संचालन की घोषणा की गई यह योजना 31 दिसम्बर 2001 को आरम्भ की गयी इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारो के बच्चो को आठवी कक्षा के बाद अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि पैसे की कमी के कारण उनकी शिक्षा बाधित नही है। योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे परिवारो के बच्चो को नवीं बारहवी कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करते समय 100 रु0 प्रतिमाह का शिक्षा मात्र प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

काम के बदले अनाज का कार्यक्रम– केन्द्र सरकार के न्यूनतम पास कार्यक्रम के तहत् स्वीकार किये गऐ काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारम्भ 14 नवम्बर 2004 में हुआ पिछड़े जिलो में इस उद्देश्य के साथ यह

योजना शुरु की गयी कि पूरक वेतन रोजगार के सृजन को बढाया जा सके इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जल संरक्षण सूखे से सुरक्षा और भूमि विकास सम्बन्धी कार्य सम्पन्न कराये जाते है और मजदूरी का 25% भाग नकद राशि में भूगतान एवं शेष मजदूरी अनाज के रुप में अदा की जाती है पुरुष और महिला कर्मियो के लिये मजदूरी समांज रखी गयी एवं प्रत्येक परिवार में एक सक्षम व्यक्ति को 100 दिनो के लिये न्यूनतम मजदूरी का रोजगार देने का प्रावधान है वर्ष 2004–05 में करें कुल 14.24 लाख टन चावल तथा 5.74 लाख टन गेहूं आवंटित किये गये थे यह दिहाड़ी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के वाली योजना को और गहन बनाने के लिए शुरु की गयी थी।

स्कूली बच्चो के मध्याह भोजन कार्यक्रम– वर्ष 2002 शिक्षा गारण्टी योजना और अन्य वैकल्पिक एवं प्रयोगात्मक शिक्षा के केन्द्रो पर पड रहे बच्चों को भी प्राथमिक विद्यालय एवं कम महिला साक्षरता वाले सभी ब्लाको की भांति विद्यार्थियो को दोपहर का भोजन की व्यवस्था लागू की गयी।

यहां प्रति स्कूल दिवस कम से कम 200 दिन तक कम से कम 300 कैलौरी और 8–12 ग्राम प्रोटीन वाला पका गर्म भोजन दिया जाता है वहां पर बच्चे को 100 ग्रा0 प्रतिदिन के हिसाब से गेहू चावल दिया जाता है। जहां बच्चे रुप से खाद्यान्न वितरित किया जाता है वहां वर्ष में 9–11 महीने तक 3 किग्रा प्रति छात्र अनाज दिया जाता है किन्तु विधार्थियों को कम से कम 80% उपस्थिति विद्यालयो में दर्ज कराना अनिवार्य है वर्ष 2006–0 में इस कार्यक्रम हेतु राशि 4813 करोड़ रु0 कर दी गयी।

बन्धक ऋण गारण्टी योजना–

विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्रो में आवासों की उपलब्धता बढ़ाने के अहम् उद्देश्य को लेकर वर्ष 2002–03 के वजट में सरकार द्वारा वन्धक ऋण गारण्टी योजना प्रारम्भ की गयी राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से संचालित इस योजना के तहत् आवास ऋण प्राप्त करना आसान हो जायेगा।

खाद्यान्न बैंक योजना–

ग्राम पंचायत स्तर पर 2002 से लागू इस योजना में खाद्यान्नो के समृद्ध के बावजूद मुखमरी की स्थिति से निपटने के लिये 1.14 लाख गांवो में 1100 करोड़ रुपये से इन खाद्यान्न बैंको को स्थापित करने एवं प्राकृतिक आपदा के समय गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगो को लक्षित किया गया।

सर्व. शिक्षा अभियान–

दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–07 में देश के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक आठवी कक्षा तक निशुल्क गुणवत्तापूर्ण सन्तोषजनक, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर 2001–02 से संचालित केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से अर्थात् 85:15 के अनुपात से शुरु की गयी 75.25 के अनुपात एवं बाद में 50:50 का अनुपात से केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलायी जाने वाली सर्व शिक्षा अभियान जारी है।

जननी सुरक्षा योजना–

निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिये 1 अप्रैल 2005 से प्रारम्भ ने राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का स्थान लिया

है तथा यह 2005–06 के वजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक है। मातृ मृत्युदर व शिशु मृत्युदर पर अकुश लगाकर गर्भवती महिलाओं के जीवित प्रसवों के समय गर्भवती महिला की 1400 रु0 एवं स्वास्थ्य कर्मी को 200 रु0 से 300 रु0 तक की राशि प्रदान की जाएगी निजी स्वास्थ्य केन्द्रो पर प्रसव कराने पर भी उन्हे यह लाभ मिल सकेगा।

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना–

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को नौकरी जाने फैक्टरी या संस्थान बन्द हो जाने अधिग्रहित होने या फिर स्थायी विकलांगता के कारण बेरोजगार होने की स्थिति में छः माह तक बेरोजगारी भत्ता व उनके वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर रुपया मिलेगा यह योजना भी 2005 से प्रारम्भ हुई।

रोजगार सृजन पर योजना आयोग के कार्यदल की रिपोर्ट दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–07 में 1 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की दर से रोजगार के कुल 5 करोड़ नये अवसरो का सृजन सम्भव है तथा इसके लिये सरकार का श्रमनीति औद्योगिक विवाद अधिनियम ठेका श्रम अधिनियम के तहत् असंगठित क्षेत्र की महत्वपूर्ण बनाते हुए योजना आयोग की इस रिपोर्ट में सकल घरेलू उत्पाद ने इस क्षेत्र का योगदान 59% व रोजगार में योगदान 92% है।

4. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना–

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना गांवो में रहने वाले गरीबों के लिये स्वरोजगार का अब एक अकेला तथा व्यापक कार्यक्रम है जिसका श्री गणेश 1999 में किया गया। इस योजना में पहले से चल रहे स्वरोजगार तथा सम्बद्ध

कार्यक्रमो जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRPP, स्वरोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM), ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA), दस लाख कुएं योजना (MWS), गंगा कल्याण योजना(GKY) तथा सिट्रा (SITRA) को समेकित कर दिया गया और अब यह कार्यक्रम अलग स नही चल रहे है। SGSY का गठन करते समय पहले के स्वरोजगार कार्यक्रमों की शक्तियों और कमजोरियों का पूरा ध्यान रखा गया है। ताकि स्वरोजगार के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या पर एक मुश्त कड़ा प्रहार किया जा सके।

योजना का दर्शन–

इस योजना का मूल दर्शन ग्रामीण समाज में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता लाना है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रो में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना द्वारा गरीबों के लिए पर्याप्त आमदनी की व्यवस्था की जाएगी। यह कार्यक्रम इस ढ़ग से बनाया गया है। जिससे कि गांवो में रहने वाले गरीबो को उनकी निहित प्रतिभा और क्षमताओं के उपयोग में मदद व प्रोत्साहन दिया जा सके। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इस योजना में सहायता प्राप्त व्यक्ति स्वरोजगारी कहलाएगें लाभार्थी नही।

योजना के उद्धेश्य–

मोटे तौर पर इस योजना के तीन उद्धेश्य है– 1. गरीबी उन्मूलन के लिए संकेन्द्रित प्रयास करना 2. सामूहिक ऋणों के लाभो का पूंजीकरण करना और 3. कार्यक्रमो की बहुलता से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करना। इस

योजना में सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार को तीन वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाएगा। फिर, अगले पांच वर्षो में प्रत्येक विकास खण्ड में रहने वाले ग्रामीण गरीबों में से 30 प्रतिशत को इस योजना के दायरे में लाने का प्रस्ताव है।

यह येाजना लघु उद्यमो के एक सर्वागीण कार्यक्रम के रुप में तैयार की गयी है। जिसके अन्तर्गत स्वरोजगार के सभी पहलू शामिल है जैसे ग्रामीण गरीबों को आत्म निर्भर समूहो में संगठित करना, उनकी क्षमता निर्माण करना, गतिविधि समूहो का आयोजन करना, बुनियादी ढ़ाचें का निर्माण करना, तकनालॉजी, ऋण, विपणन आदि की व्यवस्था करना। इसमें संसाधनो, लोगो की व्यवसायिक प्रतिभाओं और बाजार की उपलब्धता के आधार पर गतिविधि समूहो पर जोर दिया गया है। विकास खण्ड स्तर पर प्रमुख गतिविधियों का चयन पंचायत समितियों द्वारा किया जाता है। जबकि जिला परिषदों पर होती है गतिविधियां उचित समूहो में शुरु की जाती है। ताकि उपयुक्त सुविधा का विकास हो सके। इस योजना में प्रत्येक प्रमुख गतिविधि के लिये परियोजना दृष्टिकोण अपनाया गया हैं प्रत्येक समूह में महिला सदस्यों को शामिल करने पर जोर दिया गया। समूह गतिविधि को प्राथमिकता दी गयी और आत्मनिर्भर समूहो के लिये उत्तरोत्तर अधिक धन की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम आधे समूह पूर्णतया महिलाओं के होते है। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की सूची की पहचान ग्राम सभी करेगी। जबकि व्यक्तिगत स्वरोजगारियों का चयन भागीदारी प्रक्रिया के आधार पर ही होता है।

चूंकि यह योजना मुख्यतः एक ऋण एवं सब्सिडी कार्यक्रम है जिसमें ऋण प्रमुख तत्व है जबकि सब्सिडी केवल समर्थकारी तत्व। इसलिए समूहो के गठन से लेकर अन्त तक सभी गतिविधियों की निगरानी हेतु बैंको की अधिकाधिक भागीदारी की व्यवस्था की गयी है। हां इसमें एक मुश्त ऋण के बजाय बहुविद्य ऋण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इस योजना में सब्सिडी सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार है–

1. परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर से एक समान सब्सिडी है, जो अधिकतकम 7500 रु0 है (अनुसूचित जातियों / जनजातियों क मामले में यह 50% अधिक और अधिकतम 10,000 रु0 है।

2. समूहो के लिये यह 50% और अधिकतम 1.25 लाख है।

3. सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिड़ी की कोई अधिकतम सीमा नही है।

इस योजना की निधि व्यवस्था केन्द्र और राज्यो द्वारा 75:25 के अनुपात में की जाती है। इस योजना पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा पंचायत समितियों के माध्यम से अमल किया जाता है फिर, नियोजन क्रियान्चयन और निगरानी के काम में बैंको, पचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनो और जिले के तकनीकी संगठनो को शामिल किया गया है।

विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो की प्रगति 1997–2004

सारिणी 2.3

कार्यक्रम (Programmes)			1998–99	99–2000	2000–01	01–02	02–03	03–04
ग्रामीण क्षेत्रो में कार्यक्रम								
1.	3	सृजित रोजगार	.3752	2683	2603	2624	2980	3916
2.	EAS	सृजित रोजगार	.4165	2786	2184	2606	3067	3728
3.	ARWSP	बस्तियां / गांव	.0.5	.0.8	0.7	0.2	0.3	13.3
4.	SGSI	स्वरोजगारी	–	9.4	11.7	9.4	0.6	8.6
5.	CRSP	शौचालय सख्या	5.6	1.1	6.2	0.5	–	46.3
6.	NSAP	a- NOAPS लाभ भोगी	64.2	50.2	51.5	54.3	–	–
		b. NFBSलाभ भोगी	64.2	2.2	2.0	1.6	–	–
			2.6	13.0	2.0			
		c- NMBSलाभ भोगी	15.1	9.3	14.5	–	–	–
							–	–
7.	IAY	गृह निर्मित	8.3	9.3	11.7	11.7	10.6	12.5

Provisional Mandyas of emplopyment generated NAC(-) means not available

Source: Econmomic survey 2003-04 P 208 and earlier issues.

पात्रता–

स्वरोजगारो का चयन–

स्वयं सहायता समूह

रिवाल्विगं फण्ड

अनुदान

स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका

पात्रता–

ग्रामीण क्षेत्रो में विकास खण्डो द्वारा गत वर्ष गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालो का सर्वेक्षण किया जा चुका है जिसे बी0पी0एल0 सर्वेक्षण नाम से जाना जाता है। उक्त सूची में अंकित व्यक्ति ही इस योजना के पात्र होगें। स्वरोजगारी के रुप में महिला अथवा पुरुष हो सकते है, किन्तु प्रत्येक बी0पी0एल0 परिवार से एक ही व्यक्ति इस योजना में लिये जायेगा।

स्वरोजगार का चयन–

स्वरोजगार का चयन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, कार्य क्षेत्र सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक तथा सम्बन्धि ग्राम के ग्राम प्रधान की एक समिति द्वारा गांव में भ्रमण करके किया जायेगा।

स्वयं सहायता समूह–

यह 10 से 20 पुरुष अथवा महिला अथवा दोनो का मिला जुला समूह होता है किन्तु विकलांगों एवं लघु सिंचाई कार्यक्रमों हेतु का समूह होता है जिसे स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। वास्तव में इसका उद्धेश्य यही है कि उस समूह के व्यक्ति आपस में इस प्रकार का ताल मेल बैठाकर एक समूह बनाये और स्वयं कार्य करने में रुचि एवं क्षमता रखते हो और उन्होने समूह के संचालन के लिए हों नियमावली बना ली हो और बैंक खाता खोलकर छोटे–छोटे कार्य प्रारम्भ कर लिये हां निमयावली रुप में गठन के पश्चात लाइन डिपार्टमेन्ट द्वारा उनके न्यूनतम कौशल आवश्यकता का आंकलन किया जायेगा और यदि देखा जाता है कि उनके पास पर्याप्त कौशल नही हो तो उन्हे 2 दिन

का मौलिक अभिनवीकरण प्रशिक्षण दिये जायेगा जिजसमें उन्हे योजना का उद्धेश्य उनकी जिम्मेदारियां अन्य व्यवहारिक पहलू लेखों का रख रखाव बाजार की जानकारी वस्तु की लांगत एवं उसका मूल्य तथा बैंको से वित्तीय सहायता के बारे में उन्हे बताया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण बैंकर्स खण्ड विकास अधिकारी कार्यदायी विभाग (लाईन डिपार्टमेंन्ट के अधिकारी क्षेत्रीय/ग्रामीण विकास संस्थान के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक स्वरोजगारी की ब्लाक अथवा गांव के निकट स्थान पर प्रशिक्षण दिया जायेगा और उन्हे एक बारह में जाने का द्वितीय श्रेणी का किराया दिया जायेगा। उन्हे प्रशिक्षण को दो दिनो हेतु 100/- की धनराशि का भोजन एवं चाय पान प्रति 20 रुपये की धनराशि लेखन सामग्री हेतु तथा अन्य साहित्य उपलब्ध प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण की प्रति वार्ता का द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों 50.00 रु0 प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये 100 रु0 तथा गैर सरकारी संस्था 150रु0 मानदेय दिया जायेगा।

यदि किसी स्वरोजगारी को अतिरिक्त कौशल विकास की आवश्यकता हो तो उसे पालिटेकनिक आई0टी0आई0 विश्वविद्यालय क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान अथवा उच्च ख्याति के गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जायेगा। एक सप्ताह से अधिक के प्रशिक्षण हेतु यह जानकारी करनी पड़ेगी कि कितनी अवधि के प्रशिक्षण की आवश्यकता है और तद्नुसार क्या पाठयक्रम पढ़ाया जायेगा। का निर्धारण सम्बन्धित लाईन डिपार्टमेन्ट द्वारा किया जायेगा और इस कार्य हेतु स्वरोजगारी को बैंक द्वारा साफ्ट लोन (ऋण) दिया जायेगा।

रिवाल्विंग फण्ड–

स्वयं सहायता समूह जो कम से कम 6 माह से अस्तित्व में हो, जिन्होने आर्थिक रुप से लाभकारी होने की क्षमता प्रदर्शित की हो, को कैश क्रेडिट के रुप में जा 25000/– रिवाल्विंग फण्ड दिया जायेगा। बैंक द्वारा केवल उस धनराशि का ब्याज लिया जायेगा, जो जो 10,000/– से अधिक होगी। इस योजना की समीक्षा हेतु जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी तथा ब्लाक स्तर पर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की अध्यक्षता मं एक कमेटी का गठन किया गया है, जो इस कार्यक्रम की मासिक समीक्षा करेगी।

अनुदान–

अनुदान एक छोटा तथा सामर्थ्य प्रदान करने वाला घटक है जिसमें अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है सामान्य वर्ग के स्वरोजगारी हेतु लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम रुपये 7,500/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वरोजगारी को 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 10,000/– एवं स्वयं सहायता समूह हेतु 1.25 लाख रुपये का अनुदान देय है किन्तु यह परियोजना लागत का 50 प्रतिशत देय होगा। अनुदान बैंक इन्डेट होगा। ऋण की वापिसी 5 वर्षो में करनी होगी। विकास खण्ड /ग्राम पंचायत स्तर से 80 प्रतिशत ऋण की वसूली की जायेगी और जो विकास खण्ड/ग्राम पंचायत ऐसा नही करेंगे उन्हे अनुदती वर्षो में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कुछ भी आवंटित नही किया जायेगा। स्वरोजगारी द्वारा ऋण की योजना के अन्तर्गत कुछ भी आंवटित नही किया जायेगा। स्वरोजगारी द्वारा ऋण की शीध्र वापसी करने पर उसे 0.50 प्रतिशत की अनुश्रवण एवं प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी जायेगी।

स्वयंसेवी संस्थाआं की सहभागिता–

स्वयं सेंवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण सहभागिता रखी गयी है। चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं को उन्हे आवंटित विकास खण्ड में स्वयं सहायता समूह के गठन हेतु एक पूर्ण कालीन सुविधादाता जिसकी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट हो और उसे ग्राम विकास कार्य का एक वर्ष का अनुभव हो ऐस सुविधादाता 2500/– रुपये प्रतिमाह नियत वेतन पर स्वयं सेवी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। और उसे क्षेत्रीय भ्रमण हेतु 500/– रुपये के प्रतिभूति की वास्तविक भ्रमण एवं रात्रि विश्राम के आधार पर जायेगा। सुविधादाता द्वारा योजना के सफल संचालन, लेखो के रख रखाव मार्गदर्शन किया जायेगा। एक सुविधादाता द्वारा कम से कम 12 स्वयं सहायता समूह का पर्यवेक्षण किया जायेगा। और वह प्रत्येक स्वयं सहायता समूह का माह में दो बार भ्रमण अवश्य करेगा। स्वयं सेवी संस्था को इसके लिये 300/– रुपये प्रति समूह दर से दिया जायेगा। जो स्वयं सेवी संस्था द्वारा लेखन सामग्री, निर्धारित मासिक प्रगति विवरण प्रगति के प्रेक्षण तथा संस्था द्वारा इस कार्य हेतु यात्रा पर व्यय की जायेगी।

जनपद जालौन में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना–

उपयुर्क्त सारिणी 2.4 2.5 तथा 2.6 में प्रदर्शित है कि जनपद जालौन के वर्ष 2007–08 में विभिन्न विकास खण्डो डकोर कदौर महेवा, जालौन कुठौन्द, माधौगढ़ रामपुरा कोच एवं नदी गांव में क्रमशः वित्तीय सहायता प्राप्त समूह/स्वरोजगारियों की संख्या 109, 88, 94, 95, 124, 182, 47, 98 एवं 90 अर्थात् कुल 827 समूहो में स्वरोजगार संख्या 1133, 892 967, 1309, 875, 509,

596, एवं 915 अर्थात कुल 8514 व्यक्ति स्वरोजगार को मिलाकर 1774, 1576 1448, 1447, 1803, 1356 743, 1611, 1377, अर्थात कुल 13,135 लोगो को रोजगार मिला जिसमें प्रारम्भ से अब तक 117 महिलाओं को 8055 गरीबी रेखा पार करने वाले परिवारो को एवं निष्क्रिय समूह संख्या प्रथम ग्रेडिग के पश्चात् 265 एवं द्वितीय ग्रेडिग के पश्चात् 36 थी।

विभिन्न विकास खण्डो में वार्षिक लक्ष्य क्रमशः 75, 64, 58, 64, 73 60, 52, 70 एवं 72 कुल 580 एवं कुल लक्ष्य 5129 गणित समूहो में महिला समूहो की संख्या कुल 7581 बैको में खोले गये खातो की संख्या चालू वर्ष के माह तक 267 एवं योजना के प्रारम्भ से 2469 है रिवाल्विग फण्ड दिये गये समूह की कुल संख्या सभी विकास खण्ड 82 एवं योजना के आरम्भ से समहो की संख्या वितरित 3.00, 2.00, 4.00, 3.00, 0.50, 0.75, 1.02, 0.00 एवं 1.35 अर्थात् कुल 16:80 एवं वितरित अनुदान 6.20 रहा ऋण वितरण की स्थिति वर्ष 2007–08 में ऋण आवेदित पत्रो की संख्या कुल समूह एवं व्यक्गित की क्रमशः 185 एवं 516 थी जिसमें 184 एवं व्यक्गित में 415 स्वीकृत ऋण थे। एवं समूह के 100% एवं व्यक्गित के 415 मे से 413 अर्थात 2 लम्बित ऋण आवेदन पत्र है जैसा कि सारिणी से पूर्णतया स्पष्ट है कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना किस प्रकार लक्ष्य निर्धारित कर संमूह बनाकर कार्य करके रोजगार प्राप्त कर रही है।

5. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना–

यह सुनिश्चित करने के लिये कि आर्थिक सुधारो के लाभ समाज के सभी वर्गो तक पहुंचने ग्रामीण क्षेत्रो में जीवन स्तर के लिये महत्वपूर्ण सामाजिक

अथवा आर्थिक आधार भूत ढ़ांचे के पांच तत्वो की पहचान की गई है, जो इस प्रकार है 1. स्वास्थ्य 2. शिक्षा 3. पेय जल 4. आवास तथा 5. सड़क वर्ष 2001–02 की वार्षिक योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण को अतिरिक्त घटक के रुप में जोड़ दिया गया था। इन क्षेत्रो में किये जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000–01 के दौरान सभी राज्यो एवं संघ राज्य क्षेत्रो में की गई थी। इस योजना के तहत् अग्रलिखित कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये है–

1. प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना–

ग्रामीण सड़को द्वारा गांवो को जोड़ने का उद्धेश्य केवल देश के ग्रामीण विकास में सहायक है बल्कि इस गरीबी उन्नमूलन कार्यक्रम में एक प्रभावी घटक स्वीकार किया गया है। स्वतन्त्रता के 5 दशकों के बाद भी लगभग 40% भारत के गांव अच्छी सड़को से जुड़े हुये नही है। वित्त मन्त्री ने अपने 2000–01 के बजट भाषण में ग्रामीण सडक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के घटक के रुप में घेषित किया था, 15 अगस्त 2000 को भूतपर्व प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी बाजपेई ने लाल किले की प्राचीर से दिये गये भाषण में ग्रामीण सड़को के विकास के लिये प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना घोषित की तथा 25 दिसम्बर 2000 से यह योजना प्रारम्भ की गई।

प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना पूरी तरह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और अब यह भारत निर्माण योजना में ही शामिल की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत 500 या उससे अधिक घरों वाले गांव को मुख्य सड़क से बारहमासी

सड़क द्वारा जोड़ने की योजना है। इस तरह पहाड़ी रेगिस्तानी और आदि वासी क्षेत्रो के गांवो के लिये इससे आधे यानी 250 घरों वाले गांव को मुख्य मार्ग से बारहमासी सडक द्वारा जोड़ने का लक्ष्य दसवी योजना के अन्तर्गत रखा गया था। इसके अलावा घरेलू वित्तीय संस्थाओं और विश्व बैंक से भी इस योजना के लिये केन्द्र सरकार द्वारा कर्ज लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मौजूदा जर्जर सड़को को भी बारहमासी बनाने की बात है।

केन्द्र सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश भर में लगभग सवा छह लाख से अधिक गांवो में से एक चौथाई यानी 1 लाख 70 हजार गांवो में यह सड़क बनाई जानी है। इस हिसाब से तीन लाख 69 हजार किलोमीटर लम्बी नई सड़को बनाने की आवश्यकता है। इसके लिये वर्तमान अनुमान के अनुसार 1,33,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ष 2004–05 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नवम्बर 2004 तक 14,00789 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके है इस राशि से 1,03,010 किलोमीटर लम्बे 35296 सड़क निर्माण कार्यो को पूरा किया जायेगा। इनमें से 22,930 सड़को का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और कुल 60,024 किलोमीटर लम्बी सड़के बन चुकी है। अक्टूबर 2004 तक इन सड़को पर 7866 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके है।

इस योजना के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना प्रमुख रुप से बनाई जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्यो की है पेयजल आपूति की गति में तेजी लाने के लिये राज्यो एवं संघ शासित प्रदेशो को मदद पहुंचाने के लिये केन्द्र सरकार ने वर्ष 1972–73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रारम्भ किया था, इसका उद्धेश्य राज्य क्षेत्र

के न्यूनतकम आवश्यकता कार्यक्रम के आधीन राज्य सरकार के प्रयासो में सहायता देकर ग्रामीण लोगो को स्वच्छ तथा पर्याप्त पेय जल सुविधाएं प्रदाना करना है। ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में अधिक से अधिक वैज्ञानिक तथा तकनीक जानकारी पहुंचाने के लिये पूरे कार्यक्रम को एक मिशन का रुप दिया गया तदनुसार वर्ष 1986 मे पेयजल तथा इससे सम्बन्धित जल व्यवस्था पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम बदलकर वर्ष 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त सरकार के राष्ट्रीय एजेण्डा के अनुरुप 5 वर्षो में देश के सभी ग्रामीण निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अक्टूबर 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत एक पेयजल आपूर्ति विभाग बनाया गया।

ग्राम स्तर पर स्थायी मानव संसाधन विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भारत सरकार ने वर्ष 2000–01 से प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना के पांच घटको (प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास ग्रामोदय पेयजल और पोषाहार) में से ग्रामीण पेयजल घटक को महत्वपूर्ण स्थान दिया।

ग्रामीण जलापूर्ति की दिशा में सचालित दूसरा प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ग्रामोदय के अन्तर्गत एक घटक ग्रामीण पेयजल विषयक है। इसके अन्तर्गत जल की कठिनाई वाले क्षेत्रो में इस योजना में प्रदत्त धनराशि का 75% भाग खर्च किया जाता है। भूमिगत जल के संरक्षण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के लिये प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण पेयजल का 25 प्रतिशत तक भाग खर्च किये जाने की व्यवस्था रखी गई।

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमो ने निर्धारित 40 ली0 प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के मानव पर 250 की आवादी पर एक हैण्डपम्प की व्यवस्था को बढ़ाते हुये इसके अन्तर्गत 150 की अवादी पर एक हैण्डपम्प का मानक तय किया गया है ताकि वहां 55 से 70 लीटर तक प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

सरकार आंकड़ो के अनुसार वर्ष 2002 में देश के 14.22 लाख वस्तियों में से 15,798 बस्तियां को ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये दसवीं योजना में 8,150 करोड़ रुपये जो परिणाम के निर्धारित थे को बढ़ाकर 13,245 कर दिया गया है।

3. ग्रामीण आवास–

मानव जीवन के आवास एक बुनियादी जरुरत है। जनगणना के निष्कर्षो, के अनुसार गरीबी और आवास में सहसम्बन्ध देखने को मिलता है अनुसार गरीबी आवास की उपलब्धता में बाधक है। वर्ष 1998 की केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय आवास एवं पुर्नवास नीति घोषित की थी, जिसकी उद्धेश्य सभी को आवास उपलब्ध कराना था, सरकार 10 वीं योजना के अन्त तक सभी को पक्के मकान शुलभ कराने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है और इसके लिये एक कार्य योजना तैयार की गई है, इस कार्य योजना के प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित है।

1. इन्द्रिरा आवास योजना के अन्तर्गत नये आवास निर्माणो के साथ–साथ कच्चे मकानो का उन्नयन
2. प्रधान मन्त्री ग्रामोदय योजना अर्थात ग्रामीण आवास कार्यक्रम

3. ग्रामीण आवास के योजना

4. समग्र आवास योजना

1. इन्द्रिरा आवास योजना–

मानव के जीवन निर्वाह के लिये आवास के लिये बुनियादी जरुरतों में से एक है। एक साधारण नागरिक के लिये आवास उपलब्ध होने से उसे महत्वमपूर्ण आर्थिक सुरक्षा और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। एक बेघर व्यक्ति को आवास उपलब्ध हो जाने से उसके अस्तित्व में सामाजिक परिवर्तन आता है। तथा उसकी पहचान बनती है। और इस प्रकार वह शीध्र ही अपने सामाजिक वातावरण से जुड़ जाता है।

जून 1985 में भारत सरकार ने एक घोषणा की जिसमें ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की निधियों के एक हिस्से को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों तथा मुक्त बन्धुआ मजदूरो के लिये मकानो का निर्माण करने हेतु अलग रखा गया।

इस घोषणा के परिणाम स्वरुप ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की एक उप योजना के रुप में इन्दिरा आवास योजना 1985–86 में शुरु हुयी थी जो अप्रैल 1989 से शुरु जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना के रुप में जारी रही। जवाहर रोजगार योजना की कुल निधियों का 6 प्रतिशत भाग इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन के लिये आवंटित किया जाता था। वर्ष 1993–94 में इन्द्रिरा आवास योजना के क्षेत्र को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रो के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गैर अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के लोगो को भी शामिल कर लिया गया तथा इस योजना के कार्यान्वयन के लिये निधियों के

आंवटन को राष्ट्रीय स्तर पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कुल संसाधनों के 6% से बढ़कर 10% कर दिया गया। परन्तु शर्त यह थी कि गैर अनुसूचित जातियां/ जनजातियो के गरीबो को दिया जाने वाला लाभ जवाहर रोजगार योजना के कुल आवंटन का 4% से अधिक न हो। इन्द्रिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से अलग कर 1 जनवरी 1996 को एक स्वतन्त्र योजना बना दिया गया है।

1999–2000 में जीर्ण शीर्ण कच्चे मकानो को सुधारने के प्रावधान बनाकर तथा गरीबो के विषय वर्गो को सब्सिडी के साथ ऋण देकर ग्रामीण आवास कार्यक्रम में सुधार लाने के अनेक प्रयास किये गये है ग्रामीण आवास में किफायती, आपदा रोधी और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी बल दिया गया है।

इन्दिरा आवास योजना का मुख्य उद्धेश्य अनुसूचित जाति/जनजाति, मुक्त बन्धुओं मजदूरो के सदस्यो तथा गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण लोगो को एक मुश्त वित्तीय सहायता देकर आवासीय ईकाईयो के निर्माण/उन्नयन में मद्द करता है।

यह केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना है जिसे भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच क्रमशः 75:25 की योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2005–06 में 2775 करोड़ रुपये का आवंटन किया है और 15,54 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा है।

इस योजना की विशेषता यह है कि इसमें लाभार्थी को परियोजना की लागत का 50% हिस्सा मजदूरी रोजगार बढ़ाने के लिये मिलता है। वह काम करके मजदूरी रोजगार बढ़ाने के लिये मिलता है। वह काम करके मजदूरी प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार वह जो पैसा कमाता है उसे अपने मकान को और अच्छा बनाने पर खर्च कर सकता है। जहां कही सम्भव होता है इस योजना का तालमेल लाभार्थियो को आर्थिक रुप से उन्नत करने पर भी होता है। फलो के बाग, सामाजिक वानिकी मत्स्य पालन जैसी योजनाओं के साथ इस योजना को मिलाने का लाभ जैसी योजनाओ के साथ इस योजना को मिलाने का लाभ भी लाभार्थी उठा सकते है, और अपने रहन सहन को बेहतर बना सकते है।

जहां इस योजना में गरीब परिवारों के लिये मकान की व्यवस्था की जाती है वही फलदार पेड़ पौधो गैर परम्परागत ऊर्जा साधन, शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के साथ तालमेल भी रखा जाता है। पानी विद्युत सफाई आदि सुविधाओं पर भी ध्यान रखा जाता है योजना का लाभ गरीबो को कैसे प्राप्त हो? इसके लिये कार्यक्रम को जिला परिषदो/ जिला ग्राम ऐजेन्सियों के जरिये कार्यान्वत किया जाता है तथा मकानो का निर्माण स्वयं लाभार्थियो द्वारा किया जाता है। योजना का पहले ब्लॉक स्तर पर ईमानदारी से सर्वेक्षण होता है, और इसी के आधार पर जरुरत मन्द लोगो की सूची तैयार की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और मुक्त कराये गये बन्धुआ मजदूर भी शामिल है। इस सूची को आधार मानकर ग्राम सभा की खुली बैठक में इस पर चर्चा की जाती है। कि किसे इस योजना का लाभार्थी चुना जाये? इस बैठक में

अधिकारियों के अतिरिक्त लाभार्थी का चयन पूरी ईमानदारी से हो उसमें भ्रष्टाचार या पक्षपात की गुजाइश न हो। इस योजना के अन्तर्गत घर बनाने के किसी ठेकेदार को शामिल नही किया जाता है। हर लाभार्थी को निर्माण स्वयं करना होता है।

प्रत्येक लाभार्थी को 30X50 फुट का एक प्लॉट तो मुफ्त मिलता है, साथ ही साथ उसे उस प्लॉट पर मकान बनाने के लिये आर्थिक सहायता भी मिलती है। प्लॉट पहाड़ी इलाके एवं दुर्गम क्षेत्रो मं 27,500 रुपये तथा मैदानी क्षेत्रो में 25,000 रुपये की अधिकतम सहायता दी जाती है। कच्चे मकानो को पक्का करने और सुधार के लिये अधिकतम 12,500 रुपये की सहायता दी जाती है।

योजना के लिये साधना की व्यवस्था केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में की जाती है वर्ष 2004–05 में 17 लाख 76 हजार मकान बनाने का लक्ष्य था। और इसके 2900 रुपये करोड़ की राशि आंवटित की गई थी लेकिन केवल 15 लाख हजार 222 मकान बनाये जा सके।

इन्दिरा आवास योजना की 20% निधि ऋण और सब्सिडी योजना के अन्तर्गत मकानों को सुधारने पर खर्च की जा सकती है। 1,32,000 रुपये वार्षिक आय वाला व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं से 50,000 रुपये तक का ऋण जा सकता है।

उक्त योजना के अन्तर्गत आदर्श मकान कैसा होता है, हर मकान में एक बड़ा कमरा उसके सामने एक बरामदा एवं कम लागत वाला स्वच्छ शौचालय और स्नानकक्ष दिया जाता है। रसोईघर में एक धुंआ रहित चूल्हा होता है मकान को हवादार रखने के लिये खिड़किया और रोशनदान बनाये जाते है। घर

के बाहर पानी सोखने वाले गड्ढ़े बनाये जाते है ताकि रसोई घर या स्नान कक्ष के पानी से गन्दगी न फैले।

लाभार्थियो का चयन–

प्रत्येक वर्ष इंदिरा आवासों के निर्माण के लिये ग्रामो का चयन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की शासी निकाय की बैठक में किया जाता है तथा लाभार्थियो को चयन ग्राम पंचायत की खुली बैंठक में होता है योजनान्तर्गत मुक्त बन्धुआ मजदूर अनु0 जा0/जनजाति के परिवार जो अत्याचार के शिकार हुए हो, विधवाओ और अविवाहित महिलायें जो परिवार मुखिया हो, दैवी आपदा प्रभावित परिवारों तथा गरीबी की रेखा के नीचे के अनु0जाति/जनजाति के परिवारो का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है सैनकि सेवाओं अर्द्धसैनिक बलो, मुठभेड में मृत सैनिको की विधवाओं तथा विकलांग व्यक्ति और गैर अनु0जाति/ जनजाति के गरीब आवासहीन परिवारों का चयन भी आवास निर्माण हेतु किया जाता है। आवास का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाता है। विशेष परिस्थिति में पुरुष मुखिया के नाम पर भी आंवटन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत की खुली बैठक में चयन होने के बाद खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति उपरान्त लाभार्थी का खाता बैंक में खोला जाता है और आवास निर्माण हेतु निर्धारित धनराशि दो किश्तो में जिला विकास अधिकारी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक में खुले खाते में हस्तारिंत कर दी जाती है। लाभार्थी अपने खोले गये खाते से धनराशि निकालकर आवास निर्माण का कार्य करता है।

2. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)–

यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000–2001 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के संचालन के लिये समस्त धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन की जा रही है। तथा भारत वर्ष के सभी विकास खण्डो में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना इंदिरा आवास योजना के पैटर्न पर आधारित है।

ग्रामो का चयन–

इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित ग्रामो तथा ग्रामो में आवास का निर्माण की संख्या का निर्धारण शासन के मार्ग निर्देशों के अनुसार जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के शासी निकाय की बैठक में किया जाता है।

लाभार्थी का चयन–

लाभार्थी का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में गरीब परिवारो को जो आवास विहीन है में से किया जाता है।

दैवीय आपदा से पीड़ित परिवार तथा अनुसूचित/जनजाति के निर्धन आवास विहीन परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त गैर अनु. जाति./जनजाति के गरीब एवं आवासहीन परिवारो का चयन भी आवास निर्माण के लिये किया जाता है इसमें सैनिक अर्द्धसैनिक बल, मुठभेड में मारे गये व्यक्तियो की विधवाओं एवं विकलांग को प्राथमिकता दी जायेगी। आवास का आवंटन मुख्यतः महिला सदस्य के नाम किया जाता है। विशेष परिस्थितियो के नाम भी आवास का आवंटन किया जा सकता है।

भुगतान की प्रक्रिया–

आवास निर्माण की लागत 25000/– रु0 है जिसमें 22,000/– रु0 मकान निर्माण पर तथा 3000/– रु0 शौचालय एवं धूम्ररहित चूल्हे निर्माण पर किया जाना है धनराशि लाभार्थी को दो किश्तों में दी जाती है। जो लाभार्थी के खाते में सीधे जिला स्तर से हस्तान्तरित की जाती है। कच्चे आवासों/स्तरोन्नयन (अपग्रेडेशन) हेतु 12000/– रु0 की धनराशि अनुदान स्वरुप दी जाती है।

इन्दिरा आवास योजना की प्रगति इन्दिरा आवास योजना की प्रगति अद्योलिखित सारिणीयों द्वारा प्रदर्शित है–

सारिणी 2.7
इन्दिरा आवास योजना की प्रगति
माह मार्च –2007

उत्तर प्रदेश वर्ष 2006–07

	नया निर्माण	स्तरोन्नयन	कुल
1. वार्षिक लक्ष्य	564	0	564
2. महीने के अन्त तक पूरे हुये मकान वर्ग			
(a) SC अनुसूचित जाति	450	0	450
(b) ST अनुसूचित जनजाति	0	0	0
(c) अन्य	294	0	294
(d) कुल	744	0	744
मुक्त हुये मजदूर	0	0	0
(सेवानिवृत्त)	0	0	0
	0	0	0
	89	0	89
	0	0	0

सारिणी 2.8

Financial Progress   Month- March, 2007   (Rs. In Lakhs)

		New Constructions	Upgradation	Total
1	Opening Balance as on Ist 1st April	23.89	0.00	23.89
2	2- Central Allocation	169.87	0.00	169.87
3	State Allocation	42.650	0.000	42.650
4	Total Allocation (2+3)	212.52	0.00	212.52
5	Central Releases (Previous Year +Current Year)	169.870	0.000	169.870
6	State Releases	29.300	0.00	29.300
7	Total Releases (5+6)	199.170	0.00	199.170
8	Other Receipts including interest	4.200	0.00	4.200
9	Total Availability Funds (1+7+8)	227.00	0.00	227.00
10	Cumulative Expendture of Funds		0.00	
Category				
(A) SC		134.460	0.00	134.460
(B) ST		0.00	0.00	0.00
(C) others		89.640	0.000	89.640
(D) Total		224.100	0.000	224.100
Out of Total				
(E) Free Bonded Labours		0.00	0.00	0.00
(F) Ex-servcemen		0.00	0.00	0.00
(G) Disables		1.750	0.00	1.750

सारिणी –2.9
(इन्दिरा आवास योजना)

Physical Performance- Houses in Numbers

Month: March Year 2007

District : Jalaun

S. No.	Name of the District	Annual Target	House Completed				House under Construction	Free Bonded Labourers	Ex-Servicemen	Physically Mentally Challenged
			SC	ST	Others	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	JALAUN									
2	New Construction	564	450	0	264	744	89	-	-	13
3	Upgradation	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	Total= Construction + Up gradation (1+2)	654	450	0	294	744	89	0	0	13

INDIRA AWAS YOJANA

House in Number

Months March Year 2007

सारिणी 2.10

S. No.	Name of the District	House allotted in the name of								No. of	Percentage of Target Achieved
		Men	Women					Husband and Wife Jointly	Smokeless Chulha installed	Sanitary Latrine Constructed	
			Married	Un-married	Widow	War-Widow	Total				
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	New Construction	172	602	0	231	0	833	0	744	744	
2	Upgradation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Total= Construction + Upgradation (1+2)	172	602	0	231	0	833	0	744	744	

INDIRA AWAS YOJANA
FINANCIAL PERFORMANCE
Months March Year 2007
सारिणी 2.11

जिला जालौन

S. No.	District	Opening Balance as on Ist april	Allocation							Total Availab funds (3+9+9a)					%of Utilization (14/10)
			Central	State matching Share	Total (3+4)	Central Previous Year	State Matching Share	Total (7+8)	Other Receipts		SC	ST	Others	Total 11 to 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15
	JALAUN														
1	New Construction	23.890	169.870	42.650	212.520	169.87	29.300	199.170	4.200	227.260	134.460	-	89.640	224.100	99
2	Upgradation	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	-	0.000	0.000	
3	Total= Construction + Upgradation (1+2)	23.890	169.870	42.650	212.520	169.87	29.300	199.170	4.200	227.260	134.460	0.00	89.640	224.100	99

सारिणी—2.12

INDIRA AWAS YOJANA (EXPENDITURE HOUSES)

MONTH: MARCH YEAR :2007

(Rs. In Lakhs)

DISTRICT: JALAUN **Out of Total**

S.No.	Item	Free Bobded laboures	Ex-Servicemen	Disabled
1	2	3	4	5
1	New Construction	0	0	13
2	Up gradation	0	0	0
3	Total= Construction+ Up gradation (1+2)	0	0	13

सारिणी – 2.13

INDIRA AWAS YOJANA PROGRESS (SUMMARY OF MONTHLY PERFORMANCE)
MONTH-JANUARY, 2008
YEAR 2007-2008

Physical Progress: (In numbers)	New Constructions	Up gradation	Total
1 Annual Target	1069	0	1069
2 House Completed till the end of Month Category			
(A) SC	292	0	292
(B) ST	0	0	0
(C) Others	258	0	258
(D) Total (A+B+C)	649	0	649
Out of Total			
(E) Free Bonded Labours	0	0	0
(F) Ex-servicemen	0	0	0
(G) Disabled	15	0	15
3 Houses Under Constructions	9	0	9
4 Houses not completed in last two Years	0	0	0

सारिणी 2.14

INDIRA AWASS YOJNA

Financial Progress — Month- January, 2008 — (Rs. In Lakhs)

		New Constructions	Up gradation	Total
1	Opening Balance as on Ist 1st April	3.16	0.00	3.16
2	2- Central Allocation	200.41	0.00	200.41
3	State Allocation	66.800	0.000	66.800
4	Total Allocation (2+3)	267.21	0.00	267.21
5	Central Releases (Previous Year +Current Year)	122.535	0.000	122.535
6	State Releases	33.401	0.00	33.401
7	Total Releases (5+6)	155.936	0.00	155.936
8	Other Receipts including interest	5.900	0.00	5.900
9	Total Availability Funds (1+7+8)	164.996	0.00	164.996
10	Cumulative Expendture of Funds			
Category				
(A) SC		95.879	0.00	95.879
(B) ST		0.00	0.00	0.00
(C) others		63.723	0.000	63.723
(D) Total		159.602	0.000	159.602
Out of Total				
(E) Free Bonded Labours		0.00	0.00	0.00
(F) Ex-servcemen		0.00	0.00	0.00
(G) Disables		3.750	0.00	3.750

सारिणी –2.15

(इन्दिरा आवास योजना)

PHYSICAL PERFORMANCE- HOUSES IN NUMBERS

Month: JANUARY YEAR- 2008

DISTRICT : JALAUN

Performa 1(a)

S. No.	Name of the District	Annual Target	House Completed				House under Constrcution	Free Bonded Labourers	Ex-Servicemen	Physically Mentally Challanged
			SC	ST	Others	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	JALAUN									
2	New Construction	1069	391	0	258	649	9	-	-	15
3	Up gradation	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	Total= Construction + Upgradation (1+2)	1069	391	0	258	649	9	0	0	15

INDIRA AWAS YOJANA
Physical Performance- Houses in Numbers
Months JANUARY Year 2007

सारिणी 2.16

S. No.	Name of the District	House alloted in the name of								No. of	Percentage of Target Achieved
		Men	Women					Husband and Wife Jointly	Smokeless Chulha installed	Sanitary Latrine Constructed	
			Married	Un-married	Widow	War-Widow	Total				
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	New Construction	145	393	0	120	0	513	0	649	649	60.71
2	Up gradation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Total= Construction + Up gradation (1+2)	145	393	0	120	0	513	0	649	649	60.71

INDIRA AWAS YOJANA
FINANCIAL PERFORMANCE (Rs. In Lakhs)
Months JanuaryYear 2007
सारिणी 2.17

DISTRICT : JALAUN

S. No.	District	Opening Balance as on Ist april	Allocation							Total Availab funds (3+9+9a)					%of Utilization (14/10)
			Central	State matching Share	Total (3+4)	Central Previous Year	State Matching Share	Total (7+8)	Other Receipts		SC	ST	Others	Total 11 to 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15
	JALAUN														
1	New Construction	3.160	200.410	66.800	267.210	122.535	33.401	155.936	5.900	164.996	95.879	63.723	159.602	96.73	
2	Upgradation	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	-	0.000	0.000	
3	Total= Construction + Upgradation (1+2)	3.160	200.410	66.800	267.210	122.535	33.401	155.936	5.900	164.996	95.879	63.723	159.602	96.73	

सारिणी—2.18

INDIRA AWAS YOJANA (Expenditure Houses)

MONTH: JANUARY YEAR :2008

(Rs. In Lakhs)

Out of Total

DISTRICT: JALAUN

S.No.	Item	Free Bobded laboures	Ex-Servicemen	Disabled
1	2	3	4	5
1	New Construction	0	0	15
2	Up gradation	0	0	0
3	Total= Construction+ Upgradation (1+2)	0	0	15

6. अन्त्योदय अन्न योजना–

अन्त्योदय अन्न योजना उन दो योजनाओं में से एक है जिन्हे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेइ के 76 वे जन्म दिवस 25 दिसम्बर 2000 को लागू किया गया। अन्त्योदय अन्न योजना का उद्धेश्य निर्धनो को अन्न मुहैया कराना है इस योजना में देश के एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रति माह 25 किग्रा0 अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा। 31 मार्च 2003 इस मात्रा को 25 किग्रा0 से 35 किग्रा0 कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले गेहूं एवं चावल का केन्द्रीय मूल्य क्रमशः 2 रूपये तथा–3 रूपये प्रति किलो ग्राम होगा नये मूल्य की इस श्रेणी के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की श्रेणियों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन हो जायेगी। अब तक इस प्रणाली में केवल दो ही श्रेणियां थी गरीबी रेखा के नीचे (BPL) तथा गरीबी रेखा के ऊपर (APL) इस योजना में एक करोड़ निर्धनतम परिवार लाभान्वित होंगे। यह योजना केन्द्रीय उपभोंक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय के तहत प्रारम्भ की गई है।

यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत समाज के सभी वर्गो के सबसे निर्धनतम परिवारों का चयन करते हुये लाल रंग का राशन कार्ड दिया जाता है। इन कार्डो पर प्रति माह 15 किलो गेहूं 2 रु0 प्रतिकिलो की दर से तथा 20 किलो 3 रु0 प्रति किलो की दर सम्बन्धित कार्ड धारक को प्राप्त होता है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत जालौन के कुल

37766 कार्ड प्रचलित है। अन्त्योदय अन्न योजना की प्रगति अधोलिखित सारिणी 2.19 प्रदर्शित किया गया है–

सारिणी –2.19

अन्त्योदय अन्न योजना की प्रगति

तहसील का नाम	**विकास खण्ड का नाम**	**सस्ते गल्ले की दुकानो की संख्या**
माधोगढ़	रामपुरा	42
जालौन	कुंठौद	72
माद्यौगढ़	माद्यौगढ़	54
जालौन	जालौन	67
कोंच	नदी गांव	36
कांच	कोंच	68
उरई	डकोर	76
कालपी	महेबा	65
कालपी	कदौरा	92
योग ग्रामीण नगरीय		572 146
कुल योग		**718**

जैसा सारिणी सं0 2.20 में प्रदर्शित है कि अन्त्योदय अन्न योजना वर्ष 2002–03 से यह कार्यक्रम राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना एवं विकलांग पेशन योजना से मिलकर बने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के साथ राज्य योजना के अन्तर्गत हस्तान्तिरत कर दिया गया इस योजना हेतु वर्तमान मानको पर राज्य सरकारों को बी0पी0एल0 दरों पर अनाज पारी किया जाता है। कुल गरीबी रेखा के नीचे रहने वालो की संख्या 81327 है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 70156 तथा शहरी क्षेत्र में 11171 है।

7. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना–

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसम्बर 2001 को किया गया। जिसके अन्तर्गत दो योजनाओं का समावेश किया गया। जो निम्न है।

1. रोजगार आश्वासन योजना
2. जवाहर ग्राम सृमद्धि योजना

रोजगार आश्वासन योजना एंक संक्षिप्त परिचय–

रोजगार आश्वासन योजना महाराष्ट की रोजगार गांरटी योजना के मॉडल पर आधारित एक योजना थी। जो सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1993 को 23 राज्यों के 261 जिलो के 1778 ब्लॉको में शुरु की गयी थी। इस योजना को अप्रैल 1999 से पुनगठित करके देश की सभी 5448 ग्रामीण पंचायत समितियों में लागू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य ग्रामीण क्षेत्रो में गरीबी रेखा से नीचे के समस्त लोगो को, जो कृषि मन्दी के मौसम में मौग कम होने पर

गांवो में रह रहे होते है, 100 दिन का अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध कराना था। यह योजना 18 से 60 वर्ष के सभी ग्रामीण पुरुषो व स्त्रियो के लिये खुली हुई थी। परन्तु एक परिवार के अधिक से अधिक दो बालिको को रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। इस योजना को एकल मजदूरी रोजगार कार्यक्रम बनाने के लिये वर्ष 1999–2000 में इसकी पुर्नसंरचना की गयी और 75:25 के लागत वंटवारे के अनुपात पर इसे केन्द्रीय प्रयोजित येाज़ना के रूप में लागू किया गया।

प्रगति–

इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च 2001 तक लगभग पांच करोड़ लोगो का पंजीकृत किया जा चुका था। वर्ष 1996–97 में 403 मिलियन मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया जबकि 1997–98 में 472, 1998–99 में 417, 1999–2000 में 278.6, 2000–01 में 217.5 और 2001–02 (जनवरी 2002 तक) 93.1 मिलियन मानव दिवस रोजगार सृजित किया गया। इस योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 1997–98 में 190.5 करोड रु0, 1998–99 में 1990 करोड़ रु0 और 1999–2000 में 2400 करोड़ रु0 का आवंटन किया गया था। हां यह उल्लेखनीय है कि अन्य रोजगार योजनाओं की भांति यह रोजगार योजना भी अधिक प्रभावी सिद्व नही हो सकी।

उदाहरणार्थ– रोजगार जनन की प्रगति का मूल्याकंन करने से पता चलता है कि पूरे देश के लिये केवल 1.65 करोड़ व्यक्तियो के लिए औसतन प्रति व्यक्ति 4.5 दिन का रोजगार कायम किया जा सकता है जबकि प्रति व्यक्ति 90 से 100 दिन का रोजगार उत्पन्न किया जाना था।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना–

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 से शुरु की गयी है और यह पहले से चल रही जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठित, सुव्यवस्थिति और व्यापक स्वरुप है। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य था देश की प्रत्येक पंचायत तक पहुंचना। इस योजना के क्रियान्वन होने के फलस्वरुप भारत में गरीबी रेखा से नीचे के 440 लाख परिवारों के लाभान्वित होने की संभावना थी। योजना का प्राथमिक लक्ष्य ग्राम क्षेत्रो में रहने वाले बेरोजगार तथा अल्प रोजगार लोगो के लिये लाभकारी रोजगार पैदा करना था। इसके सहायक लक्ष्य थे– 1. ग्रामीण अधः संरचना को मजबूत बनाकर स्थायी रोजगार कायम करना, 2. सामुदायिक परिसम्पतों का निर्माण करना, 3. मजदूरी स्तर को ऊपर उठाना 4. ग्रामीण क्षेत्रो में जीवन की गुणवत्ता में हर दृष्टि से सुधार लाना तथा 5. अनुपूरक रोजगार उत्पन्न करना। ग्रामीण गरीबो को इस योजना का लक्ष्य बनाया गया था। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगो को वरीयता दी गयी। वार्षिक आवंटन की (1) 22.5 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लाभार्थी योजनाओं के लिये और 2. वार्षिक आवंटन का 3 प्रतिशत विकलांगो के लिए बाधामुक्त बुनियादी ढांचा तैयार के लिए निर्धारित किया गया है।

इस योजना का प्रशासन पूर्णतया ग्राम पंचायतो के अधीन रहा। जिला ग्रामीण विकास एंजेन्सियां और जिला परिषदें सीधे ग्राम पंचायतों को धन देती है। ग्राम सभा की मंजूरी से वार्षिक योजना पंचायतों को धन देती थी। ग्राम सभा की मंजूरी से वार्षिक योजना तैयार करने और उसे लागू करने का पूरा

अधिकार ग्राम पंचायतों के अधीन रहा। योजना के अन्तर्गत मजदूरी राज्य सरकारों द्वारा निश्चित की जाती थी।

इस योजना में केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय अशंदान का अनुपात 75:25 रखा गया है।

JRY तथा JGRY दोनो ही रुप में, यह योजना अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में काफी हद तक सफल रही है सॉतवी योजना (1985–90) के दौरान 2180 मिलियन लक्ष्य के विपरीत 3497 मिलियन रोजगार के ग्राम दिवसो का सृजन किया गया। आठवी योजना (1992–97) के दौरान 4041 के लक्ष्य के विपरीत 4070 मिलियन रोजगार के श्रम दिवसो का सृजन किया गया। नौवी योजना (1997–2002) के दौरान 1405 मिलियन श्रम दिवस रोजगार कायम किया गया (देखिए सारिणी 2.21 ध्यान रहे, JGSY के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारण की परिपाटी बन्द कर दी गयी है। केन्द्रीय में इस योजना के लिये 1998–99 के लिये 2060 करोड़ रु0 तथा 1999–2000 के लिये 1665 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया।

सारिणी 2.21

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन (1985–2002)

वर्ष / काल सृति रोजगार के मानव दिवस (मिलियन)	1985–90	1992–97	1997–98	1998–99	99–2000	00–01	01–02
	3497	4070	396	375	268	268	98

upto 31Jan 2002 Economic survery 01-02 358 page.241 India 2000

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का रोजगार परिप्रेक्ष्य–

ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा संचालित की जाने वाली 10 हजार करोड रु0 वार्षिक की केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना का उद्धेश्य ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार के अतिरिक्त एंव सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने के साथ–2 खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी है। योजना के संचालन में सालाना 7.500 करोड़ रु0 केन्द्र सरकार द्वारा खर्च करने तथा 2,500 करोड़ रुपये राज्य सरकारो द्वारा व्यय करने का प्रावधान है। योजना के अन्तर्गत विकाऊ ग्रामीण परि–सम्पत्तियों के निर्माण से सम्बन्धित परि सम्पत्तियों के निर्माण से सम्बन्धित परियोजनाओ के लिए त्रिस्तरीय पंचायतो के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किये जाते है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रु0 मूल्य का 50 लाख टन अनाज केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराया जाता है। योजना में 100 करोड़ मानव दिवस रोजगार के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियो को न्यूनतम 5 किलो अनाज और कम से कम 25% मजदूरी नकद दी जाती है। इस कार्यक्रम का खर्च (नकद भाग) केन्द्र तथा राज्यो में 75:25 अनुपात के आधार पर बांटा जाता है। जबकि खाद्यान्न घटक की सम्पूर्ण लागत केन्द्र सरकार बहन करती है। यह कार्यक्रम जिला और प्रखण्ड पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। जिला परिषद और पंचायत समिति के संसाधनों के हिस्से का 22.5% अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के लिये लागू कोई भी काम ठेकेदारों से कराने की अनुमति नही है। वर्ष 2001–05

उद्धेश्य–

इस योजना का उद्धेश्य समस्त ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार सृजन एवं खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ सामुदायिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिसम्पत्तियों तथा अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है।

लक्षित समूह– एस0जी0आर0वाई0 के अन्तर्गत उन सभी ग्रामीण परिवारो को (बी0पी0एल0 तथा ए0पी0एल0) आवछित किया जायेगा। जिन्हे मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है तथा अपने ग्राम तथा बस्ती में अथवा उसके आस–पास के क्षेत्रो में मजदूरी करने के इच्छुक हों अति निर्धन, अनुसूचित जाति बाल श्रमिको के माता–पिता एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगा।

योजना के क्रियान्वयन हेतु रणनीति–

वर्ष 2001–2002 में एस0आर0वाई0 तथा जे0जी0एस0वाई0 में समाहित कर लिया गया है तथा यह योजनाये 2001–2002 में एस0जी0आर0वाई0 के संग के रुप में चली तथा 2002–2003 में यह योजनाओं एस0जी0आर0वाई0 में पूर्णतःएकीकृत कर ली गई एवं 2002–2003 से यह योजना स्वतन्त्र रूप से चल रही है। साथ खाद्यान्न भी आवंटित किया जाता है जो मजदूरी के अंश के रुप में वितरित किया जाता है। योजना में छूट प्रदान कर दी गई है।

मजदूरी के रुप में रियायती दर से गेहूं का प्राविधान–

अकुशल मजदूरो को इस समय प्रतिदिन रु0 55 रु0 प्रतिदिन मे न्यूनतम 3 किलो गेहूं प्रतिदिन देने का प्राविधान है। गेहूं उपलब्ध न होने की दशा में मजदूर को नकद धनराशि भी दी जा सकती है। मजदूर को गेहूं 5 रु0 प्रति किलो की दर से दिया जायेगा।

से इस कार्यक्रम को एक समेकित योजना के रुप में लागू किया जा सकता है। यानी जिला पंचायत, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत द्वारा 20:30:50 के अनुपात में किया जाता है। यद्यपि इस योजना के तहत् रोजगार देने में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को वरीयता दी जाती है। लेकिन गरीबी रेखा से ऊपर के लोगो को भी रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। वर्ष 2004-05 के दौरान 4496 करोड़ रुपये व्यय करके तथा 50 लाख टन अनाज मुहैया कराकर 82.23 करोड़ रुपये मानव दिवस के रोजगार सृजित किये गये है वर्ष 2006-07 में बजट में SGRY योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपये की राशि आंवटित की गई है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो में अतिरिक्त रोजगार सृजन एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के उद्धेश्य से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है केन्द्र पुरोनिधारित इस योजना में केन्द्राश एव राज्याकंश का अनुपात 75:25 होगा। योजनार्न्तगत ग्रामीण निर्धनो (बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0) जो कि मजदूरी के रोजगार चाहते है और अकुशल कार्य करने के इच्छुक है उन्हे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेगे। यह योजना पंचायतीराज संस्थाओं के तीनो स्तरों पर क्रियान्वयन की जायेगी। योजनान्तर्गत स्थाई परिसम्पतियों के सृजन के साथ-साथ प्रति मानव दिवस 5 किलो चावल अथवा 3 किलो गेहूं तथा शेष धनराशि नगद मजदूरी के रुप में वितरित की जायेगी। जिसके अन्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तो में वर्णित कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर चयनित किया जायेगा।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना–

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन का 20 प्रतिशत अंश जिला पंचायत को एवं 30 प्रतिशत अंश समस्त क्षेत्र पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में वितरित किया जाता है। जिला पंचायत एवं क्षेत्र अपने को उपलब्ध होने वाले अंश का 125 प्रतिशत धनराशि की कार्य योजना बनाती है। एवं अनमोदित भी करती है।

योजनान्तर्गत धनराशि में 75:25 का अनुपात केन्द्राशं एवं राज्याशं का होता है।

प्रासंगित मद में व्यय की व्यवस्था–

प्रत्येक पंचायत को उपलब्ध धनराशि का अधिकतम 2 प्रतिशत प्रासंगित मद हेतु व्यय करने का अधिकार है। यदि कही यह धनराशि कम व्यय होती है। तो बची हुई धनराशि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य योजना के सापेक्ष कार्यो पर व्यय की जा सकती है।

समाज के कमजोर वर्ग के लिए विशेष सुविधा–

कार्य योजनान्तर्गत 22.5 प्रतिशत धनराशि अनु0जाति / जनजाति के लिए मात्राकृत रखना अनिवार्य है यदि यह धनराशि मात्राकृत नही रखी जाती तो कार्य योजना अनुमोदित नही मानी जा सकती है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (ग्राम पंचायत अंश)–

ग्राम स्तर पर स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीबो के लिए निरन्तर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना संचालित है। योजनान्तर्गत प्राप्त समस्त धनराशि ग्राम पंचायतो के खातो में सीधे डी0आर0डी0ए0 द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

कार्यान्वयन संस्थाएं–

जनपद स्तर पर जिला परिषद विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत योजना की कार्यान्वयन संस्था होगी। योजना का कार्यान्वयन पर्यवेक्षण समन्वय एवं रिपोर्टिंग दायित्व जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का होगा।

कार्यदायी संस्था–

इस योजना के अन्तर्गत जनपद का कोई भी लाइन डिपार्टमेन्ट, प्रदेश सरकार कारपोरेशन एवं पंचायत राज संस्थाओं की तानों स्तर की संस्थायें कार्पदायी संस्थाएं हो सकती है।

एस0जी0आर0वाई0 के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो के विवरण–

योजनान्तर्गत श्रम प्रधान कार्यो को लिया जायेगा जिससे अतिरिक्त रोजगार अवसर स्थायी परिसम्पत्तियों एवं अवस्थापना सुविधाओं का सृजन हो सके। विशेषक सूखा उन्मूलन जैसे मृदा एवं जल संरक्षण कार्य वाटरशेड विकास तथा पारम्परिक जल श्रोतो का विकास, वनीकरण तथा ग्राम स्तर की अवस्थापना, सुविधााओं जैसे आन्तरिक सम्पूरक मार्ग, प्राइमरी स्कूल भवन, डिस्पेन्सरी पशु चिकित्सालय, विपणन सम्बद्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा पंचायत घरो के निर्माण से सम्बन्धित कार्यो को लिया जा सकता है।

योजनान्तर्गत प्रतिबन्धित कार्य–

1. धार्मिक उद्धेश्य के लिये भवनो का निर्माण।
2. स्मारक/कीर्ति स्तम्भ/प्रतिभा/भूर्ति/तोरणद्वार/स्वागत द्वार आदि
3. बड़े भवन एवं बड़े पुल।
4. सरकारी कार्यालय भवन एवं कम्पाउण्ड वाल।
5. उच्चतर माध्यमिक स्कूल एवं कालेजो के भवन।

श्रम सामग्री अनुपात–

योजनान्तर्गत श्रम प्रधान कार्य को प्राथमिकता पर लेने का प्राविधान है। यह श्रमांश के रुप में 60 प्रतिशत धनराशि रखने के गत योजना के प्राविधान को उपलब्ध कराई जाती है।

ग्राम पंचायतों को संसाधनो के आवंटन का अधिकार–

2001–2002 में प्रत्येक ग्राम पंचायत को जो धनराशि प्राप्त हुई थी, कम से कम उतनी धनराशि प्रत्येक दशा में सम्बन्धित ग्राम पंचायतो को प्रत्येक वर्ष उपलब्ध करानी है। यदि किसी ग्राम पंचायत को उस वर्ष 25000 से कम धन राशि प्राप्त हुई थी तो उस ग्राम पंचायत को 25000 रु0 अवश्य उपलब्ध कराने है। उक्त धनराशि उपलब्ध कराने के बाद अवशेष समस्त प्रत्येक ग्राम पंचायत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध करानी है।

समाज के कमजोर वर्ग के लिये विशेष सुविधा–

योजना के वार्षिक परिव्यय का कम से कम 50 प्रतिशत अंश अनु0जाति/जनजाति के व्यक्ति लाभ की योजनाओं हेतु आरक्षित करना अनिवार्य है।

प्रासंगित मद में व्यय की व्यवस्था–

प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने वार्षिक परिव्यय का अधिकतम 7,5 प्रतिशत या 7500 रु0 जो कम है, प्रासंगित मद में व्यय कर सकती है।

कार्य योजना/कार्यो का अनुमोदन–

प्रत्येक ग्राम पंचायत वित्तीय वर्ष के आरम्भ से पूर्व वर्ष के आवंटित धनराशि 125 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि की वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी जिसकी अनुमोदन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जायेगा।

ग्राम पंचायतें एक लाख रुपये तक के कार्य का तकनीकी अनुमोदन करने के लिये स्वयं अधिकृत है परन्तु इससे अधिक लागत के कार्यो के लिए संक्षेप अधिकारियों से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में क्रियान्वयन की स्थिति का सिंहावलोकन (2 फरवरी 2008)

1. जनपद जालौन में जिलाधिकारी महोदय ने विशेष अभियान चलाकर योजनान्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को मजूदरी भुगतान प्राप्त करने हेतु समीपस्थ राष्ट्रीयकृत बैंको में खाते खुलवाकर मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से कराया जा रहा है जिससे श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान में किसी स्तर पर शोषण नही हो पा रहा है। और श्रमिको को पूर्ण पारिश्रमिक मिल रहा है। बैंको से प्रत्येक मजदूर को उसकी मजदूरी का शत–प्रतिशत भुगतान कराने हेतु जनपद जालौन उ0प्र0 में प्रथम जनपद गौरवान्वित हो रहा है।

2. जनपद में विकासखण्ड कदौरा के ग्राम चमारी में अभिनव प्रयोग जिलाधिकारी द्वारा किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत जॉबकार्ड धारक परिवार को 50 पन्ने वाली एक श्रमिक कूपन बुक उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें प्रति कूपन रु0 100 का है। श्रमिक द्वारा मानक के अनुरुप कार्य करने के उपरान्त एक कूपन ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम रोजगार सेवक को उपलब्ध कराया जाता है। और काउन्टर प्रतिवर्ष पर मुहर लगवायी जाती है। ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम रोजगार सेवक उन कूपनों को मस्टरोल के साथ मिलान कर भुगतान की कार्य वाही करते है। जिससे मजदूर के साथ किसी भी प्रकार से मजदूरी की गडबड़ी की सम्भावना नही हो पाती है और यदि अधिकारी द्वारा जांच की जाती है। तो यदि मस्टरोल और कूपन बुक में अन्तर आता है तो उक्त मामला तत्काल पकड़ लिया जाता है। उक्त अभिनव प्रयोग की उ0प्र0 शासन के प्रमुख सचिव एवं भारत सरकार से आये हुये प्रतिनिधि मण्डल द्वारा निरीक्षण के समय सराहना की गयी। इसके अतिरिक्त जनपद एवं प्रदेशीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय समाचार पत्रो द्वारा भी सराहनात्मक समाचार प्रकाशित किये गये, यहां तक कि विदेशीय समाचार एजेन्सियों द्वारा भी जनपद जालौन का भ्रमण कर उक्त अभिनव प्रयोग को देखा गया और सराहा गया जिससे उत्साहित होकर जनपद के समस्त विकासखण्डो के 2–2 ग्राम पंचायतों में यह प्रयोग प्रारम्भ किया जा सकता है।

3. परमार्थ स्वयं सेवी संस्था एवं नुक्कड़ नाटक कराकर ग्रामीण जनता को जागृत किया गया। पुनः सभी ग्रामों में नुक्कड़ नाटको के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जा रहा है।

4. राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर प्रचार प्रसार किया गया।

जनपद में धनराशि उपलब्धता एवं व्यय विवरण अद्योलिखित सारिणी में प्रदर्शित है।

सारिणी–2.22

क्र0	विवरण	वित्तीय वर्ष 2006–07	वित्तीय वर्ष 2007–08	वर्ष 2007–08 दिनांक 31–01–08 तक
1.	गत वर्ष का अवशेष	–	679.51	1978.428
2.	प्राप्त आवंटन			
	1. केन्द्रांश	535.00	3470.48	3112.68
	2. राज्यांश	–	110.47	450.00
	3. कुल योग	535.00	3580.48	3562.68
3.	अन्य प्राप्तियां	1.143	40.731	17.677
4.	कुल उपलब्धता	536.143	4301.191	5558.785
5.	व्यय की गयी धनराशि	3.891	2322.763	4575.450
6.	अवशेष धनराशि	532.252	1978.428	983.335

सारिणी–2.23

4–योजनान्तर्गत भौतिक लाभ धनराशि–लाख रु0 में

क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2006–07	वर्ष 2007–08 दिनांक 31–01–2008 तक
1.	परिवारों का पंजीकरण (श्रमिक)	121790	128418
2.	परिवारों की संख्या जिनके द्वारा रोजगार मांगा गया	96780	80101
3.	परिवारों की संख्या जिनको रोजगार दिया गया	86186	79842
4.	परिवारों की संख्या जिनको 100 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ	3825	14047
5.	श्रम दिवसों की संख्या	23.793 लाख	31.26 लाख

सारिणी–2.24

5– योजनान्तर्गत परिणाम

क्रमांक	क्रियाकलाप	वित्तीय वर्ष 2006–07 में कार्यो की संख्या		वर्ष 2007–08 दिनांक 3101.2008 तक कार्यो की सं0	
		पूर्ण कार्य	चल रहे कार्य	पूर्ण कार्य	चल रहे कार्य
1	जल संरक्षण एवं जल संचयी कार्य	115	46	295	814
2	सूखा रोधन कार्य (वृक्षारोपण)	469	9	153	39
3	लघु सिंचाई कार्य	208	35	47	93
4	अनुसूचितजाति / अनुसूचित जन जाति / इन्दिरा आवास एवं भूमि धारक लाभार्थियों की जमीन के लिये सिंचाई आदि व्यवस्था के कार्य	3	1	92	240
5	परम्परागत जल निकायो का पुनरुत्थान कार्य	523	182	584	217

6	भूमि विकास कार्य	3	1	106	252
7	बाढ़ नियंत्रण और बचाव कार्य	81	55	161	106
8	ग्रामीण सड़को के कार्य	348	432	507	598
9	ग्रामीण मंत्रालय स्वीकृत अन्य गतिविधियां	–	–	–	–
	योग	**1750**	**761**	**1945**	**2359**

6. सोशल आडिट–

जनपद में प्रत्येक शुक्रवार को मजदूरी भुगतान दिवसं एवं शनिवार को सोशल आडिट दिवस के रुप में निर्धारित किया गया है। निर्धारित दिवस को अवकाश है तो अगले दिन उक्त कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सोशल आडिट किया जा रहा है। जिन ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट में कमियां पाये जाने पर त्वरित कार्यवाही की जाती है।

जनपद में योजनान्तर्गत गत 2 वर्षो में मु0 7884.969 लाख रु0 की धनराशि उपलब्ध हुयी है जिसके सापेक्ष मु0 6902.104 लाख रु0 की धनराशि व्यय करते हुये 55.053 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। इस मानव दिवस सृजन से वर्ष 2006–07 में 86186 तथा वर्ष 2007–08 में दिनांक 31.01.2008 तक 79842 परिवारों को रोजगार दिया गया जिसमें से वर्ष 2006–07 में 3825 तथा वर्ष 2007–08 में दिनांक 31–01–2008 तक 14047 परिवार 100 दिन की मजदूरी का लाभ प्राप्त कर चुके है। इस योजनान्तर्गत अब तक 3695 कार्यो को पूर्ण कराया जा चुका है तथा 2359 कार्य प्रगति पर चल रहे है।

8. जन श्री बीमा योजनाः—

जन श्री बीमा योजना 10 अगस्त 2000 को शुरू की गयी इसमें सामाजिक सुरक्षा सामूहिक योजना और ग्रामीण सामूहिक जीवन बीमा योजना की जगह ली इस योजना के बहत बीमाधारी व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु पर उसके परिजनो का 20,000 रू0, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने या स्थायी विकंलागता की स्थिति में 50,000 रूपये तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 25,000 रू दिये जाते हैं इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रीमियम 200रू0 हैं इसका 50 प्रतिशत भाग सामाजिक सुरक्षा कोष से दिया जाएगा शेष राशि बीमा धारी स्वंय देगा या नोडल एजेंसी देगी ।

31 मार्च 2005 तक इस योजना के अन्तर्गत 35.40 लाख लोगो का बीमा किया जा चुका था।

अध्याय– तृतीय

अध्याय–3

अध्ययन की विधियाँ

1. अनुसंधान क्या है ?

अनुसन्धान एक ऐसा निरपेक्ष व्यापक तथा बौद्धिक अन्वेषण है जिसमें एक दी गयी समस्या से सम्बन्धित तथ्यों तथा उनमें अर्थो अथवा सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है।

अनुसन्धान से अधिकतर विवेचना की वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग के नियमबद्ध क्रमवार तथा गहन प्रक्रम का पता लगता है, इसमें अन्वेषण के लिये एक अधिक व्यवस्थित संरचना अन्तर्निहित रहती है, जिसके कारण उसमें अध्ययन की प्रक्रियाओं तथा परिणामों अथवा निष्कर्षो के प्रतिवेदन का एक प्रचार का नियम बद्ध अभिलेख रहता है।

एडवर्ड तथा कानबैकः– में अनुसंधानों को समस्याओं के स्वरूप के आधार पर निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया है–

1. सर्वेक्षण अनुसन्धान– 2. अनुप्रयुक्त अनुसन्धान 3. प्रविधि अनुसन्धान 4. सूक्ष्म अनुसन्धान।

वर्तमान शोध में सर्वेक्षण अनुसन्धान का प्रयोग किया गया है।

Sample– Sample सम्पूर्ण समूह इकाई से चुनी गई कुछ units का Group है। यह बहुत ही व्यापक परिभाषा है इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि न्यादर्श सम्पूर्ण इकाईयों के goups से Select की गई कुछ ऐसी इकाई का Group है जो समूचे इकाई समूह का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करता है।

वर्तमान शोध में Random Sampling का प्रयोग किया गया है।

Random Sampling– प्रत्येक Unit का अपना एक Serial number होता है। इस Sampling में ढाँचा तैयार करना ही सबसे कठिन कार्य है। इसमें Unit को इस प्रकार चुना जाता है कि प्रत्येक Unit के चुने जाने के सम्भावना समान होती है। एक Unit का चुना जाता है दूसरे Unit के चुने जाने को प्रभावित नही करता है। Selection का तरीका उस चर से सम्बन्धित नही रहता जिसके लिये Sample लिया जाता है।

प्रतिदर्श की चयन प्रक्रिया–

प्रस्तुत शोध अध्ययन गृह जनपद जालौन के गाँवों के सर्वेक्षण द्वारा किया गया जनपद में नौ विकाखण्ड है जिनका जिनका चुनाव करने के लिये नौ विकाखण्डों के नाम की पर्चिया बनाकर एक थैले में रखी फिर ये पर्चियॉ एक अबोध बालक द्वारा निकाली गयी है। जिसके आधार पर तीन विकास खण्ड डकोर, जालौन व कोंच का चयन किया। इन चुने हुये विकास खण्डों में डकोर में 157 गाँव जालौन में 115 व कोंच में 121 गॉव है इन गाँवों की पर्चियां बनाकर अलग–अलग विकास खण्ड के नाम के थैले में रखी।

पुन अबोध बालकद्वारा पर्चियां प्रत्येक थैले से निकाली गयी। इस प्रकार प्रत्येक विकासखण्ड से दो–दो गाँवो का चयन यद्रच्छित प्रतिदर्श पद्धति के आधार पर किया गया।

प्रश्नावली–

व्यवहार परक विज्ञानों में आंकड़ों के संकलन में प्रश्नावली एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह सूचनादाताओं के पास डाक से या अन्य किसी माध्यम से

प्रेषित की जाती है और उसके प्रश्नों के उत्तर स्वयं सूचनादाता के द्वारा दिये जाते है। सामान्यतः प्रश्नावली शब्द से एक ऐसे उपकरण का बोध होता है जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिये एक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है जिसे सूचनादाता स्वयं अपने आप भरता है।

आंकड़ों के संकलन के लिये प्रश्नावलियों के कई प्रकार के प्राठय प्रचलित है, इनमें संरचित प्रश्नावली (Structured Questinnaire) असंरचित प्रश्नावली (Unstructured Questionnaire)ए मिश्रित प्रश्नावली (Mixed Questionnaired) तथा चित्रमय प्रश्नावली (Pictorial Questinnaire) प्रमुख है। वर्तमान शोध में असंरचित प्रश्नावली प्रयोग में लाई गयी है, इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्रश्नों की रचना का स्वरू‍प युक्त उत्तर (Oper Ended) वाला होता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में सूचनादाता पर प्रतिबन्ध व प्रतिरोध नही रहते, बल्कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर वह स्वतंत्र रू‍प से तथा खुल कर देता है। स्पष्टतः इससे प्राप्त सूचना का स्वरू‍प विस्तृत, विवरणात्मक तथा गुणात्मक रहता है।

प्रश्नावली का निर्माण–

प्रनावली के निर्माण हेतु अनेक मानकों से गुजरना पड़ता है जैसे कि मानक स्तरीय प्रश्न समूह के एकत्रण के लिये सदैव से सामान्य अध्ययन के आधार पर प्रति–वादी से उचित सूचनाओं के एकगण हेतु उनके विचारों को भली भांति समझा गया है। तत्पश्चात् उनसे साक्षात्कार के आधार पर एक सूची तैयार की गई है जिसमें सूचनाओं का संग्रहण होता है। प्रश्नावली के परीक्षण के पश्चात ही एक मार्गदर्शन अध्ययन मैंने सम्पन्न किया। विस्तृत जानकारी हेतु कुछ विशेष निश्चित किये गये है।

अतः प्रश्नावली के स्वरुप को अद्योलिखित रुप में वर्णित किया जा सकता है–

परिवार के सदस्यों की सारणी–

1. आयु लिंग जाति एवं शिक्षा इत्यादि सहित
2. रोजगार युक्त एवं बेरोजगार सदस्यों का विस्तार से अध्ययन
3. कुल आय एवं कुल व्यय
4. प्रतिवादी की कुल बचत एवं ऋण पद्धति का विस्तार से अध्ययन
5. मुख्य व्यवसाय एवं व्यवसायिक वर्गीकरण परिवार के सदस्यों का व्यवसाय गत वर्गीकरण

   (सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम पर विचार आदि को सम्मिलित करना)
6. उत्पादन से सम्बन्धित सूचनाओं का मार्गदर्शन व विचार करना
7. उचित आवासीय सुविधा की विस्तृत जानकारी का अध्ययन एवं संग्रहण।
8. उपभोग पद्धति का विस्तार से अध्ययन परिवार का ढ़ाचा एवं परिवार कल्याण पर विचार करना।
9. बचत के स्वरुप का अध्ययन
10. उत्पादकता पर विचार

3. प्रश्नावली का प्रबन्ध एवं आंकड़ो का संग्रहण–

आंकड़ो के संग्रहण हेतु एक निश्चित क्रम में प्रश्नों के समूह की टंकण की हुई अनेक प्रतियां तैयार की। उक्त प्रश्नावली को सर्वेक्षित गांवो में जाकर जो परिवार के मुखिया अथवा परिवाराध्यक्ष शिक्षित थे उन्हे उक्त प्रतियां वितरित की ताकि वे उन अंकित प्रश्नों को पढ़े एवं भरकर पूर्ति करें। उन व्यक्तियों ने

लगभग तीन चार दिनों के अन्तर्गत प्रश्नावली सूचियों को भरकर वापस किया। किन्तु जो व्यक्ति अशिक्षित थे उनसे मैने साक्षात्कार के माध्यम से आंकड़ो का संग्रहण व संकलन किया। प्रत्येक परिवार की विस्तृत जानकारी के लिये परिवारिक रचना को ध्यान में रखा गया। कृषि जोतो का उपार्जन व व्यय, रोजगार, बेरोजगार सदस्यों का अध्ययन, जीवन स्तर, साक्षरता के आंकड़ो का सत्यापन भी किया, गुणन चिन्ह, क्रास प्रश्नों के द्वारा सम्पूर्ण जानकारी एकत्र की।

यात्रा के दौरान गांवों में रात्रि विश्राम भी किया कुछ दिनों तक रुकी। मैने आंकड़ो की सही एवं उचित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामवासियों के विश्वास को जीता एवं लम्बे समय तक उनके ही मध्य रही। किन्तु कुछ महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त करना उनसे बहुत कठिन था यथाः आय एवं भौतिक सम्पति की सूचना एकत्र करना इसलिये बहुत समय मैने उक्त आंकड़ो की सही जानकारी ज्ञात करने में बिताया। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के सत्यापन हेतु जो कि मुझे परिवाराध्यक्ष से प्राप्त हुई थी सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारियों से एकत्रित की, हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड लखनऊ उ0प्र0 व अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लखनऊ आदि से अनेक सूचनायें एकत्रित की।

आंकड़ो का वर्गीकरण एवं सारिणीयन–

मेरा सम्पूर्ण सर्वेक्षित नमूना तीन जाति वर्गो में विभक्त है प्रथम सवर्ण, द्वितीय पिछड़ी जाति तृतीय अनुसूचित जाति, प्रत्येक जाति वर्ग को मैने तीन आय उपवर्गो में वर्गीकृत किया है यथा 1. एच0आई0जी0 उच्च आय वर्ग 2.

एम0आई0जी0 मध्यम आय वर्ग 3. एल0आई0जी0 न्यून आय वर्ग–श्रेष्ठ एवं विश्वसनीय तुलना हेतु उक्त आय विभाजन किया गया है। आंकड़ो से सम्बन्धित तकनीक के लिये आर्थिक वर्गो के विभाजन हेतु मैने समान्तर माध्य ± व मानक विचलन आदि औसत वर्गो के गठन के माध्यों को भी अपनाया है।

सामान्तर माध्य (मीन) और मानक विचलन (एस0डी0) की गणना हेतु तीनों जातियां के सम्पूर्ण नमूने की प्रतिव्यक्ति आय ज्ञात करने हेतु सामान्तर माध्य व मानक विचलन का आकलन किया। सरकारी रिपोर्टो के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियो को चार उपसमूहों में वितरित किया। यह उपसमूह निम्नलिखित है–

1.	अकिंचन सर्वाधिक गरीब	1–2265 रु0	पारिवारिक	वार्षिक
2.	अत्याधिक गरीब	2266–3500	"	"
3.	बहुत गरीब	3501–4800	"	"
4.	गरीबों में सबसे अमीर	4801–6400	"	"

तीनों जातियों के सम्पूर्ण नमूने के लिये प्रति व्यक्ति आय की गणना समान्तर माध्य व मानक विचलन के आधार पर करेगे, समानान्तर माध्य 1876.686 रु0 एवं मानक विचलन 1040 रु0 था। मध्यम आय वर्ग के लोग 18766.86 + 1040 अथवा 837–2916 प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की सीमा के अन्तर्गत ही है।

इसलिये ये समानान्तर माध्य व मानक विचलन की सीमाएं निम्न लिखित आय वर्गो से प्रकट होती है–

एच0आई0जी0 = 2916/– और उससे अधिक प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष

एम0आई0जी0 =837/– से 2916/– के मध्य प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष

एल0आई0जी0 = 836/– अथवा कम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष।

निष्कर्षकत: मेरा सम्पूर्ण नमूना नौ वर्गो में वर्गीकृत है एवं मेरा यह विभाजन विभिन्न तथ्यों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना प्राप्त करने में समर्थ है। विभिन्न आय वर्गो का जातीय आधार पर विभाजन विश्लेषण हेतु सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग एवं आंकड़ो की व्याख्या–

(अ) समानान्तर माध्य व मानक विचलन–

सांख्यिकीय गणना के लिये निम्न समीकरण का प्रयोग किया गया–

औसत माध्य $\alpha = \frac{\sum x}{N}$

मानक विचलन $SD = \sqrt{\frac{\sum (X - M)^2}{N - 1}}$

सूत्र का स्पष्टीकरण=

X= विभिन्नता चल मूल्य

M= α का औसत माध्य

N= नमूने का आकार

ब. विभिन्नता का विश्लेषण–

विभिन्न आय वर्गो के मध्य विभिन्नताओं के अध्ययन के क्रम में, और विभिन्न जाति वर्गो के लिये आय को प्रतिशत के मध्य, विभिन्न मदों पर उपभोग व व्यय का प्रतिशत व कुल आय का विभिन्न स्रोतो के रुप में आंकडो के अन्तरों

का विश्लेषण पूर्णतः दैवयोग पद्धति के नमूने के आधार पर परीक्षित किया गया है। उक्त कार्य को मैने परीक्षण में आरोपित किया।

जहां $F = \frac{Group\ mean\ square}{Error\ mean\ square}$

दो वर्गो का टी टैस्ट के द्वारा औसत का परीक्षण अथवा समालोचनात्मक अन्तर क्रिटिकल डिफ्रेन्स (सी०डी०) के द्वारा परीक्षण विभिन्नताओं के मध्य महत्वपूर्ण है।

(1) समालोचनात्मक अन्तर–

प्रत्येक अन्तर को ज्ञात करने के लिये सम्बन्धित आय वर्गो का महत्व ज्ञात किया जाता है समालोचनात्मक अन्तर कम या अधिक भी हो सकता है। और समान भी हो सकता है। इसे हम अद्योलिखित सूत्र की सहायता से स्पष्ट कर सकते है। यथा–

समालोचनात्मक अन्तर

$$C.D = \sqrt{EMS\left[\frac{1}{N_1} + \frac{1}{N_2}\right] \times t\ \alpha\ \ (n)}$$

(t) मूल्य पर= 5 प्रतिशत सम्भावना स्तर और स्वतन्त्रता का गलत मान

समीकरण का स्पष्टीकरण–

EMS= औसत वर्ग की अशुद्धि

N_1 और N_2 =दो वर्गो का आकार

α = महत्व का स्तर

η = स्वतंत्रता का गलत मान

रुपान्तरण प्रयोग–

विभिन्नताओं के विश्लेषण की आवश्यकता अपेक्षाओं को मिलने के लिये प्रयुक्त उपभोग व व्यय के प्रतिशत एवं आय के प्रतिशत हेतु अद्योलिखित " लॉग परिवर्तन" को प्रदर्शित किया गया है–

$$y = \log \frac{X}{100 - X}$$

समीकरण का स्पष्टीकरण–

x = प्रतिशत परिवर्तन

y = रुपान्तरित / परिवर्तित / मूल्य

अन्त में वर्गो के लॉग से तात्पर्य प्रतिशत की कमी में पुनः परिवर्तन है।

(स) सह–सम्बन्ध–

क्रम बद्ध अध्ययन में सह सम्बन्ध की तीब्रता दो चरो x एवं y के मध्य स्थापित होती है। उदाहरणार्थ प्रति व्यक्ति आय और कार्य करने वाले सदस्यों की संख्या अथवा प्रति व्यक्ति आय और निर्भर सदस्यों की संख्या इत्यादि।

सह सम्बन्ध गुणांक कार्लीपर्यसन की रीति द्वारा x एवं y के मध्य आंकलित किया जाता है जिसके ज्ञात करने हेतु अद्योलिखित सूत्र की सहायता ली जाती है–

$$r = \frac{\sum [X - M_x][X - M_y]}{\sqrt{\sum [X - M_x]^2 \sum [X - M_y]^2}}$$

सूत्र का स्पष्टीकरण–

$r =$ सह–सम्बन्ध का चिन्ह

$xy =$ परिवर्तन शील चर

$M_x M_{y=}$ अलग–अलग समानान्तर माध्य

अगणित सह–सम्बन्ध गुणांक के महत्व को टी टेस्ट के द्वारा परीक्षित किया–

$$"T" = r \frac{\sqrt{n-2}}{\frac{\sqrt{1-r^2}}{-2}}$$

$d.f = n - 2$

यहां पर "n" नमूने के आकार को प्रदर्शित करता है।

1. काई स्क्वैर टेस्ट–

काई एक्वैट के द्वारा व्यक्तिगत प्रक्रिया के अनुपातों का सजातियता के आधार पर परीक्षण किया एक विशिष्ठ जाति के विभिन्न आर्थिक समूहों में एक विशिष्ठ गुण को आरोपित करना उक्त परीक्षण में सम्मिलित होता है। यथा–उदाहरणार्थ–व्यक्तियों के अनुपातों की सजातीयता व्यापार में और विभिन्न आय वर्गो में।

$|x^2|$ काई एक्वैर टेस्ट का परीक्षण करने के लिये अद्योलिखित समीकरण का प्रयोग किया गया।

$$x^2 = \frac{1}{\sigma \times \sigma} a_1 p_1 + a_2 p_2 + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots a_n p_n - A_p$$

समीकरण का स्पष्टीकरण–

$a_1 =$ अन्य गुणों की प्रथम श्रेणी में से एक गुण के व्यक्तिगत प्रभावों की संख्या।

P_1 = प्रथम पहले वर्ग में Q_1 का अनुपात

A = प्रथम गुणों में व्यक्गित अधिपत्य कर रही कुल संख्या।

$\bar{P}$ = व्यक्तियों की कुल संख्या में A का अनुपात।

$Q = 1 - \bar{P}$

$d.f = n - 1$

11. काई स्क्वैर टेस्ट दो गुणो की आत्मनिर्भरता के लिये व्यवहारिक ही था 2×2 प्रासंगिक तालिका में द्वार पर सह–सम्बन्ध को समान्त न करने के क्रम में ही जहां प्रत्याशित बारम्बारता 5 से कम थी, वहां काई स्क्वैर टेस्ट 2 का मूल्य हम अद्योलिखित समीकरण की सहायता से ज्ञात करेगे एवं आशंसित बारम्बारताओं का गणन करेगे।

$$X^2 = \frac{\{0 - E\}^2}{E}$$

$$d.f = 1$$

समीकरण का स्पष्टीकरण–

$o \& E$ = एक वर्ग की आंशसित आकृतियों का निरीक्षण।

उपभोग व्यय की आय लोच–

उपभोग व्यय की आय लोच का उपभोग की विभिन्न मदों पर विधिवत गणना की एवं उपभोग फलन को "कौब डगलस" रीति के द्वारा अद्योलिखित सूत्र की सहायता से निकाला.................

$C = aI^b$

सूत्र का स्पष्टीकरण–

C = प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय

I = प्रति व्यक्ति आय

a & b = सांख्यिकीय स्थिरांक

नोट– इस सूत्र में स्थिरांक b उपभोग व्यय की आय लोच होती है।

अध्याय– चतुर्थ

अध्याय–4

रोजगार सृजन कार्यक्रमों का प्रभाव

आयसृजन क्षमता

सारिणी–4.1

(क) विभिन्न जाति वर्गो की प्रति व्यक्ति आय–

वर्ग	स्वर्ण	पिछड़ी	अनुसूचित
आय वर्ग	3,41,650	237170	139690
आय वर्ग	21,340	26212	26281
आय वर्ग	16,261	16349	17259

जैसा कि उपर्युक्त सारिणी से दर्शित होता कि उच्च आय वर्ग के सवर्णो की प्रति व्यक्ति आय 341650 रु0 वार्षिक है पिछड़ी जाति की 23717 रु0 वार्षिक अनुसूचित जाति की 139690 रु0 प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है। मध्यम आय वर्ग में यह क्रमशः सवर्ग, पिछड़ी अनुसूचित जातियों में 21,340, 26,212, 26,281 रु0, है जो कि यह तथ्य सहज रुप से स्पष्ट करती है कि समाज में मध्यम आय वर्ग वाले अनुसूचित जाति के लोग अच्छा जीवन यापन कर लेते है। पिछड़ी व सवर्ण की तुलना में सर्वाधिक दयनीय स्थिति मध्यम वर्ग के सवर्णो की होती है। क्योकि यह तथ्य वास्तव में समझने योग्य है कि सामान्यतः सामाजिक चक्र में चूंकि सवर्णो को उच्च स्थान प्राप्त है अस्तु अपनी सामाजिक ख्याति को बनाए रखने हेतु यह सवर्ण वर्ग ऐसे रोजगार में प्रवृत्त नही होता जिससे कि ख्याति में गिरावट आए साथ ही निर्भर सदस्यों का अनुपात इसी वर्ग में सर्वाधिक होता है

जब सदस्यों की निर्भरता अधिक होगी तो स्वाभाविक रुप से प्रति व्यक्ति आय कम हो जायेगी। निम्न आय वर्ग के आंकड़ो को देखने से भी यही तथ्य स्पष्ट होता है। जहां पर सवर्ग की प्रति व्यक्ति आय 16261 रु0 वार्षिक है वही पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग के लोगो की आय 16549 रु0 एवं 17259 रु0 है

निष्कर्षण: उपयुर्क्त सारिणी का सार सही है कि सवर्णो में आशयता अनुपात (अधिक) प्रति व्यक्ति आय (कम) जबकि विपरीत स्थिति अनुसूचित जाति + पिछड़ी जाति में निर्भरता अनपुपात (कम) (मध्यम एवं निम्न वर्ग में) प्रतिव्यक्ति आय+ आगे की

सारिणी न0–4.2
विभिन्न जातियों की कुल आय के साथ विभिन्न आयों का अध्ययन
आय 000 रु0 में

विशेष	विभिन्न जातीय वर्ग		अनुसूचित
	स्वर्ण	पिछड़ी	
औसत माध्य	8.82	9.4	8.02
परिवारों की संख्या	93	48	49
कुल का प्रतिशत	77.5	80.7	81.6

वर्गो के मध्य में विभिन्नता =25.57

वर्गो के अन्तर में विभिन्नता =15.23

(एफ) f 2.187 = 1.77 (एन0एस0)

सारिणी न0–4.3
निम्न वर्ग की आय में परिवारों की जातिगत आधार पर कुल आय का औसत आय 000 रू0 में

विशेष	विभिन्न जातीय वर्ग		अनुसूचित
	स्वर्ण	पिछड़ी	
औसत माध्य	3.46	3.71	3.74
परिवारों की संख्या	7	3	6
कुल का प्रतिशत	6.00	5.00	10.00

वर्गो के मध्य में विभिन्नता =0.14

वर्गो के अन्तर में विभिन्नता =0.64

(एफ) f 2]13 = 0.21 (एन0एस0)

उपयुर्क्त सारिणी 4.3 से परिवारों की कुल आय

आंकड़ो के अन्तर से स्पष्ट होता है कि यह परिवर्तन प्रत्येक आय वर्ग और 'एक' के असार गर्भित मूल्य के लिये विभिन्न जाति वर्गो के वाहय कार्यो से सम्बन्ध रखता है। सम्पूर्ण तीनो परिस्थितियों में यह प्रकट होता है कि यहां विभिन्न जाति वर्गो के परिवारों की कुल औसत आय के मध्य सारगर्भित अन्तर नही है। यहां यह स्पष्ट होता है कि यहां प्रत्येक आय वर्ग के प्रत्येक जाति वर्गो की प्रति परिवार कुल औसत आय सौख्यिकीय दृष्टि से समान है। इसलिये उपयुर्क्त विश्लेषण से यह तथ्य सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि निर्धनता एक आर्थिक घटना है चाहे वह जाति विशेष में हो अथवा अन्य घटकों में। परिवारों की आयों पर कोई अन्य विवके रहित क्षतिपूर्ति नही की जा सकती है।

इसलिये हमारी "प्रथम" परिकल्पना चयनित परिवारों के नमूने की विभिन्नताओं की सीमा के अन्तर में स्वीकार्य है।

उक्त विभिन्न जाति वर्गो के उपार्जित धन के आकार को विभिन्न आकृतियों के अन्तर्गत रखकर अध्ययन करना उचित होगा। जैसे कि गांव में तीन प्रकार के आय के साधन उपलब्ध होते है। यथा कृषि मजदूरी के अन्तर्गत पूर्ण कालिक एवं अशं कालिक व दैनिक मजदूरियों को सम्मिलित किया गया है। वही व्यापार जिसमें ग्रामीण क्षेत्रो की आय का मुख्य स्रोत कृषि है लेकिन यह स्रोत जीविका निर्वाह हेतु पर्याप्त आय नही दे पाता इसलिये वे अनुपूरक आय आर्जित करने के लिये कोई न कोई कार्य अपनाते है उदाहरणार्थ—दैनिक मजदूरी अंशकालिक एवं पूर्णकालिक मजदूरी इत्यादि। कुछ परिवार तो प्रत्येक जाति के सवर्ण, पिछड़ी, अनुसूचित। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों पर ही निर्भर करते है। ऐसे परिवारों में वही सदस्य सम्मिलित है जो कि भूमिहीन सीमान्त कृषक है।

(ग) व्यक्तिगत आय में प्रगति का अध्ययन:—

अद्योलिखित सारिणी के द्वारा विभिन्न आय वर्गो में सम्पूर्ण तीनों जाति वर्गो की तीनों स्रोतो से कुल आय में से वर्तमान तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत है—

सारणी न0—4.4

परिवारों की जातिगत आधार पर कृषि मजदूरी व व्यापार से प्राप्त आय का प्रतिशत (उच्च आय वर्ग में)—

आय के स्रोत	विभिन्न जातीय वर्ग		अनुसूचित
	सवर्ण	पिछड़ी	
कृषि	56.5363	66.9170	48.4322
मजदूरी	73.6654	72.9478	90.2679
व्यापार	93.7806	90.9803	90.9803

एक वैल्यू आफ एग्रीकल्चर=0.11 एन एस

एक वैल्यू आफ वेजेज=0.31 एन एस

एक वैल्यू आफ बिजनेस=0.36 एन एस

सारणी न0—4.5

परिवारों की जातिगत आधार पर कृषि मजदूरी व व्यापार से प्राप्त आय का प्रतिशत (मध्यम आय वर्ग में)—

आय के स्रोत	विभिन्न जाति वर्ग		टनुसूचित
	सवर्ण	पिछड़ी	
कृषि	85.8605	70.8141	59.9880
मजदूरी	86.1387	91.4383	80.0945
व्यापार	78.1463	85.5452	39.3082

कृषि का एक मूल्य = 3.02 एन एस

मजदूरी का एक मूल्य = 0.89 एन एस

व्यापार का एक मूल्य =2.44 एन एस

सारणी न0—4.6

कृषि मजदूरी एवं व्यापार से प्राप्त आय का प्रतिशत जातिगत आधार पर (निम्न आय वर्ग में)

आय के स्रोत	निम्न आय वर्ग में		विभिन्न जाति वर्ग
	सवर्ण	पिछड़ी	अनुसूचित
कृषि	83.0927	22.70051	44.1987
मजदूरी	68.1437	45.5354	89.5829
व्यापार	29.1526	95.1999	—

कृषि का एक मूल्य =1.06 एन0एस0

मजदूरी का एक मूल्य =0.97 एन0एस0

व्यापार का एक मूल्य =8.41 एन0एस0

उपयुर्क्त सारिणीयों से विभिन्न जातियों से सम्बन्धित परिवारों की कृषि, मजदूरी एवं व्यापार के आय के आंकड़ो के प्रतिशत के विश्लेषण से प्रकट होता है कि विभिन्न आय वर्ग और एक मूल्य के अगणन से विभिन्न ए0एन0ओ0 बी0ए0 निकले जो कि अधोलिखित है। सम्बन्धित आंकड़ो की उपस्थिति में यह निरीक्षण किया गया है कि सभी ए0एन0 ओ वी0ए0 के मूल्य में प्रतिष्ठा के 5 प्रतिशत स्तर पर असार गर्भित है जो सूचत करता है कि उक्त तीनों ही जातियां सांख्यिकीय दृष्टि से समान है जैसे कि प्रत्येक विशेष स्रोत से आय की औसत प्रतिशत स्थिति का ज्ञान होता है। यह तथ्य अति सत्य है । कि सम्पूर्ण तीनों वर्गो की आयों में उक्त सत्य क्रियान्वित होता है इसलिये हमारे 2,3,4 अनुमान नमूने के अन्तर की सीमाओं के अन्तर को स्वीकार करते है।

2. उत्पादकता–

जनपद–जालौन में मुख्यतः लोग तीन प्रकार के व्यवसायों में संलग्न है।

1. कृषि
2. उद्योग व्यवसाय
3. मजदूर वेतन भोगी

जनपद की कुल श्रम–शक्ति का लगभग दो तिहाई (64%) भाग कृषि एवं इससें सम्बन्धित उद्योग धन्धो से अपनी आजीविका कमाता है। जनपद–जालौन के अन्तर्गत मुख्यतः धान्य के अन्तर्गत चावल, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजर, एवं मक्के का उत्पादन किया जाता है। दालों के अन्तर्गत उर्द, मूंग, मसूर, चना, मटर,

अरहर, एवं मोठ उत्पादित की जाती है। जबकि तिलहन के अन्तर्गत लाही। सरसों, अल्सी, तिल, रेडी, मूंगफली सूरजमुखी एवं सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है।

(क). प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का अध्ययनः– अधोलिखित सारिणी 4.7 जनपद में कृषि उत्पादन सम्बन्धित आंकड़े प्रस्तुत करती है–

सारणी –4.7

क्र0स0	फसल का नाम	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5
1.	चावल			
(अ)	खरीफ	7.06	5.59	8.94
(ब)	जायद	0	0	0
	कुल चावल	7.06	5.59	8.94
2.	गेहूँ	32.95	30.54	29.83
3.	जौ	25.77	22.53	20.19
4.	ज्वार	14.54	8.01	11.23
5.	बाजरा	8.99	9.93	4.6
6.	मक्का			
(अ)	खरीफ	6.87	3.32	14.57
(ब)	जायद	0.4	0	0
	कुल मक्का	7.27	5	14.57
7.	मडुवा	0	0	14.61
8.	सावां			
(अ)	खरीफ	0	0	0
(ब)	जायद	0	0	0

	कुल सांवां			
9.	कोदो	0	0	0
10.	काकुन	0	0	0
11.	कुटकी	0	0	0
12.	उर्द			
(अ)	खरीफ	3.83	3.3	0.74
(ब)	जायद	0	0	0
	कुल उर्द	3.83	0	0.74
13.	मूंग			
(अ)	खरीफ	2.85	4.84	1.87
(ब)	जायद	5.04	5.79	6.05
	कुल मूंग	2.86	0	1.88
14.	मसूर	11.89	10.78	11.61
15.	चना	12.55	10.67	11.97
16.	मटर	18.1	18.9	20.15
17.	अरहर	18.63	14.57	15.53
18.	मोठ	3.85	0	0
	कुल दालें	12.43	12.71	11.14
	कुल खाद्यान्न	19.8	18.77	17.06
19.	लाही / सरसो	8.28	5.75	8.41
20.	टलसी	4.55	5.8	5.06
21.	तिल (शुद्ध)	2.59	1.39	0.54
22.	रेड्डी	0	0	0
23.	मूंगफली	9.71	4.05	7.9
24.	सूरजमुखी	19.3	14.39	16.7

25.	सोयाबीन	7.25	1.62	10.73
	कुल तिलहन	5.54	4.41	4.32
	अन्य फसलें			
26.	गन्ना	466.16	451.52	495.76
27.	आलू	246.62	231.99	209.16
28.	तम्बाकू	0	0	0
29.	जूट	0	0	0
30.	कपास	1.72	0	0
31.	सनई	4.2	3.15	3.01
32.	हल्दी	0	0	0

03–04 में जनपद जालौन में फसलो की औसत ऊपज (कुन्तल प्रति हेक्टर) निम्न प्रकार प्रदर्शित है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल की औसत उपज (कुन्तल प्रति हेक्टर) 8.94 इसी प्रकार गेहूं की 29.83, जौ की 20.19, कु0प्रति हेक्टर, ज्वार की 11.23, बाजरा की 4.6 मक्का की 14.57 कु0प्रति0 हे0 मडुवा की 14.61 कु0प्रति हेक्टर औसत उपज थी। दालों के अन्तर्गत उर्द की औसत उपज 0.74 कु0प्र0 हेक्टर (2003–04) में थी। जबकि मूंग की 1.88 कु0 प्र0 हेक्टर, मसूर की 11.61 कु0प्र0 हेक्टर, चना की 1.97 कु0प्र0 हेक्टर, मटर की 20.15 कु0प्र0 हेक्टर, अरहर की 15.53 कु0प्र0 हेक्टर औसत उपज थी। तिलहन के अन्तर्गत सरसों का औसत उत्पादन तिल 054 (कुन्तल प्रति हेक्टर था।) अलसी 5.06 (कुन्तल प्रति हेक्टर) जबकि तिल 0.54 (कुन्तल प्रति हेक्टर था)। रेडी का औसत उत्पादन नगण्य रहा, मूगफली की औसत उपज 7.9 कु0प्रति हेक्टर था,सूरजमुखी का औसत उत्पादन 16.7 कु0प्रति हेक्टेयर था, इसी प्रकार

सोयाबीन का 10.73 कु0प्र0 हेक्टर औसत उत्पादन जनपद जालौन में रहा। अन्य फसलो के अन्तर्गत गन्ने की औसत उपज 495.76 (कु0प्र0हेक्टर), आलू की औसत उपज 209.16, तम्बाकू की शून्य सनई की 3.01 (कु0प्र0 हेक्टर) औसत उपज रही।

जनपद जालौन के अन्तर्गत फसलों की औसत उपज (कु0प्रति हेक्टर) 2003–04 का 2002–03 व 2001–2002 से तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो देखा गया कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल की औसत उपज सन् 2002–03 5.59 तथा 2000–02 में 7.06 (कुन्तल प्रति हेक्टर)थी। इसी प्रकार 2002–03 में 30.54 (कुन्तल प्रति हेक्टर) जबकि 2001–02 में 32.95 कु0 प्रति हेक्टेयर औसत उपज थी। जौ का औसत उत्पादन 2002–03 में 22.53ए 2001–02 में 25.77 कुलप्रति हेक्टेयर था ज्वार की औसत 2002–03 में 8.01 एवं 2001–02 में 14.54 (कुन्तल प्रति हेक्टर) थी। बाजरा का उत्पादन 2002–03 में 9.93 जबकि 2001–02 8.99 कुन्तल प्रति हेक्टर रहा। मक्के का औसत उत्पादन 2002–03 में 5 कुन्तल प्रति हेक्टर रहा (जो कि अभी तक का न्यूनतम स्तर है) जबकि 2001–02 में 7.27 कुन्तल प्रति हेक्टर औसत उत्पादन था।

जनपद जालौन में पहली बार सावां का उत्पादन 2003–04 में किया गया था। दालों के आंकड़ो पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि उर्द 2002–03 में 3. 3 कुन्तल प्रति हेक्टर औसत उपज थी जबकि उत्पादन 2001–02 में 3.83 कु0प्र0हे0 रहा। मूंग की औसत उपज 4.84 कु0प्र0 हेक्टर 2002–03 में रही जबकि 2001–02 में मूंग का उत्पादन काफी कमजोर स्थिति में रहा था। 2.85 (कु.प्र. हेक्टर) औसत उत्पादन था। मसूर का उत्पादन 2002–03 में 10.78 रहा।

जो 2001–02 में 11.89 कु0प्र0हेक्टर था जो वर्तमान उत्पादन से भी अधिक था। इसी प्रकार जनपद में चने का औसत उत्पादन 2002–03 में 10.67 कुन्तल प्रति हे0 था एवं 2001–02 में 12.55 कुन्तल प्रति हेक्टर था देखा गया है कि जनपद में चने का उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है। मटर का उत्पादन 18.9 कुन्तल प्रति हेक्टर 2002–03 में था जबकि 2001–02 में भी लगभग समान (18.1) कुन्तल प्रति हेक्टर था। अरहर की औसत उपज जो 2001–02 में 18.63 कुन्तल प्रति हेक्टर थी वह 2002–03 में घटकर 14.57 कुन्तल प्रति हेक्टर हो गई थी। जनपद में मोठ की औसत उपज 2001–02 में 3.85 कु0प्र0हे0 थी जो 2002–03 में शून्य के स्तर पर आ गया। तिलहन क्षेत्र के अन्तर्गत सरसों का औसत उत्पादन 2002–03 में 5.75 कुन्तल प्रति हेक्टर था जबकि 2002–02 में 8.28 कुन्तल प्रति हेक्टर था। वही अलसी की औसत उपज 2002–03 में 5.8 कुन्तल प्रति हेक्टेयर जबकि 2001–02 में 4.55 कुन्तल प्रति हेक्टर थी। जनपद में तिल का शुद्ध औसत उत्पादन 2002–03 में 1.39 कुन्तल जबकि 2001–02 में 2.59 कुन्तल प्रति हेक्टर था। सबसे ज्यादा अन्तर मूंगफली के उत्पादन में देखने को मिला। 2001–02 में गिरकर 4.05 कुन्तल प्रति हेक्टर हो गया था। इसी प्रकार सूरजमुखी का उत्पादन जो कि 2001–02 में 19.39 कुन्तल प्रति हेक्टर था वह 2002–03 में गिरकर 14.39 कुन्तल प्रति हेक्टर हो गया था। सोयाबीन के उत्पादन में भी गिरावट दर्ज की गयी थी। सोयाबीन की औसत उपज जो 2001–02 में 7.25 कुन्तल प्रति हेक्टर थी वह 2002–03 में गिरकर 1.62 कुन्तल

प्रति हेक्टर रह गया था। इसी प्रकार गन्ने, आलू, तम्बाकू, जूट, कपास, सनई, एवं हल्दी के औसत उत्पादन में भी गिरावट दर्ज की गयी थी।

सारणी –4.8
जनपद में कृषि फसलों के उत्पादन का मूल्य– जनपद में कृषि फसलों के उत्पादन मूल्य 4.8 में प्रदर्शित है

क्र0स0	फसल का नाम	2001–02		
		उत्पादन की मात्रा (कु)	भाव प्रतिकु0 (रु0)	उत्पादन मूल्य
1	2	3	4	5
	धान्य			
1.	चावल	7690	1100	
2.	गेंहूं	4123200	700	
3.	जौ	202700	650	
4.	ज्वार	211880	570	
5.	बाजरा	105820	450	
6.	मक्का	80	1250	
7.	मडुवा	0	0	
8.	सांवा	0	0	
9.	कोदो	0	0	
10.	काकुन	0	0	
11.	कुटकी	0	0	
	कुल धान्य	**4651370**		
	दाले			
12.	उर्द	96380	2800	
13.	मूंग	1600	3000	

14.	मसूर	518450	2800	
15.	चना	1126930	1850	
16.	मटर	607020	1800	
17.	अरहर	134930	2800	
18.	मोठ	0	0	
	कुल दाले	**2485310**		
	कुल खाद्यान्न (धान्य् दाले)	**7136680**		
	तिलहन			
19.	लाही / सरसो	69830	1800	
20.	अल्सी	2600	1850	
21.	तिल (शुद्ध)	21950	2550	
22.	रेडी	0	0	
23.	मूंगफली	1700	1800	
24.	सूरजमुखी	270	1350	
25.	सोयाबीन	6420	1450	
	कुल तिलहन	**1027770**		
	अन्य फसले			
26.	गन्ना	828360	0	
27.	आलू	56230	650	
28.	तम्बाकू	0	0	
29.	जूट	0	0	
30.	कपास	10	0	
31.	सनई	590	0	

सारिणी संख्या 4.8 क्रमशः

क्र0स0	फसल का नाम	2002–03		
		उत्पादन की मात्रा (कु)	भाव प्रतिकु0 (रु0)	उत्पादन मूल्य
1	2	3	4	5
	धान्य			
1.	चावल	2210	900	
2.	गेंहू	3885180	700	
3.	जौ	175690	650	
4.	ज्वार	81070	600	
5.	बाजरा	119750	450	
6.	मक्का	10	1250	
7.	मडुवा	0	0	
8.	सांवा	0	0	
9.	कोदो	0	0	
10.	काकुन	0	0	
11.	कुटकी	0	0	
	कुल धान्य	**4263910**		
	दाले			
12.	उर्द	60390	2800	
13.	मूंग	2260	3000	
14.	मसूर	389510	2800	
15.	चना	937660	1500	
16.	मटर	941280	1800	

17.	अरहर	77760	3000	
18.	मोट	0	0	
	कुल दाले	**2408860**		
	कुल खाद्यान्न (धान्य् दाले)	**6672770**		
	तिलहन			
19.	लाही / सरसो	42160	1850	
20.	अल्सी	2420	1900	
21.	तिल (शुद्ध)	4380	2550	
22.	रेडी	0	0	
23.	मूंगफली	340	1800	
24.	सूरजमुखी	10	1350	
25.	सोयाबीन	530	1450	
	कुल तिलहन	**49840**		
	अन्य फसले			
26.	गन्ना	838020	0	
27.	आलू	73310	450	
28.	तम्बाकू	0	0	
29.	जूट	0	0	
30.	कपास	0	0	
31.	सनई	330	0 .	
32.	हल्दी	0	0	
समस्त कृषि फसलो का योग		7634270		

क्र0स0	फसल का नाम	2003–04		
		उत्पादन की मात्रा (कु)	भाव प्रतिकु0 (रु0)	उत्पादन मूल्य
1	2	3	4	5
	धान्य			
1.	चावल	7700	950	7315
2.	गेंहूं	3897930	800	3118344
3.	जौ	149200	650	96980
4.	ज्वार	142000	600	85200
5.	बाजरा	73250	500	36625
6.	मक्का	510	1250	638
7.	मडुवा	60	0	0
8.	सांवा	0	0	0
9.	कोदो	0	0	0
10.	काकुन	0	0	0
11.	कुटकी	0	0	0
	कुल धान्य	**4270650**	–	3345102
	दाले			
12.	उर्द	45490	2800	127372
13.	मूंग	2220	3000	6660
14.	मसूर	451830	2700	1219941
15.	चना	834070	1500	1251105
16.	मटर	1215350	1800	2187630

17.	अरहर	103990	3000	311970
18.	मोट	0	0	0
	कुल दाले	**2652950**	–	5104678
	कुल खाद्यान्न (धान्य दाले)	**6923600**		8449780
	तिलहन			
19.	लाही / सरसो	60210	1850	111388
20.	अल्सी	2480	1950	4836
21.	तिल (शुद्ध)	4810	2500	12025
22.	रेंडी	0	0	0
23.	मूंगफली	940	1800	1692
24.	सूरजमुखी	130	1400	182
25.	सोयाबीन	5760	1450	8352
	कुल तिलहन	**74330**		138475
	अन्य फसले			
26.	गन्ना	917660	1600	1468256
27.	आलू	52500	450	23625
28.	तम्बाकू	0	0	0
29.	जूट	0	0	0
30.	कपास	0	0	0
31.	सनई	260	0	0
32.	हल्दी	0	0	0
समस्त कृषि फसलो का योग		7968350	–	10080136

(ख) कृषि जोत का आकार–

अधोलिखित सारिणी 4.8 में जनपद जालौन में क्रियात्मक जोतो का आकार वर्गानुसार संख्या एवं क्षेत्रफल कृषि गणना का वर्तमान चित्र प्रस्तुत करती है।

सारिणी 4.8

वर्ग /विकासखण्ड	आकार वर्ग हेक्टेयर							
	0.50 हे0 से कम		0.50 से 1.00 हेक्टेयर		1.00 से 2.00 हेक्टेयर		2.00 से 4.00 हेक्टेयर	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विकासखण्डवार 1995–96								
1. रामपुरा	7544	2270	4811	3968	3917	6135	1758	7393
2. कुठोद	8773	2375	4855	4189	4052	6252	2660	7695
3. माद्योगढ़	6361	1588	4342	2490	3268	5813	2659	7087
4. जालोन	7100	2092	4737	3212	4099	6342	2755	7799
5. नदीगांव	8102	2065	5088	3875	5387	8021	4745	12295
6. कोंच	7103	2038	4888	3673	4988	7502	3010	11252
7. डकोर	7831	2101	6930	5093	8724	12894	7038	20229
8. महेवा	6785	1959	5615	4043	5654	8601	3501	11918
9. कदौरा .	7786	1972	5823	4248	6870	9757	4658	12962
योग ग्रामीण	67385	18460	47089	34791	46959	71317	32784	98030
योग नगरीय	81	310	121	171	197	335	719	100
योग जनपद	67466	18770	47210	34962	47156	71652	33503	98130

सारिणी 4.8 क्रमशः

	आकार वर्ग हेक्टेयर							
वर्ग / विकासखण्ड................								
	4.00 से 10 हे0		10 हे0 तथा उससे अधिक		कुल जोतो की संख्या			
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
1	10	11	12	13	14	15	16	17
विकासखण्डवार 1995–96								
1. रामपुरा	1292	7679	70	800	19392			
2. कुठोंद	1380	7698	72	812	21792			
3. माद्योगढ	1001	7531	60	792	17691			
4. जालौन	1495	8210	71	802	20257			
5. नदीगांव	3080	17600	163	1907	26565			
6. कोंच	2875	17314	153	1809	23017			
7. डकोर	4102	21856	268	3161	34893			
8. महेवा	2509	14767	347	4778	24411			
9. कदौरा	2711	15998	362	5806	28210			
योग ग्रामीण	20445	118653	1566	20667	216228			
योग नगरीय	25	3398	0	0	1143			
योग जनपद	20470	122051	1566	20667	217371			

भूमि सुधार कार्यक्रमों में जोतों की सीमा बन्दी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है क्योकि यह मॉग की तुलना में सीमित मात्रा में उपलब्ध भूमि को कृषि कार्य में लगे विभिन्न उत्पादकों के मध्य न्यायपूर्ण ढ़ग से वितरित करने का उपाय है।

श्री ए0एम0 खुसरो ने यथार्थ ही कहा है "भारत में भूमि के निरपेक्ष और स्थाई अभाव के कारण ही जोतो की सीमा बन्दी जरुरी हो गई है आगे आने

वाले वर्षो में भी इस देश में भूमि की मांग उसकी पूर्ति से अधिक रहेगी अतः जोतो की उपयुर्क्त सीमा बन्दी बहुत जरुरी है।"

डा0 डी0आर0 गाडगिल ने सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी जोतो की सीमा बन्दी को उपयोगी बतलाया है।

अधोलिखित सारिणी 4.9 के द्वारा परिचालन जोतो की संख्या तथा आकार के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रकट होती है–

तालिका न0 4.9

विभिन्न आकार वर्गो में परिचालन जोतो की संख्या एवं उनके द्वारा परिचालित क्षेत्र–

क्र0स0	प्रकार	जोत का आकर (हे0)	जोत की सं0 (करोड़ में)	प्रतिशत	कुल परिचालित क्षेत्र (करोड़ में)	प्रतिशत	प्रति जोत परिचालित औसत क्षेत्रफल में
1.	सीमान्त	0–1.0	5.05	56.4	1.98	0.4	12.2
2.	छोटे	1.0–2.0	1.61	18.0	2.30	1.4	14.1
3.	अर्द्धमध्यम	2.0–4.0	1.25	14.0	3.46	2.8	21.2
4.	मध्यम	4.0–10.0	0.81	9.1	4.83	6.0	29.7
5.	बड़े	10 से 10 से अधिक	0.21	2.4	3.71	17.7	22.8
कुल			8.93	100.00	16.28	28.3	100.00

उपयुर्क्त सारणी से यह स्पष्ट हो जांता है कि भारत में जोत के औसत आकार बहुत छोटे होते है। इतना ही नही छोटी–छोटी जोते भी छितरी हुई एवं टुकड़ो में विभक्त होती है। निष्कर्षतः इन जोतो का वृहद् अनुपात सीमान्त है जो कि कम या न्यून उत्पादन को समाविष्ट किये है इसलिये यह जोते निर्धनता के कठोर आन्तरिक हिस्से को स्थापित करती है।

यह शोध अध्ययन ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में कृषि जोत की वास्तविक वर्तमान तस्वीर को प्रस्तुत करेगा। 240 परिवारों में तीन जाति वर्गो में 158 परिवारों के पास स्वयं की भूमि थी इसलिए 66 प्रतिशत कुल परिवार कृषि कार्यो में व्यस्त थे। सवर्ण पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति में कृषि का प्रतिशत क्रमशः 70.60 एवं 64% था जैसा कि अद्योलिखित सारिणी विभिन्न जाति वर्गो के मध्य कृषि जोतो की तुलनात्मक स्थिति को चित्रित करती है–

सारिणी न0–4.10

भूमिधारी परिवारों का जातिगत आधार पर प्रतिशत–

भूमिधारी परिवारों की संख्या						
जति वर्ग	नमूने का आकार	भूमिहीन परिवारों की सं0	कुल	स्वतः कृषि	बटाई	भूमिधारियों का प्रतिशत
स्वर्ण %	120	36 (30)	84 (100)	52 (62)	32 (38)	70
पिछडी %	6	24 (40)	36 (100)	36 (100)	– –	60
अनुसूचित जाति %	60	22 (36)	38 (100)	30 (80)	8 (20)	64
कुल योग	240	82	158	118	40	66

उपयुर्क्त सारिणी 4.10 से स्पष्ट होता है कि सवर्ण जाति के परिवारों के पास कृषि जोत का सर्वाधिक हिस्सा है। सर्वेक्षित 120 परिवारों में 84 परिवार भूमि धारी है। जबकि पिछड़ी जाति के परिवारों में, सवेर्क्षित 60 परिवारों में से 36 परिवारों के पास एवं अनुसूचित जाति क 60 चयनित परिवारों में 38 परिवारों के पास 64% भूमि है। अत्यधिक सावधानी पूर्वक चयनित परिवारों के सर्वेक्षण करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वित्तीय संसाधनों की कमी व अन्य

सुविधाओं के अभाव के कारण 38 प्रतिशत सवर्ण परिवार स्वतः कृषि कार्य करने की स्थिति में नही है। ताकि कृषि जोत को स्वयं जुताई, बुआई कर लाभान्वित हो सकें। जबकि अन्य जाति के परिवारों में ऐसी स्थिति नही है। इसलिए सवर्ण जाति अपनी कृषि जोत के 62% भाग को था तो बटाई पर अथवा अन्य रीति से काश्तकारों को उठा देते है। पिछड़ी जाति में कोई भी परिवार (जिसका कि सर्वेक्षित नमूने में अध्ययन किया गया है) बटाई अथवा अन्य साधनों पर कृषि जोत को नही उठाए हुए है, वरन सर्वेक्षित 60 परिवारों में 36 परिवारों में 38 में से 30 स्वयं कृषि कार्य में संलग्न थे अर्थात् 80% स्वयं खेती करते थे व 20% बटाई व अन्य पर उठाए थे। अस्तु उपर्युक्त सारिणी का निष्कर्ष यही है कि 62% सवर्ण स्वयं कृषि कार्य में संलग्न हे 80% अनुसूचित जाति के परिवार स्वयं कृषि कार्य में कार्यरत है जबकि पिछड़ी जाति के शत प्रतिशत परिवार स्वयं ही कृषि कार्य में संलग्न है।

भारतीय कृषि जोत की सर्वाधिक वास्तविक समस्या तो यही है कि यहां पर जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है। जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि को उद्योगों में समायोजित नही किया जा सकता है क्योकि जो व्यक्ति कुटीर उद्योगों में संलग्न थे वे भी उस व्यवसाय का परित्याग कर कृषि कार्य को अपना चुके है। जनाधिक्य के अत्यधिक दबाव के कारण कृषि जोतो का उपविभाजन एवं अपखण्डन की समस्या उत्पन्न हो गई है इसीलिए प्रति व्यक्ति कृषि जोत के क्षेत्रफल में कमी आई है। और कृषि में छिपी हुई (प्रच्छन) बेरोजगारी देखने को मिली है। इसीलिए भारत में कृषि जोत का औसत आकार बहुत छोटा है। अपने देश में जोतो का आकार ही छोटा है बल्कि वे उपविभाजित

एवं अपखण्डित भी है, इसीकारण उन खेतो में क्षमतानुसार छिटके होने के कारण उनमें हल इत्यादि से जोतना, बोना कठिन कार्य होता है। राष्ट्रीय सैम्पिल सर्वेक्षण के 8 वें दौर के अनुसार औसतन एक परिचालन जोत पांच टुकड़ो में बटी हुई थी। किन्तु आज जोत का आकार और भी कम होता जा रहा है। भारत में उच्च घराने के कृषकों का 13 प्रतिशत भाग भूमि की 57 प्रतिशत पैदावार को लेता है।

(ग) जातिगत आधार पर कृषि जोत की स्थिति–

अधोलिखित सारिणी 4.11 जातिगत आधार पर जोतो की पद्धति के आंकड़ो का वर्तमान तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करती है–

जातिगत आधार पर परिवारों की भूमि का प्रतिशत व कृषि जोत की स्थिति–

सवर्ण परिवारों की कृषि जोत का ढांचा

सारिणी 4.11

वर्ग अन्तराल	परिवारों की सं0	कृषि जोते (बीघा में)	परिवारों का %	भूमि का प्रतिशत	सम्मिलित रुप में परिवारों का %	भूमि के क्षे0 का % सम्मिलित रुप में
1 बीघा से कम	2	1	2.4	0.2	2.4	0.2
1–5 बीघा	55	159	65.4	34.5	67.8	34.7
5–15 बीघा	20	198	23.8	34.4	91.6	69.1
15 बीघा से अधिक	70	160	8.4	30.9	100.00	100.00

पिछड़ी परिवारों की कृषि जोत का ढांचा

सारिणी 4.12

वर्ग अन्तराल	परिवारों की सं0	कृषि जोते (बीघा में)	परिवारों का %	भूमि का प्रतिशत	सम्मिलित रुप में परिवारों का %	भूमि के क्षेत्रफल का % सम्मिलित रुप में
1 बीघा से कम	4	2	11.0	0.8	11.0	0.8
1–5 बीघा	20	62	55.6	26.9	66.6	27.7
5–15 बीघा	10	127	27.8	55.0	94.4	82.7
15 बीघा से अधिक	2	40	5.6	17.3	100.0	100.0
कुल योग	36	231	100.0	100.0	—	

अनुसूचित जाति के परिवारों की कृषि जोत का ढांचा

सारिणी 4.13

वर्ग अन्तराल	परिवारों की सं0	कृषि जोते (बीघा में)	परिवारों का %	भूमि का प्रतिशत	सम्मिलित रुप में परिवारों का %	भूमि के क्षेत्रफल का % सम्मिलित रुप में
1 बीघा से कम	2	1	5.2	0.8	5.2	0.8
1–5 बीघा	30	82	79.0	63.5	84.2	64.3
5–15 बीघा	5	30	13.2	23.3	97.4	87.6
15 बीघा से अधिक	1	16	2.6	12.4	100.0	100.0
कुल योग	38	129	100.0	100.0	—	—

कृषकों का वर्गीकरण अद्योलिखित तीन वर्गों में कृषि जोत के आकार के आधार पर की गई है।

सारिणी 4.14

क्रमांक	कृषि जोत का क्षेत्रफल	कृषकों का वर्गीकरण
1.	(1 बीघा से कम) 1–5 बीघा	सीमान्त कृषक
2.	5–15 बीघा	मध्यम वर्गीय कृषक
3.	15 से अधिक बीघा	उच्च वर्गीय कृषक

विशेष–

"वास्तव में प्रकाशन में कृषि जोत के आकार की इकाई को "हेक्टेयर" में पाया जाता है किन्तु मैने अपने अध्ययन में "हेक्टेयर" को "बीघा" में समायोजित कर लिया है।"

3. रोजगार

जनसंख्या का व्यवसायिक वितरण–

प्रस्तुत अध्ययन में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों यथा (कृषि, उद्योग) आदि के अन्तर्गत रोजगार की स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। यद्यपि यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि ग्रामीण जनसंख्या के भरण पोषण हेतु वर्ष भर के लिये कृषि पर्याप्त आजीविका देने में असमर्थ रही है। अस्तु ग्रमीण लोग अपनी आय की अनुपूरक वृद्धि के लिये या तो मजदूरी करते है या अंशकालिक कार्य अथवा व्यवसायों को अपनाते है। इसमें संदेह नही है कि जनपद जालौन में आज भी आय का मुख्य स्रोत कृषि ही है किन्तु धीरे–धीरे अन्य क्षेत्रों का भी योगदान बढ़ता जा रहा है।

प्रस्तुत अध्ययन में मुख्यतः विकास खण्डवार जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण एवं गणना, रोजगार की स्थिति का आंकलन विभिन्न उद्योगो कें अन्तर्गत कार्यशील ग्रामीण एवं लघु औद्योगिक इकाईयों का विशेषतः अध्ययन किया गया है। जिससे जनपद की जनसंख्या का व्यवसायिक वितरण ज्ञात किया जा सके।

जनपद में विकास खण्डतार जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण सारिणी सं0 4.9 में प्रदर्शित है—

जनपद जालौन में जनसंख्या का व्यवसायिक वितरण के अन्तर्गत 'उद्यमों' में कार्यरत ग्रामीणों का अध्ययन किया गया जिसके लिये मुख्य रुप से अर्थ एवं संख्याधिकारी जालौन स्थान उरई द्वारा उपलब्ध करायी गयी "सांख्यिकीय पत्रिका वर्ष 2005 की आर्थिक गणना को आधार बनाया गया।

सारिणी 4.10

क्र0सं0	मद	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	उद्यमों की संख्या			
1.1	कृषि	1142	341	1483
1.2	अकृषि	9644	16953	26597
1.3	योग	**10786**	**17294**	**28080**
2.	संस्थानों की संख्या जिनमें सामान्यता भाड़े पर व्यक्ति कार्यरत है (कृषि+अकृषि)	2546	5426	7972
3.	स्वकार्य उद्यमों की संख्या (कृषि+अकृषि)	8240	11868	20108
4.	उद्यमों में सामान्यता कार्यरत व्यक्ति (अवैतनिक तथा भाड़े पर कार्यरत)			
4.1	पुरुष	19182	32080	51262
4.2	स्त्री	1527	2038	3565

4.3	योग	**20709**	**34118**	**54827**
5.	भाड़े पर सामान्यता कार्यरत व्यक्ति			
5.1	पुरुष	8712	12713	21425
5.2	स्त्री	296	1021	1317
5.3	योग	**9008**	**13734**	**22742**

जनपद में अद्योगिकरण की प्रगति–

सारिणी –4.11

कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखाने–

क्र0सं0	मद	1999–00	2000–01	2001–02
1	2	3	4	5
1.	पंजीकृत कारखाना (संख्या)	58	58	60
2.	चयनित कारखानों की अन्तर्गत			
2.1	कार्यरत कारखाने (संख्या)	24	29	27
2.2	कारखाने जिनसे रिटर्न प्राप्त हुए (संख्या)	24	29	27
3.	औसत दैनिक कार्यरत श्रमिक एवं कर्मचारियों की संख्या	678	955	725
4.	उत्पादन मूल्य (हजार रु0)	2151222	2372970	3759961

उपरोक्त तालिका 4.11 से ज्ञात होता है कि जनपद जालौन में पंजीकृत कारखानों की संख्या में वृद्धि नही हो रही है और जो कारखाने क्रियाशील है उनसे भी रिटर्न नगण्य है इस कारण औसत दैनिक कार्यरत श्रमिक एवं कर्मचारियों की संख्या भी घट रही है। उपरोक्त तालिका के अनुसार जनपद में पंजीकृत कारखानों की संख्या सन् 1999–00 में 58 थी जो 2001–02 में बढकर 60 हो गई। इसी प्रकार कार्यरत कारखानों की संख्या सन् 1999–00 में 24 थी

जबकि 2001–02 में कार्यरत कारखाने 27 हो गये हालांकि औसत दैनिक कार्यरत श्रमिक एवं कर्मचारियों की संख्या जहां सन् 1999–00 में 678 थी वही 2001–02 में बढ़कर 725 हो गई जो अभी भी बहुत कम है।

जनपद विभिन्न प्रकार के संस्थाओ के आधीन कार्यशील ग्रामीण एवं लघु औधोगिक इकाइयों का अध्ययन–

सारिणी–4.12

		चालित					
क्र0सं0	संस्थाओं का नाम	पंचायत द्वारा	क्षेत्र समिति द्वारा	औद्योगिक सहकारी समिति द्वारा	पंजीकृत संस्थाओं द्वारा	व्यक्तिगत उद्योगपति यों द्वारा	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	खादी उद्योग	–	2	0	2	0	
2.	खादी ग्रामोद्योग द्वारा परिवर्तित ग्रामीण उद्योग	–	62	19	62	2514	
3.	लघु उद्योग इकाइयां						
3.1	इंजीनियरिंग	–	0	0	0	74	
3.2	रासायनिक	–	0	0	0	1	
3.3	विधायन	–	0	0	0	123	
3.4	हथकरघा	–	0	0	0	0	
3.5	रेशम	–	0	0	0	0	
3.6	नरियल की जटा	–	0	0	0	0	
3.7	हस्तशिल्प	–	0	0	0	8	
3.8	अन्य	–	0	0	0	141	
4.	योग (1+2)	0	64	19	64	2514	
5.	योग (3.1 से 3.8)	0	0	0	0	347	
	योग ग्रामीण एव लघु उद्योग (4+5)	0	64	19	64	2861	
6.	कार्यरत व्यक्तियों की सं0 (1+2)	–	73	112	73	1615	
7.	लघु उद्योग इकाइयों मे कार्यरत व्यक्ति (3.1 से 3.8)	–	0	0	0	1225	
8.	ग्रामीण एवं लघु उद्योग इकाइयों में कार्यरत व्यक्तियो की स0 (6+7)	0	73	112	73	2840	

स्रोत : जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, जालौन

जनपद में विभिन्न प्रकार के संस्थाओं के आधीन कार्यशील ग्रामीण एवं लघु औद्योगिक इकाइयों का अध्ययन–

उपरोक्त तालिका 4.12 से ज्ञात होता है कि जनपद में पंचायत द्वारा संचालित उद्योग की संख्या शून्य है जबकि क्षेत्र समिति द्वारा चालित ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की संख्या 64 अर्थात् न्यनतम है इसी प्रकार औद्योगिक सहकारी समितियों का योगदान अपेक्षाकृत नही है पंजीकृत संस्थाओं द्वारा चालित उद्योगों की संख्या भी मात्र 64 ही है। ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का संचालन सफलता पूर्वक केवल व्यक्तिगत उद्योग पतियों द्वारा ही किया जा रहा है। व्यक्तिगत उद्योग पतियों द्वारा कुल 2861 ग्रामीण एवं लघु उद्योग चलाये जा रहे है।

उपयुर्क्त आंकड़ो को देखने से यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि झांसी मण्डल के पांच जनपदों में भी जनपद जालौन की स्थिति सर्वाधिक पिछड़ी है। औद्योगिक इकाइयों की संख्या सीमित होने के कारण रोजगार के अवसरों की कमी है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रो में आवश्यक रोजगार के अवसर उपलब्ध नही है या बहुत कम दिनों का काम ग्रामीण मजदूरो को मिल पाता है।

रोजगार का स्वरुप तथा लाभान्वित जनसंख्या–

अद्योलिखित तालिका 4.13 के आधार पर सवर्ण एवं असवर्ण अनुसूचित जाति व पिछडी जाति वर्गो के लोगो में, उच्च, मध्यम व निम्न आय वर्गो में व्यक्तियों क रोजगार के वितरण का तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत किया गया है। यह तथ्य स्पष्ट ही है कि रोजगार से सम्बन्धित अभिरुचियों में विभिन्न व्यवसायों में व्यक्तिगत रोजगार का प्रतिशत, एवं सवर्ण व अस्वर्ण आय वर्गो में अधिक अथवा कम जमान है। अद्योलिखित तालिका से स्पष्ट है।

तालिका न0 4.13
सवर्ण एवं असवर्ण व्यक्तियों का रोजगार वितरण
उच्च एवं निम्न आय वर्गों के मध्य

रोजगार	विभिन्न आय वर्ग	सवर्ग		असवर्ण	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
व्यापार एवं उद्योग	उच्च निम्न	6 21	20% 80%	12 30	26.8 0.025एन0एस0 73.2
कुल योग		27	100%	42	100
उपार्जित मजदूरी	उच्च निम्न	8 70	10% 89.9%	16 211	7 0.824 एन0एस0 93
कुल योग		78	100	227	100
कृषि	उच्च निम्न	10 42	19.2 80.8	5 45	10.6 1.731 एन0एस0 89.4
कुल योग		52	100	50	100

एन0एस0 =असार गर्भित 5% पर प्रतिष्ठा का स्तर।

एच0आई0जी0=उच्च आय वर्ग

उपयुर्क्त तालिका न0 4.13 में विभिन्न जाति वर्गो में लगे हुए विशिष्ठ रोजगार में संलग्न उच्च आय वर्गो निरीक्षण काई स्क्वैर परीक्षण के द्वारा पूर्व ही निरीक्षित था इसमें इनका प्रतिशत विभिन्न व्यवसायो के सन्दर्भ में सांख्यिकीय दृष्टि से समान था और जहां तक कि व्यक्तियों के रोजगार का प्रश्न है किसी भी व्यवसाय में एवं किसी भी आय वर्ग में जाति कोई भूमिका नही निभाती है इसलिए हमारा अनुमान न0 3 शोध नमूने की विभिन्नताओं के अर्न्तगत ही है। व्यक्तियों की कुछ संख्या जो कि निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत आती है जीवन की न्यूनतम आवृत्तियों की आवश्यकता को पूर्ण नही कर पाती जैसा कि काई स्क्वैर परीक्षण से नमूने को परीक्षित किया। न्यून आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग को

सम्मिलित रुप से साथ–2 निम्न आय वर्ग में कोई स्क्वैर परीक्षण के द्वारा ही परीक्षित किया, इस प्रकार हमारे परीक्षण में दो ही आय वर्ग के लोग सम्मिलित हे जो कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति करते है। (1) उच्च आय वर्ग (2) अभाव उच्च आय वर्ग। इस प्रकार से समान कारणों हेतु हमने जाति का विभाजन भी दो वर्गो में किया है। (1) सवर्ण (2) असवर्ण (पिछड़ी जाति+ अनुसूचित जाति) जहां कही भी निरन्तरता के लिए सुधार सम्भव हो सका था। काई स्क्वैर परीक्षण के लिए व्यवहारिक था।

अद्योलिखित तालिका न0 4.14 के द्वारा विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत उच्च आय वर्ग एवं निम्न आय वर्गो में व्यक्तियों को जातिगत आधार पर वितरण के विचार को स्पष्ट रुप से व्यवस्थित किया गया है–

तालिका न0 –4.14

व्यक्तियों का जातिगत आधार पर वितरण

(उच्च आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग में)

जनपद में सेवायोजन कार्यालयों द्वारा किया गया कार्य का अध्ययन–

क्र0स0	मद	2002–03	2003–04	2004–05
1.	सेवायोजन कार्यालयों की संख्या	1	1	
2.	जीवित पजिका पर अभ्यार्थियो की संख्या	14837	20832	
3.	वर्ष में पंजीकृत अभ्यार्थियो की संख्या	3479	9373	
4.	सूचित रिक्तियों की संख्या	22	17	
5.	वर्ष में रोजगार पर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या	13	1	

सरिणी 4.15 से स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी की समस्या पर अभी भी कोई कड़ा प्रहार नही किया जा रहा है। जनपद में विद्यमान बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए उपलब्ध जन शक्ति के सदुपयोग करने की नितान्त आवश्यकता है। जब तक जन–शक्ति का सवोपयुर्क्त ढ़ग से आयोजन नही किया जाता तब तक रोजगार का प्रश्न अधर में ही लकटा रहेगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन लाया जाए और शिक्षा के मूल्यों में आधुनिक दृष्टिकोण उत्पन्न किए जाये। जन शक्ति के गुणात्मक पक्ष को सफल बनाने के लिये भौतिक, मानसिक, मनोविज्ञान तथा संगठनात्मक पहलुओं को स्वस्थ आधार पर विकसित किया जाये। जनशक्ति का पेशेवार वितरण, व्यावसायिक ढांचा, रोजगार की सम्भावनाओं की स्थिति तथा जन वृद्धि की दरे आदि के बारे में पूर्ण सूचनाएं संकलित की जायें ताकि सरकार का वास्तविक स्थिति का पता चलता है।

विभिन्न व्यवसाय में संलग्न रोजगार की स्थिति

विभिन्न जाति वर्ग	रोजगार का प्रकार	उच्च आय वर्ग		निम्न आय वर्ग		काई स्क्वैर परीक्षण
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	परीक्षण
	व्यापार एवं मजदूरी	16	25	21	15.7	1.211 एन0एस0
सवर्ण	मजदूरी उपार्जन	8	33.3	70	52.6	0.'029 एन0एस0
	कृषि	10	41.7	42	31.7	0.934 एन0एस0
कुल योग		**17**	**100**	**106**	**100**	–
	व्यापार एवं उद्योग	10	58.8	23	21.7	10.286**
पिछड़ी जाति	मजदूरी उपार्जन	3	17.7	67	53.7	6.275* (x^2c)
	कृषि	4	23.5	26	24.6	0.046 एन.

						एस. (x^2c)
कुल योग		17	100	106	100	—
	व्यापार एवं उद्योग	—	—	9	5	0.036 एन0एस0 (x^2c)
अनुसूचित जाति	मजदूरी उपार्जन	13	92	154	84.6	0.700 एन0एस0
	कृषि	1	7.2	19	10.4	0.004 एन0एस0 (x^2c)
कुल योग		14	100	182	100	—

तालिका के संकेतो का स्पष्टीकरण—

** प्रतिष्ठा के 5 प्रतिशत स्तर पर अत्यन्त सारगर्भित

**** प्रतिष्ठा के 1 प्रतिशत स्तर पर अत्यन्त सारगर्भित

एन0एस0 अनार्षित पी= 0.05

उपयुर्क्त विश्लेषण में 'काई स्क्वैर परीक्षण'' द्वारा विभिन्न आय वर्गो का अध्ययन किया गया है। पिछड़ी जाति के व्यक्ति सेवायुक्त अथवा व्यापार में वंचन के सन्दर्भ मे यह निरिक्षित किया किया उच्च आय वर्गो एवं निम्न आय वर्गो में प्रतिशत आपस में विभिन्न अर्थपूर्णता से युक्त होते है जैसे कि उच्च आय वर्ग का प्रतिशत 58.3% निम्न आय वर्ग के 21.7% से अधिक अर्थ पूर्ण है। जहां पर पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की उपार्जित मजदूरी का प्रतिशत निम्न आय वर्ग में 53.77 है वही पर उच्च आय वर्ग में मजदूरी उपार्जन का प्रतिशत कम अर्थात् 17.77 ही है जहां तक कि कृषि में रोजगार का सम्बन्ध है यह आय स्तर के साथ सयुक्त नही है।

और जहां तक सवर्ण जाति एवं अनुसूचित जाति के लोगो का सम्बन्ध है। रोजगार का ढ़ाचा व्यापार में मजदूरी अथवा कृषि में सभी आय वर्गो में समान है। इस वास्तविकता को मैने काई स्क्वैर परीक्षण के द्वारा सत्यापित किया है जैसा कि तालिका न0 4.14 दर्शाया जा चुका है।

उपार्जित हाथों की संख्या एवं आय का अध्ययन

रोजगार का स्वरुप तथा लाभान्वित जनसंख्या–

इस शोध के अग्रिम अध्ययन में आय का एवं उपार्जित हाथों की संख्या तथा आय व निर्भर (लाभान्वित) व्यक्तियों की संख्या विभिन्न जाति एवं आय वर्गो के परिवारों के मध्य अध्ययन किया गया है। यह शोध अध्ययन 6 गांवो के 240 परिवारों के सर्वेक्षण तक ही सीमित है जो भी परिणाम समक्ष आयेगे वह नमूने तक ही सीमित होगे।

अद्योलिखित तालिका में प्रति व्यक्ति आय एवं उपार्जित हाथों की संख्या के मध्य में सह सम्बन्ध गुणांक को दर्शाया गया।

कार्ल पिर्पसन रीति से ज्ञात किया गया है।

सारिणी–4.16

जाति वर्ग	उच्च आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग
सवर्ण	–0.2882 एन0एस0 एन0=20	–0.0372 एन0एस0 एन0=93	+0.2054 एन0एस0 एन0=7
पिछडी जाति	+0.0445एन0एस0 एन0=9	+0.0519 एन0एस0 एन0=48	+0.9987एन0एस0 एन0=93
अनुसूचित जाति	+0.3799 एन0एस0 एन0=5	–0.02235एन0एस0 एन0=49	–0.2123एन0एस0 एन0=6

सारिणी न0 –4.17

निर्भर लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या एवं प्रति व्यक्ति आय के मध्य सह सम्बन्ध गुणांक।

जाति वर्ग	उच्च आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग
सवर्ण	–0.2781 एन0एस0 एन0=20	–0.2660* एन0एस0 एन0=93	+0.2086 एन0एस0 एन0=7
पिछड़ी जाति	+0.2653एन0एस0 एन0=09	–0.2979एन0एस0 एन0=48	–0.9275एन0एस0 एन0=03
अनुसूचित जाति	–	–0.5167****एन0एस0 एन0=49	+0.597एन0एस0 एन0=06

नमूने का आकार·

* प्रतिष्ठा के 5 प्रतिशत स्तर पर अत्यधिक सारगर्भित

**** प्रतिष्ठा के 1 प्रतिशत स्तर पर अत्यन्त सारगर्भित

एन0एस0= अनाकर्षित– पी0=0.05

उपयुर्क्त सह सम्बन्ध के अध्ययन में आय एवं उपार्जित हाथों की संख्या के मध्य सह–सम्बन्ध गुणांक तथा निर्भर व्यक्तियों की संख्या एवं प्रति व्यक्ति आय के मध्य सह सम्बन्ध गुणांक का आगणन किया है जिसको तालिका ने 4.16 एवं 4.17 में प्रस्तुत किया गया है। तालिका में निरीक्षण करने के उपरान्त ज्ञात हुआ है। कि प्रति व्यक्ति आय एवं निर्भर व्यक्तियां की संख्या में सह सम्बन्ध गुणांक ऋणात्मक और अत्यन्त सारगर्भित है केवल अनुसूचित जाति एवं सवर्ण वर्ग के परिवारों से यह संकेत मिलता है कि जैसे–2 निर्भर व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती है वैसे–2 प्रति व्यक्ति आय से कमी होती है। पिछड़ी जाति

के परिवारों के सन्दर्भ में सभी आय वर्गो में उक्त दोनो परिवर्तन शाली घटको के मध्य सह सम्बन्ध गुणांक का निरीक्षण किया है। सम्पूर्ण जाति वर्गो के परिवारों के सन्दर्भ में सह सम्बन्ध गुणांक उच्च आय वर्ग है। निम्न आय वर्गो के सन्दर्भ में असारगर्भित है। इसलिए यहां पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय में कोई कमी नही होती है अर्थात् अप्रभावित रहती है। (उपयुर्क्त दोनो आय वर्गो के सन्दर्भ में)।

सभी आय वर्गो में पिछड़ी जाति के परिवारों की निर्भरता की संख्या और प्रति व्यक्ति आय के बीच में असारगर्भित सह–सम्बन्ध गुणांक के लिए ये कारण है पिछडी जाति के परिवारां के स्वभाव के साथ जोड़ते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि उनकी वित्तीय स्थिति किसी न किसी प्रकार से अन्य जातियों की अपेक्षा बेहतर होने की होती है। और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति का परिणाम परिवार में निर्भर सदस्यों की संख्या में वृद्धि के साथ समान रहता है। इसलिए सभी आय वर्गो के परिवारो के सन्दर्भ में निर्भर स्वरुपों को प्रति व्यक्ति आय रहती है।

उच्च आय वर्ग में सभी जाति के परिवारों के सन्दर्भ में परिवाराध्यक्ष की प्रवृत्ति जिस किसी प्रकार से अपनी आय को बढ़ाने की होती है, जैसे ही परिवारिक सदस्यों की अर्थात् निर्भर व्यक्तियों की संख्या में होती है वैसे ही अपनी आर्थिक स्थिति को समान रखने के लिए एवं समाज समान स्थिति बनाए रखने के लिए परिवाराध्यक्ष अपनी आय में वृद्धि करता है। इन परिणाम के साथ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम परिवर्तित रहती है और यहां से निर्भर सदस्यों की स्वतन्त्रता का निरीक्षण किया जातियों के निम्न आय वर्ग के परिवारो के सन्दर्भ में परिवार के मुखिया का मुख्य उद्देश्य परिवार के सभी सदस्यों को किसी

प्रकार से भोजन कराने का रहता है क्योकि निर्भर सदस्यों की संख्या में वृद्धि होन`से वित्तीय कमी की समस्या आ जाती है। इसलिए परिवाराध्यक्ष का प्रयास अपने स्वास्थ्य एवं जीवन की परवाह न करते हुये आय में वृद्धि करने की होती है और वह करता भी है और इस प्रकार परिवार की न्यूनतम अपेक्षाओं के साथ आय कम से कम परिवर्तित होती है। और यहां निर्भर व्यक्तियों की संख्या के साथ असम्बन्धित निरीक्षण किया। इस दोनो आय वर्गो में उच्च आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों की आय निर्भर सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के साथ लोच पूर्ण होती है।

और जहां तक प्रति व्यक्ति आय और उपार्जित हाथों की संख्या के मध्य सह–सम्बन्ध का प्रश्न है तो किसी जाति वर्ग के X आय वर्ग में निरीक्षण कर ज्ञात किया कि इनमें सह–सम्बन्ध सारगर्भित या महत्वपूर्ण नही है।

उपार्जित हाथों में वृद्धि के साथ ही सह–सम्बन्ध की असारगर्भिता के लिए कारण यह है कि परिवार की कुल आय तो बढ़ती है किन्तु प्रति व्यक्ति आय केवल समान रुप में विभिन्न उपार्जित हाथों की कमाई था उपार्जन में परिवर्तन के साथ ही कम विभिन्नता के होते हुए भी केवल समान रुप में आती है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय उपार्जित हाथों की संख्या के साथ स्वतन्त्र रहती है।

अध्याय– पंचम्

अध्याय–5

रोजगार सृजन कार्यक्रमो का प्रभाव

1. रहन सहन व उपभोग स्तर–(2)

उच्च एवं निम्न आय वर्ग के परिवारिक रहन सहन के स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन। उपभोग में व्यय का प्रतिशत, भोजन, वस्त्र शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन आदि में व्यय का अध्ययन।

2. बचत व ऋण–

उपार्जित धन में बचत का प्रतिशत। बचत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, निवेश का स्वरुप ऋण का स्वभाव व मात्रा, ऋण का भुगतान।

अपने शोध अध्ययन में परिवारों के जीवन स्तर का मूल्यांकन हम उनके द्वारा उपभोग की गई सामग्री व वस्तु पदार्थ के आधार पर करते है। जिसे कि परिवारिक सदस्य उपभोग करे के अभ्यस्त हो चुके है। धन सम्पत्तियों का गुणात्मक व मात्रात्मक रुप आय उत्पन्न करने के साथ सम्बद्ध नही है। हमारा अध्ययन तीनो जाति वर्गो के जीवन स्तर का निरीक्षण कर यह मार्ग निर्देशित करता है कि तीनो ही जाति समुदाय के लोगो में पिछड़ी जाति के लोग उक्त दोनो सवर्णो व अनुसूचित जाति के परिवारो से अग्रगामी स्थिति में है जैसा कि हम उक्त तथ्य को अद्योलिखित सारिणी 5.1 के आधार पर प्रदर्शित कर सकते है।

भोजन

भोजन परिवार की आधार भूत आवश्यकता है कुल आय का अनुपात अथवा व्यय के क्रियान्वन से या भोजन पर खर्च परिवारों की आर्थिक सम्पन्नता एवं उनकी आधार भूत आवश्यकताओं को ही एकत्र कर सकता है जबकि अन्य दूसरा परिवार विभिन्न मांगो एवं जीवन की सुख सुविधाओं एवं समृद्धि की अन्य वस्तुये क्रय करने पर धन सम्पदा व्यय कर सकता है। प्रायः यह देखा गया है कि तीनों वर्गो में सवर्ण वर्ग के लोग अपनी आय का अधिकांश प्रतिशत (सभी आय वर्गो में) भोजन पर व्यय करते है जबकि पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति कम व्यय करते है। यह व्यय की प्रवृत्ति सवर्णो की आर्थिक स्थिति की विपन्नता का घोतक है क्योकि वह अपनी उपार्जित धनराशि से अधिकांश भाग परिवार की आवश्यक वस्तुओ की पूर्ति पर ही व्यय करते रहते है न्यून आय वर्ग में सवर्ण परिवारों की स्थिति का निरीक्षण किया तो सम्पूर्ण जाति वर्गो में (अनुसूचित, पिछडी सवर्ण) सवर्णो की स्थिति दयनीय ही थी परन्तु फिर भी वे अपनी उपार्जित आय का 40 प्रतिशत भाग भोजन पर व्यय करते है। पिछड़ी जाति के परिवार अपनी आय का 84.22% अनुसूचित जाति के परिवार 78.34 प्रतिशत व्यय करते है। निम्नलिखित सारिणी 5.1 द्वारा विभित्र आय वर्गो पर भोजन पर व्यय को प्रदर्शित किया गया हैं।

सारिणी–5.1

"उच्च आय वर्ग में"

व्यय का मद	सवर्ण जाति एन=20	पिछड़ी जाति एन=9	अनुसूचित जाति
	0.40	0.13	0.30
भोजन	0.17	0.77	0.53
	2.41*	0.16 एन एस	0.56

"मध्यम आय वर्ग में"

व्यय का मद	सवर्ण जाति एन=93	पिछड़ी जाति एन=48	अनुसूचित जाति एन=49
	0.25	0.32	0.33
भोजन	0.08	0.10	0.10
	0.97	3.07	3.07

"निम्न आय वर्ग में"

व्यय का मद	सवर्ण जाति एन=93	पिछड़ी जाति एन=48	अनुसूचित जाति एन=49
	0.12	−0.89	0.25
भोजन	0.45	0.25	0.83
	0.25 एन एस	−3.51 एन एस	0.30 एन एस

उपयुर्क्त तालिका न0 5.1 से यह अद्योलिखित तथ्य निरीक्षित किया–

1. प्रत्येक आय वर्ग में सवर्ण परिवारों ने भोजन पर व्यय का औसत प्रतिशत अर्थ पूर्णता से अधिक है जिसको कि अनुसूचित जाति के परिवार उच्च आय वर्ग में स्वीकृत करते है।

2. प्रत्येक आय वर्गो में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के परिवारों का भोजन पर व्यय का औसत प्रतिशत समान ही है।

3. पिछडी जाति के परिवारों में व्यय प्रतिशत का निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि सवर्णो के मध्यम आय वर्ग के परिवारों को छोड़कर दोनो का व्यय प्रतिशत समान है।

4. अनुसूचित जाति के वर्गो में भोजन पर व्यय का प्रतिशत उच्च आय वर्ग में न्यून एवं निम्न आय वर्ग में उच्च है। अनुसूचित जाति के परिवारों में

सभी तीनों आय वर्गो में व्यय का प्रतिशत अर्थ पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे से पृथक है अर्थात उच्च में निम्न एवं निम्न में उच्च।

5. पिछड़ी जाति के वर्ग में सम्पूर्ण आय वर्गो में भोजन पर व्यय का औसत प्रतिशत एक दूसरे के पृथक है अर्थात न्यून आय पर अधिक व्यय एवं अधिक आय पर कम व्यय प्रदर्शित है।

6. सवर्ण वर्ग के सन्दर्भ में भी यही देखा गया है कि प्रत्येक आय वर्ग में व्यय का औसत प्रतिशत एक दूसरे से अर्थ पूर्ण दृष्टि से पृथक है क्योकि न्यून आय वर्ग में अधिक उपभोग एवं उच्च आय वर्ग में कम उपभोग देखने को मिला।

उपयुर्क्त विश्लेषण के द्वारा यह सत्य स्थापित होता है कि भोजन पर व्यय का प्रतिशत का परस्पर विपरीत होता है उपयुर्क्त सारिणी से यह तथ्य सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि आय स्तर में कमी पर भोजन में वृद्धि होती है।

यह तथ्य प्रत्येक जाति के आय स्तर पर क्रिया शील होता है संक्षेप में कहा जा सकता है। कि प्रत्येक जाति वर्ग के परिवारों का व्यय का प्रतिशत आय के बढ़ने पर कम एंव कम आय पर अधिक उपभोग होता है। सवर्ण परिवारों में भोजन पर व्यय का प्रतिशत अर्थ पूर्णता की दृष्टि से उच्च है जबकि तुलनात्मक रुप से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के परिवारों में कम। उच्च आय वर्ग में यह प्रतिशत सांख्यिकीय दृष्टि से समान है।

शिक्षा–

निम्नलिखित सारिणी 5.2 द्वारा विभित्र जाति वर्गो एवं आय वर्गो शिक्षा का प्रतिशत को प्रदशित किया गया हैं–

सारिणी 5.2

"उच्च आय वर्ग में"

व्यय की मद	सवर्ण जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति
	0.39	1.01	–
शिक्षा	0.90	1.44	–
	0-43	0.69 एन एस	–

"मध्यम आय वर्ग में"

व्यय का मद	सवर्ण जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति
	0.25	0.68	–
शिक्षा	0.26	0.24	–
	0.94	2.23	–

"निम्न आय वर्ग में"

व्यय का मद	सवर्ण जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति
	−1.64	−1.77	1.31
शिक्षा	0.61	6.10	1.85
	&2-67	−1.29 एन एस	0.70 एन एस

विभिन्न जाति वर्गो एवं आय वर्गो में शिक्षा का प्रतिशत ज्ञात करने हेतु अद्योलिखित तथ्य स्पष्ट हुए–

1. प्रत्येक आय वर्ग में शिक्षा पर औसत व्यय का प्रतिशत अनूसूचित जाति के परिवारों एवं पिछड़ी जाति के परिवारों में सांख्यिकीय दृष्टि से बराबरी पर है क्योकि उच्च आय वर्ग में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत पिछड़ी जाति के परिवारों में अर्थ पूर्णतया की दृष्टि से अनुसूचित जाति के परिवारों की अपेक्षा न्यून है।

2. मध्यम आय वर्ग में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत तीनों जाति के परिवारों में गणनाओं की दृष्टि से बराबरी पर है यद्यपि निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि सवर्ण वर्ग के परिवारो में यह प्रतिशत सर्वाधिक है।

3. सवर्ण परिवारों के सन्दर्भ में निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सवर्ण परिवारों में अनूसूचित जाति के परिवारों से कम

था एवं पिछड़ी जाति के परिवारों से अधिक था लेकिन इन दोनो जातियों के परिवारो की प्रत्येक से अर्थ पूर्णता से भिन्न नही है। उच्च आय वर्ग में शिक्षा पर व्यय का उच्चतम प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवारों जिनकी कि पिछड़ी जाति के परिवारों में से अर्थ पूर्ण दृष्टि से अधिक है।

4. न्यून आय वर्ग में शिक्षा पर व्यय का उच्चतम प्रतिशत सवर्ण वर्ग के परिवारों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के परिवारों से अधिक है बाद में यह दोनो जातियां अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति गणनाओं की दृष्टि से समान है।

सामान्य यह निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत तीनों जातियों में समान है। सवर्ण जाति के परिवारों में आय स्तर की कमी के साथ शिक्षा पर व्यय प्रतिशत बढ़ता है। सवर्ण परिवारों में सभी तीनों आय वर्गो में व्यय का प्रतिशत अर्थ पूर्णतया से पृथक है एक से दूसरी और निम्न आय वर्ग में उच्च एवं उच्च आय वर्ग में निम्न होता है।

निष्कर्षतः समग्र दृष्टि से शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सवर्ण वर्ग के न्यून राशि परिवारों में उच्च एवं अर्थ पूर्णता से उच्च है समग्र आय वर्गो जाति वर्गो में इत्यादि।

''वस्त्र''

सारिणी 5.3

''उच्च आय वर्ग में''

	सवर्ण जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति
	0.015	0.27	0.73
वस्त्र	0.11	1.00	0.77
	0.13 एन एस	0.27 एन एस	0.95

''मध्यम आय वर्ग में''

	सवर्ण जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति
	0.07	0.40	0.28
वस्त्र	0.06	0.13	0.15
	0.18 एन एस	3.18	1.86 एन एस

''निम्न आय वर्ग में''

	सवर्ण जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति
	0.25	0.74	−0.19
वस्त्र	0.44	2.94	0.95
	0.56 एन एस	0.25 एन एस	−0.02 एन एस

"वस्त्र"

वस्त्रो का विभिन्न जाति वर्गो में प्रत्यक्ष अन्तर आंकड़ो के गणना सम्बन्धी विश्लेषण से ज्ञात हुआ है। सारिणी न0 5.3 के अवलोकन एवं निर्वचन से यह तथ्य स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न आय वर्गो में एवं तीनो जातियों के मध्य वस्त्रो पर व्यय प्रतिशत में विभिन्न प्रमुख विचारों के विषय में आंकड़ो के सांख्यिकीय विश्लेषण के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उपयुर्क्त सारिणी में सभी जातियों के परिवारो में आय स्तर में कमी के साथ वस्त्रो पर व्यय प्रतिशत में वृद्धि होती है। तीनो जातियों के परिवारों में उच्च आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग में वस्त्रो पर व्यय का प्रतिशत (मध्यम वर्ग को छोड़कर) समान है जहां यह एक जाति दूसरे से अर्थ पूर्णता की दृष्टि से पृथक है।

सवर्ण परिवार एवं पिछड़ी जाति के परिवारों का वस्त्रो पर व्यय प्रतिशत सभी तीनो आय वर्गो में एक आय वर्ग दूसरे आय वर्ग से अर्थ पूर्णता से पृथक है। सवर्ण वर्ग में परिवारों में उच्च आय वर्ग में निम्न एवं निम्न आय वर्ग के उच्च प्रतिशत वस्त्रो पर व्यय होता था। अनुसूचित जाति के परिवारों में व्यय का प्रतिशत निम्न आय वर्ग में उच्चतम एवं मध्यम व उच्च आय वर्ग में अर्थ पूर्णता से उच्चतम प्रतिशत निरीक्षित किया गया।

संक्षेप में वस्त्रो पर व्यय का प्रतिशत का सर्वेक्षण सारणीयन करने के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुंचते है कि सवर्ण वर्ग के परिवारों में न्यून आय पर

अधिक व्यय प्रतिशत एवं अधिक आय पर न्यून व्यय प्रतिशत ही देखने को मिला सभी परिवारों मं जाति वर्गो के आय का प्रतिशत अर्थ पूर्णता से उच्चतम रहा, अनुसूचित जाति के परिवार व पिछड़ी जाति के परिवारों की निम्न आय स्तर को छोड़कर। इसलिए यह तथ्य सहज रुप से स्पष्ट हो जाता है। कि अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लोग विभिन्न मदों पर सवर्णो से तुलनात्मक दृष्टि से कम व्यय करते है।

स्वास्थ्य–

निम्नलिखित सारिणी 5.4 में विभित्र जाति वर्गो में तथा विभित्र आय वर्गो में स्वास्थ्य पर व्यय को प्रदशित किया गया है–

सारिणी 5.4

स्वास्थ्य

''उच्च आय वर्ग में''

	सवर्ण जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति
	0.35	0.14	2.23
स्वास्थ्य	0.95	1.74	0.53
	0.38 एन एस	0.08 एन एस	4.19

"मध्यम आय वर्ग में"

	सवर्ण जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति
	0.06	0.28	0.55
स्वास्थ्य	0.18	0.40	0.24
	0.34	3.69	2.2 एन एस

"निम्न आय वर्ग में"

	सवर्ण जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति
	0.53	7.71	—
स्वास्थ्य	1.24	1.43	—
	0.43 एन एस	5.38 एन एस	—

सारिणी न0 5.4 से स्वास्थ्य का विवेचन करते हुए कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य पर व्यय प्रतिशत विभिन्न जाति वर्गो में सांख्यिकीय दृष्टि से प्रत्येक आय वर्ग के बीच अनाकर्षक है। अनुसूचित जाति के परिवारों में स्वास्थ्य पर व्यय का प्रतिशत निम्न आय वर्ग में उच्च एवं उच्च आय वर्ग में निम्न है। निम्न आय वर्ग में प्रतिशत अर्थ पूर्णता से अधिक है उच्च आय वर्ग से। पिछडी जाति

के परिवारो में भी उच्च आय वर्ग के लोगो में न्यून एवं निम्नवत आयु वर्ग के लोगो में उच्च आय वर्ग पर अति निम्न एवं निम्न आय वर्ग पर उच्च देखने को मिला एवं इन उपयुर्क्त तीनों जाति वर्गो में व्यय का प्रतिशत एक दूसरे से अर्थ पूर्णता से पृथक था। स्वास्थ्य पर व्यय का प्रत्येक प्रतिशत सवर्ण जाति के परिवारों में प्रत्येक आय वर्ग में उच्च है यह अन्य जातियों की अपेक्षा अर्थ पूर्णतया से पृथक नही है।

अन्य

सारिणी 5.5

''उच्च आय वर्ग में''

	सवर्ण जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति
	2.09	2.13	0.64
अन्य	0.60	1.79	1.66
	3.44 **	1.19	0.39

''मध्यम आय वर्ग में''

	सवर्ण जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति
	0.37	1.76	1.01
अन्य	0.20	0.36	0.37
	1.88	4.47	2.70

परीक्षण अनिवार्य है। यद्यपि समाज के आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्ग के लोगो की यह प्रवृत्ति होती है कि भोजन पर आय की लोच का मूल्य उच्च हो, अद्योलिखित सारिणी के द्वारा तीनों जाति वर्गो के मध्य उपभोग की विभिन्न मदों पर व्यय की लोच का एक तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। जो कि विभिन्न आय वर्गो की भी है–

विभिन्न जाति वर्गो के लिए व्यय की विभिन्न मदों पर उपभोग व्यय की आय लोच एवं उसकी प्रतिष्ठा का परीक्षण

सारिणी न0 5.6

''उच्च आय वर्ग में''

व्यय की मदें	सवर्ण एन=20	पिछड़ी जाति एन=9	अनुसूचित जाति एन=5	लोच
	0.40	0.13	0.30	लोच
भोजन	0.17	0.77	0.53	एस0ई0
	2.41*	0.16 एन एस	0.56 एन एस	टी0
	0.015	0.27	0.3	लोच
वस्त्र	0.11	1.00	0.7	एस0ई0
	0.13 एन एस	0.2 एन एस	0.94 एन एस	टी0
	0.35	0.14	2.23	लोच
स्वास्थ्य	0.95	1.74	0.53	एस0ई0
	0.38 एन एस	0.08 एन एस	4.19	टी0

	0.39	1.01	–	लोच
शिक्षा	0.90	1.44	–	एस0ई0
	0.43 एन एस	0.69 एन एस	–	टी0
	2.09	2.13	0.64	लोच
अन्य	0.60	1.79	1.66	एस0ई0
	3.44**	1.19 एन एस	0.39	टी0

उपयुर्क्त सारिणी नं. 5.6 के निरीक्षण के उपरान्त अद्योलिखित तथ्य ज्ञात हुए कि अनुसूचित जाति के परिवारों में उपभोग की विभिन्न मदों पर उपभोग व्यय की आय लोच स्वास्थ्य को छोड़कर प्रतिष्ठित है। ये यह सूचित करती है कि आय में वृद्धि के साथ भोजन, वस्त्र एवं अन्य मदों पर उपभोग व्यय में वृद्धि नही होती है। शिक्षा के क्षेत्र में वहां अनूसचित जाति का कोई भी परिवार ऐसा नही है। जो कि शिक्षा पर धन की किसी राशि का उत्तरदायित्व उठा रहा हो। अनुसूचित जाति के परिवारों की आय में वृद्धि के साथ वह अति प्रसन्न होते है एवं तब वे स्वास्थ्य पर अपने व्यय में वृद्धि करने का प्रयत्न करते है।

पिछड़ी जाति के परिवारों के सन्दर्भ में निरीक्षण करने पर यह पाया कि उनकी आय में वृद्धि के साथ उपभोग की किसी मद पर व्यय में वृद्धि नही होती। जहां तक कि सवर्ण वर्ग के परिवारों का सम्बन्ध वस्त्र स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर व्यय करने का है आय में प्रत्येक वृद्धि के द्वारा अप्रभावित रहती है लेकिन भोजन पर व्यय में वृद्धि प्रतिष्ठित ही है क्योकि इसका प्रतिशत 0.40 है एवं अन्य

मदों पर निरीक्षण करने से ज्ञात हुआ कि 2.09 प्रतिशत व्यय हो रहा है जो कि उनकी आय में। प्रतिशत की वृद्धि के साथ ही निरीक्षित किया गया। उक्त तथ्य यह सूचित करता है कि आय के बढ़ने पर सवर्ण वर्ग के परिवारों में भोजन एवं अन्य मदों पर व्यय के प्रतिशत में वृद्धि हो जाती है क्योकि अन्य मदों यथा– विवाह, सामाजिक संस्करों के कृत्यों में वृद्धि हो जाती है।

अन्य जातियों में उपभोग की विभिन्न मदों पर लोच का मूल्य अप्रतिष्ठित ही रहता है और इस कारण से यह तथ्य समाने आ जाता है कि परिवार स्वयं को सन्तुष्ठि स्तर के निकट पहुंचने का स्वभाव रखते है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के उच्च आय वर्ग के परिवारों में आय के बढ़ने से बचत की वृद्धि की अपेक्षाकृत उपभोग की विभिन्न मदों पर व्यय में वृद्धि होती है।

विभिन्न जाति वर्गो के लिए व्यय की विभिन्न मदों पर उपभोग व्यय की आय लोच एवं उसकी प्रतिष्ठा का परीक्षण–

सारिणी न0 5.7

''मध्यम आय वर्ग में''

व्यय की विभिन्न मदें	लोच	सवर्ण एन=93	पिछड़ी जाति एन=48	अनुसूचित जाति एन=49
	लोच	0.25	0.32	0.33

भोजन	एस0ई0	0.08	0.10	0.10
	टी0	0.97	3.07	3.07
	लोच	0.07	0.40	0.28
वस्त्र	एस0ई0	0.06	0.13	0.15
	टी0	0.18 एन एस	3.18	1.86 एन एस
	लोच	0.06	0.28	0.55
स्वास्थ्य	एस0ई0	0.18	0.40	0.24
	टी0	0.34 एन एस	0.69 एन एस	02.27
	लोच	0.25	0.68	—
शिक्षा	एस0ई0	0.26	0.24	—
	टी0	0.94	2.3	—
	लोच	0.37	1.76	—
अन्य	एस0ई0	0.20	0.24	—
	टी0	0.188	2.73	—

सारिणी 5.7 से अद्योलिखित तथ्यो को निरीक्षित किया गया–

1. अनुसूचित जाति के परिवारो में आय में किसी वृद्धि के परिणाम स्वरुप वस्त्रो पर व्यय अप्रभावित ही रहा लेकिन व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि भोजन पर 0.33 प्रतिशत स्वास्थ्य पर 0.55 प्रतिशत एवं अन्य मदो पर 1.0% आय में एक प्रतिशत वृद्धि के साथ निरीक्षित किया। यहां ऐसा कोई राशि को व्यय कर सके।

2. जहां तक कि पिछड़ी जाति के परिवारों के सम्बन्ध में यह निरीक्षित किया गया कि भोजन के लिए 0.32 प्रतिशत वस्त्रो पर 0.40 प्रतिशत शिक्षा पर 0.68 एवं अन्य मदो पर 1.76 प्रतिष्ठित लोच है स्वास्थ्य के लिए लोच की अप्रतिष्ठित कीमत निरीक्षित की गई जो कि जहां यह सूचित करती है कि आय में वृद्धि के साथ स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि नही होती है।

3. सवर्ण जाति के परिवारों में यह निरीक्षित किया गया है कि आय स्तर में वृद्धि के साथ उपभोग की किसी मद पर व्यय में वृद्धि नही होती उपभोग व्यय को छोड़कर जोकि प्रतिष्ठित मूल्य है।

वस्त्रो पर अप्रतिष्ठित लोच का कारण यह है कि अनुसूचित जाति के परिवार वस्त्रो को महत्ता प्रदान नही करते इसलिए एक आय मे वृद्धि उनके भोजन, स्वास्थ्य एवं अन्य मदों पर वृद्धि को सूचित करती है किन्तु वस्त्रो को छोड़कर। पिछड़ी जाति के परिवारों के सन्दर्भ में भोजन, वस्त्र

शिक्षा एवं अन्य मदों के लिए महत्वपूर्ण लोच से सम्बन्धित कारण यह हो सकते है। कि वे लोग आय में प्रत्येक वृद्धि के बीच संतृप्ति के स्तर पर नही पहुंच पाते। इसलिए आय की प्रत्येक वृद्धि इन उक्त मदों पर खर्च में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। जहां कि सवर्ण जाति के परिवारों का सम्बन्ध है जोकि यह प्रकट करती है कि भोजन पर व्यय की महत्वपूर्ण लोच का सम्बन्ध आय में वृद्धि के साथ अधिक खर्च को दर्शाता है। सवर्णो की यह स्थिति अन्य जातियों की तुलना में अधिक निर्धनतम स्थिति को दर्शाता है।

सारिणी न0 5.8

विभिन्न जाति वर्गो के लिए व्यय की विभिन्न मदों पर उपभोग व्यय की आय लोच एवं उसकी प्रतिष्ठा का परीक्षण

"निम्न आय वर्ग में"

व्यय की विभिन्न मदें	लोच	सवर्ण एन=93	पिछड़ी जाति एन=48	अनुसूचित जाति एन=49
	लोच	0.12	−0.89	0.25
भोजन	एस0ई0	0.45	0.25	0.83
	टी0	0.25 एन एस	−3.51 एन एस	0.30 एन एस

	लोच	0.25	0.74	−0.19
वस्त्र	एस0ई0	0.44	2.97	0.95
	टी0	0.56 एन एस	0.25 एन एस	−0.02 एन एस
	लोच	0.53		–
स्वास्थ्य	एस0ई0	1.24		–
	टी0	0.43 एन एस		–
	लोच	−1.64	−1.77	1.31
शिक्षा	एस0ई0	0.61	6.10	1.85
	टी0	−2.6	−0.29 एन एस	0.70 एन एस
	लोच	3.83	−8.58	2.29
अन्य	एस0ई0	1.80	3.75	1.90
	टी0	2.04 एन एस	−2.28 एन एस	1.20 एन एस

न्यून आय वर्ग में सारिणी न0 5.8 से स्पष्ट प्रकट होता है कि सभी तीनों जातियों के परिवारों में. उपभोग की सभी मदो मे लोच अप्रतिष्ठित है। सवर्ण वर्ग

की स्वास्थ्य पर व्यय से यह तथ्य स्वीकृत होता है जो कि यह सूचित करता है कि आय में प्रत्येक वृद्धि उपभोग की किसी मद पर व्यय में वृद्धि को नही झुकने देती। निम्न आय वर्ग के सभी परिवार अत्यधिक ऋण ग्रस्तता के कारण अतिरिक्त बोझ से ग्रसित रहते है, इसलिए उपभोग पर व्यय में वृद्धि के बदले में पुनः ऋण की स्थिति में फंस जाते है। यह भी तथ्य निर्देश करने योग्य है कि उपभोग की आय लोच परिवार की घाटे अथवा आधिक्य अर्थ व्यवस्था की स्थिति, और एक परिवार पर ऋण की स्थिति आदि से प्रकट होती है।

2. बचत व ऋण–

उपार्जित धन में बचत का प्रतिशत। बचत की प्रवृत्ति में परिवर्तन निवेश का स्वरुप ऋण का स्वभाव व मात्रा, ऋण का भुगतान।

(क) उपार्जित धन में बचत का प्रतिशत–

एक अर्थ व्यवस्था में विकास की प्रक्रिया में गति वृद्धि करने के लिए एक देश को अपने विनियोग के स्तर में वृद्धि करनी चाहिए जो कि बचतों के द्वारा सम्भव है। प्रायः यह देखा गया है कि आय गत विभिन्नतायें परिवारों की बचतों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक है। विशेष रुप से बचतों का वह भाग जो कि विभिन्न वित्तीय परिसम्पत्तियों यथा– नकद बैंक खाता, जीवन बीमा निगम, भविष्य निधि के रुप में रखा जाता है। कृषि उत्पादन भी बचतों के स्तर को प्रभावित करता है।

विभिन्न जातियों एवं आय– स्तरों के समूहो के परिवारों में बचत के अध्ययन के लिए विभिन्न आंकड़ो एवं "माध्यिका" की गणना के द्वारा जो क्षेत्र सर्वेक्षित किया गया है वह परिवारों में बचतों के सामान्य प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। कुछ विशिष्ट परिवारों में असमान्य रेखाचित्रो के प्रभाव से बचने के लिए जो माध्यिका की गणना की गई है जोकि कि इस मूल्य में बचतो का 50 प्रतिशत ऊपर एवं 50 प्रतिशत नीचे है– विभित्र जाति वर्गो में बचतो का अध्ययन सारिणी 5.9 में प्रदर्शित हैं।

सारिणी न0 5.10

सारिणी 5.9

विभिन्न आय वर्गो मे जातिगत आधार पर प्रति व्यक्ति बचतो का अध्ययन

विभिन्न जाति वर्ग	उच्च आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग
	एन=22	एन=97	एन=9
	अन्तर	अन्तर	अन्तर
सवर्ण	1236–5000	0–1647	शून्य
	माध्यिका	माध्यिका	माध्यिका
	2600	140	शून्य
	एन=11	एन=48	एन=4
	अन्तर	अन्तर	अन्तर
पिछड़ी जाति	1370–8000	0–1412	0–57
	माध्यिका	माध्यिका	माध्यिका

"निम्न आय वर्ग में"

	सवर्ण जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति
	3.83	8.58	2.29
अन्य	1.80	3.5	1.90
	2.04 एन एस	–2.28 एन एस	1.20 एन एस

अन्य व्ययो के क्रम में यथा जन्म, विवाह, एवं अन्य उत्सवो पर जिसमें कि अन्य अनेक प्रकार के उत्सव सम्मिलित है। पर जो व्यय किया जाता है उसका सारिणी न0 5.5 से समझा जा सकता है। उपयुर्क्त मदों पर जो व्यय विभिन्न जाति वर्गो एवं विभिन्न आय वर्ग के परिवारों के द्वारा किया जाता है। वह आय में प्रत्येक कमी के साथ बढ़ता ही जाता है यह प्रायःदेखा जाता है व निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि सवर्ण वर्ग के लोग अन्य मदों पर सर्वाधिक व्यय प्रतिशत खर्च करते है। न्यून आय वर्ग में तुलनात्मक रुप से अन्य जातियों की अपेक्षा सवर्ण वर्ग के लोग विभिन्न उत्सवों पर कुछ अधिक ही धन सम्पदा व्यय कर डालते है।

"विभिन्न जाति वर्गो में उपभोग की आय लोच":

परीक्षण के उपरान्त विभिन्न जातियों के X आय वर्ग में परिवारों की उपभोग ढ़ांचे की प्रक्रिया के परिवर्तन के पश्चात् यह निरीक्षण भी किया कि यह आवश्यक है कि आय में परिवर्तन के द्वारा उपभोग को विभिन्न मदों पर व्यय में

	2958	492	शून्य
	एन=5	एन=44	एन=8
	अन्तर	अन्तर	अन्तर
अनुसूचित जाति	950–4200	0–1793	0–16
	माध्यिका	माध्यिका	माध्यिका
	1658	470	शून्य

उपयुर्क्त सारिणी 5.9 से निरीक्षण के आधार पर ज्ञात हुआ कि न्यूनतम आय वर्गो के सन्दर्भ में बचतों में न्यूनतम के परिवारों बचते केवल 16 रु0 थी एवं पिछड़ी जाति के परिवारों भी बचत निरीक्षित नही की गई। इस प्रकार इस न्यून आय वर्ग में सभी जातियों के परिवारों में बचत का प्रतिशत शून्य है।

मध्यम आय वर्ग सन्दर्भ में अधिकतम बचतें उच्च आय वर्ग के सभी जातियों के परिवारों की अपेक्षा कम है। इन विभिन्न आय वर्ग की सभी जातियों में कुछ परिवार ऐसे है जो बिल्कुल बचत नही कर पाते जबकि उच्च आय वर्ग में कोई भी परिवार ऐसा नही पाया गया जो कि 950 रु0 प्रति व्यक्ति वार्षिक बचत न कर रहा है। मध्यम आय वर्ग में पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति की बचतों की माध्यिका समान परिस्थिति होने पर भी सवर्ण जाति से अधिक है। उच्च आय वर्ग में पिछड़ी जातियों एवं सवर्ण परिवारों में बचतों की माध्यिका समान परिस्थितियों होने पर भी अनुसूचित जाति के परिवारों की माध्यिका की

अपेक्षा अधिक है। उच्च आय वर्ग के पिछड़ी जाति के परिवार सर्वाधिक बचतें करते है ऐसा उपयुर्क्त के विश्लेषण के आधार पर निरीक्षित किया गया है।

(ख). परिवारों के ऋणों की प्रकृति तथा विस्तार–

ग्रामीण व्यक्ति अपने जीवन यापन में अत्यधिक सामान्य है। विभिन्न सर्वेक्षणों के द्वारा यह देखा गया है कि ग्रामीण लोग जो कुछ भी जमीन से उत्पन्न करते है वह उनके परिवारों के जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। इसका प्रधान कारण उनके परिवारो के आकार तथा व्यय की तुलना में कृषि योग्य भूमि की कमी तथा कम आय होना है। हमारा वर्तमान अध्ययन इस तथ्य को प्रदर्शित करता है। कि ग्रामीण जनसंख्या का बड़ा भाग ऋण में ही जन्म लेता है तथा ऋण में ही मृत्यु प्राप्त करता है।

परिवारो के ऋणो की स्थिति

सारिणी 5.10

जाति वर्ग	नमूनें	परिवारों द्वारा ऋण लेने की सं0	प्रतिशत	परिवारो द्वारा ऋण लेने की सं0	प्रतिशत
सवर्ण	120	59	49.17	61	50.83
पिछड़ी जाति	60	13	21.66	47	78.33
अनु0 जा0 जन0	60	23	38.33	37	61.67
कुल	240	95	39.58	145	60.42

सारिणी 5.11 से यह भली भांति स्पष्ट है कि उन परिवारों का प्रतिशत तथा सर्वाधिक संख्या जिन्हे अपने परिवारिक व्यय के लिए ऋण की आवश्यकता है सवर्ण समुदाय में 49.17 है जबकि पिछड़ी जातियों में यह सबसे कम 21.67% है इससे प्रमाणित होता है कि पिछड़ी जातियों में यह सबसे कम 21.67% इससे प्रमाणित होता है कि पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों की तुलना में सवर्ण ज्यादा गरीब है क्योकि उन्हे न केवल कृषि एवं दैनिक उपभोग के लिए ऋण लेना पडता है अपितु अपनी सामाजिक स्थिति तथा प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए निश्चित सामाजिक दायित्वों एवं रीति रिवाजों को पूर्ण करने के लिए भी ऋण की जरुरत होती है। इसीलिए हमारी परिकल्पना ने ऋणों के सन्दर्भ में स्वीकृती नही दी है।

धन उधार लेने की प्रक्रिया तीन उद्धेश्यो से की जाती है–

1. उत्पादन के लिए विशेष रुप से कृषि एवं व्यवसाय के उद्धेश्य से धन उधार लेना।

2. दिन प्रतिदिन के उपभोग के उद्धेश्य से धन उधार लेना।

3. दूसरे अन्य उद्देश्यो के लिए यथा– सामाजिक रीति रिवाज शिक्षा, विवाह, बीमारी आदि के लिए धन उधार लेना।

कृषि के सम्पूर्ण कार्यान्वयन काल में सर्वाधिक विशिष्ठ समय जून से अक्टूबर के बीच का होता है। आजकल सामान्यता अधिकतर परिवारों में खाद्यान्न सग्रह कम होता है। और यह समय बीज बोने के लिए भी होता है, जिसके लिए साख की आवश्यकता होती है। इन सबके अतिरिक्त उन्ह दैनिक उपभोग अन्न एवं वस्त्र की खरीददारी, जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी सामाजिक समारोहो की निष्पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। अद्योलिखित सारिणी जातिगत आधार पर ऋण लेने के उद्धेश्यो के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करती है–

जातिगत आधारपर परिवारों की संख्या एवं ऋण लेने का उद्धेश्य

सारिणी 5.11

जाति एव वर्ग	नमूना	ऋण की आवश्यकता वाले परिवारों की संख्या	प्रतिशत	ऋणो का उद्धेश्य							
				कृषि			उपभोग			अन्य	
सवर्ण	120	59	49.17	10	107	24	18	24	41	14	24
पिछड़ी जाति	60	13	21.66	2	15	4	31	4	31	3	23
अनु0 जाति	60	23	38.34	3	13	12	4	12	52	7	31
कुल	240	95	30.58	15	15.80	16	16.84	40	42.1	24	25.26

उपयुर्क्त 5.11 सारिणी से यह स्पष्ट है कि सवर्ण वर्ग में उपभोग के उद्धेश्य से ऋण लेने वाले परिवारो का प्रतिशत 41% है जबकि इसी उद्धेश्य से पिछड़ी जातियों एवं अनूसूचित जातियों तथा जनजातियों का प्रतिशत क्रमशः 31% तथा 52% है। इससे प्रकट होता है कि सवर्ण तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की तुलना में पिछड़ी जाति के परिवारो की आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी है।

जनपद जालौन में सबसे महत्वपूर्ण असन्तोषजनक पहलू है यहां के लोगों की ऋणगस्तता। ऋण का यह बोझ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है और अनेक प्रयासों के बावजूद जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग अभी भी इसके बोझ से दबा हुआ है। भारत में ये एक प्रसिद्ध कहावत है कि "भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जीवन व्यतीत करता है और ऋण में ही जीवन त्याग कर देता है।"

ऋण का लेन देन स्वतः कोई बुरी चीज नही है। उत्पादन के लिए उधार लेना आवश्यक ठहराया जाता है। इस प्रकार के ऋण तो विकसित देशो में भी किसान लेते हैं, लेकिन भारतीय कृषको की ऋणग्रस्तता अनुत्पादक कार्यो के हेतु लिये गये ऋण की समस्या है। यहां प्रायः उधार परिवारिक खर्च को चलाने अथवा सामाजिक रीति रिवाजो के पालन पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए लिया जाता है। ऐसे उधार की वापसी कठिन होती है। इसलिए ऋण का

बोझ धीरे–2 बढ़ता जाता है। उत्पादन मात्रा कम होने से साधारणतया किसानों के पास अनुत्पादक खर्चो के लिए आवश्यक मात्रा मे बचत नही होती। खेती पिछड़ी होने के कारण किसानो की अर्थव्यवस्था व्यय का स्तर ऊंचा रहता है। अतः इस अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए उधार का सहारा लेना पड़ता है।

इस समस्या का एक गम्भीर पहलू यह भी है कि मुख्य रुप से यह छोटे–2 किसानो की समस्या है ये ऐसे किसान हे जिनके साधन बहुत थोड़े है जिनके पास भूमि नही है या बहुत थोड़ी है। इन किसानो के कृषि एवं पारिवारिक खर्चे अपेक्षाकृत अधिक होते है। इन्हे पूरा करने के लिए वे महाजनों से ऊंची ब्याज पर उधार लेते है, जिनकी उनके द्वारा वापसी नही हो पाती और यह बोझ उन पर बराबर लदा रहता है इस प्रकार ये अनुत्पादक ऋण केवल इस दृष्टि से ही भार स्वरुप नही है कि इनका प्रयोग सन्तोषजनक नही है बल्कि इस दृष्टि से भी कि यह भार ऐसे कन्धो पर है जो उसे उठाने के लिए विल्कुल समर्थ नही है।

ऋण ग्रस्तता के सम्बन्धत में समय–समय पर अनेक अनुमान लगाये गये है कीमतो में उतार चढ़ाव की वापसी आदि के फलस्वरुप इन अनुमानो में अनेक परिवर्तन होते रहे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राम ऋण के बारे में तीन 10 वार्षिक सर्वेक्षण 1951, 1961 और 1971 में किये। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था ने दो सर्वेक्षण 1981–82 और 1991–92 के लिए किये। सर्वेक्षणो से पता चलता

है कि कृषक परिवारो में गैर कृषक परिवारों की तुलना में औसत ऋण अधिक था। ग्राम क्षेत्रो में प्रति परिवार औसत ऋण सभी वर्गो में धीरे–2 बढ़ता गया और 1991 से 2001 के बीच 500 रु0 से बढ़कर 2600 रुपये हो गया। वास्तव में, यह कोई भारी वृद्धि नही है और इसे तो केवल स्फीतिकारी प्रक्रिया का प्रतिबिम्ब ही समझना चाहिए।

जनपद में व्यवसायिक बैंको में जमा धनराशि एवं ऋण वितरण (,000 रु0)

सारिणी 5.12

क्र0स0	**2002–03**	**2003–04**	**2004–05**
1. जमा धनराशि	6777400	7428400	7792200
2. कुल ऋण वितरण	2693600	1682864	2004157
3. जमा धन राशि में ऋण वितरण का प्रतिशत	40%	23%	2572
4. प्राथमिका क्षेत्र में ऋण वितरण			
4.1 कृषि तथा कृषि सम्बन्धित कार्य	791950	905602	1830671
4.2 लघु उद्योग	32317	26072	21430
4.3 अन्य	107459	125138	152036
योग	931726	1056812	2004157

स्रोत: लीड बैंक अधिकारी जालौन

उपरोक्त सारिणी 5.12 (जनपद में व्यवसायिक बैंको में जमाराशि एवं ऋण वितरण) के आकलन से निष्कर्षतः निम्न बिन्दु निकलते है–

- जनपद में लगातार विगत वर्षो में व्यवसायिक बैंको में जमा धन राशि में वृद्धि हो रही है। हालाकि जमाधन राशि में ऋण वितरण का प्रतिशत गिरता जा रहा है।

- प्राथमिक क्षेत्र के वितरित ऋण के आंकड़ो पर दृष्टि डाली जाये तो देखा गया है सबसे ज्यादा फयदा कृषि क्षेत्र को हुआ क्रमश तीनो ही सालो में कृषि के बाद लघु उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अधिक ऋण वितरित किया गया लेकिन विगत वर्षो में (2002–03, 2003–04, 2004–05) में वितरित ऋणो के प्रतिशत में लगातार कमी दर्ज की गयी।

अध्याय– षष्ठम्

अध्याय–6

लाभान्वित परिवारों का अध्ययन–

(का) लाभान्वित परिवारों का औसत आकार (ख) लाभान्वित परिवारों का जातीय आधार पर अध्ययन। (ग) विभिन्न जाति वर्गो में उपार्जित एवं अनउपार्जित सदस्यों का अनुपात। (घ) परिवार नियोजन की स्थिति।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण–

जातीय आधार पर साक्षरता का प्रतिशत/विभिन्न जाति वर्गो में जातिगत आधार पर साक्षरता का प्रतिशत एवं महत्व का परीक्षण।

सामान्य रुप से यह माना गया है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले लोगो की अपेक्षा गरीब व्यक्ति अधिक बड़े परिवार का वहन करते है। इनकी आर्थिक स्थिति तब और खराब हो जाती है जबकि विशाल आकार वाले परिवार निम्न आय, अशिक्षा, अन्ध विश्वास आदि समस्याओं से ग्रसित हो जाते है। एक परिवार स्थिति सीधे तौर पर परिवार के आकार से सम्बन्धित है। यदि परिवार का आकार बड़ा है तो परिवार की आर्थिक स्थिति बहतर होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि रोजगार से सम्बन्धित नही है। परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि रोजगार से सम्बन्धित नही है। परिवार में प्रति व्यक्ति बड़ी संख्या में वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है। जो कि गरीब आर्थिक स्थिति की सूचक है। अधोलिखित सारिणी प्रस्तावित नमूने में विभिन्न जाति वर्ग में परिवारों के औसत आकार को प्रदर्शित करती है।

सारिणी न0–6.1

विभिन्न जाति वर्गो में एक परिवार का औसत आकार

क्र0स0	सदस्यो की श्रेणी	सवर्ण	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति
1.	बच्चे (0–14 वर्षो के)	1.67	1.17	1.08
2.	बृद्ध व्यक्ति (60 वर्षो के)	0.25	0.10	0.12
3.	बालिग परिवार	2.40	2.20	2.65
4.	प्रौढ़ आदमी	1.33	2.20	2.15
	एक परिवार में औसत सदस्य	5.65	5.67	6.00

उपयुर्क्त सारिणी न0 6.1 से स्पष्ट है कि जातियो में औसत परिवारो का आकार सवर्ण पिछडे वर्ग एवं अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों में क्रमशः 5.65, 5. 67, एवं 6.00 है। जहां तक एक सवर्ण परिवार की संरचना का सम्बन्ध है– इसमें 1.67 स्कूल जाने वाले बच्चे है, 0.25–60 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्ति है 2.40 प्रौढ़ महिलाएं है तथा 1.33 प्रौढ़ पुरुष है। एक पिछड़े परिवार की संरचना में 1.17–19 से कम आयु वर्ष के बालक है 0.10 वृद्ध पुरुष है 2.20 प्रौढ़ महिलाएं है तथा 2.20 प्रौढ़ पुरुष है। एक अनुसूचित जाति के परिवार में 1.08 बच्चे, 0.12 वृद्ध पुरुष, 2.65 प्रौढ़ महिला सदस्य तथा 2.15 प्रौढ़ पुरुष है। उपयुर्क्त सारिणी से यह भी स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति में परिवार का आकार सबसे बड़ा है जबकि सवर्ण परिवारों में यह सबसे कम है।

उपयुर्क्त सारिणी के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि सामान्यतया सवर्ण परिवारों में कार्य न करने वाले तथा बेरोजगार सदस्यो का उच्च अनुपात है

जैसा कि इन परिवारों में 1.67 बच्चे, 0.25 वृद्ध व्यक्ति स्पष्ट है 2.4 महिला सदस्यों का उच्च अनुपात है जबकि कार्य करने वाले प्रौढ़ पुरुषों–1.33 का निम्नतम अनुपात है। यही अनुपात पिछड़ी जातियो –2.2 एवं अनुसूचित जातियों (2.15) के सन्दर्भ में दुगुना है। सवर्ण समुदाय के सदस्यो का जीवन स्तर तथा कम आय ही इसके लिए उत्तरदायी है।

(क) लाभान्वित परिवारों का औसत आकार–

सम्पूर्ण नमूने की जनसंख्या का संरचनात्मक विवरण संक्षिप्त रुप में सारिणी नं0 6.2 से प्रदर्शित है। प्रस्तुत नमूने में सवर्ण परिवारों की समस्त संख्या 120 पिछड़े परिवारों की 60 तथा अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 60 है। परिवारों में सदस्यों की संख्या सवर्ण परिवारों में 680 पिछड़े परिवारों में 340 तथा अनुसूचित जाति के परिवारों में 360 है।

सारिणी 6.2

क्र. स.	सदस्यो की श्रेणी	सवर्ण		पिछड़ी जाति		अनुसूचित जाति	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	बच्चे (0.14 वर्ष के)	200	29.41	70	20.58	65	18.06
2.	वृद्ध व्यक्ति (60 वर्ष के)	30	4.41	6	1.76	7	1.94
3.	प्रौढ़ परिवार	290	42.65	132	38.83	160	44.44
4.	प्रौढ़ व्यक्ति	160	23.53	132	38.83	128	35.56
कुल	जनसंख्या	680	100.00	340	100.00	360	100.00

उपयुर्क्त सारिणी यह प्रदर्शित करती है कि सवर्ण परिवारों को सम्पूर्ण जनसंख्या जो कि 680 है, में 200 बच्चे तथा 30वृद्ध पुरुष है सवर्णो के इस परिवारों की सम्पूर्ण जनसंख्या में 160 प्रौढ़ पुरुष है। इस प्रकार 23.53 रोजगार प्राप्त व्यक्ति है जबकि अवशिष्ट 520 अर्थात 77.41 प्रतिशत सदस्य आर्थिक रुप से प्रौढ़ पुरुषों (रोजगार प्राप्त) पर आश्रित है। यह अत्यन्त सुपरिचित है कि सवर्ण परिवारों में महिलाएं न तो दैनिक मजदूरी और न पूर्ण समय आधारित रोजगार करने के लिये अनुमोदित छोटी है क्योकि समाज में सामाजिक रीति रिवाज इसका निषेध करते है। इस प्रकार सवर्ण जनसंख्या का मात्र 23.53% ही रोजगार में संलग्न है जबकि अवशिष्ट 77.47% आर्थिक रुप से इन पर अवलम्बित है।

पिछड़े तथा अनुसूचित जाति परिवारों में स्त्रियों तथा पुरुष दोनो ही रोजगार सम्बन्धी क्रिया कलापों में संलग्न है। इन परिवारों का प्रत्येक सदस्य चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष अत्यधिक छोटी आयु से ही कमाना प्रारम्भ कर देता है जो कि औसत रुप में 15 वर्ष होती है। उपयुर्क्त सारिणी से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि पिछड़े परिवारों के 340 सदस्यों में से 264 सदस्य पिछड़े वर्ग की सम्पूर्ण जनसंख्या का 77.69% रोजगार प्राप्त है जबकि अवशिष्ट केवल 76 सदस्य (22.36%) आर्थिक रुप से निर्भर है। ठीक इसी प्रकार से अनुसूचित जाति में भी परिवारों का प्रत्येक सदस्य 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् कमाना प्रारम्भ कर देता है। इनमें सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या 360 के 288 सदस्य (80 प्रतिशत) रोजगार में लगा हुआ है जबकि अवशिष्ट 72 सदस्य (20

प्रतिशत) मात्र आर्थिक रुप से इन पर निर्भर है। इसीलिए यह कहना पर्याप्त है कि कुछ निश्चित सामाजिक परिस्थितियों तथा आचार विचार के कारण सवर्ण वर्ग में अनुसूचित जातियों की तुलना में निर्भरता अनुपात सर्वाधिक है जबकि अनुसूचित जातियों में यह सबसे कम है।

सारिणी न0 –6.3

(ख) लाभान्वित परिवारो का जातिगत आधार पर अध्ययन एवं उनकी संख्या–

क्र. स.	परिवार का आकार (सदस्य)						
		सवर्ण		पिछड़ी जाति		अनुसूचित जाति	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	0–2	9	7.50	5	9.33	8	13.83
2.	3–5	51	42.50	29	48.33	30	50
3.	6–8	48	40	19	31.66	19	31.66
4.	9–11	11	9.17	5	8.34	2	3.34
5.	12–14	–	–	1	1.67	1	1.67
6.	15 और उससे ऊपर	1	0.83	1	1.67	–	–
	कुल	120	100	60	100	60	100

उपयुर्क्त सारिणी न0 6.3 से प्रमाणित है कि तीनों जाति वर्गों में उललिखित परिवारों में सामान्य रुप से 3–5 सदस्य है। सवर्ण वर्ग के अन्तर्गत ऐसे परिवारों का प्रतिशत 42.50 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत 48.33 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियां के अन्तर्गत परिवारों का प्रतिशत 50 है। यह इस तथ्य का भी सूचक है कि ग्रामीण क्षेत्रो में विभिन्न जातियों के व्यक्तियों ने परिवार नियोजन सम्बन्धी उपायों को अपना लिया है। साथ ही वे यह अनुभव करने लगे है कि एक नियोजित परिवार ही सुखप्रद तथा समृद्धिशाली जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसे परिवारों का प्रतिशत जिनमें 6 से 8 सदस्य है। भी उल्लेखनीय है सवर्णो के सन्दर्भ में यह प्रतिशत 31.66 है जबकि पिछड़े वर्गो तथा अनुसूचित जाति वर्गो में यह प्रतिशत समान 31.66 है। उपयुर्क्त सारिणी यह भी पूर्णतया स्पष्ट करती है कि ऐसे परिवार जिनमें सदस्यों की संख्या 0 से 8 है नमूने में लिए गये परिवारों में यह प्रायः सर्वाधिक व्यापक है हमारी सामाजिक स्थापना में सयुक्त परिवार की प्रथा प्रायः लुप्त हो रही है। धीरे–2 यूरोपीय सभ्यता का छोटे आकार के परिवार का उदाहरण भारत के ग्रामीण क्षेत्रो में भी अपनी जड़े जमा रहा है।

सारिणी न0–6.4
विभिन्न आकार के परिवार और विभिन्न आय वर्गो में उनकी संख्या में सवर्ण जाति

आय वर्ग	परिवार का आकार					
	0–2	3–5	6–8	9–11	12–14	15 व इससे ऊपर
एच0आई0जी0	7 (5.83)	8 (6.66)	5 (4.17)	–	–	–
एम0आई0जी0	2 (1.67)	41(34.17)	38 (31.66)	11 (9.17)	–	1 (0.84)
एल0आई0जी0	–	2 (1.67)	5 (4.17)	–	–	–
कुल प्रतिशत	**9 (7.49)**	**15 (42.50)**	**48 (40)**	**11 (9.17)**	–	**1 (0.84)**

आय वर्ग	परिवार का आकार						
	0–2	3–5	6–8	9–11	12–14	15 व इससे ऊपर	
पिछड़ी जाति							
एच0आई0जी0	3 (5.00)	4 (6.66)	2 (3.33)	–	–	–	
एम0आई0जी0	2 (3.33)	24 (40.00)	15 (25.00)	5 (8.33)	1 (1.67)	1 (1.67)	
एल0आई0जी0	–	(1.67) (1.67)	(3.34) (3.34)	–	–	–	
कुल प्रतिशत	**5 (8.33)**	**29 (48.33)**	**19 (31.67)**	**5 (8.33)**	**1 (1.67)**	**1 (1.67)**	**60 100%**

आय वर्ग	परिवार का आकार						
	0–2	3–5	6–8	9–11	12–14	15 व इससे ऊपर	
अनुसूचित जाति							
एच0आई0जी0	2 (3.33)	3 (5.00)	–	–	–	–	
एम0आई0जी0	6 (10.00)	22 (36.66)	18 (30.00)	2 (3.33)	1 (1.67)	–	
एल0आई0जी0	–	5 (3.34)	1 (1.67)	–	–	–	
कुल प्रतिशत	**8 (13.33)**	**30 (50.00)**	**19 (31.67)**	**2 (3.33)**	**1 (1.67)**	--	**60 100%**

उपयुर्क्त सारिणी न0 6.4 विभिन्न आय वर्गो में विविध आकार के परिवारों की संख्या के विवरण की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदर्शित करती है। परिवार के आकार तथा आकार तथा आय वर्ग के बीच सम्बन्ध उपयुर्क्त सारिणी द्वारा प्रदर्शित है यहां विभिन्न आय वर्गो यथा–उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के सम्बन्ध में तीनो जातियों में परिवारों के आकार में वृद्धि तथा कमी को निश्चित करने का प्रयास किया गया है।

उच्च आय वर्ग के किसी भी जाति समूह में कोई भी परिवार ऐसा नही है जिसमें 6 से अधिक सदस्य हो निम्न आय वर्ग के किसी भी जाति समूह के अन्तर्गत एक परिवार में कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक 8 सदस्य है। मध्यम आय वर्ग की किसी भी जाति समूह में एक परिवार में सदस्यों की संख्या कम से कम 3 तथा अधिक से अधिक 8 है। जो कि तीनों जातियों में सर्वाधिक है। यह भी देखा गया है कि मध्यम वर्ग अन्य विशिष्ट रुझान प्रदर्शित करता है। इसी समूह में विशाल परिवारों की घटनाएं सर्वाधिक है।

अब हम इस कारक की गणना का प्रयास करते है जो कि नगरीय एवं उपनगरीय क्षेत्रो की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में विशाल आकार के परिवारों के ज्यादा सदस्यों के लिये उत्तरदायी है। वह कारक मानसिक व सामाजिक के समान आर्थिक भी है। इससे सर्वप्रथम यह प्रदर्शित होता है कि परिवार के आकार तथा मानक जीवन स्तर के बीच आन्तरिक सम्बन्धों की व्याख्या के सन्दर्भ की, ग्रामीण जन समुदाय के बीच अवगतता में कमी है। यह कारक पुनः सामाजिक आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में अशिक्षा, आवश्यक तथा पूर्णतयः

जो कि संसार के विकसित देशों में प्रचलित है। द्वितीयतः ग्रामीण जल समुदाय की विशिष्ट मानसिकता उन्हे दूसरों से मित्रता की अपेक्षा एक विशाल आकार के परिवार से बाधे रखने के लिये बाध्य करती है। इसका प्रधान कारण सामाजिक कार्य कलापो के प्रति उनकी बाध्यता है, दूसरो शब्दों में सामाजिक आचार व्यवहार तथा ग्रामीण जनसंख्या के बीच लेन–देन का व्यवहार उन्हे रक्त

सम्बन्धों में बांधे रखता है। परिणामतः विशाल आकार के परिवारों सदस्यों के बीच सामाजिक अन्तः सम्बन्धों के ज्यादा अवसर रहते है। इसीजिए सदस्य किसी भी आवश्यक कार्य विवाह तथा अन्य किसी उत्सव जैसी आवश्कता कि समय एक दूसरे का सहारा तथा सहायता कर सकते है। तीसरी धारणा यह है कि यदि किसी परिवार में ज्यादा सदस्य है तो उसमें कमाने वाले सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी। चौथा तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक यह है कि वहां सेक्स से पृथक मनोरंजन के किसी दूसरे साधन की कमी है, इसी से इस तथ्य की व्याख्या भी की जा सकती है कि एक परिवार में दो या तीन वर्षो में एक नया सदस्य जन्म लेता है।

(ग) विभिन्न जाति वर्गो में उपार्जित एवं अन उपार्जित सदस्यों का अनुपात—

सामान्यतः यह देखा गया है कि यदि किसी परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो उसमें कमाने वाले सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी। सवर्ण वर्ग के अन्तर्गत किसी परिवार में प्रायः यह देखा गया है कि केवल एक सदस्य ही कमाता है, जबकि अवशिष्ट 6 से 8 सदस्य उस पर निर्भर है। जबकि पिछड़े तथा अनुसूचित जाति के परिवारो में यह स्थिति कठिनता से प्राप्त है। अद्योलिखित सारिणी विभिन्न जातियों की जनसंख्या के बीच कमाने वाले तथा न कमाने वाले सदस्यों के अनुपात को प्रदर्शित करती है।

सारिणी न0 6.5

जातिगत आधार पर रोजगार प्राप्त तथा बेरोजगार जनसंख्या की दर

जाति वर्ग	कुल जन संख्या	सम्पूर्ण रोजगार प्राप्त शक्ति	कुल रोजगार	प्रतिशत	अनुपात
सवर्ण	680	450	157	34.90	1:4.3
पिछड़ी जाति	340	264	123	49.60	1:2.8
अनुसूचित जाति	360	288	196	68.05	1:1.8
कुल	**1380**	**1002**	**476**	**47.50**	**1:2.9**

दूसरो पहलू जो कि हमारा मनोयोग पूर्वक ध्यान आकर्षित करता है वह परिवार के आकारों से सम्बन्धित है– जब तीनों जातियों के परिवारों में कमाने वाले और न कमाने वाले सदस्यों का अनुपात तुलनात्मक रुप में उपस्थापित किया जाता है तब तक दिलचस्प व मनोरंजक रहस्योडघाटन होता है उपयुर्क्त विवरण में यह देखा गया है कि जहां तक तीनों जातियों–सवर्ण वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों में रोजगार प्राप्त व्यक्ति का सम्बन्ध है, रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत अनुसूचित जाति के मामलो में सर्वाधिक (68.02), है, सवर्ण जाति के मामलो में रोजगार (34.90) प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत सर्वाधिक कम है जबकि पिछड़ी जाति वर्ग में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत मध्यम स्थिति (49.60) को प्रदर्शित करता है। परिणामतः कमाने वाले

तथा बिना कमाने वाले सदस्यां का अनुपात सवर्ण वर्ग के परिवारों में 1:4.3 होता है पिछड़ी वर्ग के परिवारों में कमाने वाले तथा न कमाने वाले सदस्यों का अनुपात 1:4.3 होता है पिछड़ी वर्ग के परिवारों में कमाने वाले तथा न कमाने वाले सदस्यों को अनुपात 1:2.8 है जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों में यही अनुपात 1:1.8 का उपस्थापित होता है। यह विवरण इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि सवर्ण वर्ग के परिवारों में कमाने वाले सदस्यों के ऊपर बिना कमाने वाले सदस्यों की निर्भरता की घटनाएं सर्वाधिक है इससे यह भी प्रमाणित होता है कि सवर्ण परिवारों की निम्न आर्थिक स्थिति तथा तुलनात्मक निम्न प्रति व्यक्ति आय इसी तथ्य से अनुप्रमाणित होता है। इस तथ्य के लिये प्रधान कारण सवर्ण परिवारों में स्त्री समूह की स्थिति में खोजा जा सकता है। क्योकि इन परिवारों में स्त्रियों यद्यपि कमाने योग्य आय उपार्जित करने योग्य है लेकिन वे अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण किसी भी रोजगार से संलग्न नही है जिससे परिवार में निर्भरता अनुपात में वृद्धि होती जाती है। दूसरी अन्य दो जातियों में महिला सदस्याएं प्रारम्भ से ही रोजगार में संलग्न हो जाती है। और पुरुष सदस्यों के साथ–साथ रोजगार में भाग लेती है। जिसका परिणाम यह होता है कि इन परिवारों में निर्भरता अनुतात में कमी होती जाती है। निष्कर्षतः कमाने वाले और न कमाने वाले सदस्यों का अनुपात तथा रोजगार नमूना ये दोनो ही सवर्ण परिवारों में निराशाजनक स्थिति को प्रदर्शित करते है।

(घ) परिवार नियोजन–

जनसंख्या वृद्धि की समस्या विश्व व्यापी समस्या है भारत जैसे विकास शील देशों के लिये यह और भी अधिक गम्भीर समस्या है जनसंख्या का लगातार बढ़ना एवं संसाधनो की सीमितता न केवल जनसंख्या विस्फोट की ओर इंगित करता है अपितु गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी , बेरोजगारी का ऐसा दुष्चक्र स्थापित करता है जिससे विकास के सारे प्रयास विफल होते नजर आ रहे है। कई विद्वानों मीनीषी विचारकों और राजनेताओं ने इसकी विभीषका का पहले से ही आंक लिया था और अपने व्यक्तत्य (भाषण) में कुछ इस प्रकार कहा भी है। डा0 जाकिर हुसैन ने कहा–''जनसंख्या बढ़ने से विकास के सारे प्रयत्न निरर्थक हो जाते है और इससे समाज तथा हर परिवार में तबाही आती है। ''माननीय स्व0 इन्दिरा गांधी ने कहा था– ''किसी भी देश के लिये जनसंख्या बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। परन्तु जब उस देश के साधन सीमित हो तब जन संख्या वृद्धि का अर्थ है कम प्रगति और अधिक समस्यायें। इसी प्रकार सभी विचारको ने जनसंख्या पर रोक के लिये सुझाव दिये''।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जनसंख्या दुगुनी से भी अधिक हो गयी जिसका कारण कोई एक नही अपितु कई है हमारे देश की जलवायु जो लड़का–लड़की को कम उम्र में ही बच्चा पैदा करने के लिये परिपक्व करती है। महिलाओं की प्रजनन शक्ति, निर्धनता, अशिक्षा रुढ़िवादिता अन्ध विश्वास बेरोजगारी वाल–विवाह मृत्यु दर में कमी, धार्मिक कारण, मनोरंजन साधनों का अभाव एवं परिवार नियोजन की अपेक्षा। यही कारण है कि एक देश की जनसंख्या के

बराबर भारत में प्रति बच्चे पैदा होते है। भारत एक सम्बन्ध में कहा गया कि India produces one Australia every year भारत की जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान दे कि 1901 में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी। जो 1991 में बढ़कर 84.6 करोड़ तथा 2001 में 102.8 करोड हो गई अनुमान है कि 2007 में 108 करोड़ हो गयी होगी। जनसंख्या की दृष्टि से पृथ्वी पर हर छठवा व्यक्ति भारतीय है यद्यपि जन्म दर में लगातर गिरावट आ रही है फिर भी अभी जन्मदर को काफी कम करना पड़ेगा साथ ही अभूतपूर्व प्रगति के कारण कमी आयी है। अतः देश की जनता परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को नही अपनाती।

परिवार नियोजन परिवार की संख्या को सीमित एवं गुणात्मक विकास की दृष्टि से सदृढ़ता से है। परिवार नियोजन की शुरुआत स्वतन्त्रता से पहले ही हुई थी। किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति बाद प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में एक बड़ी धन राशि परिवार कल्याण हेतु खर्च की गयी नवी पंचवर्षीय योजना में 5113 करोड रु0 व्यय करने का प्रस्ताव है 1976 को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की एवं 35 प्रति हजार जन्म दर को घटाकर 25 प्रति हजार करने की घोषणा की साथ ही विवाह योग्य उम्र में वृद्धि करने 18 वर्ष लडकियों के लिये एवं 21 वर्ष लड़को के लिये की एवं नियोजित परिवार रखने बालकों विशेष केन्द्रीय सहायता अधिक वित्तीय प्रेरणा एवं सुविधाएं देकर लोगो को परिवार नियोजन के प्रति रुझान व आकर्षण पैदा किया। पुनः केन्द्र सरकार ने 2000 को जनसंख्या नीति घोषणा की है जिसमें जनसंख्या को ऐसे

स्तर पर स्थिर करने हेतु प्रयास की चर्चा की गई है जो आर्थिक वृद्धि सामाजिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को दृष्टि से तात्कालिक उद्देश्य के रुप में गर्भ निरोधक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था की आपूर्ति एवं वर्ष 2010 तक कुल प्रजनन दर (TFR) को 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाने का प्रयास एवं दीर्घकालीन उद्देश्य के रुप में सन 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना बताया है। बाल विवाह एवं प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीकी निरोधक अधिनियम को कठोरता से लागू करने पर बल दिया गया। एवं प्रचार सरकारी प्रयास एवं जन सहयोग से लोगो के सोच में बदलाव आया है। लोग सीमित परिवार अर्थात परिवार नियोजन के प्रति जागरुक हुए है जिला जालौन के स्तर पर विगत तीन चार वर्षो में परिवार नियोजन के साधन आपरेशन, कापर टी, सी0सी0यूचर्स एवं ओ0वि0 यूजर्स के लक्ष्य को काफी हद तक प्राप्त किया जा चुका है।

जनपद–जालौन में विगत तीन वर्षो में परिवार नियोजन का लक्ष्य एवं प्राप्ति

सारिणी–6.6

साधन	2004–2005		2005–2006		2006–2007	
	T	A	T	A	T	A
आपरेशन	8330	7374 (88.5)	8499	6511	8499	6812
कापर टी	22000	18659 (84.3)	222	19031	22220	19411
सी0सी0यूजर्स	16500	14506 (87.9)	16662	13627	16665	16221
ओ0वी यूजर्स	7900	7021 (88.8)	1999	6828	7979	1569

उपरोक्त सारिणी–6.6 से स्पष्ट है कि औसत लक्ष्य प्राप्ति 85% हुई जिसमें वर्ष 2004–05 में ज्यादा एवं वर्ष 2005–06 में लक्ष्य प्राप्ति 100 कुछ कम एवं 2006–07 में आपरेशन कापर टी, सी0सी0 यूर्जस ओ0पि0 हो क्रमशः 80%, 87% 97% एवं 94.7% रहा 2008 तक में क्रमशः 83.8, 77.9, 88.9 एवं 84% है।

वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजनाये मात्र 7 वर्षो में 2012 तक मातृत्व मृत्युदर प्रजनन दर में कमी लाने के लिये आशा (स्वास्य कार्य रक्षा) जननी सुरक्षा एवं उच्च स्तरीय परिवार नियोजन बीमा सुरक्षा की गयी है कल प्रजनन दर उसे 2.1 एवं मातृत्व मृत्युदर 40 प्रति लाख जन्म से 100 प्रति लाख जन्म एवं शिशु मृत्युदर 63 प्रति हजार से 30 प्रति हजार वर्ष 2012 के लिये लक्ष्य रखा गया जिसमें कुल G.D.P का 2% व्यय करने का भी प्रावधान रखा है।

अध्याय– सप्तम्

अध्याय–7

रोजगार सृजन कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष बाधक कारक एवं कारण–

सामाजिक न्याय सहित आर्थिक विकास, शुरु से ही भारतीय आयोजन का मूल दर्शन रहा है। परन्तु विडम्बना यह है क पांच दशकों की एक लम्बी पारी (Innings) खेलने के बावजूद हमारी योजनाएं गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन की बात तो दूर रही, अभी तक अभाव ग्रस्तता था अतिहीनता की अवस्था को दूर करने में भी असमर्थ रही है विशेषकर जनपद जालौन में तो यही स्थिति है। भले ही निर्धनता–अनुपात के अनुमान और प्रक्षेपण कुछ भी कहानी कहे, वास्तविकता तो यह है कि आर्थिक सुधार (Economic Reforms) के पूर्वकाल अर्थात् 1980 के दशक में गरीबी के घटने की दर जहां 1.6% थी, 1990 के दशक में यह मन्द होकर 0.8% रह गयी। प्रश्न यह उठता है। कि एक लम्बी–छलांग के बजाए आखिर बैठी छलांग क्यों? सम्भवतया इसका एक मुख्य कारण हमारे आयोजकों द्वारा आयोजना की उत्पादन मूलक उपागम (Production oriented Approach) को लागू करना रहा है। इस स्वयं संचालित विकास विधि का सार यह है कि राष्ट्रीय आय की तीब्र वृद्धि दर स्वतः अधिक और पूर्ण रोजगार कायम करती है और प्रगतिशील कराधान तथा सार्वजनिक कल्याण नीतियों से गरीबों का जीवन–स्तर स्वतः ऊँचा उठने लगता है।

ऐसा जान पड़ता है कि हमारे आयोजक इस समीकरण के दूसरे पक्ष को नजर अन्दाज कर गये है। पहली बात तो यह है कि आय तथा सम्पत्ति की विषमताओ को कम करने के लिये पुर्नवितरण नीतियों (Redistributive Policies) की अवहेलना की गई है। दूसरा, यदि उत्पादन पद्धति में परिवर्तन न किया जाए और सम्पत्ति धारणधिकार (Tenunial Rights) में बदलाव न लाया जाए तो विकास तो होगा परन्तु विकास के समस्त लाभ उत्पादन के संसधानों के स्वमियों द्वारा हडपकर किये जाते है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है क घोर निर्धनता में जीवन यापन करने वाले लोग आज भी हमारी कुल जनंसख्या का लगभग 25 से 30% है।

हमारे आयोजन में एक विसंगति यह रही है कि उत्पादन और वितरण को दो अलग–2 स्वतन्त्र क्रियाएं मान लिया गया। जबकि वास्तव में, उत्पादन की शक्तियां वितरण के ढ़ांचे को निर्धारित करती है और आय वितरण का ढांचा उत्पादन–ढ़ांचे को निरुपित करता है। दूसरे शब्दों में, उत्पादन–कुशलता (Productive Eficiency)और वितरणात्मक आय (Distributive Justice)विकास के दो स्वतन्‍ चर (Variables)नही है। बल्कि बुनियादी तौर पर यह गाड़ी के अगले दो पहियों (Front wheels) की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए है। यदि आय–वितरण के ढ़ाचे में अनुकूल परिवर्तन नही किये जाते, तब गरीबी दूर करने के लिये मजदूरी–वस्तुओ (Wage -goods) के उत्पादन को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने का लक्ष्य निरर्थक सिद्ध होता है। चूंकि इसके लिये यह जरुरी था कि ग्रामीण तथा शहरी दोनो क्षेत्रो में परिसम्पन्नो के कुवितरण (Maldistribution of Assets) को ठीक

करने के लिये एक साथ सीधा प्रहार किया जाता परन्तु सरकार ऐसा नही कर सकती क्योकि आर्थिक नीतियों पर राजनैतिक निर्णयों का हमेशा दबदबा बना रहा है।

भारत में बढ़ती बेरोजगारी ने भी गरीबी को निरन्तर बढ़ावा दिया है। यद्यपि गरीबी और बेरोजगारी दोनो मानवीय अभिशाप है लेकिन इन दोनो में बेरोजगारी ज्यादा बड़ा दानवीय अभिशाप है गरीबी कम से कम जीने का अवसर तो देती है। जबकि बेरोजगारी जीने के अवसर से भी वंचित कर देती है (भले ही निम्न स्तरीय हो), जबकि बेरोजगारी जीने के अवसर से भी वंचित कर देती है।

हमारे योजना प्रलेखों में यह बात कई बार दोहरायी गयी है कि "रोजगार वह सबसे विश्वसीय उपाय है जिसके द्वारा निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले असंख्य व्यक्तियों को ऊपर उठाया जा सकता है।"

वास्तव में, वह उदघोष केवल गरीबो के प्रति एक राजनैतिक संवेदना मात्र है क्योकि रोजगार को आयोजन का केन्द्र बिन्दु बनाने और उत्पादन नीतियों को इस केन्द्रीय उद्धेश्य के इर्द गिर्द बुनने सम्बन्धी राजनीति की सदैव अवहेलना की गयी है। भारतीय आयोजना की शायद सबसे कमजोर कड़ी इसका रोजगार पक्ष है जिसका दीर्घकालीन समाधान करने के बजाय, हमेशा अस्थायी कार्यक्रमों द्वारा अल्प कालिक समाधान ढूढंने का प्रयास किया गया है।

बेरोजगारी हटाने सम्बन्धी जितने भी कार्यक्रम तैयार किये गये है उनका कार्यान्वयन पक्ष बेहद कमजोर रहा है। संसाधनो का अपव्यय और कोषो का रिसाव आम बात है। पहले नौकरशाही पुण्य लाभ कमाती थी अब ग्राम पंचायते

पुण्य लाभ उठा रही है। फिर, सरकार के बदल जाने पर पुराने कार्यक्रम बीच में छोड़कर दिये जाते है और उनके स्थान पर नये कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गयी है। परिणाम स्वरुप पूर्व–लक्षित गरीबी तो ज्यौ की ज्यौ बनी रहती है। जबकि ऊपर से राष्ट्रीय संसाधनो के अपव्यय के रुप में गरीी की एक नई परत और चढ़ जाती है।

यह दुःखद विषय है कि प्रमुख नीति निर्णय जो कि लोगो के सहयोग का आकांक्षी होता है पूर्णतया आकर्यान्वित रह जाता है। व्यवहारिक रुप में विकास प्रक्रिया में लोगो के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिये एवं गरीबी शोषण पीड़ा के बन्धन से लोगो को छुटकारा देने वाले परिमाणिक उपचारात्मक उपायों तथा निर्धनता क कारणात्मक कारको के वैज्ञानिक विश्लेषण में उनकी रुचि को जाग्रत करने की दिशा में या तो बिल्कुल नकारात्मक अथवा बहुत कम किया गया है, जो कि नगण्य ही है, विकास योजनाएं लोगो के लिये होने के बजाय कुछ सीमित लाभकारी एवं दबावकारी समूहो के लिये ही होती है।

प्रमुख समस्या की प्रकृति की वास्तविक समझ के बिना बेरोजगारी निवारण कार्यक्रमो पर करोड़ो रुपये व्यय करना गाड़ी के घोड़े के आगे रखने के समान होगा इस प्रकार हमने इस समस्या के लिये उत्तरदायी कारको को देखा है एवं सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेरोजगारी निवारण कार्यक्रमों के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर पर्याप्त रुप से प्रकाश डाला है।

रोजगार सजृन कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष बाधक कारक एवं कारणो को इस प्रकार निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(1) रोजगार सृजन कार्यक्रमो में अनुभव हीनता एवं स्थानीय आवश्यकता की जानकारी का अभाव–

निर्धनता का रोजगार से एवं शिक्षा से सीधा सम्बन्ध है यह पूर्णतः सत्य तथ्य है कि रोजगार की, निर्धनता उन्मूलन की या विकास परक कोई भी योजना बिना जानकारी, सहयोग के बिना असफल या अर्द्धसफल होगी सर्वेक्षण से स्पष्ट मिलता है कि लोगो की योजनात्मक प्रक्रिया एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति अनुभवहीनता अज्ञानता एवं स्थानीय आवश्यकताओं की जानकारी न होने की वजह से योजनाओं का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन नही हो जा रहा है। ग्रामीण चलो में 85% ग्रामवीस वित्त से सम्बन्धित सरकारी कार्यक्रमो एवं गरीबो के लिये उपलब्ध अधः सरचनात्मक आधार तथा संस्थागत सुविधाओं से पूर्णतया अनमिज्ञ है परम्परा से प्राप्त भ्रष्ट राजनीतिक एवं नौकरशाही तत्वों ने इस`ओर तीब्र कर दिया है।

यह दुख का विषय है कि लोगो के सहयोग के बिना कोई भी नीतिगत निर्णय अकार्यन्वित रह जाता है। व्यवहारिक रुप में विकास प्रक्रिया में लोगो के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए एवं गरीबी शोषण से छुटकारा देने वाले परिमाणिक, उपचारात्मक उपायों तथा निर्धनता के कारणात्मक कारको के वैज्ञानिक विश्लेषण में उनकी रुचि को जाग्रत करने की दिशा में या तो बिल्कुल सकारात्मक अथवा बढ़त कम किया गया है जो कि नगण्य है विकास योजनाएं

जन साधारण के लिये होने की बजाय सीमित लाभकारी एवं दबावकारी समूहो के लिए ही होती है।

ग्रामीण समाज की विशिष्ट लाक्षणिक, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक धारणाएं उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को दर्शाती है कि अशिक्षा का विराट धारातल एवं अर्थ व्यवस्था में सामन्तवादी तत्वो की प्रधानता के साथ दृढ़ जड़वादी धारणाएं, जनसाधारण के सांस्कृतिकता, नैतिकता विश्वास पात्रता पर कुठाराघात करते है यही वह तथ्य है जिससे गरीब, कभी भी गरीबी रेखा से ऊपर नही उठ पाता है और गरीब और गरीब व अमीर और अधिक अमीर हो जाता है योजना आयोग के वर्तमान सदस्य जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति प्रो0 पी0एन0 श्रीवास्तव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हमे यह नही भूलना चाहिए कि यदि हमारी जनसंख्या का लगभग एक तिहाई उच्च वर्ग ही हमारे विकास में योगदान करता है। और उसे ही विकास के लाभ मिलते है तो हम शन्ति पूर्वक नही रह सकेगे।

(2) कार्यक्रम के क्रियान्वयन में असावधानी–

निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह सुस्थापित तथ्य है कि सम्पूर्ण साहस उत्साव के साथ निर्धनता की समस्या को समाधान के लिये प्रत्यन करने पर भी, हमने अभी तक अधः संरचनात्मक एव संस्थानिक प्रबन्धो के लिए पर्याप्त प्रबन्ध नही कर पाए है। जबकि यह प्रबन्ध हमारी विकास प्रक्रिया को सुस्थिरता प्रदान करने वाले है। बहुत सी योजनाएं वित्तीय संसाधनों के अभाव

में निष्क्रिय पड़ी रहती है जबकि यही उक्त प्रबन्ध हमारी विकास प्रक्रिया को सुस्थिरता प्रदान करेगे किन्तु कार्यक्रम ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास के लिये एक स्थाई तथा सुदृढ आधार बनाए रखने की अपेक्षा छोटी–छोटी योजनाओं को कार्यान्वित करके अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री कर रही है। इस विषय पर सभी अनुवर्ती परिणामों के साथ ग्रामीण रोजगार योजना एक अच्छा उदाहरण है, इस सामान्य सुनिश्चित ज्ञान के आधार पर कि विकास का स्थाई आधार ही निरन्तर तथा सतत प्रवाहमान विकास को सुनिश्चित करेगा– उक्त तथ्य को भुलाया जा चुका है। सम्बन्धित कार्यक्रम–विदों व निर्माताओं द्वारा लोकप्रियता प्राप्त करने की युक्तियों द्वारा क्षणिक विकास कार्यक्रमों किया जा रहा है। जब क्रियान्वयन में ही दोष अर्थात् कार्यक्रमों का प्रारम्भ करेगे तो निश्चित ही यह दोषपूर्ण क्रियान्वयन ही कहलावेगा। जबकि लोकतन्त्र की आत्मा इन्ही निचली शासन व्यवस्था में ही विद्यमान रहती है। इसीलिए डा0 आर0एन0 भार्गव ने उचित ही कहा था।

''स्थानीय संस्थाओं जनतन्त्रीय नेताओं के लिए अच्छा प्रशिक्षण क्षेत्र प्रदान करती है तथा यह अनेक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था के लिए बहुत उचित है भी जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, बीमारियों की रोकथाम, विद्युत एवं जन–आपूर्ति, पार्क एवं स्थानीय सड़को की व्यवस्था आदि।''

किन्तु खेद की बात यही है कि हमारे योजना क्रियान्वयन करने वाले योजनाओं का कार्यान्वयन उचित एवं सारगर्भित क्षेत्र में न करके सिर्फ कागजों

तक ही सीमित कर देते है। रिपोर्टो में बताया गया कि चूने हुए ब्लाको में अधिकत लाभार्थी गरीबों में सबसे अकिंचन समूजह में आने है, होना यही चाहिए था किन्तु यह जानकर दुःख होता है कि क्रियान्वयन अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े 16.10 नमूना लाभार्थी परिवारों के बारे में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अलग से किये गये मूल्यांकन से पूरी तरह पुष्ट नही होते है। चुने हुए नमूने राज्यो में आनुपातिक रुप से वितरित नही थे न तो जनसंख्या की दृष्टि से और न ही गरीबी की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में जहां भारत की 8 प्रतिशत जनसंख्या है केवल 592 परिवारों का लाभ लिया गया अर्थात् कुल 16.102 लाभार्थियों के 3.68 प्रतिशत परिवारों की ही। मध्य प्रदेश में 1795 लाभार्थी परिवारों की बड़ी संख्या का औचित्य सम्भवतः अधिक गरीबी को बताया गया।

(3) भ्रष्टाचार–

हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में असफलता के लिए सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कारण देश में भ्रष्टाचार की व्यापकता एवं समानान्तर अर्थव्यवस्था की वृद्धि है। भारी जन विनियोग में वृद्धि के साथ ही भ्रष्ट कार्यकलापों में समानान्तर रुप से वृद्धि हुयी है। हमने भ्रष्टाचार की व्यापकता में कैन्सर के समान वृद्धि की गति को देखा है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के ढांचे के प्राणभूत अंगो को खा रही है। और हमारे सम्पूर्ण विकासात्मक प्रयत्नों को पराजित कर रही है। अर्थ व्यवस्था में भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियां की गमन करने की प्रवृत्तियों एवं विशाल रिसाव में वृद्धि के साथ ही हम कठिनाई से ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त

कर सकते है। भ्रष्टाचार एक प्रतिआघातीय बल है जो कि हमारी योजनागत मशीन को सफलतापूर्वक दबा रहा है जिसके द्वारा हम समाज के गरीब वर्गो लाभ पहुंचाना चाहते है। यह भ्रष्टाचार ग्रहण एवं वितरण दोनो ही दिशाओं में कार्यान्वित होता है, प्रतीक रुप में इसे इस प्रकार से कहा जा सकता है।

भ्र–का=अ0ल0

प्रतीकों का स्पष्टीकरण

भृ=भृच्चार

ब0ल0=वास्तविक लाभ

अ0ल0=अभिलाषित मांगा हुआ लाभ

उपयुर्क्त प्रतीक वितरण की दिशा का है जबकि पुर्नलाभ प्राप्ति की दिशा भ्रष्टाचार को इस प्रतीक में व्यक्त किया जा सकता है–

भृ0व0प0अ0प0

भृ–भ्रष्टाचार

व0प0–वास्तविक पुर्नलाभ प्राप्ति।

अ0प0–अभिलषित पुर्नलाभ प्राप्ति।

उपयुर्क्त विवरण से स्पष्ट है क दोनो ही वितरण एवं सम्प्राप्ति की दिशाओं में भ्रष्टाचार में अद्‌भुद अनुपात में वृद्धि हो रही है। और इसने ग्रामीण क्षेत्रो में समाज के गरीब वग्रे के लिए चलाए जा रहे निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों क अवर्णनीय कठिनाइयां उत्पन्न की है रिसाव या भ्रष्टाचार में वृद्धि होने के परिणामस्वरुप निर्धन लोगो व्यक्तियों को वितरित करने के लिए सुनिश्चित किए गये लाभ शक्तिशाली स्वार्थी समूह द्वारा किनारे कर दिये गये है यह निश्चयपूव

कहा जा सकता है। कि देश के उन क्षेत्रों में जहां अशिक्षा एवं अंध विश्वास का प्रतिशत ऊंचा है जबकि राजनीतिक एवं सामाजिक चैतन्यता कम है भ्रष्टाचार के कारण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की समस्या का सफलता पूर्वक कार्यान्वत अधिक जटिल हो जाता है, भ्रष्टाचार ने समान के कमजोर वर्गो के लाभो के वितरण में एवं साधनों के बटवारे में असंख्य बाधाओं को उत्पन्न किया है यह उचित की कहा गया कि भ्रष्टाचार ने मध्यस्थो दलालो के साथ रक्षित निधि एवं वर्णो के खरीदार बाजार को उत्पन्न किया है। यद्यपि कि भ्रष्टाचार की सरकार के द्वारा पहचाना गया है।

हमारे कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रत्येक पहलू में यह स्थिति है। अनुसंधान कार्य के दौरान यह देखा गया है कि लाभ कर्ताओं की मौद्रिक लाभो का 25 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तिवरण ही अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। इसका वास्तविक प्रतिशत ऋण देने व लेने वाले की समान परिस्थितियों, क्षेत्र विशेष समय विशेष एवं उददे्श्य विशेष से निर्धारित होता है। यह अत्यधिक दुःखद विषय है कि इस गम्भीर स्थिति का अनुभव किए जाने के परिणाम स्वरुप भी इस चुनौती से संघर्ष कर विजय प्राप्त करने के लिये शायद ही कोई गम्भीर प्रयत्न किये गये हो। भ्रष्टाचार संस्था के बन गया है और कमजोर वर्ग के लोग भ्रष्टाचार की चुनौती का सामना करने में असमर्थ है। विशेष रुप से स्थिति तब और भयावह हो जाती है। जब निर्धन वर्ग धन एवं धृणित राजनीति के पारस्परिक षड़यन्त्र को देखते है साथ ही भ्रष्ट शासकों एवं भ्रष्ट राजनेताओं की घृणित सहभागिता को देखते है राजकीय मामलों यह अत्यधिक दुर्भाग्य पूर्ण है कि भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था की मशीन को मोड़ने में एक अत्यधिक लचीली सुविधा

बन गई है। उपहास में लोग भ्रष्टाचार की तुलना तेल से धूलस से करते है और वे कहते है कि बिना इसके अर्थव्यवस्था की मशीन गतिशील नही हो सकती है और अन्ततोगत्वा यह टूट जाएगी। यह उल्लखित कर देना भी होगा। कि लोगों की प्रवृत्ति भ्रष्टाचार की ओर है एवं साथ ही इसके लिए स्थापित दृढ़ संकल्प भी है। अब यदि हम तेजी से या तीव्र गति से प्रदूषित होती रही प्रक्रिया को वैज्ञानिक तरीके से नही समझेगे तो हम जन सामान्य एवं ग्रामीण क्षेत्रों जनसमूह में सामान्य एवं ग्रामीण समुदायों में विशिष्ट निर्धनता समस्या के समाधान के लिये निर्मित किये गये योजनागत मिशन में पूर्णतया असफल होगे

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन न रोजगार गारंटी कार्यक्रम ने संगठन और कार्य प्रणाली की त्रुटियों के कारण ग्रामीण निर्धनो को अभीष्ट में लाभान्वित नही किया गया।

(4) दोषपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली नौकरशाही या लालपीता शाही–

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बाधक निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के सन्दर्भ में यह बारम्बार कहा जा सकता है कि हमारे देश में योनानात्मक प्रक्रिया सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक वैचारिक उदघोषणाओं में तो कोई कभी नही है कभी तो इसके क्रियान्चयन में ही है सभी दोष निहित रहते है। हमारे समीप श्रेष्ठ नीतियां है किन्तु उनका व्यवहार गलत है अच्छे सैद्धान्तिक प्रतिरुप अथवा नमूने है किन्तु गलत क्रियान्चयन है, प्रतिरुपों का सुविधाजनक गणितीय सूत्रण है किन्तु दूषित

एवं अपर्याप्त कार्यात्मक ढांचा है। नौकरशाही व प्रबन्ध दोनो ही मानवीय भाग के रुप में एवं कार्यात्मक प्रक्रिया के रुप में प्रायः असन्तोषजनक क्रिया दूषित एवं अपर्याप्त कार्यात्मक ढ़ांचा है। नौकरशाही व प्रबन्ध दोनो ही मानवीय भाग के रुप मे एव कार्यात्मक प्रक्रिया के रुप में प्रायः असन्तोषजनक क्रियान्वयनस्थिति के लिये उत्तरदायी है। हमने उत्तराधिकार में एक ऐसी नौकरशाही एवं प्रशासनिक प्रक्रिया प्राप्त की है जो कि मौलिक रुप से समाज के शोषित वर्गो की विकासत्मक आकांक्षाओं के प्रति यथास्थितिवादी एवं अजनाकार है। अतीत के दिनों में यह पूर्णतया प्राकृतिक था क्यो कि तब विकास की सम्पूर्ण प्रकृति अनुपस्थिति थी। हम एक बन्धे हुए समाज में रह रहे थे और नौकरशाही का प्रमुख हस्तक्षेप तथा कथित कानून तथा सज्ञा सम्बन्धी समस्याओं में था यह नौकरशाही वैचारिक रुप से एक पुलिस राज्य की आवश्यकता पर आधारित थी जबकि यह एक कल्याणकारी राज्यकी अवधारणा में कठिनता से एक रचनात्मक भाग अदा करती थी। नियम एवं प्रक्रिया जिसे हमने भूतकाल से उत्तराधिकार में प्राप्त किया है बड़ी मात्रा में विकास के लिये बाधक है। नौकरशाही ने अपने प्रक्रिया के साथ समाज के विशेषधिकार प्राप्त वर्गो की समस्याओं के प्रति ज्यादा ध्यान आकृष्ट किया है। लेकिन समाज के निर्बल वर्ग के कल्याण के लिए अपने आप की अधिक प्रति बद्ध नही किया है। यह कहना अनावश्यक है। कि इसने निर्धन लोगों के कल्याण के लिये अधिक चिल्लाहट हाथी चिग्घाड़ नही की है अथवा गरीब व्यक्तियों दुर्भागय के लिये घड़ियाली आंसू नही बहाए है लेकिन इसे कदाचित है समाज निर्धन वर्गो की वृद्धि के लिये भावनात्म्क लगाव हो।

इस सत्य का मूर्तिकरण गतिशील नौकरशाही एवं प्रशानिक सुधारो के लिये आवश्यक आदेशात्मक है जो कि हमारे कल्याणकारी कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। हमने एक विस्तृत एवं जागरुक नौकर शाही व्यवस्था एक गतिशील प्रशासनिक प्रक्रिया तथा व्यवहार विकसित किया है। यह स्वीकार किया गया है। कि पिछले दशको में लोगो के जीवन स्तर में कुछ परिवर्तन हुए है विशेष रुप से योजनाकाल के प्रारम्भ होने के पश्चात्। किन्तु परिवर्तन की गति बहुत धीमी है एवं यह वर्तमान विस्फोटक स्थिति की चेतावनी का सामना करने में समर्थ नही है। सापेक्ष रुप से यह तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रो में ज्यादा निराशाजनक है जबकि नौकरशाही बड़ी संख्या में नगरीय क्षेत्रों में भी विद्यमान है।

यह आश्चर्य नही है कि जबकि प्राधिकारी ग्रामीण में गरीब लोगो के विकास के लिये चलाए जा रहे है कार्यक्रमों के प्रति सीधे तौर पर उत्तरदायी है लेकिन शायद कठिनता से ही कभी वास्तविक कार्यान्वयन क्षेत्र में गए हो एवं तथाकथित कार्यक्रमों के लाभो के विषय में जानकारी दी है। प्रस्तुत शोधकर्ता मै शोधार्थी द्वारा यह प्रकट करने का प्रयास किया गया है कि शायद ही कोई प्रशासनिक शक्ति प्राधिकारी गांव जाती हो एवं ग्रामीण समस्याओं की कठिनाइयों के विषय में प्राथमिक सूचना प्राप्त करती है।

ये राजकीय मामले प्रशासक प्रशासित योजनाकार एवं निजित, वृद्धिकार एवं बर्द्धित के मध्य एवं अन्तर को उत्पन्न कर देती है। आगे जलकर यह

तथाकथित अन्तर और अधिक विस्तृत होता जाता है जबकि भ्रष्ट, नीच एवं स्वार्थी तत्व वृतिचरित रुप से तथ्यों को छिपा लेते है। एवं वास्तविकता के विचार को तोड़ मडोर कर पेश करते है।

(5) समन्वय का अभाव–

एक गम्भीर समस्या यह भी है कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में पारस्परिक समन्वय या तालमेल का अभाव है जोकि सीधे तौर पर या प्रत्यक्षतः ग्रामीणों की गरीबी की समस्या के समाधान के लिये उत्तरदायी है। यह समस्या कार्यो में विपरीत उद्‌देश्य की निर्दिष्ट करती है तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था नियन्त्रित एवं सामन्जस्यपूर्ण विकास के मार्ग में बाधक बनती है ग्रामीण व्यक्तियों की विविध प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं का प्रबन्ध करने के लिये एक सुविकसित एवं संश्लेषणात्मक वित्तीय ढांचे की आवश्यकता है। विविध वित्तीय संस्थाओ में न केवल प्रभावी समन्वय सुस्थिर करने की आवश्यकता है बल्कि वित्तीय एवं अवित्तीय विकास एजेन्सियां क मध्य बैकिंग संस्थायें बीमा कम्पनियों कृषि विभाग मालगुजारी विभाग आदि समन्वय सुनिश्चित करने की आवश्यकता क्योकि यह उक्त संस्थायें प्रत्यक्ष रुप से ग्रामीण जनसमूहों के कल्याण को प्रोन्नत करने के लिये उत्तरदायी है। लोगो की आवश्यकता के अनुसार सांखीय एवं गैर साखीय रुपों पहलुओ संश्लेषण की आवश्यकता है। यद्यपि कुछ समन्वयात्मक प्रयत्न किए जा चुके है तथा विभिन्न एजेन्सियों के मध्य सहयोग

की कड़िया स्थापित हो चुकी है किन्तु अभी भी बिना समय गवायें हुए उक्त विषय में अत्याधिक किए जाने वकी आवश्यकता है।

निर्धनता का एक प्रमुख कार आर्थिक ढ़ाचे और हमारे समाज की भावना में है। सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र निजी स्वाभत्व में है। मिश्रित अर्थ व्यवस्था के लक्ष्य के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र का स्थान हमारी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में नगण्य है फिर इसकी स्थापना भी निजी क्षेत्र की सहायता के लिये की है जैसे कि सड़क निर्माण, संचार व्यवस्था और अधिक पूंजी लाने वाले उद्योगो की स्थापना इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में भी प्राथमिकता पूंजीवादी कक किसानो को अधिक लाभ मिलता है और सीमान्व किसानों की सिर्फ कंगाली मिलती है।

इसके अतिरिक्त हमारे समाज में कठिनाई की जड़ हमारे संचालन सम्बन्धी आदर्श व मान्यतायें है। हमारे सामाजिक मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक आचारण के मार्ग दर्शक सूत्र व्यक्तिगत हित अथवा फायदा प्राप्त करना और अधिकाधिक निजी लाभ प्राप्त करना है। कही भी सामाजिक चिन्ता नही दिखाई देती है माननीय विचारों पर भौतिक संस्कृति हावी हो गई है। सभी अन्धी दौड़ में शमिल है। विशेषकर विशिष्ट वर्गो के लोग कोई भी तरीका अपना कर जैसे कि– भ्रष्टाचार, तस्करी आदि आधुनिकता के सभी लक्षय एवं सुख–सुविधायें प्राप्त करके अपनी सम्पन्नता दिखाना चाहते है। कला संस्कृति एवं धर्म के जरिए सामंजस्य की सम्पूर्ण कड़ी नष्ट कर दी गई है कि लेकिन नई संस्कृति

तक विकसति नही नही हुई है। हमारी भैतिक एवं नैतिक दरिद्रता का शुद्ध परिणाम है अन्य संक्रमण, अमानवीयकरण एवं निजी व्यक्तित्व का पाश्वीकरण।

6. मानवीय पूंजी का अकुशल विकास–

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास एवं ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के मार्ग में आने वाली बाधाओं में सर्वाधिक गम्भीर समस्या है मानवीय पूंजी का अपर्याप्त विकास एवं दयनीय न्यू संग्रह यह एक सुत्थपित आर्थिक तथ्य है जो कि आधुनिक आनुसन्धानिक अवधारणाओं से स्पष्ट है कि अर्थ व्यवस्था के विकास के लिये मानवीय विकास आवश्यक है। औसत ग्रामीण गरीब का बुरा स्वास्थ्य, समुचित शिक्षा का अभाव उपयुर्क्त परिवीक्षा एवं तकनीकी ज्ञान की कमी, उत्पादन के क्षेत्र में शक्ति संचालित यन्त्रो सहित आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव था सभी कारक विकास प्रक्रिया को बाधित करते है। मानवीय पूंजी के संसाधनों के विकास को हमने उच्च प्राथमिकता प्रदान नही की है। हमारे सामाजिक आचार विचार तथापरम्पराओं में परिवर्तन स्वास्थ्य संस्थाओं एवं उद्‌देश्यात्मक तथा प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से ही आ सकता है। कामगारों की निम्न उत्पादकता एवं निम्न कार्यक्षमता सम्बन्धी प्रश्नों का समाधान शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण के स्तर को सुधार कर किया जा सकता है। अतः सूत्र में कहा जा सकता है। अपर्याप्त मानवीय पूंजी अकुशल कार्यकारी हाथ उत्पादन में मां मूल्य में अर्थ व्यवस्था का चक्र धीमी गति में देश के सुखद भविष्य की कल्पना दिवा स्वप्न मृगमरीचिका'' अन्नतः गरीबी का संस्कृति गरीबी बनाए रखने

का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका सम्बन्ध निर्धन लोगों की जीवन शैली से है। लोगो में असहायता हीनता आत्मसमर्पण एवं भाग्यवाद की भावना प्रबल है। ये लोग उच्च आकांक्षा भी नही करते थे। प्रवृत्तियां पीढ़ीदर पीढ़ी जारी है। इनके प्रभाव के कारण बच्चे परिवर्तित परिस्थियों एवं बढ़े हुए अवसरो का लाभ नही उठा पाते क्यो कि वे मनोवैज्ञानिक रुप से इसके लिये तैयार नही है इसलिए गरीबी की समस्या हमारे बीच बनी हुई है।

7. पर्याप्त वित्त का अभाव–

निर्धनता निवारण हेतु कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों के पर्याप्त एवं भारी मात्रा में वित्तीय संसाधनो की आवश्यकता है जबकि यह निश्चित रुप से बहुत ही न्यून या कम है। वित्तीय संसाधनो की अपर्याप्तता ने ग्रामीण जनसमूह की बेराजगारी एवं गरीबी की समस्या के समाधान में गम्भीर बाधाएं उत्पन्न की है। यह उत्साह बर्द्धक है कि ग्रामीण गरीबों की विविध आवश्यकताओं का प्रबन्ध करने के लिए अनेक वित्तीय संस्थाओ का प्रादुभाव हुआ है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इनके द्वारा सहायता में दी जाने वाली राशि समुद्र मं एक बूंद क सदृश्य है। आरक्षा– निधि की धनराशि न केवल अपर्याप्त है बल्कि वित्तीय संसाधनों के दृरुपयोग की समस्या भी है। तकनीकी रुप से उपयुर्क्त तथा अनुभवी स्टाफ के अभाव में निधि वास्तविक योग्य व उपयुक्त व्यक्तियों के पास नही पहुंच पाती है। वित्तीय सहायता की प्रायः गलत दिशा निर्देशित की जाती है जिससे उपयुर्कत व्यक्तियों को लाभ नही पहुंच पाता

है। जून 1988 की एक आम जनसभा में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि जनता के लिए योजर्नागत ही आम जनता तक पहुंच पाता है जबकि अवशिष्ट भाग बीच के विचैलियों द्वारा हड़प लिया जाता है। इसके पश्चात भी नियोजगागत लाभों का यह अंश वास्तविक गरीबों तक न पहुंचकर समाज के धनी वर्गो को ही प्रभावित करता है। इस प्रकार जहां योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्त व संसाधनों की कमी अपने आप में एक गम्भीर समस्या है वही उपलब्ध न्यून वित्त के दुरुपयोग गलत वितरण दुष्प्रभावीकरण के कारण आज यह समस्या अति विकराल रुप धारण कर रही। सरकार को चाहिए कि वह अन्याय उलखर्ची में कटौती कर जनता के कल्याण के लिए निष्पक्षता से अधिकाधिक वित्त उपलब्ध कराए।

8. सन्तुलित आर्थिक व्यवस्था के विकास का अभाव–

ग्रामीण जन समुदाय की गरीबी सम्बन्धी समस्या के समाधान में सर्वाधिक विशिष्ट बाधा है ग्रामीण क्षेत्र के बाहर रोजगार के अवसरों का अभाव। उक्त समस्या ग्रामीण क्षेत्रो में गुप्त बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न करती है। ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि भूमि पर निर्भर है उनके पास निर्बल पूंजी सम्बन्धी साजोसमान के साथ कृषि जोत का एक छोटा सा खण्ड भर प्राप्त है यह स्थिति जन समुदाय की निर्धनता को निर्दिष्ट करती है एवं विभिन्न अवर्णनीय प्रयासों के परिणामस्वरुप भी भूमि पर पड़े अनुचित भार को घटाने में असमर्थ रहे है, इसका कारण सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया की तालिका में ग्रामीण

औद्योगीकरण तथा अधिकाधिक रोजगार के उत्पादन का अभाव है। इस कारण पर जनंसख्या के भारी दबाव को समझा जा सकता है। यह एक त्रासदीय स्थिति है जो ग्रामीण गरीबी को निर्दिष्ट करती है।

स्वतन्त्रता के बाद व्यापक रुप से गरीबी के बने रहने का कारण देश में सत्ता पर काबिज विशिष्ट वर्गो की प्रतिक्रियावादी भूमिका है। वास्तव में अंग्रेजो ने सत्ता आम लोगो को नही विशिष्ट को सौपी थी। भारत को समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवे लोकतान्त्रिक वर्गो ने अपना घर भरने की नीति का अनुसरण किया। विकास की रणनीति ही अमीरों के पक्ष में और गरीबों के विरुद्ध है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही सम्पत्ति के वितरण पर नही आर्थिक विकास पर अधिक जोर दिया गया है। विशिष्ट वर्ग के अपने लिए समृद्धि के संसार का निर्माण किया है जबकि तीन चौथाई जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे बिता रही है।

वस्तुतः किसी देश के आर्थिक की मूल कुंजी है सन्तुलित आर्थिक व्यवस्था का विकास। एक देश अपनी आर्थिक व्यवस्था के सन्तुलित एंव समान्जत्पूर्ण विकास के द्वारा ही विकसित एवं समृद्ध हो सकता है। यदि हम यूरोप व अमरीका का उदाहरण न भी ले, तो एशिया के अन्तर्गत ही–दक्षिणी कोरिया, जापान ताइवान के तीब्र गति से विकसित तथा समृद्ध होने का मूल रहस्य यही है। उन्होने आर्थिक विकस की सन्तुलित व्यवस्था का अपनाया जिसका भारत में सर्वदा अभाव आर्थिक विकास की सन्तुलित व्यवस्था का

अपनाया जिसका भारत में सर्वदा अभाव रहा। भारत में प्रारम्भ से ही औद्योगिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना को छोड़कर कृषि क्षेत्र सर्वदा ही उपेक्षित रहा। इस तथ्य को उपेक्षित करके कि भारत की 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, कृषि पर समुचित ध्यान नही दिया गया। औद्योगिक प्रगति भी बड़े क्षेत्रों तक ही सीमित रही जिसका परिणाम हुआ कि आम जनता को, कृषि पर अधिक दबाव के कारण, अधिक भूमि उपलब्ध नही हो सकी साथ ही रोजगार के वैकल्पिक साधनो का भी उभाव रहा जिससे जनता दोनो ओर से पिसी और आज 40 वर्ष के उपरान्त भी गरीबी तथा गरीबी जन वही के वही है। अस्तु सरकार को चाहिए कि वह एक व्यापक उद्देश्य के आधार पर सन्तुलित आर्थिक विकास की नीति अपनाएं जिसमें कृषि और उद्योग दोनो को उचित प्राथमिकता मिले।

9. राजनीतिक हस्तक्षेप एवं राजनीतिक दाव पेंच–

अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य तो समाज राजनीति का खिलौना है उक्त कथन में है। निर्धनता कार्यक्रम राजनेताओं के हाथ के खिलौने वन जाते है। एवं गरीबी नेताओं द्वारा राजनीतिक शक्ति को सुस्थिर एवं शाश्वत बनाए रखने के लिये लोगो की भावनाओं के अवशोषण बन जाती है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि आज गरीबी शक्ति क अखाड़े में बन्धक बन गई है। गरीबी को चुनावी मुद्दा बनाकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपना उल्लू सीधा करते है तथा अपनी और अपने राजनीतिक दल की स्थिति सृदृढ करते है। निर्धनता के विषय

में भाषणबाजी करके घड़ियाली आंसू बहाकर वे अपने प्रतिद्वन्दियों से जोर अजमाइश करते है ऐसी स्थिति के परिणाम अत्यधिक विस्फोटक है आज का राजनीतिक नेतृत्व दुर्भाग्यपूर्ण रीति से शक्ति एवं सत्ता के दूषित राजनीतिक खेल में संलग्न है और वह समाज के गरीब वर्गो के हितो तथा आवश्यक समस्याओं की ओर से पूर्णतया आंखे फेरे हुए है।

राजनीतिक नेतृत्व में सेवा के प्रति सर्मपण तथा आत्म लिदान का अभाव एवं दूषित राजनीतिक प्रक्रिया वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के फिर उत्तरदायी है। शक्ति एवं सत्ता के षड़यन्त्र ने गरीबों की समस्या के प्रति संमस्यपर्ण समझ को दूषित एवं भ्रष्ट कर दिया है। सम्पूर्ण राजनीतिक दलों एवं उनके नेताओ के सम्मिलित प्रयासों के बिना गरीबी की इस चुनौती का सफलता पूर्वक सामना नही किया जा सकता। आज की परिस्थिति में विभिन्न राजनीतिक दलों में एकता एवं सांमजस्य का पूर्णतया अभाव है एवं प्रत्येक दल परस्पर कमियां निकालने में संलग्न है। ऐसे राजनीतिक तत्व जो कि शक्ति के ढांचे को नियन्त्रित करते है। वे भी प्रायः कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में हस्तेक्षप करते है। सामान्य रुप से यह उद्देश्य से किया जाता है जिससे कि राजनीतिक खेल में उन्हे भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके तथा भयानक परिणामों पर विचार किये बिना गरीब लोगो के हित को अपने अधीन किया जा सके। ऐसे अनेक सन्दर्भो में देखा गया है कि भ्रष्ट निष्क्रिय अवसर वादी राजनेता ही आरक्षा–निधि के गलत वितरण, योजनाओं की प्रधानता तथा प्राथमिकता के विधंवस वास्तविक जरुरत मन्द निर्धन लोगो के लिए लाभ वितरण में धांधली इन सभी कारकों के लिए उत्तरदायी है ये अवंक्षित राजनौतिक तत्व निर्णय प्रक्रिया में अपने राजनीतिक

प्रभाव को प्रयोग में लाते है एवं प्रशासन पर अपना वरदहस्त रखते है तथा उसे संरक्षण प्रदान करते है इसके अतिरिक्त कागजों की हेराफेरी महत्वपूर्ण फाइलो का गायब होना भी सामान्यतया प्रचलित है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि ऐसे कार्यक्रम जो कि सीधे तौर पर समाज के विशेषाधिकार प्राप्त लोगो के लिए है वे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कर दिये जाते है। राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा नौकरशाही भ्रष्टाचार दोनो ही परस्पर आश्रय देने वाले तथा एक दूसरे के लिये उत्प्रेरक बन गये है लेकिन हमारा सुझाव यही है। कि गरीबी की समस्या को राजनीति से परे होना चाहिए। हम साफ–सुथरे राजनीतिक आधार, राष्ट्रीय एकता तथा सामान्य सोत्साहपूर्ण प्रयत्नों के द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रमों को अधिक सफलता से कार्यान्वित कर सकते है।

तभी तो अगस्त 1948 में पण्डिल नेहरु ने उद्‌गार व्यक्त किये थे–

स्थानीय स्वशासन जनतन्त्री व्यवस्थाओं का सुदृढ़ आधार होता है, और होना भी चाहिए। हमें कुछ ऐसी आदत पड़ गई है कि हम लोकतन्त्र की अत्यन्त ऊपरी सीमा के विषय में सोचते है और उसकी निचली अवस्था के बारे में नही सोचा। लोकतंत्र की ऊपरी सीमा में तब तक सफलता नही मिलेगी। जब तककि निचली अवस्था से ही उसका आधार सुदृढ न किया जायेगा।

''पण्डित जवाहर लाल नेहरु''

अध्याय– अष्टम्

अध्याय–8

निष्कर्ष एवं सुझाव–

उपरोक्त शोध से स्पष्ट है कि निर्धनता हटाने के कार्यक्रम की दो मूल शर्ते है। प्रथम, कृषि सम्बन्धो में परिवर्तन ताकि भूमि का स्वामित्व जनसंख्या के अधिकतर भाग में बंट सके। इसके अतिरिक्त, भू–धारणाधिकार (Tenancy rights) काश्तकारी वर्गो को सुरक्षा प्रदान करते है दुर्भाग्यवश पांचवी योजना के गरीबी हटाओ कार्यक्रम में इस पहलू का जिक्र नही था। फार्म–लॉबी (Farmbobby) के दबाव के आधीन आयोजको ने यह बात स्वीकार कर ली है। कि भु–सम्बन्धो का पुर्नगठन राजनीतिक दृष्टिकोण से लाभकारी नही है। यह विचाररुढ़ बन जाता है, तो छोटे किसान या सीमान्त किसान के बारे में चिन्ता अर्थहीन हो जाती है क्योकि जनपद जालौन में छोटे एवं सीमान्त किसानों के लिये भूमि ही मुख्य संसाधन आधार है। अतः योजना आयोग ने यह उल्लेख किया है– "छोटी जोतों के लिये ऊंची प्रति भू–इकाई उत्पादिता Productivity per unit of land प्रान्त करने के मार्ग में कोई तकनालॉजीय अवरोध (Tecnological barriers) नही है। दुनिया में कृषि में छोटी जोतो से अधिकतम उत्पादिता प्रान्त करने के बहुत से उदाहरण है, जैसे जापान में चावल से और मिस्त्र में रुई से।" यदि एक बार छोटे किसानों को अपेक्षाकृत मजबूत संसाधन आधार (Resource base) प्रान्त हो जाए, तो इसे ऋण एवं बेहतर आदानों (Inputs) द्वारा मजबूत करना होगा ताकि गरीब

किसानों को घोर निर्धनता के चंगुल से बाहर निकाला जा सके। अतिरिक्त भूमियों को प्रान्त करने में कानूनी कठिनाईयों के कारण देर लग सकती है, इसलिए पहले कदम के रुप में यह जरुरी है कि सभी फसल–सहभाजको (Share croppers) या अस्थायी मुजारों को स्थायी मुजारो में परिवर्तित कर दिया जाए।

दूसरी मूल शर्त है कि गरीबी शमन हो का कोई भी कार्यक्रम किसी भी ऐसी अर्थव्यवस्था में सफल नही हो सकता जो स्फीति और चढ़ती हुई कीमतों में जकड़ी हो। स्फीति अपने स्वभाव से ही असमानताओ को बढ़ाती है, यह निर्धन वर्गो की आय को हड़प जाती है। और उनकी आर्थिक दशा को और खराब करती है। गरीबी हटाओ कार्यक्रम के लिये इस कारण और अनिवार्य हो जाता है। कि उच्च वर्गो (भू–स्वामियों, महाजनों, व्यापारियों, ट्रांसपोटरो और पूंजीपतियों) को उपलब्ध अतिरेक (Surplus) को समान्त करना चाहिए। चूंकि अधिकतर अतिरेक छिपे धन (Black money) के रुप में है, इसलिए यह जरुरी कि कड़े उपायों का प्रयोग किया जाए ताकि संसाधनों का विलासपूर्ण उपयोग में अपनिर्देशन न हो।

ये दो शर्ते तभी पूरी हो सकती है। यदि राष्ट्रीय नेतृत्व अव्यावश्यक संरचनात्मक सुधानों (Structural reforms) को चालू करने के लिए राजनीतिक मनोबल रखता है। यहां इस बात का संकेत करना होगा कि पूंजीवादी लोकतन्त्रों में भी इस संरचनात्मक सुधारों को गरीबी हटाओ प्रोग्राम का अनिवार्य

अंग समझा जाता है। परन्तु योजना प्रलेखो का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक नैतिक मनोबल कमजोर पड़ता जा रहा है।

जनपद जालौन में मुख्य समस्या रोजगार उपलब्ध कराने और उत्पादिता का स्तर ऊंचा उठाने की है। इस सम्बन्ध में मूल बात यह है कि रोजगार को आयोजन का केन्द्र बनाना होगा उत्पादन की नीतियां इस केन्द्रीय उद्देश्य क इर्द–गिर्द बुनी जानी चाहिए। योजना प्रलेख में स्पष्ट कहा गया– ''रोजगार वह सबसे विश्वसनीय उपाय है जिसके द्वारा निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लाखो व्यक्तियों को ऊपर उठाया जा सकता है। आय पुर्नवितरण के पारम्परिक राजकोषीय उपाय (Conventional fiscal measures) अपने आप में इस समस्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव नही डाल सकते।''

जनपद जालौन में निम्न लिखित उपायों द्वारा रोजगार बढ़ाकर निर्धनता दूर की जा सकती है–

1. 10–12 एकड़ की अधिकतम जोत (Ceiling) तय करने के पश्चात् अतिरिक्त भूमि का छोटे तथा सीमान्त किसानों में पुनर्वितरण।
2. फसल सहभाजकों एवं अस्थाई मुजारों को भू–धारण की सुरक्षा प्रदान करना।

3. 1.6 लाख परिवारों को अकृषि योग्य भूमियो, परती भूमियों और कृषि योग्य बंजर भूमियों पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रोग्राम तैयार करना चाहिए।

भू–वितरण और बस्ती निर्माण योजनाओं को अपने आप में ग्राम–निर्धनता की समस्या के लिये नही समझा जा सकता, चाहे वे इस दिशा में समाधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। अतः ग्राम भारत में ग्राम प्रधान तकनीकों द्वारा औद्योगीकरण के साथ–2 यदि भूमि का समतावादी वितरण (Egalitarian distribution) हो जाए तो, ग्राम निर्धनता की समस्या में सुधार हो सकता है।

4. विशेष कार्यक्रम अर्थात् छोटे किसानो की विकास एजेन्सी, सीमान्त किसानो और कृषि मजदूरो की ऐजेन्सियां, ग्राम रोजगार के लिये महाभियान और सूखा गस्त क्षेत्र प्रोग्राम आदि विकास के स्थायी कार्यक्रम बना देने चाहिए। गरीबी शमन कार्यक्रम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये 1 से 2 लाख श्रम वर्षो की नैकरियों की जरुरत होगी। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन प्रोग्रामों को स्थायी बनाया जाए और योज़ना में इनके लिए अधिक साधनों की व्यवस्था की जाए।

इसके अतिरिक्त इन योजनाओं की मुख्य समस्या यह है कि सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमो की व्यवस्था के लिये ठेकेदारों को चिरस्थायी परिसम्पत (Durable assets) कायम करने का उपाय सौंपा

जाता है। इस प्रकार की योजना में कई कठिनाईयां है। इसमें चीन की ग्राम कम्यून (Village communes) की भांति कोई स्थायी मशीनरी स्थापित होनी चाहिए जो इन प्रोग्रामो को लगातार चलाती रहे। यह अनुभव किया गया है कि ठेकेदार एकदम भर्ती करके प्रोग्राम को थोड़े समय में समान्त कर देते है। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार ऊंची मजदूरी देना नही चाहते बल्कि अपने लाभ को अधिकतम करने में रुचि रखते है। तर्क का सार यह है कि ठेकेदारी प्रणाली में प्रेरणा में अन्तर होने के कारण प्रोग्राम का उद्देश्य विफल हो जाता है। अतः यह जरुरी है क ऐसा संस्थानात्मक ढांचा कायम किया जाए जिसमें ग्रामों के लोगो, विशेषकर छोटे किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरो को इस प्रोग्राम को लागू करने के लिए जिम्मेदारी देनी चाहिए, तभी एक वर्ष में 10 मास रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य सफल हो सकता है।

5. 20 हजार जनसंख्या वाले नगरो का विकास केन्द्रो (Growth centres) के रुप में स्थानीय श्रम और उपलब्ध कच्चे माल के प्रयोग से विकास करना चाहिए। इसके लिये जिला स्तर पर विस्तारपूर्वक योजनाएं बनानी चाहिए। इन विकास केन्द्रो में भूमिहीन श्रमिको या अन्य अकृषि श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। और इस प्रकार उन्हे अपने जीवन के ढ़र्रे को बदलने की भी आवश्यकता नही होगी।

6. नये विकास केन्द्रो में दुग्धशालाओं और पशुपालन, मुर्गीपालन, मछली पकड़ने वन, लघु–स्तर उद्योगों आदि में विनियोग किया जा सकता है।

7. पिछड़े हुए क्षेत्रों और पिछड़े हुए वर्गो के स्कूलो के लिए अधिक अनुदान उपलब्ध कराए जाए ताकि अवसर की असमानता कम की जा सके। शिक्षा लक्ष्यों की प्रान्ति के सूचक के रुप में विभिन्न स्तरों पर स्कूलो में भर्ती के आंकड़े देने की अपेक्षा शिक्षा स्तरों पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि समाज में गैर–सम्पन्न वर्गो के बच्चो के लिए निश्चित जगहे उपलब्ध हो। पिछड़े वर्गो के सम्बन्ध में पढ़ाई छोड देने वालो (Droppiyd) की समस्या का विश्लेषण करके उपचार का आयोजन करना चाहिए।

8. गरीबी शमन की बहुत–सी योजनाएं कार्यान्वयन के दौरान विकृत रुप धारण कर लेती है। या तो इन्हे छोड़ दिया जाना है या इनके बारे में ढुलमुल नीति अपनाई जाती है। अतः यह अनिवार्य है कि ग्राम विकास के प्रोग्राम पंचायतों के आधीन न रखे जायें। इसकी बजाय विशेष परिषदें स्थापित करनी चाहिए जिनमें बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व छोट तथा सीमान्त किसानों, कारीगरों तथा भूमिहीन श्रमिको को देना चाहिए। जब तक विकास परिषदों के ढ़ांचे में आमूल परिवर्तन नही किया जाता है तब तक गरीबी के लिए बनाई गई नीतियों का पालन करना सम्भव नही। अतः सरकारी अफसरों, भूपतियों एवं पूंजीपतियां और राजनीतिज्ञों के बीच

वर्तमान गठबन्धन क़ो तोड़ने के लिए जन–विकास परिषदें (People's Councils) कायम होनी चाहिए।

9. यदि रोजगार उद्धेश्य का सकल देशीय वृद्धि दर के उद्धेश्य से तालमेल बिठाना है, तो कृषि सिंचाई और वाटरशैड विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। रोजगार अवसरो पर कार्यदल की रिपोर्ट का अध्ययन करने से यह प्रतीत होता है कि जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है कृषि में लगभग अधिकतम सीमा प्रान्त कर ली गई है। इस कारण कार्यदल सन 2000–2012 की अवधि के लिए कृषि को 0.10 की रोजगार लोच प्रदान करता है। यह धारणा इस बात पर आधारित है कि कृषि–रोजगार में विस्तार की संभावनायें समाप्त हो गई हैं। यह बात वास्तविकता से कही दूर है इसमें सन्देह नही है कि हरी क्रान्ति के क्षेत्रो में काफी सफलता प्राप्त की जा चुकी है। परन्तु इनमें अभी उत्पादिता के अर्न्तराष्ट्रीय उच्च स्तर प्राप्त करने है। परन्तु उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत जनपद–जालौन जैसे कृषि की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रो में अभी रोजगार के विस्तार की काफी गुंजाइश है। सिंचाई का विस्तार और वाटर शैड विकास (Watershed development) कृषि उत्पादिता को बढाने और इसके साथ–2 रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है।

10. विशेषकर जनपद–जालौन के सन्दर्भ में कार्यदल रिपोर्ट के अनुसार पतित और व्यर्थ भूमियों (Degrade and wastelands) के विकास के लिये

कृषि कम्पनियो का प्रयोग करने में बुद्धिमता नही जैसा कि कार्यदल ने सुझाव दिया है। इसकी अपेक्षा, इस कार्य से मध्य प्रदेश व्यर्थ भूमि प्रबन्ध मिशन मॉडल की भांति इन प्रोग्रामों में पंचायतो का इस्तेमाल करना लाभदायक होगा। इससे रोजगार–जनन में सहायता मिलेगी और कृषि में अल्परोजगार भी कम होगा। कार्यदल ने यह सुझाव दिया है कि खाद्य विद्या–विद्यायन उद्योगो को अत्यधिक परिमार्जित तकनोलॉजी की आवश्कता नही कि इसके लिये बहुराष्ट्रीय निगमों की सहायता ली जाए। इससे तो यह कहीं बेहतर होगा कि कृषि–सहकारी समितियों को खाद्य विधायन में प्रेरित करने के लिये, ताकि कुछ ब्रैंड विकसित किये जा सके, खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग की सहायता लेनी चाहिए।

11. विनिर्माण क्षेत्र में, रोजगार वृद्धि में मुख्य अंशदाता लघु स्तर और अनौपचारिक क्षेत्र है जिसे प्रायः संगठित क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। अनारक्षण की नीतियों ने लघु स्तर उद्योग क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे रोजगार वृद्धि पर भी मन्द प्रभाव पड़ा है। सरकार को लघु क्षेत्र के उत्पादको के और अधिक अनारक्षण को एफ दम बन्द कर देना चाहिए। इस गार्मेंट क्षेत्र को पुनः आरक्षण की सूची में लाना चाहिए। लघु क्षेत्र की इकाईयों की मुख्य समस्या उधार और तकनोलॉजी का उन्नयन है। यदि सरकार इन्हे दिये जाने वाले उधार की राशि बढ़ा दे, जैसा कि नायक समिति ने सुझाव दिया था और हाल ही में एस0पी0गुप्त

अध्ययन दल ने भी इसकी पुष्टि की, तो इससे रोजगार का विस्तार करने में बहुत अधिक लाभ हो सकता है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक हैं कि यदि कार्यदल की सिफारिश के अनुसार अगले व चार वर्षो में अनारक्षण प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो इससे रोजगार लक्ष्य को और अधिक धक्का लगेगा।

12. एक और क्षेत्र जो जनपद–जालौन में रोजगार बढ़ाने में मुख्य जनक बन सकता है, गृह निर्माण क्षेत्र है। एक रिपोर्ट के अनुसार, नये मकानो की आवश्कता का अनुमान 2 लाख इकाईयां है और 3 लाख इकाईयो के उन्नयन की (Upgradation) आवश्यकता है। यह अनुमान लगाया गया कि लगभग 5 लाख परिवार मुख्यतः एक कमरे के मकानो मे रहते है जिनमें छत के निर्माण के लिये घास, तिनको और फूस का प्रयोग किया गया। हर वर्ष बरसात के पश्चात् इन मकानो की मरम्मत की जरुरत पड़ती है। यह बात सर्वविदित है कि ग्रह निर्माण एफ श्रम प्रधान क्रिया है और यदि राज्य अपने लक्ष्य ''सभी के लिये मकान'' को पूरा करना चाहता है, तो यह निश्चय ही इसमें काफी सहायता प्रदान कर सकता है। यह बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोजगार अवसरो पर इस सम्बन्ध में स्वः सहायता क्रिया का जिक्र तक नही किया गया जिसमें राज्य सरकार गरीबो और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो और बिना घरों के अभागे व्यक्तियों के लिये रात्रि आश्रय (Night Shelters) बना सकती है। इसके अतिरिक्त,

इन्दिरा आवास योजना के आधीन ग्राम–क्षेत्रो में ग्रह निर्माण को प्रोत्साहित कर सकती है। और इस प्रकार मकान निर्माण में योगदान दे सकती है। सरकार द्वारा ऋणों के रुप में प्रावधान अत्याधिक प्रभावशाली कार्यभाग अदा कर सकता है।

जनपद जालौन में लगभग 33.40% जनसंख्या गन्दी बस्तियों में रहती है। गन्दी बस्तियों में रहने वाले अधिकतर लोगो के पास पक्के मकान नही है। और इनमें पीने का पानी, शौचालय, रोशनी, आदि की बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नही है। गन्दी बस्तियों का पुनर्वासन रोजगार जनन का एक और मुख्य स्रोत बन सकता है।

13. आधार सरंचना का प्रावधान विशेषकर जनपद–जालौन के अन्तर्गत रोजगार जनन का एक और स्रोत बन सकता है और इससे विकास प्रक्रिया को भी साथ–2 त्वरित किया जा सकता है। सड़को के विस्तार, ग्राम क्षेत्र को शहरी केन्द्रो के साथ जोड़ने, कच्ची सड़को को पक्की सड़को में तबदील करने और चार लेन वाले राजमार्गो के स्न में आधार सरंचना कायम करने के लिये श्रम प्रधान प्राजैक्टो को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना जिसके अधीन प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। एक अत्यन्त श्रम प्रधान परियोजना है। इस क्षेत्र में सर्वाजनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और इस

प्रकार अधिक रोजगार जनन के साथ व्यापार और उद्योग को भी प्रोन्नत किया जा सकता है।

14. डा0 एस0आर0 हाशिम, भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग ने श्रम अर्थशास्त्र की भारतीय संस्था के 41 वे सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में अनौपचारिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। इस क्षेत्र में आकस्मिक श्रमिको और स्व. नियुक्त श्रमिको का बहुत बड़ा भाग कार्य करता है। मूल विचार यह नही है कि अनौपचारिक और असुरक्षित नौकरियां सदा के लिये कायम रखी जाएं, परन्तु सैक्रान्ति काल में, जब तक देश का सम्पूर्ण आर्थिक ढांचा एक अधिक संगठित प्रणाली मे परिवर्तित नही हो जाता, तब तक नौकरियां ढूढने वालो को स्वरोजगार के उत्पादक कार्यो में खपाना सापेक्षित आसान है। डा0 हाशिम मे यह सम्बन्ध मैं बहुत से अत्पन्त अपयोगी एवं जमीनी सुझाव दिये हैं।

सबसे पहले तो जनपद में ऐसा वातावरण तैयार करना होगा। जिसमें अनौपचारिक आर्थिक क्रिया गैर कानूनी, अवाछनीय था झंझट प्रतीत न हो, बल्कि इसे एक लाभदायक, उत्पादक एवं सम्मान जनक क्रिया माना जाए। इसके लिये सबसे पहले कानूनी एवं विनियामक रुकावटे दूर करनी होगी। अनौपचारिक क्षेत्र को ऋण एवं विपणन की कठिनाईयों से मुक्त करना होगा और इसके लिये दुर्लभ आदान उपलब्ध कराने के लिये रुकावटें दूर करनी होगी।

अधिकतर क्षेत्रो में, रुकावटे प्रायः क्रिया के स्थिति निश्चयन (Location) से उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ रिहायशी इलाकों में वाणिज्यक क्रियाओं की इजाजत नही दी जाती। सब्जी बेचने तक की भी अनुमति नही दी जाती, चाहे नजदीकी के कारण यह उपभोक्ता के लि सुविधाजनक है। इसी प्रकार नगरपालिकाओं के प्राधिकारों की रेहड़ी वालो और रिहायशी इलाको में लघु–उत्पादन इकाईयों के बारे में दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध नही करा सकती, तो उसे एसे सामान एवं उपकरणों को तोड़ने का अधिकार नही होना चाहिए जो गरीबो की आजीविका का साधन है। इस सन्दर्भ में, आयोजन की समग्र अवधारणा में परिर्तन होना चाहिए। रिहायशी क्षेत्रो में बहुत से खुले स्थान छोड़ने चाहिए जिनमें लोग अनौपचारिक क्रियाये कर सकें। धीरे–2 ये लोग जो आरम्भ में अपने जीवन यापन के लिये ही आजीविका प्राप्त कर सकते है, इन छोटी दुकानों या वर्कशापों के मालिक बन जायेगे। अनौंपचारिक क्षेत्र के बारे में किए गये बहुत से अध्ययनो ने ऐसे चलती फिरती एवं ग्रह आधारित क्रियाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

15. विशेष रोजगार कार्यक्रम जो गरीबी निवारण के उपाय है से 30 से 40 लाख नौकरियां देश में प्रतिवर्ष कायम की जाती है। इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन से पता चलता है कि इन पर खर्चे गये प्रत्येक 100 रुपये में से

10 से 15 रुपये गरीब श्रमिको तक पहुंच पाते है जबकि कार्यक्रम में 80 रुपये मजदूरी के रुप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः जनपद जालौन में यह कही अधिक वौछनीय होगा कि गरीबी निवारण कार्यक्रम पर भारी व्यय करने की अपेक्षा ग्राम आधारसंरचना अर्थात् छोटी सिंचाई, वाटर शैड विकास पर अधिक साधन खर्च किये जाये जिससे कृषि उत्पादिता उन्नत हो और रोजगार का विस्तार हो। विकास का ऐसा मॉडल ही सकल देशीय उत्पाद में वृद्धि और रोजगार वृद्धि के बीच तालमेल बिठा सकता है ताकि सामाजिक न्याय के साथ विकास प्रोन्नत हो सकें। जनपद में पहले 'सभी को रोजगार' उपलब्ध कराना है और संक्रान्ति से गुजर रहे समाज के रुप में इसे अपने अन्तिम लक्ष्य सभी के लिये अच्छा रोजगार की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना है।

1. जीवन की गुणवत्ता (Quality of life)—सुझाव

गरीबी की समाप्ति और बुनियादी न्यूनतम सेवाओं का प्रावधान जीवन की गुणवत्ता उभत करने की किसी रणनीति के अनिवार्य अंग है। इस उद्धेश्य को ध्यान में रखते हुये लोगो के आरम्भिक सामर्थ्य को शिक्षा, सूचना और उचित तकनोलॉजी तक पहुंच के द्वारा उन्नत करना होगा। इस सन्दर्भ में निर्धनता विरोधी कार्यक्रमो को केवल सांकृतिक व्यवस्था (Transitional arrangement) ही

माननना होगा और इन्हे शीध्रता शीध्र समाप्त करने के लिए सभी प्रयास करने होगे।

खाद्य सुरक्षा (Food security) की अवधारणा का विस्तार होना चाहिए ताकि इसमें लोगो को पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं, भौतिक एवं आर्थिक दोनो का समावेश किया जा सके। इस उद्धेश्य की प्राप्ति के लिए खाद्य उत्पादन और वितरण प्रणालियों को रोजगार और गरीबी हटाओ कार्यक्रमों से समान्वित करना होगा। विशेष रुप में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और लक्षित बनाना होगा ताकि गरीबों को और खास तौर पर दूरदराज के इलाकों में काफी नीची कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराये जा सके। एक विस्तृत एवं सुव्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा के लिये अनिवार्य है।

2. उत्पादक रोजगार का जनन–

योजनाओं का मुख्य उद्धेश्य विकास प्रक्रिया में ही अधिक उत्पादक रोजगार (Productive employment) उत्पन्न करना होता है। इसके लिये ऐसे क्षेत्रो, उप क्षेत्रो और तकनालॉजी पर बल देना होगा जो श्रम प्रधान (Labour intensive) हो और इसका प्रयोग ऐसे क्षेत्रो में करना होगा जिनमें बेरोजगारी और अल्प रोजगार की उच्च दरें विद्यमान हो। चूंकि श्रम शक्ति का अधिकतर भाग कृषि दरें विद्यमान हो। चूकि श्रम शक्ति का अधिकतर भाग कृषि में रोजगार तलाश करता रहेगा। इस कारण भूमि और काश्तकारी सुधार (Land and tenancy reforms) अनिवार्य है। रोजगार रणनीति का केन्द्र ऐसी परिस्थितियां कायम

करना होना चाहिए जिनमें न केवल रोजगार अवसरो का विस्तार हो बल्कि इनसे काफी बेहतर रहने सहने और कार्य करने की परिस्थितियां कायम हो जिनसे श्रम की प्रतिष्ठा कायम रखी जा सके। अल्प रोजगार की व्यापक अभिव्यक्ति और श्रम के अनियमतीकरण (Casualisation of labour) को स्वीकार करते हुए गरीबो के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरुरत है, विशेषकर ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मौसमी व्यवसायों में काम करते है।

3. क्षेत्रीय सन्तुलन (Regional Balance)–

बाजार आधारित विकास बिना सरकारी हस्तक्षेप के पिछड़े क्षेत्रो की अनदेखी कर सकता है। भारी क्षेत्रीय असन्तुलन को ठीक करने के लिये आधार संरचना में विनियोग को जानबूझकर कम सम्पन्न राज्यों कें पक्ष में मोड़ना होगा।

अनुभव जन्य प्रमाण यह संकेत देते है कि क्षेत्रीय विषमताओं में कमी कृषि तथा अन्य ग्राम क्रियाओं पर अधिक बल देने से बेहतर रुप में प्रान्त की जा सकती है। इसके लिये न केवल पिछड़े क्षेत्रो में कृषि की उत्पादिता (Productivity) बढ़ाना जरुरी है बल्कि देश के अन्य क्षेत्रो और ग्राम क्षेत्रो के बीच समन्वय की मात्रा बढ़ाना अनिवार्य है। इसके लिए परिवहन एवं संचार और बाजार समर्थन (Market Support) के रुप में इन्हे आपस में जोड़ना होगा। इस उद्धेश्य के लिये ऐसी आधार संरचना में पर्याप्त सार्वजनिक विनियोग अनिवार्य है।

अर्थ व्यवस्था का विकास निष्पादन (Growth Performance) न केवल उपलब्ध विनियोज्य संसाधनों पर निर्भर करता है बल्कि इनके क्षेत्रीय प्रयोग के ढ़ाचे पर भी। कृषि को इसमें विशेष महत्व दिया गया है। क्योकि अन्य क्षेत्रो के विकास की तुलना में इसके विकास से गरीबी अपेक्षाकृत अधिक तेजी से कम होती है। कारण यह है कि कृषि विकास के कारण एक ओर तो रोजगार में वृद्धि होती है और दूसरी ओर बुनियादी खाद्य पदार्थो की कीमते सापेक्षतः स्थिर रहती है। खाद्य एवं पोषणात्मक सुरक्षा प्रदान करने और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में इसका केन्द्रीय महत्व है।

निः सन्देह योजना आयोग के यह शब्द, "विकास एक प्रकार से रोजगार अवसरो के विस्तार का दूसरा नाम है' सराहनीय है। लेकिन विडम्बना तो यह है कि इन मार्मिक घोषणाओं के बाबजूद हमारी योजनाएं न केवल अविशिष्ट बेरोजगारी (Backlog of unemployment) के समाधान में असफल रही है। बल्कि श्रम शक्ति में नव प्रवेशको को रोजगार दिलाने में भी असमर्थ रही है। सच तो यह है कि जनपद जालौन की सबसे कमजोर कड़ी इसका रोजगार पक्ष ही है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह रही है। कि हमने आर्थिक विकास का अर्थ, उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के विस्तार के लक्ष्य को प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य से अलग बनाये रखा। इस प्रकार योजना आयोग रोजगार जनन की रणनीति से अनभिज्ञ बना रहा तो दूसरी ओर उद्योगपति वर्ग, 'विवेकीकरण' के नाम पर यन्त्रीकरण और नव प्रवर्तनों में संलग्न रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि

सामाजिक स्थिरता लक्ष्य से भटकती गयी और रोजी रोटी से निराशा व हतोत्साहित जन–समूह आर्थिक आयोजन के प्रति अपना विश्वास खो बैठा।

एक आवश्यक एवं उचित रोजगार नीति के लिये कुछ आवश्यक निर्देशक सिद्धान्तो का होना जरुरी है जिनका सर्वथा अभाव रहा।

उपरोक्त शोध अध्ययन के द्वारा गरीबी शमन तथा रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कारक व कारण ज्ञात किये गये जो निम्न है–

1. जनपद जालौन में गरीबी निवारणी कार्यक्रम पर भारी व्यय करने की अपेक्षा ग्राम आधार संरचना अर्थात छोटी सिंचाई, वाटरशैड विकास पर अधिक साधन खर्च किये जाये जिससे कृषि उत्पादिता उन्नत हो और रोजगार का विस्तार हो। विकास का ऐसा मॉडल ही सकल देशीय उत्पाद में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि के बीच तालमेल बिठा सकता है। ताकि सामाजिक न्याय के साथ विकास प्रोन्नत हो सके। भारत को पहले 'सभी को रोजगार' उपलब्ध कराना है और संक्रान्ति से गुजर रहे समाज के रुप में इसे अपने अन्तिम लक्ष्य 'सभी के लिये अच्छा रोजगार' की प्राप्ति और अग्रसर होना है।

2. सामाजिक आधार संरचना के विकास की दृष्टि से विशेषकर जालौन में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत अधिक उन्नत करने की आवश्यकता है। साक्षरता के विस्तार से जन सामान्य का शिक्षा स्तर उन्नत मध्यम स्कूल शिक्षा के विस्तार से जन सामान्य का शिक्षा स्तर उन्नत हो सकता

है। सूचना तकनोलॉजी क्रान्ति के युग में ऐसा करना जरुरी है ताकि रोजगार बढ़े। साक्षरता मिशन को मजबूत बनाना इस दिशा में एक लाभदायक उपाय सिद्ध हो सकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर ग्राम क्षेत्रो में, विस्तार की अधिक आवश्यकतता है और इसके साथ–2 इनकी गुणवत्ता को भी उन्नत करना होगा। चूंकि देश ने "सभी के लिये स्वास्थ्य" लक्ष्य स्वीकार कर लिया है, इन सेवाओं के विस्तार से डॉक्टरों, नर्सों एवं अन्य सहायक क्रियाओं एवं स्टाफ की जरुरत पड़ेगी। इससे रोजगार का विस्तार होगा।

3. विनिर्माण क्षेत्र में, रोजगार, वृद्धि में मुख्य अंशदाता लघु स्तर और अनौपचारिक क्षेत्र है जिसे प्रायः असंगठित क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। अनारक्षण की नीतियों ने लघु स्तर उद्योग क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे रोजगार वृद्धि पर भी मन्द प्रभाव पड़ा है। सरकार को लघु क्षेत्र के उत्पादकों के और अधिक अनारक्षण को एक दम बन्द कर देना चाहिए। गार्मेन्ट क्षेत्र को पुनः आरक्षण की सूची में लाना चाहिए। लघु क्षेत्र की इकाइयों की मुख्य समस्या उधार और तकनोलॉजी का उन्नयन है। यदि राज्य सरकार इन्हे दिये जाने वाले उधार की राशि बढ़ा दे, जैसा कि नायक समिति ने सुझाव दिया था और हाल ही में एस0पी0 गुप्त अध्ययन दल ने भी इसकी पुष्टि की, तो इससे रोजगार का विस्तार करने में बहुत अधिक लाभ हो सकता है। यहां यह उल्लेख

करना आवश्यक है कि यदि कार्यदल की सिफारिश के अनुसार अगले चार वर्षो में अनारक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो इससे रोजगार लक्ष्य को और धक्का लगेगा।

4. जनपद जालौन में ग्राम आधार संरचना का प्रावधान रोजगार जनन का एक और स्रोत बन सकता है। और इससे विकास प्रक्रिया को भी साथ–2 त्वरित किया जा सकता है। सड़को के विस्तार, ग्राम क्षेत्र को शहरी केन्द्रो के साथ जोड़ने कच्ची सड़को को पक्की सड़को में तबदील करने और चार लेन वाले राजमार्गो के रुप में आधार संरचना कायम करने के लिये श्रम प्रधान प्राजैक्टों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना जिसके आधीन प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा, एक अत्यन्त श्रम–प्रधान परियोजना है। इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और इस प्रकार अधिक रोजगार जनन के साथ व्यापार और उद्योग को भी प्रोन्नत किया जा सकता है।

5. रोजगार जनन की दृष्टि से अनौपचारिक क्षेत्र (Informal sector) के प्रति नयी एव प्रगतिशील दृष्टि रखना अनिवार्य है।

डा0 एस0आर0 हाशिम, भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग ने श्रम अर्थ–शास्त्र की भारतीय संस्था के 41 वें सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में अनौपचारिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। इस क्षेत्र में आकस्मिक श्रमिकों और स्व0 नियुक्त श्रमिकों का बहुत बड़ा भाग कार्य

करता है। मूल विचार यह नही है कि अनौपचारिक और असुरक्षित नौकरियां सदा के लिये कायम रखी जाए, परन्तु सम्पूर्ण आर्थिक ढ़ांचा एक अधिक संगठित प्रणाली में परिवर्तित नही हो जाती तब तक नौकरियां ढूढ़ने वलो को स्व–रोजगार के उत्पादक कार्यो में खपाना सापेक्षतः आसान है। डॉ0 हाशिम ने इस सम्बन्ध में बहुत से अत्यन्त उपयोगी और जमीनी सुझाव दिये है।

सबसे पहले तो ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिसमं अनौपरिक आर्थिक क्रिया गैर कानूनी, एवं सम्मान जनक क्रिया माना जाए। इसके लिये सबसे पहले कानूनी एवं विनियामक रुकावटें दूर करनी होगी। अनौपचारिक क्षेत्र को ऋण एवं विपणन की कठिनाइयों से मुक्त करना होगा और इसके लिये दुर्लभ आदान उपलब्ध कराने के लिए रुकावटे दूर करनी होगी।

अधिकतर रुकावटे प्रायः क्रिया के स्थिति निश्चयन (Location) से उत्पन्न्न होती है। उदाहरणार्थ, रिहायशी इलाकों में वाणिज्यक क्रियाओं की इजाजत नही दी जाती। इसी प्रकार नगरपालिकाओं के प्राधिकारों की रेहड़ी वालो और रिहायशी इलाकों में लघु उत्पादन इकाइयों के बारे में बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध नही करा सकती, तो उसे ऐसे सामान एवं उपकरणों को तोड़ने का अधिकार नही होना चाहिए जो गरीबो की आजीविका का साधन है। इस सन्दर्भ में, आयोजन की समग्र अवधारणा में परिवर्तन होना चाहिए। रिहायशी क्षेत्रो में बहुत से खुले स्थान

छोड़ने चाहिए जिनमें लोग अनौपचारिक क्रियाएं कर सके। धीरे–2 ये लोग जो आरम्भ में अपने जीवन यापन के लिए ही आजीविका प्राप्त कर सकते है, इन छोटी दुकानों या वर्कशापो के मालिक बन जायेगे। अनौपचारिक क्षेत्र क बारे में किये गये बहुत से अध्ययनों ने ऐसे चलती फिरती एवं ग्रह आधारित क्रियाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

6. राज्य के अन्य जनपदो के मुकाबले जनपद जालौन में प्रति हेक्टेयर तथा प्रति श्रमिक कृषि उत्पादिता अभी भी कम है सामान्यतः भारतीय कृषक अशिक्षित, अज्ञानी, अन्धविश्वासी एवं रुढ़िवादी है। इसके अतिरिक्त वह जाति प्रथा और संयुक्त परिवार प्रथा (Joint Family system) जैसी पुरानी प्रथाओं से जकड़ा हुआ है। जनपद जालौन में कृषि ही रोजगार का मुख्य स्रोत है यहां पर कृषि को फार्म भिन्न सेवाओं अर्थात् वित्त और विपणन (Finance and Marketing) की व्यवस्था आदि की अपर्याप्तता के कारण परेशानी उठानी पड़ी है या तो ये सुविधाएं सर्वथा विद्यमान ही नही या बहुत महंगी है। उदाहरणातया: कुछ समय पहले तक कृषको को रुपया उधार लेने के लिये गांव के साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था जो अत्याधिक व्याज उधार देते थे। एक बार रुपया उधार लेने पर किसान को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती थी। लेकिन वर्तमान में भी फार्म सेवाओं की अपर्याप्तता है।

7. जालौन में स्रोतो का आकार (Size of holding) बहुत छोटा है, अर्थात् औसतन पांच एकड से भी कम। ये जोते न केवल छोटी है, बल्कि छोटे–2 टुकड़ो में
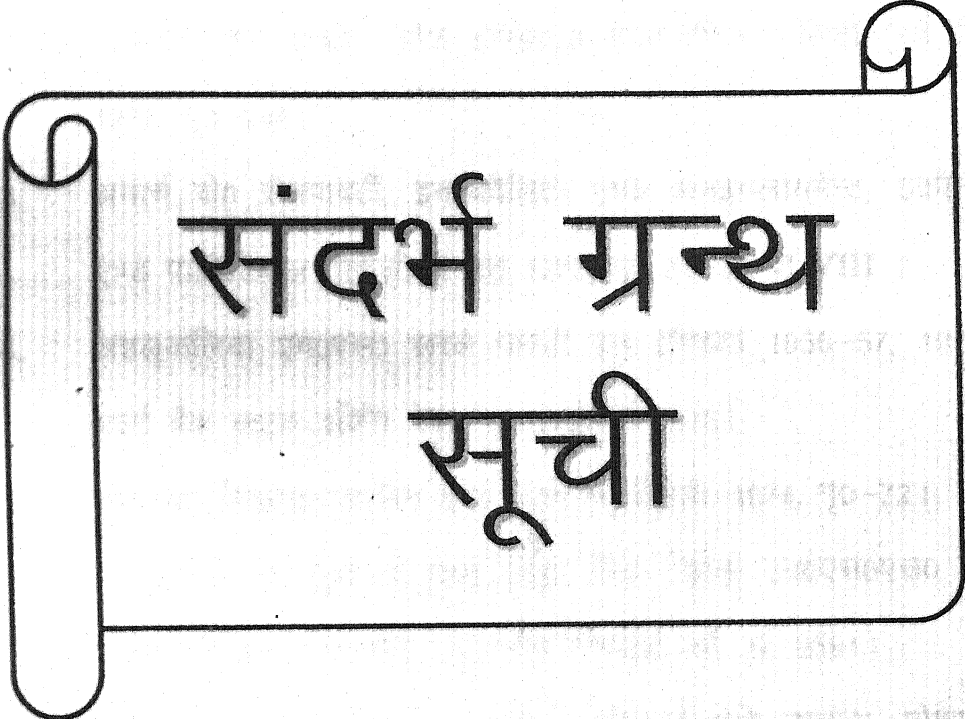
बटी हुई है। खेतो क छोटा होने के कारण वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी संभव नही है। परिणामतः समय, श्रम और पशु शक्ति का भारी अपव्यय होता है। सिंचाई सुविधाओं के उचित उपयोग में कठिनाई होती है।

भूमि, बीज, खाद और कृषि उत्पादन आदि में सुधार का तब तक कोई लाभ नही जब तक इनके साथ–2 ग्रामीण मानव संसाधन का प्रयोग समुचित रुप से न हो। लम्बे समय से पुरानी और अक्षम विधियों तथा तकनीकों (Techniques) का प्रयोग करता चला आ रहा है। निर्धन एवं परम्परावादी होने के कारण आधुनिक तकनीक अपनाने में काफी समस्यायें आ रही है। इन समस्याओं की मूल जड है कृषि का रोजगारन्मुखी न हो ना।

यह सुस्थापित तथ्य है कि विकास की कोई भी रणनीति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति मे तभी सफल होगी जबकि यह उन लोगों से जिनके लिए विकास योजनाएं प्रारम्भ की गई है पर्याप्त आशावादी सहारा एवं सहयोग प्राप्त करेगी। व्यक्तियों के उत्तरदायित्व एवं सहयोग के अभाव में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रस्तावित उपाय निराशात्मक प्रमाणित होगे। अभी हाल ही में जो अधिकाधिक साक्ष्य प्रकाश में आ रहे है उनसे यह सूचित होता है कि लोगो की योजनात्मक प्रक्रिया एवं कल्याण कारी कार्यक्रमों के प्रति अनुभवहीनता एवं स्थानीय आवश्यकता की जानकारी के अभाव ने व्यक्तियों की बेरोजगारी उन्मूलन से सम्बन्धित सरकार के उपाय पूर्णतया प्रभावी ढ़ग से क्रियान्वयन नही हो पा रहे है। सर्वेक्षण से जो जो तथ्य प्रकाश में आये है वे चौकाने वाले है कि

लगभग 85% ग्राम वासी अधः सरचानात्मक आधार तथा दूसरी संथानिक सुविधाओं से पूर्णतया अपेक्षित है।

वर्तमान सरकार सुश्री मायवती जी ने वर्ष 2007 के विधान सभा चुनाव में जला समय कर रोजगार सृजन के लिए प्रचलित न्यूनतम 58 रु0 दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 100 रु0 प्रतिदिन, एवं सरकारी कार्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी वर्ग कोटे के रिक्त पड़े पदो को मरने के लिए विशेष अभियान के आदेश दिये ताकि गरीबो युवाओं को रोजगार मिल सके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का प्रसार 22 अतिरिक्त जनपदों में किए 39 जिलो (जालौन सहित) में यह पहले से संचालित शिक्षा को रोजगारों मुख बनाकर गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया करके ग्रामीण शिल्पियों कलाकारों कास्तुकारो व महिलाओं को रोजगार की पहल की है। एवं क्षेत्रीय रोजगार सृजन केन्द्रो की स्थापना पर जोर दिया गरीब जनता को गुणवत्ता युक्त तथा निः शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी गरीब जनता को शोषण के खिलाफ न्याय देने के वात सार्वजनिक वितरण को और जिम्मेदार तथा प्रभावी बनाने को प्राथमिकता दी गयी। एवं सार्वजनिक वितरण की दुकानों को समय से खोलने एवं खाद्यान्न व मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने की हिदायत दी गयी। भूमिहीनों को आवंटन हेतु ग्राम सभा तथा सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि के वितरण की जायेगी यह उ0प्र0 सरकार की रोजगार एवं गरीबी शमन की रणनीति है।

संदर्भ ग्रन्थ
सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अमर्त्य के0सेन– पावर्टी, इनइक्वैलिटी एण्ड अनइम्प्लायमेन्ट, इकोनामिक एण्ड पालिटिकल वीकली वा0 VIII स्पेशन नं0 अगस्त 1973, पृ0–31–33।
2. अमर्त्य के0सेन–पावर्टी एण्ड इकोनामिक डेवलपमेन्ट इन चरन डी बाधवा (एडीटेड) सम प्राब्लेम ऑफ इण्डियास इकानामिक पालिटी (नई दिल्ली 1977) पृ0–246।
3. अमर्त्य के0 सेनपावर्टी, इनइक्वैलिटी एण्ड अनइम्प्लायमेन्ट, इकोनामिक एण्ड पालिटिकल वीकली अगस्त 1973, पृ0 31–33 वा **VIII** ।
4. अहलूवालिया एम0एस0 रूरल पावर्टी इन इण्डिया 1956–57, 1973–74 वर्ल्ड बैंक स्टाफ वर्किंग पेपर नं0–279 मई 1978।
5. बी0एस0 मिन्हास–प्लानिंग एण्ड पुअर न्यू देलही–1974, पृ0–72।
6. भट्टाचार्य जी, सुबोमॉय तथा ममता सिंह, ''हाऊ एन0एस0एस0 मिक्स्ड वॉलिन्टरी इनइम्प्लायमेन्ट'' बिजनेस स्टैण्डर्ड, मई 24, 2391।
7. चौहान आर0बी0 (1992)–हमीरपुर तहसील में भूमि उपयोग, पोषण स्तर एवं मानव स्वास्थ्य।
8. चौहान आर0बी0 सिंह ''भूमि उपयोग पोषण स्तर एवं मानव स्वास्थ्य'' अप्रकाशित शोध ग्रन्थ।
9. चौहान डी0एस0 1966–स्टडीज इन यूटीलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैण्ड, अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा।
10. चौहान आर0वी0सिंह, 1992–हमीरपुर तहसील में भूमि उपयोग, पोषण स्तर एवं मानव स्वाथ्य।

11. चौहान, आर0बी0सिंह, हमीरपुर तहसील में भूमि उपयोग पोषण स्तर पर मानव स्वास्थ्य'' अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, बु0 विश्वविद्यालय, झांसी–1997।

12. चन्द्र सुरेशः फूड सिक्योरिटी सिस्टम दि पायोनियर जनवरी 1, 1986, लखनऊ।

13. डाडेकर बी0एग0 एण्ड रथ नीलकंठ ''पावर्टी इन इण्डिया'' बम्बई 1971।

14. धींगरा ईश्वरचन्द्र, ''ग्रामीण अर्थव्यवस्था'' सुल्तान चन्द एण्ड सन्स, दिल्ली।

15. दत्त आर0एवं0 सुन्दरम के0पी0एम0 (1994) भारतीय अर्थव्यवस्था।

16. डाडेकर वी0एम0 एण्ड रथ नीलकंठ ''पावर्टी इन इण्डिया'' इकोनोमिक एण्ड पोलिटीकल वकीली जनवरी 2 तथा 9, 1971।

17. गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, प्लानिंग कमीशन, 6th पंचवर्षीय योजना 1980–85 (नई दिल्ली 1981) पृ0–51।

18. गुप्ता, एस0पी0 ''रोल ऑफ इम्प्लायमेन्ट एण्ड पावर्टी'' वी0वी0 सिंह संस्मरण व्याख्यान भारतीय श्रम अर्थशास्त्र का 41वां वार्षिक सम्मेलन, इन्दिरा गाँधी विकास शोध संस्थान मुम्बई नवम्बर–18–20,1999।

19. गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, प्लानिंग कमीशन नाइन्थ फाइव इयर प्लान, 1997–2002 वाल्यूम–1।

20. गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया प्लानिंग कमीशन IX फाइव इयर प्लान 1997–2002, वाल्यूम–1, पृ0–198।

21. जोगेलकर एम0एम0 (1983)–स्टडी आफ क्राप पैटर्न आन एन अरबन फ्रिंज। इण्डियन जनरल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स वा–18 नं01।

22. जॉन डब्लू मेलर "डिटरमाइन्स ऑफ रूरल पावर्टी : दि डायनामिक्स ऑफ प्रोडक्शंन टेक्नोलाजी एण्ड प्राइस।

23. जान डब्लू मेलर "फूड प्राइस पालिसी एण्ड इन्कम डिस्ट्रीव्यूशन इन लो इन्कम कन्ट्रीज" इकोनोमिक डिवलमपेन्ट एण्ड कल्चरल चेन्ज अक्टू0 1978 पृ0 1–26।

24. कीथ ग्रिफिन दि पोलिटिकल इकनामी ऑफ एग्रेरियन चेन्ज : एन ऐसे आन ग्रीन रिवोल्यूशन केमब्रिज 1979 पीपी–61,69।

25. मिन्हास बी0एस0 'प्लानिंग एण्ड पुअर' (न्यू डिलही) पी–72।

26. मिन्हास बी0एस0 "रूरल पावर्टी लैण्ड डिस्ट्रीव्यूशन एण्ड डिवलपमेन्ट" इण्डियन इकानामिक रिव्यू अप्रैल 1970।

27. मिश्र, एस0के0 तथा पुरी वी0के0 बेरोजगारी की समस्या : भारतीय अर्थव्यवस्था (हिमालया पब्लिसिंग हाऊस, मुम्बई)।

28. शाजिद हुसैन एग्रीकल्चर मालन्यूट्रीशन एण्ड डिफीसिएन्सी डिसीजेज इन रूरल उत्तर प्रदेश (दि इण्डियन जियोग्राफी जनरल वाल्यूम–14)।

29. ओजलर, बी0दत्त जी तथा रावालियन एम0 "ए डाटा बेस ऑन पावर्टी एण्ड ग्रोथ इन इण्डिया" दि वर्ल्ड बैंक जनवरी 1996।

30. प्लानिंग कमीशन– "टास्क फोर्स ऑन मिनियम नीड्स एण्ड इफेक्टिव कन्जम्प्सन डिमाण्ड।

31. प्लानिंग कमीशन–रिपोर्ट आफ दि कमेटी आफ एक्सपर्ट अनइम्प्लायमेन्ट इस्टीमेट्स, पृ0–31।

32. प्लानिंग कमीशन–VII फाइव इयर प्लान 1992–97, वाल्यूम–1 पृ0–134।

33. प्लानिंग कमीशन–VIII फाइव इयर प्लान 1992–97, वाल्यूम–1 पृ0–134।

34. प्रकाश विश्व भोजन द्वारा पूर्ण स्वास्थ्य।

35. Quoted by S.P. Singh आर्थिक विकास एवं नियोजन–2000 पृ0–588।

36. राम अजीत "इकोनामिक्स एण्ड पालिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ"

37. रिपोर्ट ऑफ दि सेविन्थ फाइनेन्स कमीशन 1978।

38. राज कृष्णा– "दि ग्रोथ ऑफ एग्रीमेन्ट अनइम्प्लायमेन्ट इन इण्डिया–ट्रेन्ड्स, सोर्शेज एण्ड मैक्रो इकोनामिक पॉलिसी आरसन्स" वर्ल्ड बैंक स्टाफ वर्किंग पेपर्स नं0–638, वाशिंगठन डी0सी0 1984, पृ0–6।

39. सिहं ए0के0 "एग्रीकल्चर डिवलपमेन्ट एण्ड रूरल पावर्टी।

40. सिंह, एस0वी0 "पावर्टी फूड एण्ड न्यूट्रीशन डाइट" 1983, पृ0–57।

41. सुएस, एडवर्स "दि इकोनोमिक्स आफ सब्सटेन्स एग्रीकल्चर।

42. सिडनी के0बुर्राई लैड प्रोब्लेम एण्ड पालिसीज।

43. सिंह करूणेश प्रताप– कृषि उत्पादकता पोषण स्तर एवं कुपोषण जनित बीमारियाँ अप्रकाशित शोध ग्रन्थ बु0 विश्वविद्यालय झांसी।

44. सिंह शालिनी 'ग्रामीण निर्धनता, पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य" अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, बु0 विश्वविद्यालय, झाँसी–2000।

45. सिंह एस0पी0–पावर्टी फूड एण्ड न्यूट्रीन इन इण्डिया 1987 युग पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।

46. तिवारी पी0डी0 1988– पैटर्न आफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एवेलिबिलिटी एण्ड न्यूट्रीशन इन एम0पी0 इकोनामिक ज्योग्राफी वाल्यूम–23।

47. त्रिपाठी, बद्रीविशाल गरीबी और आर्थिक विषमता भारतीय अर्थव्यवस्था किताब महल, इलाहाबाद।

48. टी0एन0 श्रीवास्तव एवं पी0के0 वर्धन "पावर्टी एण्ड इन्कम डिस्ट्रीव्यूशन इन इण्डिया"।

49. त्रिपाठी बद्री विशाल–भारतीय कृषि अर्थशास्त्र किताब महल इलाहाबाद।

50 विल्काक्स–लैण्ड एण्ड स्वाइल।

51. वर्धन पी0के0 ऑन दि इन्सीडेन्सी ऑफ पावर्टी इन रूरल इण्डिया" इकोनामिक एण्ड पोलिटिकल वीकल, एनुअल नम्बर फरवरी 1973।

52. World Development Report (विश्व बैंक) 1999–2000 पृ0–25।

53. वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डिवलपमेन्ट रिपोर्ट 1999–2000 टेबिल 5 पीपी–283–39।

54. कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका–2006।

55. Sinha, CO and Singh J.K. — Removal of Poverty

56. Trilok Singh — Poverty and Social Change

57. Datta, K.L. — Measurement of Poverty

58. Mittal, A.C. — Rural Economics

59. Golvakar, AG. — Money Exchange in Banking

60. Kumarappa — Way the Village Movement

61. Sen A.K. — Dimension of unemployment in India

62. प्रो0 भवतोष दत्त — निर्धनता का निदान

63. बसन्त साठे — सोचने से इनकार करना कारयता है।

64. भारत डोगरा — गरीबी चुनौती प्रतिक्रिया एवं कुछ प्रश्न

65. वलवन्त सिंह हाडा — गरीबी का उपचार, काम का अधिकार

66. डॉ0 मैल्कम एल0आदिशेषैया — गरीबी क्या, क्यों और कैसे?

67. प्रो0 एस0आर0 हाशिम — भारत में ग्रामीण विकास

68. प्रो0एन0एन0वर्मा — उत्तर प्रदेश में विकास कार्य

69. प्रो0 मजफ्फर खान — दरिद्रता के साये में पलती तीसरी दुनिया

70. एस0के0डे0 — लोगो का अधिकार या लोगो पर अधिकार

71. प्रो0 जी0 थिमेयया — गरीबी नापने का नया पैमाना

72. डॉ0 आर0पी0एस0तोमर — बेरोजगारी की समस्या बनाम ग्रामोत्थान

73. वीरेन्द्र सिंह — निर्धनता से सघर्ष की नई रणनीति

74. एडु आर्डो फेलेरियो — रोजगार के और अधिक अवसर

75. त्रिपाठी, मोतीलाल अशान्त — बुन्देल खण्ड दर्शन

76. डॉ0 शशिबाला — ग्रामीण विकास, एक विशिष्ट अवलोकन कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका दिसम्बर, 2003